खण्ड-354, अंक-1
मंगलवार, 13 माघ, शक संवत् 1903
(2 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय		पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	..	1–4
प्रश्नोत्तर	..	5–108
मुजफ्फरनगर एवं हापुड़ की गुड़ खांडसारी मंडियों के व्यापारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	108
शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र निगोही के अन्तर्गत ग्राम दियारिया व सुराही के पास शाहजहांपुर ब्रांच नहर के कट जाने से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति तथा मुआवजे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	109
आगरा के महात्मा दूधधारी इंटर कालेज की मैनेजिंग कमेटी में झगड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	109–110
जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र मुफ्तीगंज में मोथहा पम्प कैनाल के त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण कतिपय ग्रामों में जल जमाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	110
अस्थायी जनगणना कर्मचारी कल्याण परिषद् द्वारा अनशन, भूख हड़ताल व पुलिस दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	110-111
श्री सन्त बक्श रावत की नियम 301 की सूचना स्वीकार न किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	..	111–112
विधान सभा सदस्य, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही द्वारा बल परिवर्तन की सूचना	..	112
दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्नों का शोधन वक्तव्य	..	112–113
नव वर्ष के उपलक्ष्य में जनपद बदायूं के पुलिस परेड ग्राउन्ड पर आयोजित कवि सम्मेलन में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कवियों को मारने–पीटने के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	113–117
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	..	113
नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	..	117–118

विषय		पृष्ठ–संख्या
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982 (पुरः स्थापित किया गया)	..	118–119
प्रश्नों के उत्तरों में मंत्री जी का नाम न छापे जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	119–120
हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी टेलीप्रिन्टरों के खरीद की योजना के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	120–121
दैनिक 'अमृत प्रभात' में निकले समाचार "जिला अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा का अधिकार विधायकों एवं राजनीतिक दलों को नहीं है" के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	..	121–122
कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	122
1982–83 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	..	122–172
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	173
झांसी न्यायालय द्वारा अवैध कब्जा हटवाने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के साथ नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता व अन्य कर्मचारियों द्वारा मार–पीट व गाली–गलौज कर जबरन झूठा दस्तावेज लिखवाने और कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट, पुलिस द्वारा न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	173–175
तिथियां	..	177–200

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 2 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य 330

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (ललू) (बहराइच)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)

कृष्ण मोहन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार नाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट) (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शास्त्री, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैया, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, श्री (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)

जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेजबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नारायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धुपराय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबूलाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
नेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)

भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रघु कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह (एडवोकेट), श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)

रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
बिजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह डान', कुंवर (गाजियाबाद)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तनापुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्श रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरनरायन सिंह, श्री (रायबरेली)
हरवंश प्रसाद पान्डेय, श्री (बांदा)
हरिहर प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 2 फरवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग के छटनीशुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची प्रान्तीय स्तर पर बनाये जाने पर विचार

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सा0 नि0 विभाग के प्रत्येक खंड के छटनीशुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची प्रान्तीय स्तर पर बनाई गयी है और उसी के अनुसार उनको खपाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, अब कुछ कहने को बाकी नहीं रहा जब माननीय मंत्री जी ने यह कह दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

मुरादाबाद में मुहल्ला लालबाग माता काली के मन्दिर के पास मृत्यु की घटनाएं

*2--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मंत्री को यह जानकारी है कि दिनांक 7 जनवरी, 1981 से 11 जनवरी, 1981 के बीच मुरादाबाद में मुहल्ला लालबाग माता काली के मन्दिर के पास अनेकों व्यक्तियों के मरने की घटनाएं हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त घटना का पूर्ण विवरण क्या है ? शासन द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के आधार पर वांछित सूचना शून्य है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं माननीय गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जिस वक्त ये 7 आदमी मरे हैं जिसकी सूचना उन्होंने शून्य बतायी है, उस वक्त सफाखाने में उन व्यक्तियों का जो पोस्ट-मार्टम हुआ है, उसकी सूचना मंगाकर सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, वहां से बार-बार सूचना मंगाई गई थी । 7-1-81 से 11-1-81 के बीच मुरादाबाद में मुहल्ला लालबाग माता काली के मन्दिर के पास यह घटना नहीं हुई है । यह सूचना वहां के जिलाधिकारी ने 20 जनवरी, 1982 को अभी हाल ही में भेजी है कि भूत-प्रेत की अफवाह वहां जरूर विद्यमान थी ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने स्वयं माना है कि भूत-प्रेत की अफवाह वहां पर जरूर थी जिसकी वजह से वहां पर उस मन्दिर के पास लोगों की मौतें हुई

[श्री रियासत हुसैन--]

हैं जिसकी वजह से जो पोस्ट-मार्टम उन लोगों का हुआ उसमें उनकी मौत का कोई कारण नहीं निकल सका। तो क्या माननीय गृह मंत्री उसी भूत-प्रेत के आधार पर जो मौतें हुई हैं जिसका पोस्ट-मार्टम सफाखाने में हुआ है, उसकी रिपोर्ट मंगाकर सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने यह नहीं कहा है कि भूत-प्रेत से यह घटना हुई है। मैंने कहा कि भूत-प्रेत की अफवाह वहां जरूर फैली हुई थी जिससे रियासत भाई परेशान हो गये, लेकिन मौत की घटना उससे नहीं हुई है और न ही वैसे भी हुई है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय हाफिज मोहम्मद सिद्दीक इस समय सदन में मौजूद नहीं है, वे मुरादाबाद के विधायक हैं उनका एक मुलाजिम था जुम्मन खां, जिसका कि मुरादाबाद में दंगा के अवसर पर मर्डर कर दिया गया था कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही जुम्मन खां भूत बन गया हो और उसके कारण यह मौतें हो रही हों। क्योंकि पोस्ट-मार्टम में कोई काज आफ डेथ नहीं निकल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आखिर यह अफवाह क्यों उड़ी कि माता काली के मंदिर के पास मोहल्ला लालबाग में यह घटना हुई है ? अगर ऐसा नहीं है तो आखिर जो लाश सफाखाने में गई पोस्ट-मार्टम के लिये, वे लाशें कहां से आई जिनका कि मौत का कारण मालूम नहीं हो पा रहा है ? इस आधार पर आप सूचना मांगने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि मुहल्ला लालबाग माता काली के मंदिर के पास अनेकों व्यक्तियों के मरने की घटनायें हुई हैं ? तो उस एरिया में मरने की घटना नहीं हुई, कहीं और हुई हो तो उसके लिये अलग क्वेश्चन कीजिये।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, माननीय जसवंत सिंह विष्ट बैठिये।

गांव लाग्पुर, थाना मुहम्मदाबाद में पुलिस तथा डाकू मुठभेड़ में मृत व्यक्ति

*3.--श्री ऊदल--

[अनुपस्थित]

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 28 जून, 1981 को गांव लाग्पुर, मुहम्मदाबाद, जिला आजमगढ़ में 6 व्यक्तियों को पुलिस ने डाकू पुलिस मुठभेड़ दिखाकर गोली से उड़ा दिया है ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है, वे 6 व्यक्ति कहां के थे, उनका नाम व पता क्या है और क्या इसके पहले भी किसी अपराध में वे शामिल थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी:—

अभी यह कहना सही नहीं है कि 6 व्यक्तियों को पुलिस ने डाकू पुलिस मुठभेड़ दिखाकर गोली से उड़ा दिया है। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम लग्गूपुर, थाना मुहम्मदाबाद के सुक्खू बरई के बाग में 28/29 जून, 1981 की रात्रि में कुछ डाकू इक्ट्ठा हुए थे और श्री रघुपति सिंह निवासी लग्गूपुर के घर डकैती डालने की योजना बना रहे थे। इसकी सूचना पुलिस को मिलने पर उन्हें घेर कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया और आत्मसमर्पण के लिए ललकारा गया इस पर डाकुओं ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और बमों के प्रहार भी किए। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया। घटना स्थल पर 6 नफर डाकू अदम शिनाख्त मारे गये। मृतकों के पास से अवैध शास्त्र, कारतूस एवं बम बरामद हुए। इस सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 195/81 धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 व मु0 अ0 सं0 196, 197, 199, 200, 201 व 202/81 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट तथा मु0 अ0 सं0 198 धारा 5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दिनांक 29-6-81 को पंजीकृत हुए। विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त हुये जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत हो चुकी हैं। मृतक डकैतों के नाम पते निम्न हैं --

1--रामा चौहान पुत्र झिगन चौहान (नोनिया), साकिन सरांवा थाना मऊ, आजमगढ़।

2--जय श्री पुत्र सुमाऊ, हरिजन, साकिन परसपुरा, थाना मऊ, आजमगढ़।

3--निजामुद्दीन पुत्र अमीन, साकिन सरांवा, थाना मऊ, आजमगढ़।

4--हरिश्चन्द्र पुत्र ऊदल, साकिन डमरांव, थाना मऊ, जिला आजमगढ़।

5--विरेन्द्र पासी पुत्र शिवनाथ पासी, साकिन बमवल, थाना मऊ, आजमगढ़।

6--राम जी सिंह पुत्र साहब सिंह, साकिन धवरिया, थाना कोपागंज, जिला आजमगढ़।

उक्त डाकुओं में से स्व0 रामा चौहान का चालान पहले मु0 अ0 सं0 138/80, धारा 25 आर्म्स ऐक्ट थाना मरदह, जनपद गाजीपुर से हुआ था और इसके पश्चात् उक्त थाने के ही मु0 अ0 सं0 131/81, धारा 396 भा0 दं0 वि0 में भी प्रकाश में आया था। जय श्री का चालान मु0 अ0 सं0 175/78 धारा 147/148/149/302 भा0 दं0 वि0 थाना चिरैयाकोट जनपद आजमगढ़ में हुआ था। शेष 4 अभियुक्तों की आपराधिक गतिविधियों का कोई उल्लेख पुलिस रिकार्ड में नहीं है किन्तु स्थानीय जांच में पाया गया कि उनके भी डकैती और राहजनी जैसे अपराध करने की शिकायतें थीं। घटना की मजिस्टीरियल जांच जारी है जिसके परिपेक्ष्य में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जिला देवरिया के खड्डा शुगर फैक्ट्री पर विधायक श्री महेश प्रसाद एवं जनरल मैनेजर के बीच मारपीट की घटना एवं उसकी जांच

*4--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के खड्डा शुगर फैक्ट्री पर दिनांक 12 जनवरी, 1981 को विधायक एवं रिसीवर के बीच मारपीट प्रदेश

के गन्ना विकास मन्त्री के समक्ष हुई, जिसकी रिपोर्ट खड्डा थाने में दर्ज हुई ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है, उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना निम्न प्रकार है :--

दिनांक 11 जनवरी, 1981 को तत्कालीन गन्ना विकास मन्त्री शुगर मिल खड्डा के गेस्ट हाउस में थे। उनके साथ क्षेत्राधिकारी पडरौना व परगनाधिकारी हाटा गार्ड सहित थे। मन्त्री जी के आगमन पर बहुत से गणमान्य व्यक्ति व विधायक मुलाकात के लिये आये थे। लगभग 10-15 बजे रात्रि में केवल श्री महेश प्रसाद व श्री खुदादीन अंसारी विधायक तथा कुछ स्थानीय कांग्रेस (आ.ई) के कार्यकर्ता रह गए थे। लगभग 10-30 बजे अचानक कुछ कार्यकर्ताओं के चिल्लाने पर थानाध्यक्ष गेस्ट हाऊस के बरामदे से दौड़कर पहुंचे तो देखा कि जनरल मैनेजर खड्डा चीनी मिल श्री सी० आर० देसाई नशे की हालत में अपने दोनों हाथों से विधायक श्री महेश प्रसाद का गला जान से मारने के अभिप्राय से जोरों से दबा रहे थे तथा यह कह रहे थे कि तुमने मन्त्री जी से मेरी शिकायत की है, मैं तुम्हे जान से मार डालूंगा। वहां उपस्थित सहयोगी कार्यकर्ता जनरल मैनेजर से उनको छुड़ाये, इसी बीच थानाध्यक्ष ने पहुंचकर जनरल मैनेजर को गिरफ्तार किया। यह सूचना मिलने पर मन्त्री जी गेस्ट हाऊस से बाहर आये तथा स्थिति से अवगत होने पर तत्काल शुगर मिल के गेस्ट हाऊस को छोड़ दिये। विधायक श्री महेश प्रसाद की सूचना पर मु० आ० सं० 8/81 धारा 307/504 भा० द० वि० का अभियोग, श्री सी० आर० देसाई के विरुद्ध कायम किया गया है और उन्हे बन्दी बना कर हिरासत में लिया गया। दिनांक 12 जनवरी, 1981 को श्री देसाई को मुंसिफ मैजिस्ट्रेट, कसया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हे जमानत मचलके पर रिहा कर दिया गया। इस अभियोग की विवेचना इस समय अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगी कि क्या श्री देसाई नशे की हालत में विधायक को मार रहे थे, उनकी डाक्टरी कराई गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

डाक्टरी कराई गई है रिपोर्ट यह है कि हल्के से शराब के नशे में वह पाये गये हैं।

श्री हुकम सिंह--

यह 307 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय विधायक जिनको चोट आने की बात बताई जाती है उनका कोई मेडिकल हुआ, उनको क्या-क्या चोटें आई हैं, उसको पढ़ कर सुना दें ?

श्री अध्यक्ष--

क्या डाक्टरी मुआइना विधायक जी का हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

शासन ने स्वीकार किया है कि वहां इस प्रकार की कोई घटना घटी और जिसकी रिपोर्ट दर्ज हुई, तो इस घटना की जांच में अपराध अनुसन्धान विभाग क्या कर रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी ?

श्री अध्यक्ष—

किसी एजेंसी से जांच हो सकती है, उन्होंने उससे करा दिया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

उसकी कहां और क्यों आवश्यकता पड़ी, मान्यवर, आप इनकी तरफ से कोई उत्तर न दिया करें, हमारा उत्तर आने दें । थाने में रिपोर्ट है, इसका उत्तर आप दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

आप निर्देश न दिया करें कि मैं क्या करूं । जब कोई सवाल पूछा जाता है और जो उत्तर दिया जाता है, मुझे उसके सम्बन्ध में सवाल का उत्तर दिलाने के लिये उसको समझने की और जानने की आवश्यकता पड़ती है । आपका प्रश्न जरा और स्पष्ट हो जाये तो मैं जवाब दिलवा दूं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जब घटना के चश्मदीद हैं और शासन स्वीकार करता है और मौके पर घटना घटी है और एफ० आई० आर० भी दर्ज है, तो उसमें अपराध अनुसन्धान विभाग से जांच की क्या आवश्यकता पड़ गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

क्योंकि इसमें लोगों की मांग थी कि इसको अनुसंधान विभाग को दे दिया जाय, तो यह दिया गया । अच्छा ही है इसमें वहां पर ठीक से जांच हो जायेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा ।

श्री माता प्रसाद पांडेय—

कानून में मान्यवर, एक व्यवस्था है कि जब तक कोई गम्भीर चोट या ऐसा प्रयास न हो, तब तक 307 दर्ज नहीं होती है, इसमें मेडिकल रिपोर्ट कोई आई नहीं, तो किस आधार पर मन्त्री जी 307 के अन्तर्गत मुकदमें की तफतीश करवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें एक विधायक का गला दबाने की बात है और आप इससे इन्कार नहीं करेंगे कि विधायक विधायक है वह कोई हो और इसमें उसका गला दबाने की बात है ।

श्री अम्मन सिंह गहलौत--

इससे सम्बन्धित विधायक के बारे में क्या यह सत्य है कि उन्होंने अपने ढ़ाई सौ नामों की सूची रिसीवर को अपनी फैक्टरी में नियुक्त कर लेने के लिये दी थी और उनकी मजबूरी के कारण उनके ऐसा न करने पर उन्हें आतंकित करने और डराने के लिए ऐसा केस बनाया गया है ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि इन्होंने कोई नौकरी दी थी, उसकी लड़ाई थी। अब सम्मानित सदस्य की भावना का ध्यान रखते हुये अपराध अनुसंधान विभाग को यह काम सौंपा गया है कि वह नशे की हालत में होने से ऐसा कर दिया या उनका इन्टेंशन ही ऐसा था।

श्री भगवती सिंह विशारद--

उनके पास देसाई के सम्बन्ध में जो सूचना है उसे ध्यान में रखते हुये उनके विरुद्ध क्या कायवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही की गई, उनको निलम्बित किया गया उसके पश्चात्।

श्री हुकम सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि सी० आई० डी० द्वारा आप जो जांच करवा रहे हैं, उक्त जांच इस वक्त किस स्टेज पर है ? वह मुकम्मल हो चुकी है या नहीं ? जांच रिपोर्ट तैयार है या नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी चल रही है, जैसे ही सी० आई० डी० की रिपोर्ट आयेगी, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या नन्ना विकास मन्त्री ने स्वयं खड्डा थाने में जाकर सम्बन्धित एफ० आई० आर० दर्ज करायी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, यह बिलकुल गलत है।

जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध सी० आई० डी० द्वारा जांच

*5--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या गृह मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने दिनांक 19 अगस्त, 1981 को तार द्वारा सूचना दिया तथा पुनः दिनांक 3 अक्तूबर 1981 को मुख्य मन्त्री एवं अध्यक्ष, विधान सभा को एक तार द्वारा यह सूचना दिया कि प्रश्नकर्ता एवं उनके दल के सह-

योगियों के जान माल का गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो इस दशा म अब तक क्या सक्षम कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस आशय के तार प्राप्त हुये थे, जिसके आधार पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था हेतु जिलाधिकारी गोरखपुर को निर्देश दिये गये। प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष महाराजगंज की ओर से माननीय विधायक एवं उनके समर्थकों के जान-माल का कोई खतरा नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका पूर्ण संरक्षण चाहते हुये मन्त्री जी से 4-5 प्रश्न करना चाहता हूं। इस सम्बन्ध में आपसे मिल भी चुका हूं। क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 8-9 अगस्त, 1981 की रात को ग्राम सौहगौरा थाना महाराजगंज में 7-8 घर लूट गये और जिसके सम्बन्ध में 4 नामजद अभियुक्तों को पकड़ कर ले गये और इनको यह कहकर छोड़ा गया कि 8 अगस्त में माननीय मुख्य मन्त्री जी जब गोरखपुर जायें तो उनके कार्यक्रम में उपस्थित हों। 8 अगस्त को इसी थाने के ग्राम दरहटा में अपने लोगों के साथ रुका था। 600 आदमियों के बीच बैठक हुयी। वहां पर थाने में फर्जी रूप से रिपोर्ट लिखायी गई कि विधायक जी व उनके लोग मुझे मारे हैं और मेरे घर के ताले तोड़ दिये हैं, पता नहीं वह आदमी मर गया है और इस पर थानाध्यक्ष ने रात के तीन बजे मुझे और मेरे लोगों को घेरे बन्दी में लिया और मुझसे यह कहा कि आपन घूस लो है। तो इस आशय की मैंने मुख्य मन्त्री जी को शिकायत भेजी है, उस पर क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो तार माननीय विधायक जी ने मुख्य मन्त्री एवं माननीय अध्यक्ष जी को भेजे थे, वे अनुसंधान शाखा को प्रस्तुत कर दिये गये हैं, उनकी जांच हो रही है और जो वहां पर झगड़ा हुआ था उनकी भी जांच हो रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, श्री श्रीकांत पांडेय, एस0 ओ0 महाराजगंज का उस जनपद से दूसरे जनपद को स्थानान्तरण हो गया था लेकिन माननीय राजेन्द्र त्रिपाठी, राज्य गृह मन्त्री एवं गृह मन्त्री पर दबाव डलवाकर कांग्रेस वालों ने उसका वहां से स्थानान्तरण रुकवा दिया है और उसको कहा गया है कि चुंकि उस क्षेत्र से मैं अकेला लोक दल का सदस्य हूं, मुझे वहां पर जमने न दिया जाय। तो मैं जानना चाहता हूं कि किस जनहित को ध्यान में रखते हुये उनको वहीं पर रोका गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह बात सत्य से परे है कि थानाध्यक्ष का किसी कांग्रेस (आई) के लोगों के कहने के कारण वहां से स्थानान्तरण रोका जा रहा है। पहले माननीय विधायक जी के खिलाफ ग्राम प्रधान और कांग्रेस के लोगों ने एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी थी। उसकी भी विवेचना हो रही है ताकि वास्तविकता की, उनके विरोध में या पक्ष में, सही जानकारी हो सके।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मन्त्री जी ने खुद तसलीम किया है कि इस मामले की विवेचना सी० आई० डी० द्वारा करायी जा रही है। तो क्या आप सन्तुष्ट नहीं हैं कि वहां पर अगर उस दरोगा को रोका गया तो वह जांच को प्रभावित करेगा ? तो वे कौन से जनहित के कारण हैं कि उसका जांच के दौरान वहां से स्थानान्तरण नहीं हो रहा है और उसको वहीं पर रोका गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

अनुसंधान शाखा के लोगों ने कहीं यह नहीं कहा कि उनके वहां पर रहने से जांच में बाधा पड़ रही है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैं महाराजगंज तहसील के सामने धर्मशाला में था। वहां पर दीपक नामक व्यक्ति की पिटाई की। वहां पर मेरे वर्कर्स लोग भी थे।

मेरे निवास पर जाकर भद्दी-भद्दी गालियां दीं। इस तरह से मेरे और मेरे वर्करों के सम्मान को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इनकी शिकायत मैंने सरकार को भेजी थी क्या वह प्राप्त हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जो आपने शिकायत की है उसकी भी सी० आई० डी० जांच कर रही है और जो भी दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ पूरी कार्यवाही की जायेगी वह चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो। एन० एल० ए० हमारे सम्मानीय विधायक हैं और उनको सुरक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

जब माननीय विधायक ने सारी बातों की सूचना आपको दी और आपने सी० आई० डी० को जांच दे दी, तो उसके ऊपर सी० आई० डी० से कोई अंतरिम रिपोर्ट आयी या नहीं ? यदि नहीं आयी, तो क्या अंतरिम रिपोर्ट मंगा कर आप कार्यवाही करेंगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

माननीय सदस्य ने एक बात कही है और कुछ दूसरे लोगों ने इनके खिलाफ दूसरी बात कही है। उनका कहना है कि उन्होंने चूंकि इनको वोट नहीं दिये इसलिए उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इन सारे मामले की जांच सी० आई० डी० को दे दी है यह भी शिकायत आयी कि एक ग्राम सेवक और पंचायत सेक्रेटरी को माननीय विधायक के कहने पर मारा। तो इस सब की जांच हो रही है अभी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री रामसागर—

अभी यह बताया गया कि माननीय विधायक जी के विरुद्ध भी शिकायत है और माननीय विधायक जी ने भी वहां के थानाध्यक्ष और कुछ कांग्रेसी वर्करों के खिलाफ शिकायत की है। तो इतना तो निश्चित है कि वहां पर तनाव पूर्ण

स्थिति है और माननीय विधायक जी अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं? क्या सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं समझती हूं कि माननीय विधायक तो स्वयं इतने अधिक वोटों से जीत कर आये हैं और वे स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम हैं ।

(व्यवधान)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

वहां के प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी मीटिंग में नहीं आये और यह भी शिकायत है कि वहां का प्रधान लड़कियों को छेड़ता है तथा अन्य कुकर्म भी करता है और सीमेंट की गड़बड़ी में भी भागीदार है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उस थानाध्यक्ष को, जिसका कि समय हो गया है पूरा उस रीजन में, उसे अब तक वहां से न हटाने का क्या कारण है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

*6--श्री नन्द किशोर सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिन्हौरा मिरचही, जिला एटा के प्रबन्धकों को दी गयी नोटिस पर अग्रिम कार्यवाही

*7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या दिनांक 8-11-78 अथवा उसके आस-पास किसी दिन शिक्षा निदेशक महोदय इलाहाबाद द्वारा राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जिन्हौरा मिरचही, जिला एटा के प्रबन्धकों की इन्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम की धारा 16-डी (2) के अधीन विद्यालय में व्याप्त कुप्रबन्ध, प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के निराकरण हेतु कोई कारण बताओं नोटिस दिया गया ? यदि हां, तो इसका विद्यालय द्वारा क्या उत्तर दिया गया एवं निदेशक महोदय द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

जी हां ।

दोनों विवादग्रस्त प्रबन्धकों ने आरोपों का खन्डन करते हुये एक दूसरे के विरुद्ध आरोप लगाये । तत्पश्चात दोनों प्रबन्धकों को 16-डी (3) में दूसरी नोटिस दी गई जिसका उत्तर केवल एक प्रबन्धक श्री जगदीश चन्द्र कैलानी ने दिया और बताया कि उनकी समिति का प्रभावी नियंत्रण है । शिक्षा निदेशक द्वारा जांचोपरान्त यह पाया गया कि विद्यालय में व्याप्त अनियमितताये प्रायः समाप्त हो गई हैं । अतः शिक्षा निदेशक द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित कर दी गई ।

हरदोई जिले में सांडी हरपालपुर मार्ग पर गर्रा नदी के पुल पर टोल टैक्स की वसूली के ठेके की नीलामी

*8—श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

क्या सार्वनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में स्थित सांडी हरपालपुर मार्ग पर गर्रा नदी के पुल का टोल–टैक्स वसूली का ठेका सन् 1980–81 के पहले एक लाख अस्सी हजार रुपये में उठा था परन्तु विभागीय अधिकारियों ने उसे स्वीकृत न कर बाद में एक लाख तीन हजार रुपए में उठा दिया जिससे शासन को सत्तर हजार रुपये का नुकसान हुआ ? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

प्रश्नगत पुल पर टोल-टैक्स की वसूली के ठेके की नीलामी दिनांक 26–5–80 को दो वर्ष के लिए हुयी थी जिसमें अधिकतम बोली 1,80,000 रु0 प्रति वर्ष प्राप्त हुयी थी । ठेकेदार को ठेके का पट्टा कराने हेतु पत्र भेजा गया, जो उसने 5–9–80 को प्राप्त किया । ठेकेदार द्वारा उक्त ठेका लेने से इन्कार किये जाने के कारण प्रश्नगत पुल पर टोल–टैक्स वसूली का ठेका दिनांक 25–10–80 को पुनः नीलाम कराया गया, जिसमें अधिकतम बोली 1,03,000 रु0 प्रतिवर्ष प्राप्त हुयी । ये बोली विभागीय कर्मचारियों द्वारा प्राप्त होने वाली आय की तुलना में लाभप्रद थी, अतः इसे स्वीकार कर लिया गया । 1,80,000 रु0 की बोली का पट्टा कराने हेतु ठेकेदार को विलम्ब से सूचना प्राप्त होने के संबंध में जांच की जा रही है तथा दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया, उसमें कुछ तो स्वीकार किया और कुछ अपने अधिकारियों को बचाया । तो माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 25–1–80 को जब दुबारा नीलामी हुयी तो उस नीलामी में विभागीय अधिकारियों ने इस कारण से उस नीलामी को रद्द कर दिया कि उसकी कीमत कम आई । तो जो व्यक्ति दुबारा नीलामी में बोली 20–11–80 को लगाया जिसको बढ़ा कर 24–11–80 कर दिया गया । तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दुबारा बोली लगाने के बाद किस अधिकारी द्वारा यह ठेका स्वीकार किया गया ? क्या यह सत्य है कि तत्कालीन कमिश्नर श्री गंगाराम जी जो उस ठेके की डेट से 10 दिन बाद रिटायर होने जा रहे थे, उन्होंने 40 हजार रुपया लेकर उस ठेके की नीलामी को कर दिया ? तो क्या माननीय मंत्री जी उनकी पेंशन से उसकी वसूली करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, बोली 1,80,000 रुपये की हुई थी, परन्तु जब ठेकेदार ने देखा कि उसमें लाभ नहीं हो रहा है तो उन्होंने सरकार को अपनी अस्वीकृति भेजी इसकी जब दुबारा नीलामी बुलायी गयी 1,03,000 रुपये की, उसके लिए यह जो हमारे टोल टैक्स विभाग के अधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि उनसे यह कहीं ज्यादा थी । इसके बारे में हमारे विभागीय अधिकारी ने लिखा था और कमिश्नर ने

इसे स्वीकार कर लिया था, यह 1,03,000 रु0 की जो बोली थी और उनसे यह बोली कहीं अधिक थी । इसलिए उसको कमिश्नर साहब ने स्वीकार कर लिया था।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, विभागीय अधिकारियों ने दुबारा नीलामी रद्द करने के लिए क्या लिखा था और जब नीलामी की तारीख लिखी गयी थी तो उस दर्मियन में दुबारा नीलामी न होने से पहले विभागीय अधिकारियों ने दुबारा नीलामी को रद्द करने के लिए क्या-क्या स्वीकृत किया था और जब 24-12-80 को तिबारा लिखा गया था, तो कमिश्नर साहब ने किस आधार पर ठेका स्वीकृत कर दिया ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उसको रद्द करने के लिए लिखा था ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

क्या-क्या लिखा था ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

मान्यवर, कमिश्नर साहब के पास अंतिम निर्णय के लिए लिखा गया था कि हमारे विभाग में जो टोल टैक्स इकट्ठा हुआ था, जैसा कि पहले हुआ था 59 हजार, 76 हजार, उससे यह ज्यादा था, लेकिन कमिश्नर साहब के पास जब यह अंतिम निर्णय के लिए गया, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने यह बात पूछी कि कमिश्नर महोदय ने 40 हजार रुपया लेकर इस मामले को खत्म कर दिया । माननीय मंत्री ने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया इसके बारे में और न कुछ कहा । क्या ऐसी बात है कि 40 हजार रुपया लिया या इल्जाम लगाया जा रहा है कमिश्नर पर क्योंकि वह हरिजन हैं ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

हरिजन या सवर्ण का प्रश्न नहीं है । न मेरे पास इसकी जानकारी है कि ऐसी धनराशि ली है । न ही विधायक ने कोई सबूत पेश किया इस सम्बन्ध में ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, 26-5-80 को किस व्यक्ति ने अधिकतम बोली लगाई और 25-10-80 को किस व्यक्ति ने अधिकतम बोली लगाई । क्या यह सत्य है कि दोनों दिन अधिकतम बोली लगाने वाला एक ही व्यक्ति है ? और क्या इस आधार पर इसको रद्द करेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

26-5-80 को महेन्द्र सिंह इटावा के और दूसरे दिन चन्द्रपाल मीखम ने लगाया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह भ्रमात्मक है। 1 लाख, 80 हजार की जो नीलामी हुई वही व्यक्ति है जिसको 1 लाख, 3 हजार में लिया चन्द्रपाल सिंह ने। इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने उस ठेके को निरस्त करने को इसी आधार पर कि नीलामी अनियमित की गई है। एक ही व्यक्ति ने दूसरे नाम से कम पैसे से ठेके को लिया है इस आधार पर इसको रद्द किया जाय लेकिन कमिश्नर ने उसको स्वीकृत कर लिया। यह मामला विवादास्पद हो गया है। क्या माननीय मंत्री इस पूरे विवादास्पद मामले की जांच करा कर कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कमिश्नर को था। कमिश्नर ने निर्णय लिया।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कारण तो सब के होते हैं। इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रद्द करने को कहा किस कारण से और स्वीकृत किस कारण से हुआ ? दोनों के अलग-अलग कारणों को बता दें। इक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने रद्द की संस्तुति की इसके क्या कारण थे और कमिश्नर ने स्वीकृत किया इसके क्या कारण थे ?

श्री अध्यक्ष--

इक्जीक्यूटिव इंजीनियर और कमिश्नर को अपनी-अपनी जगह अधिकार था। सब ने अपने अधिकार का प्रयोग किया।

प्रशासन समीक्षा समिति का गठन

*9--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में चुस्त और कारगर प्रशासन के लिये जिला स्तर पर कोई गैर सरकारी 'प्रशासन समीक्षा समिति' का गठन करने का विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी नहीं, क्योंकि वर्तमान समीक्षा व्यवस्था पर्याप्त है।

श्री रियासत हुसेन--

कोई मंत्री श्याम लाल वाजपेयी का उत्तर देने की हिम्मत नहीं कर रहा है। इस शेर का जवाब देने के लिये कोई शेर नहीं है।

श्री हुकम सिंह--

माननीय, अध्यक्ष जी यह सदन का अवमान है। मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस दे रहा हूं। आप प्रताड़ित करें।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी की जगह राज्य मंत्री के खूबसूरत जवाब के सन्दर्भ में यह पूछना चाहता हूं कि स्वच्छ प्रशासन और विकेन्द्रीकरण के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री का दिनोदिन बढ़ना नम्बर एक, ...।

श्री अध्यक्ष—

यह क्या प्रश्न हुआ ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

सरकार, मैं, प्रश्न ही कर रहा हूं। शासन इतनी देर में उत्तर दे रहा है। मेरे बोलने से सरकार न उकतायें। मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। 2 मिनट का मौका दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं तो शासन से ज्यादा आपको सक्षम समझता था। इसलिये जल्दी चाहता था।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

मान्यवर, एक ओर हमारे शासन की घोषणा है विकेन्द्रीकरण की, स्वच्छ प्रशासन का संकल्प हमारे शासन का है। नम्बर तीन—धीरे—धीरे हम राम राज्य को स्थापित कर चुके हैं जो बचा खुचा शेष है उसके लिए यदि इस सम्मानित सदन के सम्मानित विधायकों, माननीय सांसदों और जिले के प्रतिष्ठित नागरिकों एवं समाजसेवियों की एक समिति बन यी जाय और समिति के सामने जिला प्रशासन महीने में एक बार दर्पण के सामने आये और उसको मालूम हो कि क्या प्रगति और क्या हो रहा है तो विकेन्द्रीकरण की घोषणा के तहत क्या मंत्री जी समीक्षा समिति गठित करने की घोषणा करेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, सम्मानित सदस्य के भावपूर्ण विचारों का मैं आदर करता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि उन्हीं की भावना का ख्याल करके मुख्य मंत्री जी ने क्षेत्रीय मंत्रियों की प्रणाली निकाली है। क्षेत्रीय मंत्री, सम्मानित सदस्य हर पार्टी में बैठे करके उनके योजना पर सलाह देते हैं। शासन के पास वर्तमान में जो व्यवस्था उपलब्ध है उसमें हर विभाग की समीक्षा समितियां हैं। खाद्य की हैं, नियोजन की है, शिक्षा आदि की समीक्षा समियियां हैं। 24 सूत्री कार्यक्रम की समिति है। इन समितियों के अन्तर्गत सबको सलाह लेकर विकेन्द्रीकरण की भावना का पालन किया जा रहा है और आदर किया जा रहा है। दूसरी व्यवस्था की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

प्रश्न सरकार कुछ है और मंत्री जी का उत्तर कुछ है। समीक्षा समिति और क्षेत्रीय मंत्री यह दो अलग—अलग चीजें हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के प्रशासन की चुस्ती और कार्यकुशलता के बावजूद भी जिले—जिले में थानों की नीलामी की प्रथा चल रही है। जिलाधिकारी अपने को निरंकुश स्वामी समझे बैठे हैं इसके लिये सम्मानित सदन में रोज चर्चा होती है कि आज जन प्रतिनिधियों से अफसरशाही दूर होती चली जा रही है। तो उसको करीब लाने के लिये कोई विधिवत घोषणा होगी जिससे अफसरशाही जन प्रतिनिधि बैठ करके दैनिदिनी के बारे में विचार करें ? मान्यवर, क्षेत्रीय मंत्री बहुत बड़ी चीज है यह डिवीजन के मालिक हैं मैं तो जिले स्तर की बात कर रहा हूं सरकार। जहां पर दो बड़े अफसर शाह, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक बैठे हैं। यह जिला स्तर

के दो बड़े अफसरशाह अपने को ईश्वर के निकट समझने लगे हैं, अपने को व्यक्ति नहीं समझते हैं। उन पर नियंत्रण रखने के लिये और जन प्रतिनिधियों की दुर्दशा को बचाने के लिये क्या जन प्रतिनिधियों की समिति गठित करके उनको पास-पास बैठाने का प्रयास करेंगे ?

थोड़ा विवेक और साहस से काम लीजिए माननीय मंत्री जी।

(हंसी)

उत्तर दिला दीजिए, सरकार।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जब माननीय सदस्य विवेक और साहस से काम ले रहे हैं तो मुझे भी लेना ही पड़ेगा। क्षेत्रीय मंत्री की जो व्यवस्था की गयी है वह जिले के प्रशासन को ध्यान में रखकर की गयी है ताकि उसके कार्यों की पूर्णरूपेण समीक्षा हो सके। तो अब दूसरी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है दूसरी व्यवस्था अगर बनेगी तो उन दोनों प्रणालियों में आपस में संघर्ष होगा। इसलिए उन्हें इस पर ही संतोष रखना चाहिए।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर माननीय बाजपेयी जी ने जो प्रश्न किया है, वह बहुत ही स्पष्ट है उसमें किसी प्रकार की शक की गुंजाइश नहीं है कि प्रदेश में चुस्त और कारगर प्रशासन के लिए जिला स्तर पर कोई गैर सरकारी 'प्रशासन समीक्षा समिति' का गठन किया जाए, जिसमें क्षेत्रीय विधायक और जिले के प्रशासनिक अधिकारी मिल कर हुये कार्यों की समीक्षा करें और इससे भविष्य में बनने वाली योजनाओं के प्रारूप में मदद मिलेगी और जनता को भी इससे लाभ पहुंचेगा और आपने जो मंडलीय मंत्री की व्यवस्था की है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक को भी सम्मिलित करने की बात कही गयी है और इसके सहयोग से ही जो विकेन्द्रीयकरण के आधार पर योजनाएं और बजट होंगे, उनमें सलाह देते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सलाहकार समिति और प्रशासन समीक्षा समिति में कोई अंतर है और क्या जिला स्तर पर विधायक समीक्षा का कार्य नहीं कर सकता है ? इसी पर अभी समाचार हमीरपुर से छपा था कि विधायकगण डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या शासन की भी यही धारणा है और इसी वजह से इसके गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, जो वर्तमान में क्षेत्रीय मंत्री प्रणाली है, उसमें सभी क्षेत्रीय विधायकों के सलाह और राय-मश्विरे से वहां के कार्यों पर समीक्षा का ही कार्य होता है, इसमें जो भी माननीय सदस्य और माननीय संसद सदस्य अपना बहुमूल्य विचार रखते हैं हम उनके विचारों का आदर करते हुए आगे विचारविमर्श करते हैं, जिससे क्षेत्रीय विधायकों और वहां की जनता की मन्शा का भी समावेश हो जाता है इसलिए अब कोई अलग से व्यवस्था किये जाने पर कोई विचार नहीं है।

श्री मोहन सिंह--

मुझे मान्यवर, अब कोई प्रश्न नहीं करना है, मेरा प्रश्न माननीय भीखा लाल जी के प्रश्न में आ गया।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने जो क्षेत्रीय मंत्रियों की व्यवस्था में जिला स्तर पर गैर सरकारी तौर पर प्रशासन समीक्षा समिति की व्यवस्था की ओर जोड़ देने की बात उठाई है, वह बहुत ही उचित प्रतीत होती है, इससे वहां की जनता को भी लाभ होगा और क्षेत्रीय विधायकों के विचारों का उपयोग भी हो सकेगा। जिस पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यवस्था का जोड़ा जाना सम्भव नहीं है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या जिन मंत्रियों को क्षेत्रीय मंत्री की हैसियत से नियुक्त किया गया है, उनकी मीटिंग्स में क्षेत्रीय विधायकों को भी बुलाया जायेगा और क्या इस सिलसिले की कोई सूचना माननीय सरकार की ओर से या माननीय मंत्री जी की ओर से विधायकों को जिले के अंदर भेजी जायेगी और उन मीटिंग्स में क्षेत्रीय विधायकों को 'एज मेटर आफ फैक्ट' बुलाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष--

इसका जवाब वैसे माननीय मंत्री के उत्तर में आ चुका है, लेकिन प्रश्न आपका एक अलग सूचना का है, आप एक अलग से प्रश्न कर लें।

श्री राजमंगल पान्डेय--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि क्षेत्रीय मंत्री के माध्यम से जिले में हो रहे कार्यों पर विचार होता है और उसकी समीक्षा भी होती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो क्षेत्रीय मंत्री की व्यवस्था की गई है, इससे न तो कोई विधायकगण ही संतुष्ट हैं और न ही अधिकारीगण, और न ही जनता में इसका कोई इम्पेक्ट है और न ही जहां तक मैं समझता हूं कि कोई उत्तर का विधायक इस व्यवस्था से संतुष्ट है, तो क्या माननीय मंत्री जी वह क्षेत्रीय मंत्री व्यवस्था को खत्म करके जैसा कि माननीय बाजपेयी जी ने प्रश्न किया है कि जिला स्तर पर कोई गैर सरकारी प्रशासन समीक्षा समिति को स्थापित करने पर विचार करेंगे जिससे यह पता चल सके कि हम लोगों के जो विचार उसमें निहित हैं उनका कार्यान्वयन हो सकेगा ?

श्री अध्यक्ष--

क्या माननीय मन्त्री जी क्षेत्रीय मन्त्री व्यवस्था को समाप्त कर कोई दूसरी व्यवस्था जो माननीय बाजपेयी जी ने रखा है, को स्थापित करने पर विचार करेंगे?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जो वर्तमान में व्यवस्था है इसके अलावा दूसरे किसी व्यवस्था पर विचार करना सम्भव नहीं है। यह जो व्यवस्था क्षेत्रीय मंत्री की इस वर्ष की गयी है उसमें सभी माननीय सदस्य एवं माननीय संसद सदस्य जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है और हमारी जानकारी में आया भी है कि इसमें सभी माननीय सदस्य और माननीय संसद सदस्य रुचि ले रहे हैं और क्षेत्रीय मंत्री भी स्वयं क्षेत्रीय विधायकों को अपनी मीटिंग में बुलाते भी हैं और उनसे विचार-विमर्श करते हैं।

एक सदस्य--

मान्यवर, जो व्यवस्था क्षेत्रीय मंत्री जी कर रहे हैं उसी को और व्यापक बनाने के लिए इस पर विचार करेंगे जो माननीय बाजपेयी जी ने कहा है ?

(शोर)

श्री राज मंगल पान्डेय--

मान्यवर, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । क्षेत्रीय मंत्री की व्यवस्था जो समीक्षा कार्य के लिए की जा रही है उस पर सदन में बैठे सभी माननीय सदस्यों का जहां तक मैं समझा हूं कि विश्वास नहीं है, चाहे वह सदस्य इधर के बैठने वाले हों या उधर के । तो मान्यवर, जिस चीज पर किसी को विश्वास न हो, तो उस चीज के रहने का क्या तात्पर्य है ? दूसरी जो माननीय बाजपेयी जी ने जिस समीक्षा समिति को बनाये जाने के लिए कहा है क्या उसके बनाने की माननीय मंत्री जी घोषणा करेंगे ? यह प्रश्न था मान्यवर, मेरा ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर उन्होंने दे दिया है कि नहीं करेंगे ।

कस्बा सीतापुर थाना कर्वी, जिला बांदा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम शरण गर्ग तथा पुलिस के बीच मारपीट की दर्ज रिपोर्ट

*10--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के कर्वी कस्बे में गत 5 अगस्त, 1981 को एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुलिस ने मारा, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जिसके फलस्वरूप पूरे कस्बे में हड़ताल रही एवं एक सार्वजनिक सभा हुई जिसमें भाग लेकर वापस आये प्रदेश के भू0 पू0 मन्त्री एवं जनता पार्टी के नेता श्री जमुना प्रसाद बोस पर रात करीब 8 बजे हमला हुआ और उनको गम्भीर चोटें आयीं ? यदि हां, तो तत्काल इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम शरण गर्ग, निवासी सीतापुर, जनपद बांदा ने 6-8-81 को थाना कर्वी पर इस आशय की सूचना दर्ज कराई थी कि 4-8-81 की शाम 7 बजे कस्बा सीतापुर थाना क्षेत्र कर्वी में उनके साथ सीतापुर चौकी के अमुक सिपाहियों ने अभद्र व्यवहार व मारपीट की तथा एक मकान में बन्द कर दिया । इस रिपोर्ट के आधार पर थाने पर धारा 342/323/504 भा0 दं0 वि0 का अपराध पंजीकृत हुआ । दोषी पुलिसजन को लाइन हाजिर किया गया और अन्वेषण के बाद उनके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।

श्री राम शरण के साथ हुए अभद्र व्यवहार/मारपीट के प्रश्न को लेकर कर्वी में कुछ स्थानीय व्यक्तियों ने एक सभा करके रोष प्रकट किया था । पूरे कस्बे में हड़ताल होने की सूचना अतिरंजित प्रतीत होती है ।

श्री जमुना प्रसाद बोस के साथ कथित घटना के संबंध में उनकी रिपोर्ट के आधार पर धारा 393 भा0 दं0 वि0 का अपराध थाना कोतवाली पर दर्ज हुआ था । अन्वेषण से ज्ञात हुआ कि इस अपराध में दो व्यक्ति शामिल थे

जिन्होंने जुए में हारे हुए धन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह अपराध किया था जिनमें से एक 22-8-81 को बन्दी बना लिया गया था, दूसरे ने 5-10-81 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। शिनाख्त न हो पाने के कारण अन्वेषण अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त हुआ। श्री बोस के साथ हुई घटना को पूर्व घटना से सम्बद्ध करना सही नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो दुर्व्यवहार सीतापुर चौकी के सिपाहियों ने किया और जिसकी वे रिपोर्ट थाने पर दर्ज कराने गये 4 अगस्त, 1981 को तो उनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गयी और फिर वे 5 तारीख को गये जब भी नहीं लिखी गयी और जब वे फिर 6 तारीख को गये और यह कहा कि हम कांग्रेस आई के सक्रिय कार्यकर्ता हैं तब दर्ज की गयी।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, यह बात सच्ची नहीं है कि जब उन्होंने यह कहा कि हम कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ता हैं, तब उनकी रिपोर्ट दर्ज की गयी। रिपोर्ट जिस दिन वह गये हैं उसी दिन दर्ज हो गयी थी और उसके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही भी की गयी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मन्त्री जी के उत्तर से संबंधित में यह जानना चाहता हूं कि श्री जमुना प्रसाद बोस जब वह एक सार्वजनिक सभा में भाग लेकर रात के समय वापस आ रहे थे तब उन पर भी प्राणघातक हमला किया गया और उन्हें काफी चोटें आयीं और जब इसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गई तब भी कोई आवश्यक तत्काल कार्यवाही नहीं की गयी दूसरे यह 5 तारीख को जब एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पुलिस ने मारा और सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया जिनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी तो क्या इस प्रकार जो अपराध हुए हैं उनकी आपने जांच कराई ? यदि हां, तो जांच में क्या निकला और उसके लिए उन्हें किस रूप में दण्डित किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जांच हुई और इससे यह ज्ञात हुआ कि इसमें दो व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से एक को श्री सुग्रीव को 22-8-81 को बंदी बना लिया गया है और दूसरे ने स्वयं आत्मसमर्पण किया था, उस पर आगे की कार्यवाही जारी है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 4 तारीख की घटना थी जिसकी रिपोर्ट 6 तारीख को लिखी गयी है। उसमें एक कालम यह भी होता है कि रिपोर्ट के देर से लिखे जाने का क्या कारण है तो क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि रिपोर्ट को देर से लिखे जाने का क्या कारण लिखा गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

रिपोर्ट देर से लिखे जाने के कारण ही पुलिस कर्मियों को दन्डित किया गया है और उनका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है।

श्री रियासत हुसैन--

दन्डित तो आपने कर दिया लेकिन यह जो आपने कहा कि 4 तारीख को 1 बजे यह बताय कि रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और 2 दिन के बाद रिपोर्ट लिखी गयी, तो आपकी रिपोर्ट में जो कालम होता है, "देरी से लिखे जाने का कारण" उसमें क्या लिखा गया है ? ताकि पता चले कि क्यों देरी से लिखी गयी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अगर उसमें कारण लिखा होता तो दन्डित क्यों किया जाता ? इसीलिए उनको दन्डित किया गया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मै विनम्रता पूर्वक यह जानना चाहता हूं कि यह जो लिखित उत्तर दिया गया है यह बिलकुल भ्रामक है । श्री बोस की शिकायत है कि लिखित एफ0 आई0 आर0 दी गयी उसको दर्ज नहीं किया तो लिखित एफ0 आई0 आर0 को दर्ज क्यों नहीं किया गया और टेलीफोन वाली एफ0 आई0 आर0 दर्ज करके जांच की गयी, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की जांच सी0 आई0 डी0 या सी0 बी0 आई0 से करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

बोस जी की कोई शिकायत भी तो आये कि उसकी जांच करायी जावे ।

अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*11--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सितम्बर 1981 में प्रदत्तकर्ता द्वारा अधीक्षण अभियन्ता छठा वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर (श्री सुरेशचन्द्र मित्तल) के विरुद्ध एक 33 पन्नों का शिकायती-पत्र दिया था ? यदि हां, तो शिकायतें क्या थी और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव--

जी हां, इस शिकायती-पत्र तथा उसके संलग्नकों में मुख्यतया अधीक्षण अभियंता द्वारा विभिन्न कतिपय अनियमितताऐं करने तथा अपने अधीनस्त कर्मचारियों को उत्पीड़ित करने संबंधी आरोप लगाये गये थे ।

स्थिति तनावपूर्ण थी अतः अभी अधीक्षण अभियंता का गोरखपुर से स्थानान्तरण कर दिया गया है । जांच जारी है उसके उपरान्त कोई कार्यवाही यदि आवश्यक हुई तो की जायेगी ।

श्रीमती गौरी देवी--

मन्त्री जी इस अधीक्षण अभियन्ता ने लगभग 10 लाख रु0 का घोटाला किया है । कर्मचारियों का उत्पीड़न इतना किया है कि एक कर्मचारी की औरत के साथ दुर्व्यवहार किया है ।

और उस पर गम्भीर आरोप हैं तो क्या इन आरोपों को देखते हुए उसे निलम्बित करके विजिलेन्स से मंत्री जी जांच करवायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, यदि विभागीय कार्यवाही से बात नहीं साफ होती तो फिर जांच कराई जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर प्रश्न है । वहां जो भण्डारी है उसके साथ औरत से दुर्व्यवहार हुआ था । इसने काफी गड़बड़ घोटाला किया है । क्या मन्त्री जी इस सम्बन्ध में स्पष्ट अश्वासन देंगे कि वह मामले की विजिलेन्स से जांच करायेंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, विधायिका के कहने पर हमारे मन्त्री जी स्वयं वहां पर गये थे और तथ्यों की जानकारी हासिल की थी । इस मामले में जांच चल रही है । यदि जरूरत पड़ी और आवश्यकता हुई तो फिर विजिलेन्स से जांच करा ली जायेगी ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

नहीं श्रीमन्, मन्त्री जी से स्पष्ट आश्वासन दिलाइए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

उस डिवीजन के रहने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने लिखकर उसके खिलाफ शिकायत दी है कि वह हम लोगों से वह व्यक्ति बराबर हर महीने अमुक राशि निश्चित रूप से लेता है क्लास 4 से लेकर ऊपर तक तो मेरी इस जानकारी को सही मानते हुए मन्त्री जी इस सम्बन्ध में कोई उत्तर देंगे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

जांच के उपरान्त ही कोई कार्यवाही हो सकती है ।

हमीरपुर वन प्रभाग में तत्कालीन रेन्ज अधिकारी, श्री जी० पी० स्वामी, के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच

*12—श्री भीखा लाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 में हमीरपुर वन प्रभाग में कुन्हैटा वन विश्राम गृह में चबूतरे की विशेष मरम्मत के सिलसिले में तत्कालीन रेंजर श्री जी० पी० स्वामी ने दस हजार रुपए के सरकारी धन का दुरुपयोग तथा गोलमाल किया और इसकी पुष्टि जांच अधिकारी श्री एम० के० वर्मा की रिपोर्ट दिनांक 18-8-79 तथा हमीरपुर वन प्रभाग के तत्कालीन उप अरण्यपाल श्री आर० वी० सक्सेना की रिपोर्ट दिनांक 29-8-79 से हुई ? यदि हां, तो दोषी रेंजर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

वन उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)--

जी हां । वर्ष 1978-79 में हमीरपुर वन प्रभाग में, कुन्हेटा वन विश्राम गृह की विशेष मरम्मत तथा चबूतरे के निर्माण कार्य के सिलसिले में, श्री एम0 के0 वर्मा, सहायक अरण्यपाल की रिपोर्ट दिनांक 18-8-79 तथा श्री आर0 वी0 सक्सेना, उप अरण्यपाल की रिपोर्ट दिनांक 29-8-79 से शासन को रु0 6452 की हानि होने की पुष्टि हुई थी । तत्कालीन रेंज अधिकारी, श्री जी0 पी0 स्वामी के विरुद्ध, कथित हानि तथा कतिपय अन्य आरोपों के सम्बन्ध में नियमानुसार आनुशासनिक कार्यवाही की गई, और अरण्यपाल बुन्देल खण्ड वृत्त, झांसी के आदेश दिनांक 28 अप्रैल, 1981 द्वारा श्री स्वामी को सेवा विमुक्त (डिसमिस) कर दिया गया ।

श्री भीखा लाल--

माननीय, मैं मन्त्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट हूं ।

*13-नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[5 वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 18 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

देवरिया जनपद, ग्राम अहिरौली में श्री शंकर के घर पुलिस व पी0 ए0 सी0 द्वारा छापा मारने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र की जांच

*14-श्री रुद्र प्रताप सिंह (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद, थाना तरियासुजान के अन्तर्गत ग्राम अहिरौली दान्द निवासी शंकर प्रसाद व बंका प्रसाद को दिनांक 13 जनवरी, 1981 को थानाध्यक्ष तरियासुजान ने अपने दल सहित छापा मार कर महिलाओं को अपमानित किया, मारा पीटा और पकड़ कर जेल भेज दिया तथा बन्दूक तोड़ दिया ? क्या इस आशय का आवेदन-पत्र दिनांक 14 जनवरी, 1981 को मुख्य मन्त्री एवं सम्बन्धित अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो तथ्य क्या है और अब तक कौन सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना का विवरण निम्न प्रकार है :--

दिनांक 13-1-81 को थाना तरयासुजान का पुलिस दल शांति व्यवस्था हेतु अहिरौली दान्द बन्धे पर था । मुखबिर की इस सूचना पर कि कुछ लोग लोकनहा ग्राम की ओर से असलहा कारतूस लिए हुए पारस अवधिया निवासी ग्राम सल्लेपुर की मदद में उसी ग्राम के श्री विश्वनाथ तिवारी का गन्ना कटवाने से रोकने के लिए जा रहे हैं, कर्मचारी व गवाहान छिपकर बैठ गए । लगभग 10 बजे दिन में 4 आदमी उत्तर से बन्दूक भाला फरसा लिए आते दिखाई दिए । नजदीक आने पर मुखबिर के इशारे पर रोका गया तो वह पीछे मुड़कर भागे व एक आदमी वहीं फिसल कर गिर पड़ा । पुलिस दल ने घेर मारकर दौड़कर पकड़ लिया, नाम पता पूंछने पर गिरने वाले ने अपना नाम शंकर पुत्र शिवबचन व अन्य ने दूधनाथ, नगीना व रामरतन बताया । शंकर के विरुद्ध धारा 27 आर्म्स ऐक्ड, दूधनाथ के

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, ऐसी कोई जानकारी मुझको नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, रामगढ़ ताल के सुन्दरीकरण और विकास करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा नवम्बर, 1981 में कोई बैठक बुलायी गयी थी जिसमें पिछली योजना को चालू करने को सरकार से मांग की गयी थी । तो इस सम्बन्ध में मन्त्री जी को कोई सूचना मिली है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

मान्यवर, जिला स्तर पर जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण अक्सर बैठकें अपनी किया करते हैं, उन सब की जानकारी मुझे यहां पर नहीं है ।

यू0 पी0 रेंट कन्ट्रोल अधिनियम में संशोधन किए जाने पर विचार

*17—श्री हरदेव—(अनुपस्थित)—

क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 रेंट कन्ट्रोल अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां ।

इस कार्य को शीघ्र ही सम्पन्न करने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य भन्डारागार निगम की अनियमितताओं पर जांच

*18—श्री यशपाल सिंह—

क्या सहकारिता मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य भन्डारागार निगम की अनियमितताओं पर गठित जांच समिति के सभापति द्वारा मास सितम्बर अक्तूबर, 1981 में निगम के प्रबन्ध निदेशक को हटाने तथा उनके विरुद्ध अलग से जांच कराने की सिफारिश किया है ? यदि हां, तो शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री बच्चा पाठक—

जी हां ।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की वेयरहाउसिंग के संचालन एवं वर्किंग की समिति के अन्तिम प्रतिवेदन के सम्बन्ध में विधान परिषद् कार्यालय ने सूचित किया है कि उक्त प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । प्रतिवेदन की एक अमुद्रित संलग्नकों रहित प्रति विधान परिषद् से दिनांक 1 फरवरी, 1982 को विभाग को प्राप्त हुई है ।

प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है ।

सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री (श्री सच्चिदानन्द)--

जी हां ।

यह महाविद्यालय किराये के पुराने भवन में चल रहा हैं जिसकी मरम्मत की कार्यवाही की जा रही हैं ।

महाविद्यालय के लिए नये राजकीय भवन के निर्माण हेतु भूमि अध्याप्ति प्रयास किया जा रहा है । अपेक्षित भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही की जाएगी ।

प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

मान्यवर, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानकारी चाहूंगा कि जिस भवन में यह महाविद्यालय चल रहा हैं उसमें कुछ कमरे, कुछ दीवालें अगस्त, 1980 की बरसात में गिर गई थीं और आज भी वह विद्यालय उसमें ही चलाया जा रहा हैं । जहां तक भूमि को लेने का प्रश्न हैं पिछले 18 महीने से जो प्रयास किया जा रहा है परन्तु कुछ नहीं हुआ । इसलिए मैं चाहूंगा कि मन्त्री जी एक निश्चित अवधि बता दें कि कब तक उसके लिए भूमि अध्याप्ति कर ली जएगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

यह सत्य हैं कि उस महाविद्यालय का भवन जीर्ण शीर्ण अवस्था में था । अभी तक हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोगों को भूमि मिल जाय । जैसे ही अपेक्षित भूमि उपलब्ध हो जएगी, भवन निर्माण की कार्यवाही की जायेगी ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में आरक्षित कोटा पूर्ति हेतु दिया गया प्रत्यवेदन

*18--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित एवं जन जाति के संगठनों की ओर से उन्हें अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतन मान में पदोन्नति के कोटा पूर्ति हेतु जुलाई, 1980 के दूसरे सप्ताह में कोई प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री सच्चिदानन्द--

जी हां । मुख्य बिन्दुओं की सूची संलग्न हैं । इस प्रकरण पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करने के उपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिये गये :--

(1) प्रोन्नति हेतु पात्रता की शर्तों को शिथिल न किया जाय ।

(2) निदेशालय के अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को यह जिम्मेदारी सौंपी जाय कि वह विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा/एल0टी0 वेतनमान के पदों (जिससे अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनमान के पदों पर प्रोन्नति की जाती हैं) पर कार्यरत कर्मचारियों के स्थायी-करण के मामले को देखें ताकि अस्थायी पदधारकों को शीघ्र स्थायी करके उनकी प्रोन्नति की जा सके ।

उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को अध्यापकों के स्थायीकरण का कार्य सौंपा गया था । फलस्वरूप अप्रैल, 1981 से अब तक विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 10 एवं एल0 टी0 संवर्ग में 6 अध्यापकों को स्थायी किया जा चुका है, जिसमें से 12 अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) में प्रोन्नति दी जा चुकी है । इस प्रकार अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का कोटा 4·3 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का कोटा ·3 प्रतिशत हो गया है । शेष पदों पर पात्र एवं अर्ह अध्यापकों के उपलब्ध न होने के कारण आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा सका ।

देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 177 पर ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

संलग्नक दिया है, इसके 4 को देखें जिसमें लिखा है कि सभी बिन्दुओं को जांच आयोग आयुक्त अनुसूचित जनजाति समिति द्वारा करायी जाय और जांच के समय हमको तथा इस वर्ग के अध्यापकों को भी बुलाया जाय तथा इस वर्ग के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों व सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा शासन स्तर तथा निदेशालय स्तर से तुरन्त हटाया जाय, इसके बारे में मंत्री जी विचार करके स्वीकार करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्रीमन, विचार करेंगे ।

यूनियन बैंक आफ इण्डिया, मऊनाथ भंजन में गबन की घटना

*19--श्री बैरुल बशर--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 18 दिसम्बर, 1978 को आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत यूनियन बैंक आफ इंडिया, मऊनाथ भंजन में लगभग साढ़े तीन लाख रुपये की चोरी की घटना घटी ? यदि हां, तो इस मामले की विवेचना अब तक पूरी न किए जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि विवेचना अधिकारियों ने इस रहस्यमय चोरी को गबन के रूप में बदलने का प्रयास किया ? यदि हां, तो क्या शासन सही तथ्यों की जानकारी के लिए सी0बी0 आई0 द्वारा जांच का सिफारिश करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस आशय की लिखित रिपोर्ट बैंक के ब्रांच मैनेजर ने मऊनाथ भंजन थाने पर दिनांक 18-12-78 को दी कि बैंक के कैश सेफ से तीन लाख चवालीस हजार चार सौ छब्बीस रुपये तथा 2 पैसे गायब हैं जिस पर धारा 380 भा0 दं0 वि0 का अभियोग कायम करके विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा प्रारम्भ की गई । स्थानीय पुलिस द्वारा अपनी विवेचना में इसे गबन का मामला पाया गया था लेकिन उनके द्वारा आरोप-पत्र नहीं भेजा गया । मामले की गम्भीरता को देखते हुए 16-8-80 से उक्त अपराध की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । सी0 बी0 आई0 से जांच की संस्तुति करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

ग्राम सलारपुर, थाना गगहा में डकैतों का मुकाबला करते हुए श्री इसलाम खां की मृत्यु तथा उनको पारिवारिक पेंशन देने का प्रस्ताव

*20--श्री मारकण्डेय चन्द्र--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के ग्राम सलारपुर, थानागगहा में दिनांक 10/11 जून, 1974 को रात में बरकत साई के घर डकैती पड़ी और इसलाम खां, ग्राम सलारपुर डकैतों का मुकाबला करते हुए गोली का शिकार होकर मर गए ? यदि हां, तो क्या इसलाम खां की गूंगी, विधवा तथा 3 नाबालिग बच्चों को जीवन निर्वाह के लिए कोई पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शीघ्र उसकी व्यवस्था करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10/11 जून, 1974 को ग्राम सलारपुर थाना गगहा में बरकत साई के घर पड़ी डकैती में डकैतों का मुकाबला करते हुये उसी गांव के श्री इसलाम खां मारे गये। मृतक के परिवार को जीवन निर्वाह के लिये पारिवारिक पेंशन देने हेतु पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश से शासन द्वारा प्रस्ताव मांगे गये हैं और प्राप्त होते ही यथोचित कार्यवाही सम्पन्न की जायगी।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

देवली के हरिजनों पर हुए अत्याचार के कारण मुख्य मंत्री द्वारा त्याग-पत्र की घोषणा

**1--श्री हुकम सिंह, श्री किरन पाल सिंह, श्री जमुना प्रसाद, श्री कुबेर भंडारी, श्री दलगंजन सिंह तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधायकों के सम्बन्धित अपने पत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 द्वारा देवली के हरिजनों पर हुए अत्याचार के कारण 24 दिसम्बर, 1981 तक सत्ता से अलग होने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो सत्ता से अलग होने एवं मुख्य मन्त्री पद से त्याग-पत्र देने का प्रश्न क्या अभी मुख्य मन्त्री के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

अपने पत्र दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 में मुख्य मन्त्री ने अपना आशय स्पष्ट कर दिया था कि यदि 24 दिसम्बर, 1981 तक संतोषजनक परिणाम नहीं मिले तो अपने को सत्ता से अलग करेंगे। प्रयासों में सफलता मिली। अतः त्याग पत्र देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि देवली काण्ड की गम्भीरता और मार्मिकता को देखते हुए त्याग-पत्र की घोषणा की होगी और जैसा उन्होंने कहा, प्रयास सफल हुआ, कुछ अभियुक्त गिरफ्तार हो गये और

कुछ मारे गये, इस कारण उन्होंने त्याग-पत्र देने का इरादा बदल दिया । तो मैं इसी सन्दर्भ में पूछना चाहता हूं कि इसी के तुरन्त बाद घटी घटनाक्या कम मार्मिक थी, कम गम्भीर थी जब कि न कोई अभियुक्त गिरफ्तार हुआ और न मारा गया न जांच का ही कोई पता चला । तो त्याग पत्र न देने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष--

आपने प्रश्न जिसका पूछा था उसका उत्तर दे दिया है ।

श्री हुकम सिंह--

पूरा प्रश्न देखें मान्यवर, सत्ता से अलग होने एवं मुख्य मंत्री पद से त्याग पत्र देने का प्रश्न क्या अभी, इसका मतलब है जब मैंने प्रश्न किया, तो मैं जानना चाहता हूं कि इतने गम्भीर घटना के बाद और सरकार की इतनी बड़ी असफलता के बाद, जब कि एक में कहते हैं त्याग पत्र देने की बात और दूसरे में उससे बड़ी गम्भीर घटना घट जाती है तो क्या कारण है त्याग पत्र न देने का ? इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

एक घटना के सम्बन्ध में उन्होंने एक बात कही । उसके सम्बन्ध में जो बात उन्होंने कही उसके हिसाब से उत्तर आ गया कि सन्तोषजनक है । अब दूसरी घटना के सम्बन्ध में न तो उन्होंने कोई बात कही और न ही कोई उत्तर दिया ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री जी ने केवल इसी एक कारण से लिखा था या कि इस बीच में जितनी घटनायें घटी हैं, उन सबके बारे में लिखा था । क्या मुख्य मंत्री जी की मानसिक स्थिति में फर्क आ गया या कोई इनके सोचने में फर्क आ गया है । मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं इस बात के लिए कि वह घटना भी अब कुछ नहीं है । इससे भी कहीं गम्भीर घटना प्रदेश में हो चुकी है तो क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उस मापदन्ड को रखते हुये त्याग-पत्र की घोषणा आज सदन में करेंगे ?

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं इस माननीय सदन में स्पष्ट करेंगे कि जो उन्होंने घोषणा की थी उसका सम्बन्ध केवल देवली की घटना से था या पूरे प्रदेश में जो डाकुओं का प्रकोप है उस डाकुओं के प्रकोप पर कन्ट्रोल करने के सम्बन्ध में था ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

माननीय अध्यक्ष जी, इसका सम्बन्ध देवली से भी था और प्रान्त के कानून व्यवस्था से भी था क्योंकि यह अन्तरात्मा की चीज के बारे में स्पष्टतः कहने के के अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता है और उसके पीछे मूलभूत भावना यह थी कि हम लोग सब कोई एक निश्चित प्रयोजन के लिए और वह प्रयोजन जनता की सेवा का है, उस सेवा के अन्दर जनता की सुरक्षा निहित है और उस समय मैंने कहा था और यह मेरा अब भी विश्वास है कि जनता को एक निश्चित

काल के अन्दर परिणाम मिलना चाहिए और उस परिणाम को देने की हम लोगों में क्षमता होनी चाहिए । यदि इसमें कोई कमी है तो हम लोगों के किसी के भी यहां रहने का प्रयोजन नहीं रहता और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे गरीब तबके के ऊपर, हरिजन वर्ग के ऊपर ऐसी घटनायें हुई । इस परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि दो रास्ते मेरे सामने हैं या तो इसी समय तत्काल पद त्याग करूं या इस समस्या से जूझकर आजमायें कि कोई परिणाम लाये जा सकते हैं या नहीं और अगर लाये जा सकते हैं तो उसे दृढ़ता से लाया जाय और इसके लिए एक अवधि निश्चित है । इस अवधि के भीतर देवली काण्ड से सम्बन्धित चार अभियुक्त मौत के घाट उतारे गए । सन्तोषा, राधे पकड़े गये और इसके अलावा भी कई सदस्य उस गिरोह के पकड़े गए ।

और भी दस्युओं का उन्मूलन हुआ । प्रश्न यह नहीं था कि एक महीने के अन्दर दस्यु समस्या को समाप्त कर दिया जाय बल्कि प्रश्न यह है कि दस्यु समस्या को हल करने के लिये क्षमता से लड़ सकते हैं और यह क्षमता उत्पन्न हो सकती है और देवली कांड तथा दूसरे कांड जो हुए उनके लिये उसको दंड दे सकते हैं । मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि जिस समय मैं यह समझूंगा कि इस काम को नहीं कर सकता तो एक क्षण के लिये भी यहां नहीं रहूंगा । लेकिन जब तक यह समझूंगा कि इस संघर्ष में हम दृढ़ता से सफलता प्राप्त कर सकते हैं तो इस संघर्ष से इस्तीफा नहीं दूंगा ।

(व्यवधान)

श्री भीखा लाल---

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी स्पष्टीकरण दिया उससे हम सन्तुष्ट हैं । मुख्य मंत्री जी समझते हैं कि उन्होंने दस्यु उन्मूलन की स्थिति में सुधार हुआ है और इसलिये उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया । लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि देवली कांड के साथ ही साथ डाकू समस्या के हल की घोषणा खुद सरकार की ओर से की गयी थी जब कि प्रदेश के 19 डाकुओं के गिरोहों में से 10 कमजोर गिरोहों का सफाया हो गया और उससे भी कमजोर 3 और गिरोहों का सफाया हो गया, फिर भी अभी 6 गिरोह जो सबसे अधिक इम्पार्टेन्ट हैं और जिनका आतंक पूरे सूबे में व्याप्त है, उनका सफाया नहीं हो सका है ? फिर बाद में साढ़ूपुर वाली घटना भी हो गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इससे सन्तुष्ट हैं कि उन्होंने डाकू समस्या पर काबू पा लिया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह –

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया था कि एक महीने के अन्दर पूरी डाकू समस्या के हल का लक्ष्य नहीं था, लक्ष्य यह था कि हम दृढ़ता से लड़ सकते हैं और उसमें हमें सफलता अवश्य मिलेगी उस आधार पर मैं आज भी आशावान हूं कि जो समस्या हमारे सामने है जिसकी ओर आपने संकेत किया है, उसका हम सफलता से मुकाबला कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

आज हरिजन सुरक्षित नहीं हैं, उनके कातिलों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री हुकम सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की सहायक कम्पनी अपट्रान इन्डिया की अंशपूंजी का मिश्रण

**2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लि0 की सब्सीडियरी कम्पनी अपट्रान इंडिया जो पूर्णरूपेण राज्य सरकार के नियंत्रण में है के सरकारी शेयरों को पब्लिक को बेचकर उस पर से सरकारी नियंत्रण को समाप्त करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 की सहायक कम्पनी अपट्रान इन्डिया लि0 की अंशपूंजी का मिश्रण 49 प्रतिशत तक जनसाधारण हेतु, 2 प्रतिशत तक कम्पनी के कर्मचारियों हेतु तथा 49 प्रतिशत तक शासन हेतु किए जाने के मामले में विचार किया जा रहा है । ऐसा करने से निगम की विभिन्न विस्तार योजनाओं की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए केवल शासन के सीमित संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा । इससे शासन को आर्थिक लाभ के अतिरिक्त प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदारी का अवसर भी प्राप्त होगा ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन के इस अपट्रान लिमिटेड में कितनी बुकिंग कैपिटल लगी हुई है और यदि इसके मौजूदा स्वरूप बदलने पर विचार किया जा रहा है । तो यदि स्वरूप बदल दिया जाय तब इसकी बकिंग कैपिटल में कितना इजाफा हो जायगा ?

श्री नियाज हसन खां—

इसमें, अध्यक्ष महोदय, अब तक 28 लाख रुपया लगा है । और करीब-करीब आवश्यकता है 93.50 लाख । उसमें से जो यह विचार सरकार के सामने है उसमें 18 लाख सरकार को देना होगा और 47 लाख पब्लिक को और जो कर्मचारी हैं उनसे 28 कन्ट्रोलिंग शेयर । क्योंकि सरकार के पास 49 प्रतिशत रहेगा लिहाजा जिसके पास कन्ट्रोलिंग शेयर होता है उसका नियंत्रण होता है, उनके बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स भी होते हैं ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया कि 47 लाख रुपये के शेयर होल्डर पब्लिक के होंगे या बड़े लोग समाज के उनके होंगे । तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो 2 प्रतिशत शेयर मजदूर का होगा तो जो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स होंगे या जो प्रबन्धक समिति होगी उसमें मजदूरों का कितना प्रतिनिधित्व होगा, उ का प्रतिशत क्या है ।

135243

श्री नियाज हसन खां---

मैंने अभी अर्ज किया कि सरकार के पास 49 प्रतिशत कन्ट्रोलिंग शेयर रहेंगे और यह सोचना कि एक ही शख्स पब्लिक से 49 परसेन्ट लगायेगा, यह कोई हाइपोथिटिकल क्वेश्चन हुआ कि एक ही आदमी 49 परसेन्ट ले ले या एक ह. कम्पनी ले लेगी । ऐसा नहीं होता । बहुत सी पब्लिक कम्पनियां जिन के 7 परसेन्ट शेयर होते हैं पूरी कम्पनी पर कन्ट्रोल करती हैं । एक नई नीति आई है कि कर्मचारियों को भी भागीदार बनाया जाय ।

श्री मोहन सिंह---

मूल उत्तर तो नहीं आया । मैं यह जानना चाहता था कि 2 प्रतिशत की भागीदारी शेयर में होने के बावजूद जो प्रबन्ध मंडल होगा उसमें कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का क्या प्रतिशत होगा ?

श्री नियाज हसन खां ---

यदि कर्मचारी काबिल होंगे तो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स में आ सकेंगे । यह भी सीमा रखी जायगी कि कितने शेयर एक आदमी के पास हो तो बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स मे आ सकेगा । यह सब नियम के मुताबिक होगा । और जैसा मैंने कहा यह मामला अभी विचाराधीन है । सरकार के सीमित संसाधनों को देखते हुये, सरकार के दृष्टिकोण को मद्दे नजर रखते हुये, कम्पनी के हित को देखते हुये, सरकार विचार करेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या वह ऐसी व्यवस्था करने को तैयार हैं कि मजदूर जब उत्पादक है और उस पर उत्पादन निर्भर करत है तो उनको समान प्रतिनिधित्व दिया जाय ताकि कम्पनी अच्छी तरह से चल सके ।

श्री नियाज हसन खां---

इसीलिए तो उनको भागीदार बना रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

बराबर का भागीदार बना रहे हैं, 2 प्रतिशत का नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

बताया कि विचाराधीन है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन में जो श्रमिक या मजदूर हैं उनकी संख्या को देखते हुये उनकी योग्यता क्या रखी जायेगी कि प्रबन्ध मंडल में कितने लोग जा सकें ?

श्री अध्यक्ष---

यह सब विचाराधीन है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

ये योग्यता का क्रम बता रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बताया कि यह सब विचाराधीन है ।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, उत्तर प्रदेश शासन के अन्तर्गत जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उसमें इलेक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन ही ऐसा उपक्रम है जो कि अभी भी मुनाफे में चल रहा है और अभी इसकी साख है । मैं इसको मानता हूं । लेकिन यह सरकार जो इस उपक्रम का इस समय स्वरूप बना हुआ है उसको बिगाड़ कर इसे विकृत करने की कोशिश कर रही है । इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करते हुए यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे कि कुछ आपके सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं जैसे विद्युत परिषद् है, एस० आर० टी० सी० है जिनकी माली हालत को सुधारने के लिये सरकार उनको कर्जा देती है । इसी तरह से कुछ ऐसे वरिष्ठ पूंजीपतियों की साजिश है कि इस सार्वजनिक उपक्रम को विकृत किया जाय, इसलिये माननीय मंत्री जी इस विचाराधीन योजना को निरस्त करते हुये, इसकी माली हालत को सुधारने के लिये शासन की ओर से सम्पूर्ण पूंजी लगाने का प्राविधान करेंगे ?

श्री नियाज हसन खां--

ऐसी कोई साजिश नहीं है । इसके अलावा जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं प्रश्नों से सम्बन्धित व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें । आपने जो लिखकर दिया है, उसको मैं देख लूंगा ।

अतारांकित प्रश्न

श्री समर बहादुर सिंह, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा श्री सूर्यभान के नाम से दी गई जाली टी० सी० की जांच

1--श्री कुबेर भन्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि श्री समर बहादुर सिंह, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, जिला सुल्तानपुर ने श्री सूर्यभान उर्फ लाल साहब सिंह के नाम से वर्ष 1977 के लिए आठवीं कक्षा पास की जाली टी० सी० बनाई है तथा उस पर फर्जी प्रवेश रजिस्टर संख्या 9064 अंकित किया है ? क्या

नोट---अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सरकार को यह भी जानकारी है कि वर्ष 1977 में आठवीं कक्षा की परीक्षा जिला परिषद्, सुल्तानपुर द्वारा ली गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त नाम से प्रमाण-पत्र भी दिया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल के प्रवेश रजिस्टर सहित सभी रिकार्डों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा करवायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सुल्तानपुर की रिपोर्ट के अनुसार श्री समर बहादुर सिंह जू0 हा0 स्कूल, हलियापुर, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1977 में प्रधानाध्यापक थे तथा वर्तमान समय में भी कार्यरत हैं । विद्यालय के अभिलेख प्रवेश पंजी, टी0 सी0 बुक तथा वर्ष 1977 की कक्षा 8 की वार्षिक परीक्षाफल की जांच की गई । प्रवेश पंजी में प्रवेश क्रमांक 9064 नहीं है । सूर्यभान उर्फ लाल साहब सिंह नाम का कोई छात्र विद्यालय पंजिका में वर्ष 1977 की 8वीं कक्षा की परीक्षा हेतु पंजीकृत नहीं मिला । प्रधान अध्यापक ने कोई जाली टी0सी0 सूर्यभान उर्फ लाल साहब सिंह के नाम से नहीं बनाई है ।

वर्ष 1977 में कक्षा 8 की परीक्षा गृह परीक्षा के रूप में विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा ली गई थी । अतः जिला परिषद् द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है । अभिलेखों से सत्यता की पुष्टि हो चुकी है इसलिये जांच कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

2-3--श्री बनवारी राम--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 94-95 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

जनपद बदायूं के थाना उझौली के अन्तर्गत अभियुक्त कृष्णपाल सिंह की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु तथा जांच

4--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 जुलाई, 1981 को ग्राम बसन्तनगर, थाना उझौली, जनपद बदायूं में जो दिन दहाड़े कृष्णपाल सिंह की हत्या पुलिसजनों द्वारा की गई उसकी जांच हाकिम परगना द्वारा कराई जा रही है ? यदि हां, तो जांच के आधार पर उसमें क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 22 जुलाई, 1981 को धारा 392/397/307 भा0दं0वि0 के अपराध की जांच हेतु थाना उझौली की पुलिस ग्राम बसंतनगर पहुंचने ही वाली थी कि खबर पाकर उपरोक्त अभियोग के अभियुक्त कृष्णपाल सिंह गांव के पश्चिम की ओर भागा । पुलिस द्वारा पीछा करने पर अभियुक्त और पुलिस दल के बीच गोली का आदान प्रदान हुआ जिसमें अभियुक्त कृष्णपाल सिंह मारा गया ।

इस घटना की जांच परगना मजिस्ट्रेट, बदायूं द्वारा की जा रही है ।

बाढ़ क्षेत्र के स्कूलों को दी गई ग्रान्ट के सम्बन्ध में डिप्टी डायरेक्टर के विरुद्ध जांच

5--श्री रियासत हुसैन--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि डिप्टी डायरेक्टर हेड क्वार्टर के विरुद्ध कोई जांच श्री कल्पनाथ सिंह, भूतपूर्व विधायक की शिकायत के आधार पर बाढ़

क्षेत्र के स्कूलों को दी गई ग्रान्ट के सम्बन्ध में चल रही है जिसकी जांच ज्वाइंट डायरेक्टर फाइनेंस द्वारा हुई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद में बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० पर कुल व्यय

6--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 अगस्त, 1980 से 30 जून, 1981 तक मुरादाबाद नगर में जो बी०एस०एफ० और सी० आर०पी० लगी हुई थी उसके ऊपर राज्य सरकार का कितना खर्चा आ चुका है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद मुरादाबाद में बी०एस०एफ० और सी०आर०पी०, दिनांक 14 अगस्त, 1980 से 30 जून, 1981 तक लगी हुई थी । उक्त अवधि में इस फोर्स पर कुल रु० 24,17,819·02 पैसे की धनराशि व्यय हुई है ।

ग्राम सकतपुर, जिला मुरादाबाद में सी०ओ०, भू०पू० एस०ओ० तथा प्रधान के विरुद्ध शिकायती-पत्र

7--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री को ग्राम सकतपुर, थाना भगतपुर, जिला मुरादाबाद से सम्बन्धित श्री जी० बी० सिंह, सी० ओ०, एन० के० शर्मा, भू०पू०, एस०ओ० तथा श्री ललू सिंह, प्रधान के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र दिनांक 22 मई, 1981 क्षेत्रीय विधायक को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । शिकायती-पत्र दिनांक 22 मई, 1981 को प्राप्त हुआ और इसमें उल्लिखित आरोपों की जांच पुलिस अधीक्षक (देहात), मुरादाबाद द्वारा की गई । जांच से आरोप असत्य पाये गये ।

जनपद इलाहाबाद में भवनहीन तथा क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालय

8--श्री रमाकान्त मिश्र--

इलाहाबाद जनपद के तहसील करछना एवं बारा में बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश के 30 सितम्बर, 1981 को कितने प्राथमिक विद्यालय भवनहीन एवं कितने क्षतिग्रस्त हैं ? विकास खन्डवार इन विद्यालयों के क्या नाम हैं ? सरकार कितने भवनहीन विद्यालयों के भवन कब तक बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

इलाहाबाद जनपद की तहसील करछना एवं बारा में बेसिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के 30 सितम्बर, 1981 को क्रमशः 21 व 34 प्राथमिक विद्यालय

भवनहीन थे । क्रमशः 18 व 28 विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त थे । इन विद्यालयों के नामों को विकास खन्डवार सूची संलग्न है । इन भवनहीन विद्यालयों में से तहसील करछना के 2 तथा तहसील बारा के दो विद्यालय भवनों का निर्माण वर्ष 1979-80 में स्वीकृत अनुदान से हो रहा है । वर्ष 1980-81 एवं 1981-82 में भवन निर्णाण हेतु स्वीकृत अनुदान से उक्त तहसीलों के किसी भवनहीन विद्यालय का भवन बनाने के लिये चयन जिला बेसिक शिक्षा समिति ने नहीं किया है । उक्त क्षतिग्रस्त विद्यालयों में से तहसील करछना से 6 व तहसील बारा के 5 विद्यालय भवनों का चयन मरम्मत हेतु शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से किया जा चुका है । और मरम्मत कार्य चल रहा है । ज्यों-ज्यों शासन के पास संसाधन उपलब्ध होते रहेंगे उक्त तहसीलों के अन्य प्राथमिक विद्यालय भवनों का भी निर्माण व मरम्मत कराई जायेगी परन्तु किसी अवधि का आश्वासन देना सम्भव नहीं है ?

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 178 पर ।)

अतिवृष्टि एवं बाढ़ के फलस्वरूप शिक्षण शुल्क मुक्ति से हुई क्षतिपूर्ति का अनुदान

9--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977-78 एवं 1979-80 एवं 1980-81 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के फलस्वरूप शिक्षण शुल्क मुक्ति से हुई क्षति-पूर्ति का अनुदान इलाहाबाद जनपद के सभी जूनियर एवं उ० मा० विद्यालय को नहीं प्रदान किया गया ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया ? यह कब तक स्वीकृत कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सहावर से सिदपुरा के लिए पक्की सड़क का निर्माण

10--श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला एटा में जो सहावर से सिदपुरा के लिए पक्की सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रही है उस पर सैदपुर गांव के उत्तर दिशा से बनाने में एक बड़ी खतरनाक मोड़ आती है, इसलिए सैदपुर गांव के दक्षिण से बनाना तय किया था परन्तु अब फिर गांव के उत्तर से बना रहे हैं ? इस पर जनता ने माननीय राज्य मंत्री, पी० डब्लू० डी० श्री प्रदीप कुमार यादव से दिनांक 25-1-80 व जिलाधिकारी, एटा से दिनांक 22-12-80 को शिकायत की है इस पर गांव के दक्षिण से बनाने के आदेश दिए हैं, परन्तु फिर भी वह लोग गांव के उत्तर साइड में बना रहे हैं ? क्या सरकार जनता तथा जिलाधिकारी व माननीय मंत्री जी के लिखे मुताबिक सैदपुर गांव के दक्षिण दिशा से सड़क बनाने की कृपा करेगी ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री जुल्फार रिजवी)--

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

थाना अकबरपुर, जिला फैजाबाद में मुकदमा अपराध संख्या 121 के मुल्जिम तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही

11—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-4-79 मुकदमा अपराध संख्या 121, धारा 147/148/307 बाद० नं० 21, थाना अकबरपुर, जिला फैजाबाद में कौन-कौन से लोग मुल्जिम हैं ? क्या इस मुकदमे के कुछ मुल्जिम यू० पी० एस० एस० एम० रायबरेली के भी हैं ? यदि हां, तो क्या विभाग ने उनके खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

सर्वश्री आर० सी० गुप्ता, आर० सी० शरद, भगवती सिंह, शिव नरायन, वीरेन्द्र तथा रजितराम मुल्जिम हैं ।

जी हां ।

सम्बन्धित मुल्जिमों के मामले न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की गई ।

यू० पी० एस० एस० एम० ग्रुप नं० 1, अकबरपुर द्वारा श्रमिकों के मामले में निर्णय

12—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू० पी० एस० एस० एम० ग्रुप नं० 1, अकबरपुर, जिला फैजाबाद द्वारा दिनांक 3-3-78 को जो सात श्रमिक निकाले गए थे, उनके विरुद्ध क्या आरोप थे ? क्या श्री हरिकृष्ण कौल, अतिरिक्त श्रम आयुक्त ने 14 सितम्बर, 1978 को उपरोक्त निकाले गए श्रमिकों के मामले में कोई निर्णय दिया था ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

दिनांक 3-3-78 को यू० पी० एस० एस० एम० ग्रुप (नं० 1), अकबरपुर द्वारा कोई सात श्रमिक नहीं निकाले गए थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

13—श्री दल गंजन सिंह—

[छठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

शान्ति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छतहरी, जिला बस्ती में उर्दू के अध्यापक श्री सिराजुद्दीन को नियमितीकरण करने के आदेश

14—श्री मोहम्मद नबी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शान्ति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छतहरी, जिला बस्ती में गत 1976 में अध्यापकों का चयन समिति ने कुछ अन्य अध्यापकों के साथ श्री सिराजुद्दीन को उर्दू अध्यापक की हैसियत से नियुक्त किया था ? क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती एवं डी० डी० आर०, गोरखपुर ने सिराजुद्दीन का नियमितीकरण नहीं किया जबकि इन्हीं

के साथ के अन्य अध्यापकों का नियमितीकरण करके वेतन भुगतान भी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री सिराजुद्दीन का नियमितीकरण करने का आदेश देने तथा उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

दस्यु उन्मूलन अभियान में मदों पर हुआ व्यय तथा पुलिस कर्मियों को पुरस्कार एवं मुआवजा

15--श्री गोरे लाल शाक्य---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 1980 से सितम्बर, 1981 तक दस्यु उन्मूलन अभियान में हेलीकाप्टर, पुलिस, पी0 ए0 सी0 व बी0 एस0 एफ0 को विशेष तैनाती पर तथा मारे गए दस्युओं, ग्रामीण तथा पुलिस फोर्स के कर्मचारियों व अधिकारियों पर पुरस्कार, मुआवजा, विशेष अनुदान, पेंशन पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अगस्त, 1980 से सितम्बर 1981 तक दस्यु उन्मूलन अभियान में हेलीकाप्टर पर 58,937·05 रु0 व्यय हुआ । अन्य मदों पर हुए व्यय की सूचना जिला स्तरों से एकत्रित की जा रही है ।

16--श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त व्यय की गई भारी धनराशि की तुलना में सफलता के परिपेक्ष्य में नीति में परिवर्तन करके दस्यु उन्मूलन अभियान की सफलता के लिए दस्युओं के स्तर के अनुसार उनके सिर पर 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपयों का इनाम घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

पुलिसकर्मियों को पुरस्कार मुआवजा, विशेष अनुदान तथा पेंशन आदि का दिया जाना उनकी सेवा शर्तों के अनुसार नियमानुकूल है उसे समाप्त करना प्रशासनिक हित में न होगा । पुलिस रेगुलेशन में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दस्युओं को गिरफ्तार करने/गिरफ्तार कराने में सहायता करने अथवा उससे संबंधित महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए 2000 रुपए तक पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक तथा उससे अधिक का पुरस्कार शासन द्वारा घोषित किए जाने का प्राविधान है । जिस दस्यु पर जितना उपयुक्त समझा जाता है उतना इनाम घोषित करने पर शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

श्री महेश्वर उपाध्याय की श्याम देउरवा थाना की पुलिस द्वारा कथित गिरफ्तारी

17--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सुरेन्द्र उपाध्याय, ग्राम मुहम्मदपुर, थाना श्याम देउरवा, जिला गोरखपुर का कोई आवेदन-पत्र 19 अगस्त, 1981 का उन्हें मिला है जिसमें यह बताया गया है कि उनके पिता श्री महेश्वर उपाध्याय को श्यामदेउरवा थाना की पुलिस ने 14/15 अगस्त, 1981 की रात्रि में गिरफ्तार किया लेकिन उनका कोई पता नहीं लग रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र मुख्यमंत्री जी को नहीं मिला। प्राप्त सुचना के अनुसार श्री महेश्वर उपाध्याय को श्यामदेउरवा थाना की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है।

डाक्टर गंगाराम पांडे, सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, लखनऊ के स्थानान्तरण पर विचार

18--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि डा0 गंगा राम पांडे, सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, लखनऊ क्षेत्र, लखनऊ में कितने वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या इनका स्थानान्तरण जून, जुलाई, 1981 में इलाहाबाद में कर दिया गया था। क्या यह भी सही है कि श्री पांडे ने इलाहाबाद में कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था ? यदि हां, तो इनको लखनऊ पुनः किस आधार पर नियुक्त किया गया है ? क्या सरकार इनका अन्यत्र स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

दिसम्बर, 1975 से।

जी हां, किन्तु विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उन्हें एक वर्ष के लिए पुनः लखनऊ तैनात किया गया है।

जिला बरेली के ग्राम कयोलड़िया से ग्राम जुबेदा--जुबेदा होकर ग्राम मधुनगला तथा सतौर तक पक्के मार्ग का निर्माण पर विचार

19---श्री चेतराम गंगवार ---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी को ज्ञात है कि जिला बरेली के विकास खंड भदपुर में उनके विभाग द्वारा विकास खंड मुख्यालय ग्राम कयोलड़िया से ग्राम जुबेदा--जुबेदी होकर ग्राम मधुनगला तथा सतौर तक पक्का मार्ग बनाना स्वीकार हुआ है ? यदि हां, तो इस मार्ग की लम्बाई क्या है ? और कितना धन इस पर व्यय होने का अनुमान है तथा कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जावेगा ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी नहीं।

प्रइन नहीं उठता ।

संडीला-मेंहदीघाट मार्ग पर लकड़ी के पुल का पुनर्निर्माण

20---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत संडीला-मेंहदीघाट एवं खर मऊ गौरा मार्गों की मरम्मत गत कितने समय से नहीं हुई है, या यह सच है कि संडीला-मेंहदीघाट के लम्बे मार्ग पर ग्राम मोहब्बतपुर ठठिया के 1 किलोमीटर पूर्व एक लकड़ी का पुल जीर्णावस्था में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उसके निर्माण के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्बार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद हरदोई विकास खंड मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम में प्राइमरी पाठशालाएं

21---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खंड मल्लावां माधोगंज एवं बिलग्राम में अलग-अलग कुल कितने प्राइमरी पाठशालाएं हैं, उनमें कितने पाठशालाओं का इमारत बनी है और मरम्मत के योग्य है, कितने पाठशाला बिना इमारत के चल रहे हैं ? शासन द्वारा इमारतों के निर्माण एवं मरम्मत के सिलसिले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जनपद हरदोई के विकास खंड, मल्लावां, माधोगंज एवं बिलग्राम में क्रमशः 63, 78 व 76 प्राइमरी पाठशालायें है इनमें से उक्त विकास खंडों में क्रमशः 45, 50 व 54 स्कूलों की इमारतें बनी है और क्रमशः 43, 33 व 44 स्कूल भवनों की इमारतें मरम्मत के योग्य हैं तथा उक्त प्रत्येक विकास खंड में क्रमशः 18, 28 व 22 पाठशालायें बिन इमारत के संचालित हो रही हैं । शासन द्वारा स्कूल भवनों की इमारतों की मरम्मत एवं नव निर्माण हेतु उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं जिसकी धनराशि से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत गठित जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा मरम्मत एवं निर्माण हेतु चयनित स्कूल भवनों का मरम्मत व भवनहीन विद्यालयों के भवन का निर्माण होता है ।

22---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

ग्राम भटवलिया, परगना, जिला गोंडा की श्रीमती दशरथ देई की वृद्धावस्था पेंशन में विलम्ब

23---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या श्रम मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि ग्राम भटवलिया, परगना, तहसील व जिला गोंडा की श्रीमती दशरथ देई उर्फ शुक्लाइन की वृद्धावस्था पेंशन प्रार्थना-

पत्र जिला मजिस्ट्रेट गोंडा के यहां चार वर्ष पूर्व से विचाराधीन है ? यदि हां, तो पेंशन स्वीकृत की गयी या नहीं ? यदि स्वीकृत की गयी तो कब और इतने विलम्ब से क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने को सोच रही है ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)---

जी हां । श्रीमती दशरथ देई उर्फ शुक्लाइन ने दिनांक 10-7-77 को शासन को वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र भेजा था, जिसे शासन द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 1977 को जिलाधिकारी, गोंडा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था । श्रीमती दशरथ देई को दिनांक 1-11-81 से 60 रुपए प्रतिमास की दर से वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत कर दी गई है ।

जिलाधिकारी, गोंडा से प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती दशरथ देई का वृद्धावस्था पेंशन फार्म दिनांक 10-6-79 को तहसीलदार, गोंडा को नियमानुसार जांच हेतु भेजा गया था, परन्तु उक्त अवधि में अधीनस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरण के फलस्वरूप उक्त प्रार्थना-पत्र पर कोई जांच आख्या प्राप्त नहीं हो सकी ।

उक्त वृद्धा का पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 23-8-81 को तहसीलदार को पुनः प्राप्त हुआ, जिसकी आवश्यक जांच करने के उपरान्त आवेदिका को उपर्युक्तानुसार पेंशन स्वीकृत कर दी गई है । सम्बन्धित कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा किए गए विलम्ब एवं अनियमितता के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराई जा रही है ।

थाना सेहराऊ, जिला शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही

24---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधायक श्री सत्य पाल सिंह ने लगभग एक दर्जन लोगों की दाहिनी टांग तोड़ने की शिकायत मई जुलाई सन् 1981 में आई० जी० पुलिस को थाना सेहराऊ (दक्षिणी), जिला शाहजहांपुर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध की है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस अधिकारी के द्वारा की गयी और उसका पूरा विवरण क्या है ? उपरोक्त थानाध्यक्ष को क्या सजा दी गयी है ? क्या सरकार उपरोक्त कांड की जांच सी० आई० डी० से करायेगी और कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां । कथित शिकायत की जांच परगना मैजिस्ट्रेट सदर द्वारा की जा रही है जो अभी पूर्ण नहीं हुई है । जांच से यदि थानाध्यक्ष दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण में नैपियर रोड कालोनी में पानी की समस्या

25---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या यह सही है कि लखनऊ के नेपियर रोड स्थित शासकीय आवासों की ऊपरी मंजिल में पानी बिलकुल नहीं पहुंचता वाएलेश टंकियां बेकार हैं, ब्लाक 3-8 के मध्य सड़क खराब है, अन्धेरा रहता है नालियों की सफाई का प्रबन्ध नहीं है ?

क्या सरकार अपने कर्मचारियों की इन कठिनाइयों का तुरन्त निवारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रण में लखनऊ में नेपियर रोड कालोनी में श्रेणी--1 तथा श्रेणी--2 के क्रमशः पांच तथा सत्रह तिमंजिले आवासीय ब्लाक हैं जिनमें श्रेणी--1 के सभी ब्लाकों तथा श्रेणी--2 के ब्लाक-संख्या 9 से सत्रह तक ऊपरी मंजिलों में यथेष्ट मात्रा में पानी पहुंचता है । श्रेणी--2 के ब्लाक संख्या 1 से 8 तक छत पर बनी टंकियों में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंचने के कारण फ्लश टंकियों का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता । ब्लाक संख्या 3 से 8 के मध्य कच्ची सड़क की मरम्मत करायी जा रही है, अन्धेरा समाप्त करने के लिए स्ट्रीट लाइटस की व्यवस्था कर दी गई है नालियों की सफाई का प्रबन्ध कर दिया है ।

जी हां । पानी की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक

2 6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में दैनिक वेतन पर कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्ष 1975 से क्रमशः 10 रुपए एवं 6·50 रुपए प्रति दिन की दर से आज भी वेतन दिया जाता है जबकि सचिवालय के अन्य कर्मचारियों को दी जाने वाली महंगाई में कई किस्तें तथा दो बार अन्तरिम सहायता भी शासन द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा अविलम्ब इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन क्रमशः 15 एवं 10 रु0 प्रतिदिन तथा कम से कम 7 आकस्मिक अवकाश स्वीकार किए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी करेंगे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 1 मई, 1977 से सचिवालय में तैनात दैनिक वेतन शिक्षित श्रमिकों को 10 रु0 प्रति दिन तथा अन्य दैनिक वेतन श्रमिकों को 6·50 रु0 प्रति दिन की दर से पारिश्रमिक देय है । इन दरों के पुनरीक्षण अथवा इन्हें आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

जनपद अल्मोड़ा में आंधी से स्कूल भवनों की क्षति

2 7--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में अप्रैल, मई व जून, 1981 में आंधी से कितने प्राइमरी विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इन्टर कालेजों के भवनों को क्षति पहुंची है, शासन ने उपरोक्त भवनों की तत्काल मरम्मत की है, कितने भवन ऐसे हैं जिनकी मरम्मत अभी नहीं हुई है शासन ने कितनी धनराशि मरम्मत हेतु स्वीकृत की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपद अल्मोड़ा में अप्रैल, मई व जून, 1981 में आंधी से निम्नानुसार स्कूल भवनों को क्षति पहुंची है :--

स्तर	क्षतिग्रस्त स्कूल की संख्या
1--इन्टर कालेज	17
2--हाई स्कूल	18
3- जूनियर हाई स्कूल (सहायता प्राप्त)	2
4--परिषदीय विद्यालय	91
(क) जू0 हाई स्कूल	7
(ख) प्राइमरी स्कूल	84

शासन द्वारा उपरोक्त भवनों की मरम्मत हेतु 50,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया है जो जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के निवर्तन पर रखा गया। इस धनराशि में से जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने 25,000 रु0 बारह उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आंशिक मरम्मत के लिए स्वीकृत किया जिसमें 10 राजकीय और 2 अराजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं। दो विद्यालयों ने आंशिक मरम्मत का कार्य पूरा कर लिया है और 10 में आंशिक मरम्मत का कार्य चल रहा है। शेष 25,000 रुपया की धनराशि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा ने बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 5 विद्यालयों की मरम्मत हेतु दिया जिनका कार्य जिला परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा कराया जा रहा है। निम्नलिखित स्कूल भवनों की मरम्मत नहीं हो सकी है :--

(क) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	23
(ख) जूनियर हाई स्कूल (सहायता प्राप्त)	2
(ग) परिषदीय विद्यालय	86

तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में प्राइमरी विद्यालयों के जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण

28--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में कितने प्राइमरी विद्यालय के भवन जीर्ण-शीर्ण हालत में हैं ? क्या शासन उन भवनों के नव निर्माण करने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

तहसील रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 11 प्राइमरी विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं। वर्ष 1981-82

में जनपद अल्मोड़ा को स्वीकृत अनुदान से जनपद के पांच प्राइमरी विद्यालयों का भवन निर्माण हेतु चयन किया गया है जिनमें से दो विद्यालय तहसील रानीखेत के हैं। ज्यों-ज्यों शासन के पास साधन उपलब्ध होते रहेंगे तहसील रानीखेत के शेष 9 जीर्ण-शीर्ण विद्यालय भवनों के निर्माणार्थ भी अनुदान स्वीकृत किया जायेगा परन्तु किसी अवधि का आश्वासन देना सम्भव नहीं है।

जनपद अल्मोड़ा के उच्चतर माध्यमिक एवं इन्टर कालेजों में अध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

29--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इन्टर कालेजों में सन् 1979 से 1981 अक्तूबर तक, किन-किन विषयों के अध्यापक व किन-किन विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं ? क्या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो शासन ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

30--श्री मोतीलाल देहलवी--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के अन्तर्गत उत्तरित।]

थामसन इन्टर कालेज, गोंडा में अध्यापकों के रिक्त पद तथा समायोजन हेतु प्रार्थना-पत्र

31--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के थामसन इन्टर कालेज में सन् 1979-80 में कितने अध्यापकों की जगह रिक्त थी और सन् 1981 के सत्र में कितने स्थान अध्यापकों के रिक्त हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत विद्यालय में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की कुल सात रिक्तियां थीं। सभी रिक्तियां वर्ष 1981 में भरी जा चुकी हैं।

32--श्री उमेश्वर प्रताप सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थामसन इन्टर कालेज, गोंडा में जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच और गोंडा के माध्यम से सन् 1979 व 1980 के वर्षों में रिक्त अध्यापक की पूर्ति के लिए समायोजन के प्रार्थना-पत्र आये हैं और उन प्रार्थना-पत्रों पर प्रबन्ध समिति ने विचार किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महराजगंज के प्रधानाचार्य का बाहर रहने का कारण

33--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि गत शिक्षण सत्र में जवाहर लाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महराजगंज (गोरखपुर) के प्रधानाचार्य कुल कितने दिन कब से कब तक विद्यालय के बाहर रहे हैं एवं बाहर रहने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

3 अक्तूबर, 1980 से 27 मार्च, 1981 तक प्रधानाचार्य 176 दिन बाहर रहे ।

बी० एड० की पुस्तकें क्रय करने गये थे और बीमार पड़ गये ।

शिद्धेश्वर वनस्थली पंचवटी नेहरू प्राथमिक आदर्श जूनियर हाई स्कूल, बीबीपुर, विकास खन्ड हसनगंज, जिला उन्नाव में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति

34--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिद्धेश्वर वनस्थली पंचवटी नेहरू प्राथमिक आदर्श जूनियर हाई स्कूल, बीबीपुर, विकास खन्ड हसनगंज, जिला उन्नाव शिक्षा सत्र 1980-81 में कितने हरिजन विद्यार्थियों का कितना धन छात्रवृत्ति के लिए हरिजन कल्याण विभाग, उन्नाव द्वारा स्वीकृत होकर प्राप्त हुआ और उनमें से कितने विद्यार्थियों को कितना धन वितरित कर दिया गया है और कितना शेष है ? और शेष धन के वितरण न करने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । 47 हरिजन छात्रों को 2424 रु० छात्रवृत्ति के रूप में स्वीकृत किया गया । धन के वितरण की स्थिति की जांच जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव द्वारा की जा रही है ।

जिला हमीरपुर में चिलहटा वन में नाजायज तौर से काटी गयी लकड़ी

35--श्री भीखा लाल--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में चिलहट वन में नाजायज तौर से काटी गयी लकड़ी वर्ष 1977 में तत्कालीन रेन्ज अफसर तथा उप अरण्यपाल द्वारा पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो उस लकड़ी की नीलामी की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो उस लकड़ी का क्या हुआ ।

वन एवं जन्तु उद्यान राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

जी हां । नाजायज तौर से काटी गयी लकड़ी के 14 मामले पकड़े गये थ । इनमें से 11 मामलों, जिनमें, 128 लकड़ी के बोटों का आयतन 20·105

घन मीटर था, की जांच के उपरान्त विभागीय तौर पर कम्पाउन्ड किया गया तथा अभियुक्तों से लकड़ी के मूल्य व मुआवजे के रूप में 3,805 रुपये वसूल किये गये ।

शेष 3 मामलों जिनमें 78 लकड़ी के बोटों का आयतन 11·55 घन मीटर है, के अभियुक्तों का पता नहीं चल सका है । इस लकड़ी का नीलाम प्रथम बार दिनांक 23 दिसम्बर, 1978 को 2,000 रुपये में किया गया था किन्तु क्रेता ने रुपया जमा नहीं किया । इसके बाद 6 बार इस लकड़ी का नीलाम करने का प्रयत्न किया गया परन्तु उपयुक्त बोली नहीं आई । लकड़ी घुन गयी है और उसे कोई क्रय करने को तैयार नहीं है ।

श्री निर्मल कुमार स्थानिक अभियन्ता प्रथम, गोन्डा के व्यवहार तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

36--श्री भोखा लाल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के मेटों, चौकीदारों तथा अन्य मजदूरों का शिकायती-पत्र दिनांक 20-7-81 श्री निर्मल कुमार, स्थानिक अभियन्ता प्रथम, गोन्डा के व्यवहार तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-7-81 के साथ उनको प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी और अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

उन्नाव जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में पदोन्नति का कोटा

37--श्री भोखा लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में किन-किन माध्यमिक विद्यालयों में इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट में विहित व्यवस्था के अनुसार चालीस प्रतिशत पदोन्नति का कोटा पूरा नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और उसको पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

दिनांक 30-1-82 को 10 माध्यमिक विद्यालयों के प्रवक्ता संवर्ग में एवं 23 विद्यालयों के स्नातक संवर्ग में 40 प्रतिशत पदोन्नति की सीमा विभिन्न कारणों से, जिनमें पदोन्नति हेतु ज्येष्ठ एवं उपयुक्त व्यक्तियों का उपलब्ध न होना भी सम्मिलित है, पूर्ण नहीं थी ।

(सम्बन्धित विद्यालयों की सूची संलग्न है)

अध्यादेश संख्या 8, दिनांक 16-7-81 के अन्तर्गत अब नियुक्तियां/पदोन्नतियां आयोग/बोर्ड द्वारा नियन्त्रित होगी ।

देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 181 पर ।

सी० टी० वेतनक्रम से एल० टी० वेतनक्रम में तदर्थ प्रोन्नत अध्यापकों के विनियमतीकरण पर विचार

38—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1966 से 1 जनवरी, 1981 तक सी० टी० (हिन्दी, संस्कृत, सामान्य) वेतनक्रम से एल० टी० (हिन्दी, संस्कृत, सामान्य) वेतनक्रम में तदर्थ पदोन्नत अध्यापकों को नियमित एवं स्थायी न किए जाने के कारण कितने अध्यापक अग्रतर पदोन्नतियों से वंचित हुए हैं ? और इनमें से अनुसूचित जाति एवं जन जाति के अध्यापकों की संख्या कितनी है और ऐसे अध्यापकों को कब तक एल० टी० वेतनक्रम में स्थायी किया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

एल० टी० ग्रेड में तदर्थ प्रोन्नत अध्यापकों के विनियमित न हो सकने के कारण 82 अध्यापक (सामान्य–53, हिन्दी–11 तथा संस्कृत के 18) पदोन्नति न पा सके । इनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 6 अध्यापक हैं । विभागीय चयन में उपयुक्त पाये जाने तथा स्थायी रिक्ति के उपलब्ध होने पर स्थायी किया जाना सम्भव होगा ।

ग्राम अदलगंज, थाना चोपन के श्री इन्द्रमणि यादव, जिला मिर्जापुर की हत्या का पंजीकृत अभियोग तथा जांच

39—श्री भीखा लाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्द्रमणि यादव, निवासी ग्राम अदलगंज, थाना चोपन, जिला मिर्जापुर का कत्ल दिनांक 11–4–81 को कर दिया गया था जिसकी रिपोर्ट मृतक की बेवा कलावती देवी जब थाना चोपन में लिखाने गयी तो वहां नहीं लिखी गयी ? तथा इस सम्बन्ध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ओबरा के सचिव का पत्र दिनांक 1–5–81 को मन्त्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार इन्द्रमणि यादव की दिनांक 11–4–81 को हुई हत्या के सम्बन्ध में उसी दिन श्री प्रहलाद, निवासी सलखन, मिर्जापुर द्वारा दी गयी लिखित सूचना पर एक अभियोग धारा 302 भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना चोपन पर पंजीकृत किया गया । प्रश्न में उल्लिखित पत्र शासन को प्राप्त हुआ था, जिसमें अंकित आरोप जांच से प्रमाणित नहीं हुए । प्रश्नगत अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

40—श्री भीखा लाल—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वन विभाग तथा अवध वन प्रभाग, लखनऊ के मुकदमों की जिला शासकीय अधिवक्ता (डी० जी० सी०) द्वारा पैरवी

41—श्री भोखा लाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वन विभाग के मुकदमों की पैरवी करने के लिए वकीलों की नियुक्ति का क्या आधार और प्रक्रिया है ? क्या यह शासन की नीति है कि ऐसी नियुक्तियों में हरिजन अधिवक्ताओं को प्राथमिकता दी जाय और क्या अवध वन प्रभाग, लखनऊ में वकीलों की नियुक्ति में उपरोक्त आधार प्रक्रिया तथा नीति का परिपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

वन विभाग के मुकदमों की पैरवी जिला जज अथवा उनके अधीनस्थ न्यायालयों में सामान्यतः शासन द्वारा नियुक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (डी० जी० सी०) के द्वारा ही की जाती है। अपरिहार्य परिस्थितियों में जब किसी जिले में सम्बन्धित जिला शासकीय अधिवक्ता (डी० जी० सी०) की सेवा अधिक व्यस्तता या अन्य किसी कारण से उपलब्ध नहीं हो पाती है तथा जिलाधिकारी द्वारा तैयार की गई पैनल लायरों की सूची में से किसी एक पेनल लायर को विभागीय मुकदमों की पैरवी का कार्य सौंपा जाता है। विशेष प्रकार की परिस्थिति में फौजदारी के मुकदमों की पैरवी के लिए विशेष अधिवक्ता (क्रिमिनल) से विभाग के मुकदमों की पैरवी कराई जा सकती हैं। सरकारी वकीलों की नियुक्ति शासकीय कर्मचारियों के रूप में न होकर, व्यवसायिक उपबन्ध के रूप में होती है। अतएव, यद्यपि यह प्रयास किया जाता है कि नियुक्तियों में हरिजन अधिवक्ताओं को भी प्रोत्साहन दिया जाय, तथापि इसके लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

उपरोक्त प्रक्रिया तथा नीति का परिपालन अवध वन प्रभाग, लखनऊ में किया गया है।

श्री बसन्त लाल, अध्यापक जिला बांदा द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने पर निरस्त नियुक्ति

42—श्री भोखा लाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बसन्त लाल, अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला महोरदा, विकास खण्ड नरैनी, जिला बांदा में 15-3-80 से स्थायी अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं लेकिन उनको आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं।

श्री बसन्त लाल की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा के आदेश दिनांक 11 मार्च, 1980 के द्वारा प्राइमरी पाठशाला महोरदा, विकास खंड नरैनी में इस प्रतिबन्ध के साथ की गई थी कि नियत तिथि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। श्री बसन्त लाल ने निर्धारित अवधि के अन्दर विद्यालय का कार्यभार ग्रहण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप पूर्व नियुक्ति आदेश की शर्त के अनुसार नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त हो गया। वर्णित स्थिति में अध्यापक को वेतन दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीपाल सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, अलीपुर मिचलौल जिला उन्नाव का निलम्बन समाप्त करके पूर्व पद पर नियुक्ति

43–श्री भीखा लाल––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीपाल, सहायक शिक्षक, प्राइमरी पाठशाला, अलीपुर, मिचलौला, विकास खण्ड औरास, जिला उन्नाव को उप विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव के आदेश दिनांक 2–11–76 के द्वारा इस आधार पर निलम्बित किया गया था कि उनके विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा कायम हो गया है ? क्या यह सही है कि मुकदमा नं0 545/78, धारा 302/34 ता0 हि0 में द्वितीय सेशन जज, उन्नाव ने श्रीपाल अध्यापक को दोष–मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां तो क्या उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

श्री श्रीपाल सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, अलीपुर मिचलौल, जिला उन्नाव श्री रघुनाथ सिंह की हत्या के आरोप में नामजद मुल्जिम थे जिन्होंने दिनांक 4 अगस्त, 1976 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया था। जिसके आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव ने निलम्बित कर दिया था। द्वितीय सेशन जज उन्नाव के न्यायलय द्वारा श्री श्रीपाल, सहायक अध्यापक को दोष–मुक्त कर दिया गया है और इसी आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, उन्नाव ने अपने आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 1981 द्वारा उनका निलम्बन समाप्त कर उन्हें उनके पूर्व पद पर पदस्थापित कर दिया है ।

बी0 के0 एच0 आर0 इन्टर कालेज, मोरावां, जिला उन्नाव की प्रबन्ध समिति द्वारा श्री मनोहर लाल वर्मा की संस्कृत प्रवक्ता के पद पर प्रोन्नति की संस्तुति तथा उप शिक्षा निदेशक द्वारा प्रबन्ध समिति के विचार पर निर्णय

44–श्री भीखा लाल––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0 के0 एच0 आर0 इन्टर कालेज, मौरावां, जिला उन्नाव की प्रबन्ध समिति ने अपने प्रस्ताव दिनांक 2–8–79 के द्वारा श्री मनोहरलाल वर्मा, प्रोन्नति संस्कृत प्रवक्ता पद पर करने की संस्तुति जिला विद्यालय निरीक्षक, उन्नाव को की जिसको अस्वीकार कर दिया गया और फलस्वरूप प्रबन्ध समिति ने रेगुलेशन 6 (7) के अन्तर्गत उप शिक्षा निदेशक को प्रार्थना–पत्र दिया जिसको भी अस्वीकार कर दिया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

हां ।

45–श्री भीखा लाल––

क्या यह सच है कि उप शिक्षा निदेशक के आदेश से क्षुब्ध होकर प्रबन्ध समिति ने माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की जिसको दिनांक 7–4–81 को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने उप शिक्षा निदेशक को आदेश दिया कि उनका पूर्ण आदेश दोषपूर्ण है, अतएव पूरी परिस्थिति पर विचार

करके प्रबन्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय लें ? यदि हां, तो उप शिक्षा निदेशक ने प्रबन्ध समिति के प्रार्थना-पत्र पर क्या निर्णय लिया है और यदि कोई निर्णय नहीं लिया है, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हां ।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 7-4-81 के आदेश में उप शिक्षा निदेशक के निर्णय को दोषपूर्ण नहीं कहा है बल्कि यह बात साफ की है कि अध्याय दो के विनियम 8 के निर्णय के विरुद्ध उप शिक्षा निदेशक अपील सुन सकते हैं ।

उप शिक्षा निदेशक को पुनः प्रबन्धक के प्रत्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय देने का आदेश माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था । उप शिक्षा निदेशक ने प्रबन्धक के प्रार्थना-पत्र पर पुनः विचार कर, दिनांक 1-12-81 को जिला विद्यालय निरीक्षक के आदेश, दिनांक 4-10-79 को बहाल किया तथा प्रबन्धक की अपील अस्वीकृत कर दी ।

उन्नाव जनपद में डकैती, चोरी तथा राहजनी की घटनायें

46—श्री भोखा लाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में माह मई, जून, जुलाई, 1981 में कितनी डकैती, चोरी, राहजनी और कत्ल की घटनाएं हुईं और कितने व्यक्तियों की जानें गईं और इसी अवधि में वर्ष 1980 में कितनी घटनाएं हुई थीं और यदि इनमें वर्ष 1981 में वृद्धि हुई हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वांछित सूचना इस प्रकार है :—

अवधि	डकैती	चोरी	राहजनी	हत्या	कितने व्यक्तियों की जानें गईं
1	2	3	4	5	6
मई, 1981	14	48	18	18	19
जून, 1981	9	50	10	18	18
जुलाई, 1981	3	28	21	19	20
योग ..	26	126	59	55	57

1	2	3	4	5	6
मई, 1980	11	63	15	11	12
जून, 1980	9	72	22	14	15
जुलाई, 1980	7	39	16	14	15
योग ..	27	174	53	39	42

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार राहजनी में आंशिक वृद्धि हुई है हत्या में वृद्धि का मूल कारण शत्रुता पाई गई ।

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तिन्दवारी, जिला बांदा में सड़कों पर कार्य

47—श्री भीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तिन्दवारी, जिला बांदा में विभिन्न माध्यमों से कौन-कौन सी सड़कें बनाई गयीं और उनकी लम्बाई क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तिन्दवारी जिला बांदा में वर्ष 1980-81 में निम्नलिखित सड़कों पर कार्य कराया गया था :

नव निर्माण मार्ग का नाम	कुल लम्बाई	वर्ष 1980-81 में कराया गया कार्य
1—जसपुरा-गड़रिया मार्ग	7.40 कि0 मी0	3.00 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य
2—जसपुरा-मंझरी पुरवा मार्ग	5·00 कि0 मी0	2.00 कि0 मी0 मिट्टी का कार्य
3—पैलानी-गुलौली मार्ग	12·30 कि0 मी0	3.00 कि0 मी0 में सोलिंग का कार्य
4—करहिया-पचनेदी मार्ग	7·50 कि0 मी0	3.00 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य
5—बांदा-हमीरपुर मार्ग	14·63 कि0 मी0	3.00 कि0 मी0 में मिट्टी का कार्य
6—तिन्दवारी-बेदाघाट (बेदाघाट पहुंच मार्ग)	13.25 कि0 मी0	7.00 कि0 मी0 में पेन्टिंग का कार्य
7—चिल्ला-लोयर मार्ग पुनः निर्माण	2.50 कि0 मी0	सोलिंग का एकात्रीकरण
8—बांदा-तिन्दवारी मार्ग	24.00 कि0 मी0	15.00 कि0 मी0 में लेपन का कार्य

48—श्री भीखा लाल तथा श्री ललू सिंह चौहान—

[5 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बमरौली रेलवे स्टेशन में उत्तर रेलवे, इलाहाबाद मण्डल के अधिकारियों द्वारा रेड

49—श्री भीखा लाल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य मंत्री की ओर से प्रताप कुमार टंडन द्वारा हस्ताक्षरित पत्र, दिनांक 19-9-81 उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई है कि दिनांक 17-9-81 को इलाहाबाद स्टेशन पर अपर इण्डिया एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली से आते हुए लगभग ढाई हजार छात्र तथा युवकों को जबरदस्ती गाड़ी से उतारा गया, लाठियों से पीटा गया, घड़ियां और नगदी छीनी गयी तथा जेल में बन्द किया गया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

दिनांक 17-9-81 को इलाहाबाद स्टेशन पर नहीं प्रत्युत बमरौली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना का विवरण संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 183 पर ।)

किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर, जिला फर्रुखाबाद में हरिजन एवं पिछड़ी जातियों हेतु छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता की धनराशि का वितरण

50—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान माध्यमिक विद्यालय, कुन्दन गनेशपुर, जिला फर्रुखाबाद में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों के लिए कितना धन छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता के रूप में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त हुआ है और कितना धन विद्यार्थियों में बांटा गया ? क्या इस सम्बन्ध में विद्यालय की प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा हरिजन समाज कल्याण राज्य मंत्री को सम्बोधित शिकायती-पत्र की प्रतिलिपि, दिनांक 19-9-81 उनको प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और पुस्तकीय सहायता का पैसा दिला कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अवर अभियन्ता यांत्रिक की ट्रेनिंग में सम्मिलित अभ्यर्थियों की संख्या तथा उनकी नियुक्ति

51—श्री भीखा लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1973-74 में विभाग द्वारा अवर अभियन्ता यांत्रिक की ट्रेनिंग कराई गई थी तो उस ट्रेनिंग में कितने लोग सम्मिलित हुए थे, उनमें से कितने लोगों को सेवा में ले लिया गया है और कितने अभी नहीं लिये गये हैं और अवर अभियन्ता यांत्रिक के कितने स्थान विभाग में रिक्त हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। अवर अभियन्ता यांत्रिक की ट्रेनिंग में 163 अभ्यर्थी सम्मिलित हुये थे। उनमें से किसी को सेवा में नहीं लिया गया था। उन 163 अभ्यर्थियों में से एक अभ्यर्थी को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा अनुमोदित होने पर वर्ष 1980 में सेवा में ले लिया गया है। इस समय अवर अभियन्ता यांत्रिक के विभाग में कुल 436 पद रिक्त हैं लेकिन 77 चयनित अभ्यर्थियों की सूची लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त हो चुकी है जिनके कि नियुक्ति आदेश शीघ्र निर्गत किये जा रहे हैं। शेष रिक्त पदों पर चयन करने के लिये लोक सेवा आयोग को मई, 81 में लिखा जा चुका है।

जनपद गोण्डा में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नये संशोधित वेतनमान लागू होने से दिये गये नेशनल सेविंग्स सार्टीफिकेट

52—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1972 में जूनियर व प्राइमरी शिक्षकों के नये संशोधित वेतनमान वर्ष 1974 में लागू होने के उपरान्त बकाया वेतन के सम्बन्ध में शासन ने यह निश्चय किया था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया की धनराशि नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट्स के रूप में दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या जनपद गोन्डा में सभी सम्बन्धित शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सर्टीफिकेट दे दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना कोतवाली, जिला देवरिया में हत्याएं एवं मुलजिमों के विरुद्ध की गई कार्यवाही

53—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि थाना कोतवाली, जिला देवरिया में 1-4-81 से 20-5-81 के बीच कितनी हत्याएं हुयीं ? हत्याएं होने का कारण क्या है तथा मुलजिमों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में कुल तीन हत्याएं हुई। हत्यायें होने का कारण मुख्यतः पुरानी रंजिश एवं जमीन-जायदाद आदि हैं। मुलिजमानों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है—

1—मु0 अ0 सं0 210 धारा 302 भा0दं0 वि0, दिनांक 24-4-81 को करीब 2 बजे दिन श्री राम नक्षत्र उपाध्याय की हत्या में घोलर उर्फ शम्भूनाथ मिश्र, पृथ्वीनाथ मिश्र व सर्वजीत यादव तीन अभियुक्तों के विरुद्ध 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की गयी । तीनों अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समपर्ण किया । विवेचना पूर्ण करके आरोप पत्र, दिनांक 3-5-81 को प्रेषित किया गया जो न्यायालय सेशन में विचाराधीन है ।

(2) मु0 अ0 सं0 243 धारा 307 भा0 दं0 वि0, दिनांक 13-5-81 को लगभग 2 बजे दिन में श्री आनन्द मोहन श्रीवास्तव, सहायक संख्या एवं अर्थ अधिकारी पर जिला परिषद् गेट के निकट अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घातक प्रहार से घायल किया गया । सदर अस्पताल, देवरिया पहुंचते ही उनकी मृत्यु हो गई । मुकदमा धारा 307 से 302 भा0 दं0 वि0 में उसी दिन परिवर्तित किया गया । विवेचना से सदानन्द तिवारी व हरे राम चौधरी दो अभियुक्त प्रकाश में आए । अभियुक्त सदानन्द को गिरपतार कर जेल भेजा गया तथा हरे राम के विरुद्ध 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही करके उसकी चल सम्पत्ति कुर्क करके थाना ऊंचगांव, जिला गोपालगंज, बिहार में दाखिल किया गया । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र, दिनांक 5-8-81 को न्यायालय प्रेषित किया ।

(3) मु0 अ0 सं0 247, धारा 47/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0, दिनांक 16-5-81 को करीब 9-30 बजे श्री गोबिन्द तिवारी पर विपक्षीगण ने कट्टे तथा बन्दूक से फायर करके घायल किया जिससे उनकी मृत्यु हो गई । इस अभियोग में श्री दुर्गा शरण को दिनांक 17-5-81 को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया । अभियुक्तगण हरे राम तिवारी, शिवेश तिवारी, मैथिलीशरण, कृपा शंकर व बेनी शरन ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया । विवेचना पूर्ण कर, दिनांक 20-5-81 को आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया ।

थाना कोतवाली, जिला देवरिया में चोरी, डकैती तथा राहजनी की वर्ज घटनाएं

54—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि थाना कोतवाली, जिला देवरिया पुलिस में 1-1-80 से 20-5-81 के बीच कितनी चोरियां, डकैतियां, राहजनी तथा हत्याओं की रिपोर्ट दर्ज हुईं ? कितने में चार्जशीट लगी तथा कितने में फाइनल रिपोर्ट लगी ? फाइनल रिपोर्ट लगाने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में 246 चोरी, 7 डकैती, 13 राहजनी तथा 10 हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुईं । 41 चोरी, 4 डकैती, 5 राहजनी एवं 9 हत्या के मामलों में चार्जशीट लगी तथा 205 चोरी, 2 डकैती 7 राहजनी व एक हत्या के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगी ।

फाइनल रिपोर्ट लगाने का मुख्य कारण माल व मुल्जिम का पता न लगना व साक्ष्य का अभाव रहा ।

सरैया स्टील लि0, सरदार नगर, गोरखपुर के श्रमिक श्री बसन्त उपाध्याय की मृत्यु तथा मुआवजा देने के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

55--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि सरैया स्टील लि0, सरदार नगर, गोरखपुर के श्रमिक श्री बसन्त उपाध्याय की मृत्यु कार्यरत स्थिति में वर्ष 1976 में हुई, जिनके मुआवजा के सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त, कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, गोरखपुर ने कोई फैसला किया ? यदि हां, तो निर्णय क्या है, एवं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

इलाहाबाद जनपद में नए थाने एवं चौकी बनाने का विचार

56--श्री रमाकान्त मिश्र--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि इलाहाबाद जनपद में 30-9-81 को कौन-कौन नए थाने स्वीकृत हुए हैं और कितने थाना एवं चौकी बनाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इन थानों एवं चौकियों में अभी तक कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया ? कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद इलाहाबाद में दिनांक 30-9-1981 को शासन द्वारा कोई नये थाने/चौकी स्वीकृत नहीं हुये हैं ।

शासन द्वारा जनपद इलाहाबाद में संहत रूप से 10 नये थाने एवं 3 रिपोर्टिंग व इन्वेस्टीगेटिंग चौकियों की स्वीकृति क्रमशः दिनांक 11 अगस्त, 1980 तथा 2 अप्रैल, 1981 को दी गई है । नये थानों के कार्य क्षेत्र के बारे में सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने तथा अन्य सुसंगत प्रबन्ध पूर्ण हो जाने पर ये थाने/चौकियां विधिवत् कार्य करने लगेंगे । इन नये खुलने वाले दस थानों व 3 रिपोर्टिंग चौकियों के नाम निम्न हैं :--

थाने :--1--जार्ज टाउन ।
2--शाहगंज ।
3--मोहब्बतपुर पयनसा ।
4--कौशाम्बी ।
5--लालापुर ।
6--चरवा ।
7--अतरांव ।
8--बहिरिया ।
9--होलागढ़ ।
10--पिपरी ।

चौकियां--1--सलाहपुर ।
2--भरवारी ।
3--मकदूमपुर ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1975 के द्वितीय परन्तुक में संशोधन का विचार

57--श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1975 के द्वितीय संशोधन नियमावली, 1977 द्वारा संशोधित नियम–6 के द्वितीय परन्तुक में कोई संशोधन करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । प्रश्नगत परन्तुक में संशोधन प्रतिनियुक्ति की अवधि हेतु निर्दिष्ट परिसीमा के सम्बन्ध में विचारणीय है । यह संशोधन शासन की वर्तमान सामान्य नीति के परिपेक्ष्य में आवश्यक पाया गया है ।

श्री ताराशंकर चौबे का सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) में कार्यकाल की अवधि तथा अधिष्ठान एवं ग्रान्ट सम्बन्धी कार्य वापस लिए जाने के आदेश

58--श्रीमती गौरी देवी—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न सं0 126 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि तारा शंकर चौबे का सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) में कार्यकाल क्या था ? सचिवालय प्रशासन अधिष्ठान अनुभाग–1 के आदेश श्री चौबे से अधिष्ठान एवं ग्रान्ट सम्बन्धी कार्य वापस लिए जाने के थे ? यदि हां, तो पुनः इनसे उक्त कार्य लिए जाने का औचित्य क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

श्री तारा शंकर चौबे मुख्य सचिव शाखा में जिसमें सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग अन्य विभागों के साथ सम्मिलित था, 5 जून, 1957 से 31 जनवरी, 1973 तक तथा पुनः 1 मई, 1973 से 1 जनवरी, 1975 तक कार्यरत रहे । उनकी चरित्र पंजी लोक सेवा प्राधिकरण–5 में एक याचिका के सिलसिले में प्रस्तुत है जिसके अभाव में श्री चौबे को सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) विभाग में वास्तविक नियुक्ति की अवधि बताना सम्भव नहीं है । श्री चौबे से अधिष्ठान तथा ग्रांट सम्बन्धी कार्य न लिये जायं इस आशय के आदेश होने की सूचना सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 से मई, 1975 में प्राप्त हुई थी जब श्री चौबे अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत थे । कालान्तर में श्री चौबे के विशेष कार्याधिकारी के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् अर्थात् 5 वर्षों के बाद उनको अधिष्ठान का कार्य आवंटित किया गया । सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1 के उपर्युक्त आदेश श्री चौबे से अधिष्ठान एवं ग्रान्ट का कार्य अनिश्चित काल तक न लेने के लिए नहीं थे । शिक्षा विभाग से स्थानान्तरित कर दिये गये ।

59--श्री हरि प्रसाद तथा श्री राम जी राम--

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 86 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर में मारकेटिंग इन्सपेक्टर आदि के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

60--श्री जगदीश सिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर में दिनांक 2-12-80 को अपराध संख्या 447, धारा 468/420 भा0 द0 विधान एवं 3/7 आई0 पी0 सी0 ऐक्ट सम्बन्धित मारकेटिंग इन्सपेक्टर आदि के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था ? यदि हां, तो उन दोषी अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

थाना तिलहर, जिला शाहजहांपुर में कथित अपराध दर्ज हुआ था लेकिन विवेचना के बाद किसी अपराध का होना नहीं पाया गया और मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ।

मिल्वीकल्चर वन प्रभाग, दक्षिणी रीजन, कानपुर में सहायक वन वर्धनिक के रिक्त पद

61--श्री केदारनाथ सिंह तथा श्री रामकृष्ण माहेश्वरी--

क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सिल्वल्चर वन प्रभाग, दक्षिणी रीजन, कानपुर में सहायक वन वर्धनिक के पद पर कोई अधिकारी अक्तूबर, 1979 से कार्यरत नहीं हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

मिल्वीकल्चर वन प्रभाग, दक्षिणी रीजन, कानपुर में तत्कालीन वन वर्धनिक के 4 अक्तूबर, 1979 को स्थानान्तरण पर प्रस्थान करने तथा उस समय सहायक अरण्यपालों की कमी के कारण उक्त पद रिक्त रहा । अब 21 जुलाई, 1981 से यह पद भर दिया गया है ।

जनपद गोरखपुर में कतिपय घाटों पर पुल निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही

62--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सम्बन्ध में विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तृतीय मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर में गौरी घाट, मटियारा, इटौवा, बोहाबार, सिकरीगंज, धुरिया पार, गजपुर आदि घाटों पर पुल बनाने हेतु धनाभाव बताया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित व पिछड़े क्षेत्र के विकास की दृष्टि से इन कार्यों की स्वीकृति प्रदान करके प्राथमिकता के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में गौरी, मटियारा, इटौवा, बोहाबार व गजपुर घाटों पर पुल सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के कतिपय मार्गों का निर्माण

63--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के पाँचवें मंगलवार दिनांक 30-9-80 के अतारांकित प्रश्न संख्या-13 के उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत सड़कों को आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायगा ? यदि हां, तो कुल कितनी लम्बाई होगी ? और क्या लागत लगेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गंडक नहर शाखा एवं मघुबनी शाखा के अन्तर्गत नदाद, बलिया नाला एवं रेहाव पर आवागमन हेतु पुल की मांग

64---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले बुधवार दिनांक 28-1-81 के अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के उत्तर से सम्बन्धित पुल के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला गोरखपुर के बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक तथा गैर शिक्षक पद पर अनुसूचित जाति का कोटा

65---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि विधान सभा के प्रथम सत्र, 1980 के चौथे मंगलवार दिनांक 23-9-80 के लिए प्रश्नकर्त्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के उत्तर के क्रम में बतायेंगे कि अन्य विद्यालयों के सम्बन्ध में इस समय तक क्या सूचना है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जिला गोरखपुर के बालकों के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक पदों पर पिछड़ी जाति के 10 तथा अनुसूचित जाति के 3 और गैर शिक्षक पदों पर पिछड़ी जाति के 9 व अनुसूचित जाति के 2 व्यक्ति नियुक्त किए गए । शिक्षकों की नियुक्ति में पिछड़ी जाति का प्रतिशत 16 तथा अनुसूचित जाति का प्रतिशत 5 रहा है । गैर शिक्षक पदों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 11 और पिछड़ी जाति का 22 रहा।

राज्य कर्मचारियों के आवंटन हेतु भवन की व्यवस्था तथा आवंटन का आधार

66---श्री तपेश्वर, श्री ऊदल तथा श्री राम आसरे वर्मा---

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि राज्य कर्मचारियों के आवंटन हेतु अब कहां-कहां भवन लिया जा रहा है तथा उनमें कितने-कितने क्वार्टर्स का प्राविधान है ? इनमें से सचिवालय कर्मचारियों के लिए कितन-कितने क्वार्टर्स

आवंटित होंगे ? राज्य सरकार सचिवालय के निकटतम स्थानों पर सरकारी कर्मचारियों हेतु क्वार्टर्स की व्यवस्था करेगी ? क्या कभी इसके लिए प्रयास किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

शासन के राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सम्पत्ति लखनऊ में राज्य कर्मचारियों के आवंटन हेतु अतिरिक्त भवन क्रय किए जाने का निर्णय नहीं लिया गया है ।

2 —प्रश्न नहीं उठता ।

3——प्रश्न नहीं उठता ।

4——सचिवालय, लखनऊ के मध्य में स्थित होने के कारण उसके समीप आवासीय भवनों के निर्माण हेतु उपयुक्त खाली भूमि के अभाव में यह व्यवस्था सम्भव नहीं है ।

जी हां । परन्तु भूमि के अभाव में आवासों का निर्माण पर्याप्त संख्या में नहीं हो सका ।

67——श्री तपेश्वर, श्री ऊदल तथा श्री राम आसरे वर्मा——

क्या सरकार ऐसी तिथि निर्धारित करने का कष्ट करेगी कि आवंटित किए गये सरकारी क्वार्टर्स के अधिग्रहण कर लेने के पश्चात उस कर्मचारी को पुनः दूसरे स्थान के लिए चेंज करने के बजाय पहले उन कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किया जाय जिनको पहले से कोई क्वार्टर आवंटित नहीं रहता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी——

जी नहीं । आवासों का आवंटन सामान्यतया ज्येष्ठता के आधार पर तथा कुछ मामलों में कर्मचारियों की विशेष परिस्थितियों के गुणावगुण पर विचार करके ज्येष्ठता के सिद्धान्त को शिथिल करके किया जाता है । नये आवासों के आवंटन में समान श्रेणी एवं समकक्षीय सुविधा वाले पुराने आवासों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा नये इच्छुक कर्मचारियों को प्राथमिकता दिया जाना सम्भव नहीं है ।

बाराबंकी जिले में सरकारी लाशों को ढोने के लिए ट्रेलर

68—श्री श्याम लाल वाजपेयी——

क्या गृह मन्त्री प्रथम सत्र 1981 के तीसरे मंगलवार के निर्धारित अता० प्र० संख्या 75 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले में सरकारी लाशों को ढोने के लिए क्या कोई ट्रेलर है ? यदि हां, तो उसने 9 जून, 1980 से 9 अक्तूबर, 1981 तक कितनी लाशों की ढुलाई की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी——

बाराबंकी जिले में एक ट्रेलर लाशों को ढोने हेतु उपलब्ध है । दिनांक 9 जून, 1980 से 9 अक्तूबर, 1981 की अवधि में उक्त ट्रेलर से 19 लाशों की ढुलाई की गई ।

बांदा जनपद में कताई मिल का निर्माण कार्य

69--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में प्रस्तावित कताई मिल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा ?

श्री नियाज हसन खां--

राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

जनपद बांदा, ग्राम महुआ में राजकीय हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव

70--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के विकास खन्ड, महुआ के अन्तर्गत ग्राम महुआ में राजकीय हाई स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव वर्तमान समय में शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामस्वरूप, ग्राम उद्योग इन्टर कालेज, पुखरायां, जिला कानपुर के अध्यापकों द्वारा अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के यहां की गई अपीलों पर निर्णय

71--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम स्वरूप ग्राम उद्योग इन्टर कालेज, पुखरायां, जिला कानपुर के कितने अध्यापकों की अपीलें अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद के यहां जनवरी, 1972 के पूर्वार्ध में दी गईं ? उनमें से कितनों पर निर्णय 31 दिसम्बर, 1980 तक दिया गया और कितने निर्णय के लिये शेष हैं ? 9 वर्ष की लम्बी अवधि में निर्णय न देने का कारण क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

कोई नहीं । प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंककों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का आधार

72--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के टंककों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का क्या आधार है ? क्या अभी हाल ही में कुछ टंकक तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियक्ति बिना किसी परीक्षा के की गई ? यदि हां, तो क्यों और किसके आदेशों से और किस आधार पर ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

उत्तर प्रदेश सचिवालय में टंककों की नियुक्ति सामान्यतया लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर की जाती है, परन्तु लोक हित में और अपरिहार्य परिस्थितियों में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्तियां तदर्थ आधार पर भी अपने विवेकानुसार केवल टंकण गति की परीक्षा लेकर की जाती हैं । तदर्थ नियुक्ति करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं सक्षम हैं ।

अभी हाल ही में किसी टंकक को नियुक्ति नहीं की गई परन्तु अंतिम बार माह जनवरी/फरवरी, 1981 में लोक हित में सचिवालय में टंककों के अभाव को देखते हुए, टंकण परीक्षा लेकर, टंककों को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था ।

जहां तक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का प्रश्न है, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती उपयुक्तता के आधार पर चयन द्वारा की जाती है । जून व जुलाई, 1981 के तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सक्षम अधिकारी के आदेशों से तदर्थ आधार पर नियुक्त किए गए ।

निदेशक राज्य पुरातत्व संगठन के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

73—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि निदेशक, राज्य पुरातत्व संगठन के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान में 31 अगस्त, 1980 को कोई जांच चल रही थी ? यदि हां, तो उक्त जांच कब सतर्कता अधिष्ठान को प्राप्त हुई और इसकी जांच किसे सौंपी गई और उक्त तिथि को क्या वही अधिकारी जांच कर रहे थे जिन्हें आरम्भ में जांच दी गई थी ? जांच की अन्तरिम रपट क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दिये जाने के तुरन्त बाद उसे स्थायी कर दिया गया ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । उक्त जांच 28 अप्रैल, 1980 को सतर्कता अधिष्ठान को सौंपी गई थी । जांचकर्त्ता अधिकारी के सम्बन्ध में विवरण देना जनहित म नहीं है । जांच की अंतिम रपट नहीं अपितु अन्तिम आख्या प्राप्त हो गई है जिसमें सम्बन्धित अधिकारी को अधिकांश बिन्दुओं पर दोषी पाया गया है ।

प्रतिकूल प्रविष्टि चरित्र पंजी में दिनांक 28 नवम्बर, 1979 को अंकित की गई थी । इसी आधार पर दिनांक 17 मार्च, 1980 के आदेश द्वारा परिवीक्षा की अवधि दिनांक 22 अगस्त, 1979 में 21 फरवरी, 1980 तक छः मास के लिए बढ़ा दी गई थी । दिनांक 15 अप्रैल, 1980 के आदेश द्वारा श्री सिंह को दिनांक 22 फरवरी, 1980 से स्थायी किया गया ।

74—श्री राम स्वरूप वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा जाजमऊ (कानपुर) में खुदाई तथा तत्कालीन सचिव श्री महेश प्रसाद द्वारा कार्य-स्थल का निरीक्षण

75-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1969 से 1972 के बीच में जाजमऊ (कानपुर) और सौरिख, जिला फर्रुखाबाद की खुदाई निदेशक, पुरातत्व संगठन द्वारा कराई गई थी ? यदि हां, तो क्या सौरिख (फर्रुखाबाद) की खुदाई के लिए भारत सरकार से अनुमति मांगी गई थी ? उक्त खुदाई में क्या प्राप्त हुआ और उसकी रिपोर्ट क्या है ? क्या जाजमऊ (जिला कानपुर) के उत्खनन के सम्बन्ध में तत्कालीन सचिव श्री महेश प्रसाद ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी मौके का निरीक्षण करने के उपरान्त श्री राम चन्द्र सिंह द्वारा की गई खुदाई के बारे में दी थी ? यदि हां, तो वह क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

उ० प्र० राज्य पुरातत्व संगठन द्वारा जाजमऊ (कानपुर) में वर्ष 1969 में खुदाई आरम्भ की गई थी । सौरिख (फर्रुखाबाद) की खुदाई पुरातत्व संगठन द्वारा कराई ही नहीं गई, अतएव भारत सरकार से खुदाई की अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जाजमऊ की खुदाई में चौथी शताब्दी ई० पू० की मिट्टी की मूर्तियां तथा छठी शताब्दी ई० पू० के मिट्टी के बरतनों के टुकड़े प्राप्त हुए । सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गंगा नदी पर पुल तथा सड़क बनाने का कार्य तेजी से प्रारम्भ किए जाने के कारण पुरातत्व संगठन द्वारा उत्खनन का कार्य विधिवत कराया जाना संभव नहीं हो सका और उत्खनन बीच में रोक देना पड़ा । विधिवत पुरातात्विक उत्खनन पूर्ण न हो सकने के कारण उत्खनन की रिपोर्ट भी प्रकाशित न की जा सकी ।

श्री महेश प्रसाद, तत्कालीन सचिव ने दिनांक 16 नवम्बर, 1969 को कार्यस्थल का निरीक्षण कर 18 नवम्बर, 1969 को यह टिप्पणी दी थी कि 'जाजमऊ में पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाई की गई है उसको देखने से पता चला कि खुदाई वैज्ञानिक ढंग से नहीं की गई थी और थोड़े-थोड़े फुट की निचाई पर कोई निशान नहीं लगाए गए थे । एक ग्राफ भी बनाया जाना चाहिए था, जिससे पता चल सके कि कितनी गहराई पर किस-किस प्रकार की चीजें मिलीं और बाद में उन चीजों का विश्लेषण किया जाता । मैं चाहूंगा कि अब इस वर्ष जाजमऊ की खुदाई का कार्य पुनः राज्य पुरातत्व अधिकारी की देखरेख में प्रारम्भ कर दिया जाय और वैज्ञानिक ढंग से किया जाय ।'

श्री देवेन्द्र कुमार, ग्राम अकोहरी, जिला उन्नाव की थानाध्यक्ष मौरावां द्वारा गिरफ्तारी

76-श्री भीखा लाल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवी शंकर त्रिपाठी निवासी ग्राम अकोहरी थाना मौरावां जिला उन्नाव का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-9-81 उनको प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई है कि थानाध्यक्ष, मौरावां ने

उनके लड़के को जो कक्षा 12 का छात्र है, दिनांक 2-9-81 को कालेज जाते समय करीब पौने दस बजे प्रातः गिरफ्तार किया जिसकी बाबत उन्होंने 3-9-81 को जुडीशियल मैजिस्ट्रेट उन्नाव की अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया कि पुलिस उनके लड़के को किसी झूठे मामले में फंसाने के लिए पकड़ ले गई है ? क्या यह भी सही है कि थानाध्यक्ष, मौरावां ने दिनांक 3-9-81 को समय सवा आठ बजे शाम उक्त लड़के के खिलाफ धारा 25 आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा कायम करके चालान कर दिया ? यदि हां, तो क्या इस कार्यवाही की जांच कराई गई और थानाध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

थानाध्यक्ष मौरावां ने श्री देवी शंकर त्रिपाठी के पुत्र देवेन्द्र कुमार उर्फ सधोले को दिनांक 3-9-81 को धारा 25 आर्म्स ऐक्ट के अभियोग में गिरफ्तार किया । दिनांक 26-8-81 को श्रीमती चन्द्रावती निवासिनी ग्राम अकोहरी उन्नाव द्वारा थाना मौरावां में दर्ज कराये गए मुकदमा धारा 396 भा० दं० वि० के बयान में श्री देवीशंकर त्रिपाठी तथा उनके पुत्र श्री देवेन्द्र कुमार उर्फ सधोले पर संदेह व्यक्त किया गया था । इस बयान के आधार पर श्री देवीशंकर त्रिपाठी तथा उनके पुत्र की पुलिस को तलाश थी । तदनुसार थानाध्यक्ष मौरावां द्वारा दिनांक 3-9-81 को सायं काल 6-17 बजे श्री देवेन्द्र कुमार उर्फ सधोले को ग्राम अकोहरी के पुल पर गिरफ्तार किया गया । जामा तलाशी में श्री देवेन्द्र कुमार उर्फ सधोले के पास एक देशी तमंचा तथा 2 कारतूस नाजायज बरामद होने पर उसके विरुद्ध थाना मौरावां में धारा 25 आर्म्स ऐक्ट का मुकदमा कायम हुआ ।

श्री देवीशंकर त्रिपाठी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 3-9-81 प्राप्त हुआ था जिसमें थानाध्यक्ष मौरावां के विरुद्ध उनके पुत्र को झूठे मुकदमें दिनांक 2-9-81 को कालेज जाते समय गिरफ्तार किए जाने का आरोप लगाया गया था । इस आवेदन-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी पुरवा द्वारा की गई जिसके आधार पर आरोप निराधार पाया गया । श्री त्रिपाठी द्वारा दिनांक 3-9-81 को जुडिशियल मजिस्ट्रेट की न्यायालय में हलफनामा पेशबन्दी के रूप में दिया जाना पाया गया ।

अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं (सिविल) को कोटे के अनुसार स्थायीकरण

77—श्री भीखालाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 5-7-81 उनको प्राप्त हुआ है जिसके माध्यम से यह उल्लेख किया गया था कि लोक लेखा आयोग अथवा उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 19-8-75 (1) ग-1 दिनांक 14-5-79 के अनुसार अनुमोदित अनुसूचित जाति के अवर अभियन्ताओं (सिविल) को उनके कोटे के अनुसार स्थाईकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

अवर अभियन्ता (सिविल) के स्थायीकरण की कार्यवाही प्रगति पर है ।

गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के उप चुनाव में हरियाणा, पंजाब, हिमांचल से आई पुलिस फोर्स तथा उस पर व्यय

78-श्री कुंवर सिंह नेगी तथा श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह जून, 1981 में हुए गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के उप चुनाव में हरियाणा-पंजाब व हिमांचल प्रदेश से कितनी पुलिस फोर्स आई थी तथा इस पर कितना व्यय हुआ तथा व्यय भार किस प्रदेश ने वहन किया ? किसके आदेशों से बाहरी पुलिस तैनात की गई ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के उप चुनाव में हरियाणा से 12, पंजाब से 4, हिमांचल से 4 पुलिस कम्पनियां आई थीं । व्यय का विवरण उन प्रदेश सरकारों ने अभी तक नहीं भेजा है । प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त फोर्स की मांग केन्द्रीय सरकार से की थी और उस संदर्भ में यह फोर्स प्राप्त हुई ।

जनपद मिर्जापुर में जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों का कार्यकाल

79-श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक विद्यालयों के कितने अध्यापक/अध्यापिका गत 10 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? क्या इसी श्रेणी के अध्यापकों/अध्यापिकाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों का नियुक्ति का स्थान तथा अवधि

80-श्री राम चरण सिंह--

क्या शासन इस प्रकार की कोई नीति निर्धारण करेगा कि प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापक अपने गांव की पाठशाला पर न रहें, या एक स्थान पर 10 वर्ष से अधिक न रहें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

नियुक्ति के स्थान व अवधि के विषय में प्रशासकीय आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाता है ।

अभिसूचना विभाग में उपनिरीक्षकों के पदों पर स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु परीक्षायें

81—श्री मारकण्डेय चन्द्र —

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में पुलिस रेगुलेशन के पैरा 191 के अन्तर्गत अभिसूचना विभाग में सब इन्सपेक्टर की परीक्षा दो बार ली गई ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि उसमें बरती गई अनियमितताओं के फलस्वरूप हेड कांस्टेबिलों में असंतोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

अभिसूचना विभाग के हेड कान्सटेबुलों को पुलिस आफिस मैनुअल (पुलिस रेगुलेशन्स नहीं) के पैरा 191 के अन्तर्गत नवसृजित व रिक्त चले आ रहे उप निरीक्षकों के पदों पर अस्थाई रिक्तियों में स्थानापन्न प्रोन्नति हेतु वर्ष 1980 में दो बार परीक्षायें ली गईं । पदों का सृजन दो बार हुआ अतः अलग-अलग परीक्षायें सम्पादित की गई । यह सही नहीं है कि इसमें हेड कान्सटेबुलों में असंतोष है । चूंकि उक्त परीक्षाओं में कोई अनियमितता नहीं हुई अतः कोई व्यक्ति दोषी नहीं है एवं किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जागेश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक, जनपद रायबरेली के बकाये वेतन का भुगतान

82—श्री गया सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जागेश्वर प्रसाद सहायक शिक्षक प्राइमरी पाठशाला माहो विकास क्षेत्र खीरो जनपद रायबरेली का 15 माह का वेतन (माह सितम्बर, 1978 से नवम्बर सन् 1979 तक) नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वर्गीय गणेश प्रसाद तिवारी, सहायक शिक्षक, जनपद उन्नाव के भविष्य निधि का अन्तिम भुगतान

83—श्री गया सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि स्वर्गीय गणेश प्रसाद तिवारी सहायक शिक्षक, मुंशीगंज, विकास खंड, हसनगंज, जनपद उन्नाव की मृत्यु दिन

29-6-75 को हो जाने के पश्चात् उनकी विधवा से भविष्य निधि का भुगतान किय जाने का प्रार्थना-पत्र मिला और उस प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । स्वर्गीय गणेश प्रसाद तिवारी, सहायक शिक्षक, मुशीगंज विकास खंड, हसनगंज, जनपद उन्नाव की मृत्यु के पश्चात् उनकी विधवा श्रीमती राम जानकी देवी का भविष्य निधि के भुगतान हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 11 जुलाई, 1980 प्राप्त हुआ था । विधवा को रु0 1,325.60 पैसे का अन्तिम भुगतान कर दिया गया है ।

श्री रमाशंकर सिंह, इन्चार्ज पुलिस चौकी जनपद मिर्जापुर को पुलिस मेडिल दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव

84—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री रमाशंकर सिंह, इंचार्ज पुलिस चौकी, नारायनपुर, जनपद मिर्जापुर को पुलिस मेडिल दिये जाने के सम्बन्ध में 29-1-1981 को एक पत्र मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्त्ता ने लिखा था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नकर्ता ने ऐसा पत्र मुख्य मंत्री जी को लिखा था जिस पर पुलिस मुख्यालय से परीक्षण करके प्रस्ताव अभी शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

लालवती सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मनऊर, जनपद निर्जापुर की दीवार गिरने से मृत तथा घायल छात्राओं के अभिभावकों को सहायता

85—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1981 में लालवती सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनऊर, विकास खंड, जमालपुर तहसील चुनार जनपद मिर्जापुर में विद्यालय के पेशाब घर की दीवार गिरने से कई लड़कियों की मृत्यु हुई एवं अनेकों बुरी तरह घायल हुईं ? यदि हां, तो घायल या मृत लड़कियों के परिवार को क्या कोई आर्थिक सहायता की गई ? यदि हां, तो कितनी-कितनी धनराशि ? अगर नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

जिलाधिकारी मिर्जापुर की ओर से मृत छात्राओं के अभिभावकों को एक हजार रु0 प्रति छात्रा के हिसाब से तथा घायल छात्राओं को एक सौ रुपया प्रति छात्रा के हिसाब से सहायता दी गयी ।

रेणुकूट में लघु पुलिस लाइन की व्यवस्था

86--श्री राम चरण सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के औद्योगिक विकास को देखते हुये रेणुकूट में एक लघु पुलिस लाइन की व्यवस्था करने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, जनपद मिर्जापुर में रेणुकूट में लघु पुलिस लाइन की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के लिए एक पुलिस अधीक्षक पद का सृजन

87--श्री राम चरण सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर के क्षेत्रफल को देखते हुए मिर्जापुर के लिए एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद का सृजन किया जायगा और पुलिस अधीक्षक के पद को उच्चीकरण करके उसको एस० एस० पी० का दर्जा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मिर्जापुर जनपद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस उपाधीक्षक का एक-एक पद सृजित किया जा चुका है ।

पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर के पद को ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के पद में उच्चीकृत किए जाने का कोई औचित्य अभी नहीं पाया गया है ।

मिर्जापुर में नये पुलिस कार्यालय का निर्माण

88--श्री राम चरण सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर में एक नये पुलिस कार्यालय का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मिर्जापुर में नये पुलिस कार्यालय के निर्माण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है, जिस पर वांछित संसाधन उपलब्ध होने पर कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

मिर्जापुर जनपद के विन्ध्याचल क्षेत्र में गैपुरा तथा जमालपुर नाम से दो थानों की स्वीकृति

89--श्री राम चरण सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायगे कि मिर्जापुर जनपद के विन्ध्याचल क्षेत्र में एक गैपुरा नाम से नया थाना बनाने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो थाना कब तक बन जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद मिर्जापुर में विन्ध्याचल क्षेत्र में गँपुरा तथा जमालपुर नाम से नवीन दो थानों को स्वीकृति दिनांक 11 अगस्त, 1980 को दे दी गई है ।

उक्त थानों के कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित हो जाने पर ये थाने विधिवत कार्य करने लगेंगे ।

रेणु सागर, अदलपुरा को रिपोर्टिंग चौकी बनाने का प्रस्ताव

90--श्री राम चरण सिंह--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेणु सागर अदलपुरा (क्रमशः थाना विपरी व थाना चुनार जिला मिर्जापुर) को रिपोर्टिंग चौकी बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

रेणु सागर, अदलपुरा (क्रमशः थाना विपरी व थाना चुनार जिला मिर्जापुर) को रिपोर्टिंग चौकी बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय स्कूलों में प्रशासक की नियुक्ति

91--श्री राम चरण सिंह--

विधान सभा की कार्य सूची 31 मार्च, 1981 के अतां0 प्रश्न संख्या 126, 127 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक दिये निदेशों के पालन नहीं हुये ? अगर नहीं हुये, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

स्थिति निम्नवत है :

(1) जय हिन्द विद्या मन्दिर इन्टर कालेज, अहरौरा, मिर्जापुर को प्रबन्ध समिति का गठन हो जाने के फलस्वरूप प्राधिकृत नियंत्रक को नियुक्ति समाप्त कर दी गई ।

(2) पी0 डी0 एन0 डी0 इन्टर कालेज, चुनार, मिर्जापुर में आर्थिक अनियमितताओं सम्बन्धी आपत्तियों का समाधान हो चुका है । चूंकि प्रशासन योजना के अनुसार प्रबन्ध समिति का वैज्ञानिक चुनाव एवं गठन नहीं हो पाया है इसलिये प्राधिकृत नियंत्रक कार्यरत है ।

(3) जनता जनार्दन इन्टर कालेज, मुड़कुडा मिर्जापुर में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति समाप्त कर दी गई है ।

(4) श्री मौनी स्वामी इन्टर कालेज, श्रीनिवास धाम मिर्जापुर में प्रबन्ध समिति का गठन विवादग्रस्त होने के कारण प्राधिकृत नियंत्रक कार्यरत है ।

(5) ए0 एस0 जे0 इन्टर कालेज, मिर्जापुर में अनियमितताओं का निराकरण हो गया है किन्तु प्रबन्ध समिति का गठन न होने के कारण प्राधिकृत नियंत्रक कार्यरत हैं ।

जनपद मिर्जापुर में पंचवहनी नदी पर पुल का निर्माण

92--श्री राम चरण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचवहनी नदी पर एक पुल ग्राम बनइमिलिया, तहसील चुनार, जनपद मिर्जापुर में बनवाने हेतु 17-3-1981 को मन्त्री जी को पत्र लिखा था उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । उक्त पत्र पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पूर्वी क्षेत्र, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वाराणसी से आख्या मांगी गई है, जो अपेक्षित है ।

93--श्री राम चरण सिंह--

[स्पष्टीकरण हेतु । या गया ।]

जालौन जनपद के कालपी नगर में बाई पास निर्माण हेतु शिक्षा संस्थाओं की ली गई भूमि तथा मुआवजे का भुगतान

94--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जनपद के कालपी नगर में सा0 नि0 विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड द्वारा बाई पास निर्माण में किन-किन शिक्षा संस्थाओं की भूमि ली गयी है तथा उन संस्थाओं को किस दर से कितना मुआवजा दिया जा रहा है ? यदि मुआवजा नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं ? तथा निश्चित रूप से कब तक मुआवजा दिया जायेगा ? क्या मुआवजे के सम्बन्ध में उक्त संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों द्वारा विभाग से मांग की गयी है ? यदि हां, तो उनकी मांग पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

95--श्री जमुना प्रसाद तथा श्री कुबेर भंडारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जनपद गोरखपुर, मुहल्ला पुरदिलपुर की निवासिनी कमला देवी के मकान पर जबरदस्ती कब्जा करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

96--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के मुहल्ला पुरदिलपुर में रहने वाली एक गरीब व असहाय महिला (कमला देवी) के मकान में कुछ

प्रभावशाली लोगों द्वारा जबरदस्ती कब्जा करने एवं पुलिस द्वारा अन्याय करने आदि के सन्दर्भ में महिलाओं का एक दल माननीय मुख्य मंत्री व मुख्य सचिव आदि से दिनांक 19, 20 व 21 फरवरी, 1981 को लखनऊ आकर मिल कर पत्र दिया है ? यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई पत्र प्रश्नकर्त्ता का भी प्राप्त हुआ है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस सम्बन्ध में कमला देवी की शिकायतें शासन को प्राप्त हुयी हैं । इसी सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के भी पत्र प्राप्त हुए हैं ।

97--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि उक्त महिला को 8-5-80 को डिप्टी मुन्सिफ शहर गोरखपुर के न्यायालय से यह निर्णय हुआ कि सम्बन्धित मकान में रहेगी जिसके विरुद्ध दिनांक 15-2-81 को स्थानीय पुलिस लन्दन टेलर कम्पनी के मालिक आदि के प्रभाव में आकर कब्जा कराने गई जिस पर काफी हंगामा हुआ है ? यदि हां, तो इस दशा में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मौके पर जाकर जांच करते समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस प्रकार का कोई निर्णय प्रार्थिनी द्वारा नहीं दिखाया गया। मकान का कब्जा दिलाने के उद्देश्य से दिनांक 15-2-81 को कोई पुलिस कर्मी विवाद स्थल पर नहीं गया था । अतः कारवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजीपुर करन्डा कम्पनी के जी0 ओ0 के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप

98--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या श्रम मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गाजीपुर करन्डा कम्पनी के जी0 ओ0 के विरुद्ध सरकारी धन के दुरुपयोग जबरदस्ती अपने कम्पनी के कुछ कर्मचारियों को गलत आरोप लगाकर निकालने आदि के विषय में प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र उनको, दिनांक 8 अक्तूबर, 1980 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब इन शिकायतों के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी-

जी हां । शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गयी । कोई आरोप सही नहीं पाया ।

जनपद गोरखपुर में कतिपय मार्गों का निर्माण

99--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के महाबीर परा-बखल, सेवई-जैतपुर और रुस्तमपुर मलौनी बांध-डांगी पार मार्ग का निर्माण

न कराने का कारण क्या है ? इन मार्गों के निर्माण के लिए माननीय मंत्री जी क्या कदम उठायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मार्ग स्वीकृत नहीं है ।

धन उपलब्ध होने पर स्वीकृति के पश्चात् ही कोई कार्य किया जा सकेगा ।

जनपद देवरिया के बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला रामपुर, श्रीपालपुर के सहायक अध्यापक की नियुक्ति व वेतन की व्यवस्था

100--श्री ध्रुप राय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बेसिक हरिजन प्राइमरी पाठशाला रामपुर, श्रीपालपुर, देवरिया के सहायक अध्यापक श्री राम प्रताप प्रसाद के नियुक्ति के अनुमोदन एवं वेतन की व्यवस्था हेतु प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 3 मार्च, 1981 शासन को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री शोभा नाथ शुक्ल, अध्यापक, क्षेत्र खजरी, जिला गोरखपुर के बकाये वेतन का भुगतान

101--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्र खजरी, जिला गोरखपुर के प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक श्री शोभानाथ शुक्ल का सन् 1974 व 1975 का सहायक अध्यापक के पद का वेतन व सन् 1980 का प्रधानाध्यापक पद का वेतन किन परिस्थितियों में भुगतान नहीं किया गया है ? कुल बकाया वेतन कब तक भुगतान कर दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्री शोभा नाथ शुक्ल, अध्यापक, क्षेत्र खजरी जिला गोरखपुर के शैक्षिक प्रमाण-पत्र संदिग्ध होने के कारण उप विद्यालय निरीक्षक गोरखपुर द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1975 को श्री शुक्ल से शैक्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया था जिसके प्रस्तुत न करने पर सहायक अध्यापक पद का वेतन 1974 व 1975 को रोका गया था । वर्ष 1976 में शैक्षिक प्रमाण पत्रों के सत्यापनोपरान्त अध्यापक का उक्त अवधि और पद का वेतन भुगतान कर दिया गया है ।

श्री शोभा नाथ शुक्ल का वर्ष 1980 के प्रधानाध्यापक पद के वेतन का भुगतान नहीं रोका गया था ।

महन्त लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद के हाई स्कूल के छात्रों की छात्रवृत्ति की जांच

102—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि महन्त लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा गत वर्ष 1979-80 में हाई स्कूल के छात्रों को छात्र-वृत्ति की धनराशि सरकार से आहरित करके वितरित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हाई स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण

103—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1980-81 में हाई स्कूल के छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण सम्बन्धित छात्रों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों द्वारा गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए हेलाकाप्टर प्रयोग किए जाने पर व्यय धनराशि

104—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक 20 मई, 1981 से 27 जून, 1981 तक मुख्य मंत्री तथा राज्य के अन्य मंत्रियों ने गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए कितने बार हेलीकाप्टर इस्तेमाल किए तथा सरकार की उस अवधि में उन हेलीकाप्टरों पर कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

20 मई, 1981 से 27 जून, 1981 तक की अवधि में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए प्रदेश के मुख्य मंत्री ने 6 बार, राज्य मंत्री, पर्वतीय विकास ने 2 बार तथा राज्य मंत्री गृह ने 2 बार हेलीकाप्टर का प्रयोग किया ।

प्रश्नगत अवधि में राज्य सरकार के हेलीकाप्टर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) द्वारा किराए पर लिया गया था ।

अतः राज्य सरकार का प्रश्नगत अवधि में हेलीकाप्टर पर धनराशि व्यय होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कार्य

105—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि निर्माण सामग्री के अभाव में जौनपुर जनपद के अन्तर्गत बन रहे सड़कों एवं पुल-पुलियों का सारा निर्माण कार्य इस समय

ठप पड़ा हुआ है ? क्या सरकार निर्माण सामग्री उपलब्ध कराकर जनपद में रुके निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी---

कार्यों की प्रगति सीमेन्ट एवं बिटुमेन जैसी निर्माण सामग्री जिनकी इस समय कमी है, की उपलब्धता पर निर्भर करती है। कार्यों का निर्माण उपलब्ध सामग्री के अनुसार कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके। परन्तु कार्य बिल्कुल रुका नहीं है।

इन्टर कालेज, कछवा, मिर्जापुर के शिक्षकों व कर्मचारियों की भविष्य निधि अल्प बचत योजना के अन्तर्गत काटा गया धन व उनके खातों में जमा करने की कार्यवाही

106---श्री प्रभू नारायण सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इन्टर कालेज, कछवा मीरजापुर के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का भविष्य निधि, अल्प बचत एवं अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत उनके वेतन से काटा गया धन आज तक उनके खातों में जमा नहीं किया गया ? क्या उक्त धनराशि को सरकार उनके खातों में जमा कराकर विद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को राहत पहुंचायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

भविष्य निर्वाह निधि की पूरी धनराशि कर्मचारियों के खातों में जमा है। केवल दो चेकें जिनकी कुल धनराशि 5249·00 है, प्रधानाचार्य का मृत्यु हो जाने के कारण खो गई हैं। बैंक द्वारा नान-पेमेन्ट सर्टीफिकेट प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है और नान-पेमेन्ट सर्टीफिकेट प्राप्त होते ही दूसरी चेक तत्काल काटकर धनराशि उनके खातों में जमा करा दी जायेगी।

अल्प बचत योजना विद्यालय में लागू नहीं है।

अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन से काटी गई धनराशि 44,176·00 रु0 के गबन का मामला प्रकाश में आया है तथा जांच में यह पाया गया कि भूतपूर्व प्रधानाचार्य स्व0 श्री ललिता पांडेय द्वारा गबन किया गया था।

विद्यालय में प्रबन्धाधिकरण द्वारा की जा रही अनेक आर्थिक अनियमितताओं के कारण मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी द्वारा वेतन वितरण अधिनियम, 1971 की धारा 6(3) के अन्तर्गत इस विद्यालय में प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की गई थी। अभिलेखों के अनुसार उक्त धनराशि में से 8726·80 पैसे का भुगतान मई, 1971 में ही श्री पान्डेय ने अपने निजी खातों से कर दिया था तथा ब्याज के रूप में 7214·19 रु0 का भी भुगतान उनके द्वारा किया गया था। शेष धनराशि के सम्बन्ध में शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित कराने के लिए प्राधिकृत नियंत्रक निदेशित कर दिया गया है।

जौनपुर जनपद के भीषण बाढ़ व अतिवृष्टि से भवनों को क्षतिपूर्ति सहायता

107—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करगे कि गत वर्ष 1980 में भीषण बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जौनपुर जनपद के कितने माध्यमिक विद्यालयों के भवन पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और उनमें से कितने विद्यालयों को क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर-मिर्जापुर मार्ग, कस्बा मड़ियाहूं के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत का कार्य

108—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर-मिर्जापुर मार्ग पर स्थित मड़ियाहूं कस्बे के अन्तर्गत सड़क स्थान-स्थान पर टूट कर जीर्ण-शीर्ण हो गई है और उसमें गड्ढे हो गए हैं ? क्या सरकार उक्त कस्बे से होकर जाने वाले इस राजमार्ग को ठीक कराकर जनता को आवागमन का साधन उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है ।

बापू डिग्री कालेज, पी० पी० गंज (गोरखपुर) के राजनीतिशास्त्र के प्रवक्ता को बिना पठन-पाठन के बजाय केवल वेतन देने पर कार्यवाही तथा राजनीतिशास्त्र में पुनः अध्यापन कार्य शुरू होने का मांग

109—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि बापू डिग्री कालेज, पी० पी० गंज (गोरखपुर) के राजनीति शास्त्र के एक प्रवक्ता (श्री वंशेन्द्र कुमार वर्मा) को केवल वेतन दिया जा रहा है एवं उनसे पठन-पाठन का कार्य नहीं लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

कुलाधिपति महोदय के आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशानुसार ।

1 10--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सरकार इस बात की जानकारी करेगी कि उक्त डिग्री कालेज में राजनीति शास्त्र का अध्ययन पुनः शुरू करने के लिए 25 मार्च, 1981 को कालेज छात्र संघ के उपाध्यक्ष एवं महामंत्री ने अनशन भी किया था जो कालेज प्रबन्धक के इस आश्वासन पर समाप्त हुआ कि वर्तमान सत्र से उक्त विषय की पढ़ाई होगी ? यदि हां, तो पढ़ाई प्रारम्भ न करने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

अनशन किया गया था किन्तु वास्तविक स्थिति ज्ञात होने पर छात्रों ने अपनी मांग पर बल नहीं दिया ।

इस वर्ष किसी छात्र ने इस विषय में प्रवेश नहीं लिया है ।

111--श्री विजय सिंह--

[4थ मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 201 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

112--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया ।]

जनपद कानपुर के राम रतन इन्टर कालेज, कंचौसी बाजार के शिक्षकों को अवशेष वेतन का भुगतान

113--श्री धनीराम वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राम रतन इन्टर कालेज, कंचौसी बाजार जनपद कानपुर के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का अगस्त सन् 1971 का वेतन अवशेष हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वेतन दिलाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अकबरपुर जिला फैजाबाद में राजकीय श्रम कल्याण केन्द्र खोलन पर विचार

114--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैंजाबाद जो एक औद्योगिक केन्द्र है, में राजकीय श्रम कल्याण केन्द्र खोलने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

अकबरपुर, जिला फैंजाबाद में राजकीय श्रम कल्याण केन्द्र खोले जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि छठी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत "श्रम कल्याण कार्य" नामक योजना में श्रम कल्याण केन्द्र खोलने हेतु धन का प्राविधान नहीं किया गया है ।

यू0 पी0 एस0 एस0 एम0 अकबरपुर, फैजाबाद के श्री आर0 बी0 सिंह सिक्योरिटी जमादार के विरुद्ध आरोप

115--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 मार्च, 1980 को यू0 पी0 एस0 एस0 एम0 अकबरपुर के श्री आर0 बी0 सिंह, सिक्योरिटी जमादार द्वारा चोरी का पंखा मिल के बाहर ले जाते पकड़ा गया था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

116--श्री राज कुमार राय--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गाजीपुर जिला अन्तर्गत लछूडीह--कोरन्टाडीह रोड का निर्माण तथा ग्राम लछूडीह के पास मंगई नदी पर पुल निर्माण की योजना

117--श्री राज कुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला अन्तर्गत लछूडीह--कोरन्टाडीह रोड जिसकी लम्बाई लगभग 17 किलोमीटर है, पक्की बनाने की योजना गत कई वर्षों से सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो सरकार इसका निर्माण कार्य कब से आरम्भ करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । 17 किलोमीटर लम्बे मार्ग के केवल प्रथम 4 किलोमीटर मार्ग को पक्का करने की स्वीकृति दी जा चुकी है । जिस पर कार्य प्रगति पर है । शेष भाग को पक्का कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

118--श्री राज कुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला अन्तर्गत लछूडीह--कोरन्टाडीह रोड पर ग्राम लछूडीह के पास मंगई नदी पर पुल निर्माण की भी योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से कार्य आरम्भ होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जौनपुर इलाहाबाद व वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर सई नदी के प्राचीन पुल का पुनः निर्माण

119--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर इलाहाबाद राज मार्ग पर सई नदी पर बरगुदर नामक स्थान पर बना हुआ अति प्राचीन पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और उस पर सवारियों का आवागमन पूर्णतया अवरुद्ध हो गया ? क्या सरकार इस स्थान पर शीघ्र नया पुल बनवाकर आवागमन की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? क्या यह भी सत्य है कि वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर जलालपुर नामक स्थान पर सई नदी का पुल भी इसी की भांति निर्मित एक प्राचीन पुल है ? क्या सरकार इसका भी पुनः निर्माण कराएगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस स्टेशन अमेठी, जिला सुल्तानपुर में दर्ज रिपोर्ट

120--श्री किरनपाल सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 14 जून, 1981 को पुलिस स्टेशन, अमेठी, जिला सुल्तानपुर में कितनी रिपोर्ट किन-किन धाराओं में दर्ज हुयीं ? क्या यह सही है कि उक्त मामलों में प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना अमेठी, जनपद सुल्तानपुर में दिनांक 14-6-81 को निम्नलिखित 10 हस्तक्षेपीय तथा एक अहस्तक्षेपीय अपराध पंजीकृत हुये थे :--

(1) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79 धारा 147/323 भा0 दं0 वि0 ।

(2) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-ए धारा 147/323/506 भा0दं0वि0 ।

(3) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-बी धारा 143/506 भा0 दं0 वि0 ।

(4) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-सी धारा 395 भा0 दं0 वि0 ।

(5) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-डी धारा 147/323 भा0 दं0 वि0 ।

(6) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-ई धारा 342/323/506 भा0दं0वि0 ।

(7) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-एफ धारा 147/342 भा0 दं0 वि0 ।

(8) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-जी धारा 395 भा0 दं0 वि0 ।

(9) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-एच धारा 364/506 भा0 दं0 वि0 ।

(10) हस्तक्षेपीय अपराध संख्या 79-आई धारा 395 भा0 दं0 वि0 ।

(11) अहस्तक्षेपीय अपराध संख्या 243 धारा 323/506 भा0 दं0 वि0 ।

उपर्युक्त 10 हस्तक्षेपीय सभी अपराधों की विवेचना की गई और विवेचनोपरान्त सभी मामलों में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई । अहस्तक्षेपीय अपराध की विवेचना नहीं की गई ।

आगरा जनपद में मोरी अकोला सड़क को अकोला ग्राम तक पूरी करने पर कार्यवाही

121--श्री बदन सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को जानकारी है कि आगरा जनपद में मोरी अकोला सड़क मोरी ग्राम से 4 कि0 मी0 बन गयी है और बीच में 2 कि0 मी0 छोड़कर आगे फिर 4 कि0 मी0 बना दी गयी ? यदि हां, तो बीच में दो कि0 मी0 सड़क भी बनाकर सड़क अकोला ग्राम तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

बीच के 2 कि0 मी0 में से 1·50 कि0 मी0 में भूमि उपलब्ध होने, संरेखण में विवाद तथा न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होने के उपरान्त ही मार्ग का निर्माण पूरा कराया जाना सम्भव हो सकेगा । शेष 0·50 कि0 मी0 पर मिट्टी का कार्य किया जा चुका है ।

हरदोई जनपद के विकास खंड माधोगंज एवं मल्लावां में स्थापित नई औद्योगिक इकाइयों को ऋण वितरण

122--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला उद्योग केन्द्र के तत्वावधान में हरदोई जनपद के विकास खंड माधोगंज एवं मल्लावां के अन्तर्गत अब तक कितने औद्योगिक इकाइयां खोली गयीं ? किन-किन औद्योगिक इकाइयों को कितना-कितना ऋण कब-कब दिया गया ? इनमें से कितनी चालू हैं । जो चालू नहीं हैं, उनके क्या कारण हैं ?

श्री नियाज हसन खां--

जिला उद्योग केन्द्र के तत्वावधान में हरदोई जनपद के विकास खंड माधोगंज एवं मल्लावां के अन्तर्गत अब तक 89 औद्योगिक इकाइयां स्थापित हुई हैं । विभिन्न स्रोतों से 37 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिनका विवरण संलग्न है । इसके अतिरिक्त 64 ग्रामीण दस्तकारों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, इनका विवरण भी संलग्न है । स्थापित हुई सभी इकाइयां चालू हैं ।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 184 पर ।)

जनपद हरदोई के अन्तर्गत सदरपुर–लालपुर सम्पर्क मार्ग पर खड़ंजा बिछाने के कार्य का दायित्व

123––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खंड, माधोगंज के अन्तर्गत सदरपुर–लालपुर सम्पर्क मार्ग पर टेस्ट वर्क के अन्तर्गत खड़ंजा बिछाने का कार्य 3 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा किया गया ? यदि हां, तो उसकी मरम्मत एवं देख–रेख का दायित्व किस पर है ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां ।

उसकी मरम्मत एवं देखभाल का दायित्व सार्वजनिक निर्माण विभाग का है ।

जनपद हरदोई के मल्लावां एवं माधोगंज विकास खंड में जिला उद्योग केन्द्र द्वारा सम्पन्न किये गये कार्य

124––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के मल्लावां एवं माधो–गंज विकास खंडों के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र के तत्वावधान में अब तक कौन–कौन कार्य सम्पन्न कराये गये ?

श्री नियाज हसन खां––

जनपद हरदोई के मल्लावां एवं माधोगंज विकास खंडों के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र के तत्वावधान में लघु एवं टाइनी उद्योग क्षेत्र में अब तक 57 इकाइयों की स्थापना हुई है । ग्रामोद्योग योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर 32 इकाइयों की स्थापना कराई गई है । इसके अतिरिक्त 64 ग्रामीण बस्तकारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है ।

मल्लावां में 75 करघों वाला एक हथकरघा बुनाई केन्द्र स्थापित कराया गया है । इसी प्रकार बुनकरों को सूत वितरित करने तथा उनके द्वारा बुनी जनता धोती क्रय करने हेतु एक डिपो भी मल्लावां में खोला गया है जिसके द्वारा लगभग 1500 बुनकर लाभान्वित हुए हैं । मल्लावां में एक कालीन बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसमें 50 युवकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

जनपद हरदोई के संडीला–गौसगंज–मेंहदीघाट मार्ग पर सई नदी के प्रस्तावित पुल का निर्माण

125––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के संडीला–गौसगंज–मेंहदीघाट मार्ग पर सई नदी के प्रस्तावित पुल को बनाने में ब्रिज

कारपोरेशन द्वारा गत कई वर्षों से बरती जा रही उदासीनता को देखते हुए उसका निर्माण विभाग द्वारा कराने पर विचार करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

जिला बस्ती के ग्राम दोफड़ा में हरिजन युवकों की बर्बरतापूर्ण हत्या एवं कृत कार्यवाही

126--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि जिला बस्ती के थाना कतवारी अन्तर्गत व ग्राम दोफड़ा में 27, 28 जून, 1981 की दरमियानी रात अथवा उसके आस-पास बन्धुआ मजदूरी से इंकार करने पर दो हरिजन युवकों की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो घटना के विवरण क्या हैं और उस घटना के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के हरिजनों में व्याप्त आतंक को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी विरतन्ती पुत्र धनई हरिजन द्वारा लिखाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वह स्वयं तथा उसका भतीजा परदेशी इन्द्रजीत कुर्मी के यहां मजदूरी करते थे जिसे वे छोड़ दिए हैं इसी से वे रंजिश रखते थे । दिनांक 26/27 जून, 1981 की रात वादी दरवाजे पर वादी की पत्नी ओसारा में तथा वादी का लड़का रामदास व भतीजा परदेशी एक ही चारपाई पर वादी के बगल में सोए थे । आधी रात को आहट पाकर वादी की नींद टूट गई । टार्च की रोशनी में वादी ने देखा कि ओंकार पुत्र इन्द्रजीत कुर्मी फरसा व इन्द्रजीत बल्लम से वादी के लड़के व भतीजे को मारने लगे । शोर पर कई लोग टार्च जलाते हुए दौड़े आए । मारपीट कर मुल्जिमान दक्षिण तरफ भाग गए । इन लोगों की मार से परदेशी मर गया तथा रामदास का बांया हाथ कट गया जिसका इलाज सदर अल्पताल बस्ती में हुआ । इन्द्रजीत ने दिनांक 4-7-81 को व ओंकार ने दिनांक 12-7-81 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया । दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 302/307 भा0 द0 वि0 न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन न्यायालय है । शासन द्वारा मृतक के आश्रितों को 5000 रु0 एवं रामदास पुत्र विरतन्ती जिसका बायां हाथ कट गया है 1000 रु0 की सहायता दी गई है । इस घटना के परिणामस्वरूप क्षेत्र के हरिजनों में कोई आतंक व्याप्त नहीं है ।

विकलांग बेरोजगार हेतु आरक्षण योजना

127--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि विकलांग बेरोजगार के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो 30 जून, 1981 को विकलांग बेरोजगारों की संख्या क्या थी और उस संख्या के मुकाबले किस-किस प्रकार के और कितने आरक्षित स्थान थे तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितने अतिरिक्त आरक्षित स्थान बढ़ाए जायेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

प्रदेश सरकार द्वारा विकलांग बेरोजगारों के लिए 2 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित है, जिसमें वृद्धि किए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

जीव विज्ञान के अध्यक्ष डा0 उमाशकर श्रीवास्तव के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

128--श्री राजकुमार राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जंव-विज्ञान के रीडर डा0 बी0 एन0 कपूर का 27 जुलाई, 1981 का पत्र जिसमें उन्होंने उसी विभाग के अध्यक्ष डा0 उमाशंकर श्रीवास्तव द्वारा की गयी अवैधानिक एवं अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया था ? यदि हां, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है तथा शासन उसमें क्या कर रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

डा0 कपूर ने कुलाधिपति को सम्बोधित अपने उक्त पत्र द्वारा जीव-विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डा0 श्रीवास्तव के विरुद्ध एम0 एस-सी0 फाइनल (जीव-विज्ञान) की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वर्ष 1980 की परीक्षा में माडरेशन बोर्ड के गठन तथा प्रश्न-पत्र के मडरेशन एवं प्रयोगात्मक परीक्षा में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाते हुए इसकी जांच किए जाने का अनुरोध कुलाधिपति से किया है । अतएव, डा0 कपूर का शासन को प्राप्त पत्र भी आवश्यक कार्यवाही हेतु कुलाधिपति महोदय को ही भेंज दिया गया है ।

129--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'--

[पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया ।]

जनपद बाराबंकी, थाना रामनगर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच तथा स्थानान्तरण

130--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी अन्तर्गत थाना रामनगर के थानाध्यक्ष के विरुद्ध कतिपय व्यक्तियों द्वारा दिनांक 8-1-81 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश 13-1-81 को पुलिस अधीक्षक, बाराबंका जिलाधिकारी, बाराबंकी, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश तथा 10-3-81 को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, गृह राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश को कुछ शिकायती प्रार्थना-पत्र दिए गए थे ? जिनमें थानाध्यक्ष पर घूसखोरी, नाजायज ढंग से जेवर हड़पने, हवस-बेजा में उत्पीड़न तथा अपराधों को छिपाने जैसे गम्भीर आरोप लगाए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष रामनगर, बाराबंकी के विरुद्ध कतिपय व्यक्तियों के दिनांक 8-1-81 व 13-1-81 के शिकायती-पत्र पुलिस अधीक्षक, बाराबंका को नहीं प्राप्त हुए । दिनांक 16-3-81 का एक शिकायती-पत्र भूतपूर्व

विधायक श्री अशर्फी लाल यादव का शासन को मिला जिसमें 8-1-81 व 13-1-81 के प्रार्थना-पत्रों का भी उल्लेख है, जिसके आधार पर सभी आरोपों की जाँच कराई गई । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

131--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत थानाध्यक्ष, थाना रामनगर का मण्डल में निर्धारित अवधि पूरी हो जाने के कारण माह जून, 81 में स्थानान्तरण किया गया और फिर स्थगित कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? और क्या उपरोक्त थानाध्यक्ष के कार्यकाल में थाना क्षेत्र में चोरी, डकैती तथा हत्या की जितनी घटनाएं घटी है ? उसके पूर्व के थानाध्यक्ष के उतनी ही अवधि में उक्त अपराधों के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

थानाध्यक्ष रामनगर, जिला बाराबंकी श्री चन्द्र बदन मल्ल का फैजाबाद मण्डल में 12 वर्ष की निर्धारित अवधि पूरी कर लिये जाने के कारण जून, 1981 में स्थानान्तरण किया गया था । यह स्थानान्तरण स्थगित नहीं किया गया ।

उक्त उप निरीक्षक के कार्यकाल 26-7-80 से 19-8-81 की अवधि में डकैती-7, हत्या-18 व चोरी के 133 मामले पंजीकृत हुये, उनके पूर्व के थाना-ध्यक्ष के कार्यकाल का सम अवधि में डकैती-5, हत्या-12 तथा चोरी के 82 मामले पंजीकृत हुये थे ।

श्रीमती राजमती को दाई की नौकरी दिलाने के बहाने रायल होटल, लखनऊ के एक सलाहकार द्वारा बेगार लेने की जांच

132--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि क्या यह सही है कि श्रीमती राजमती विधवा तेज प्रसाद, मो0 बिनोवानयर नैनी, जिला इलाहाबाद जिसने पिछले वर्ष चाक ब्लाक में दाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया, को दाई की नौकरी दिलाने के बहाने रायल होटल, लखनऊ में रह रहे शासन के एक तथा कथित सलाहकार ने पिछले माह में 500 रु0 लिए और महीनों रायल होटल में बेगार ली ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है और 6 जुलाई, 81 अथवा आस-पास घटना के प्रकाश में आने पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में कथित घटना के सम्बन्ध में थाने पर कोई रिपोर्ट अंकित नहीं कराई गई है और न ही ऐसी कोई घटना जांच प्रकाश में आई ।

पुलिस थाना जहांगीर गंज, फैजाबाद के विरुद्ध शिकायतों की जांच व कृत कार्यवाही

133--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1981 व अप्रैल, 1981 की अवधि में पुलिस थाना जहांगीरगंज, जिला फैजाबाद के विरुद्ध आख्या व अपराधों

को घटाकर दर्ज करने की बहुत सी लिखित शिकायतें जिला स्तर से लेकर शासन स्तर पर प्राप्त हुई ? यदि हां, तो क्या क्षेत्राधिकारी, जलालपुर की जांच में वे सही पाई गयीं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी शिकायतें सही पाई गयीं और क्षेत्र अधिकारी, जलालपुर की रपट पर पुलिस अधिकारी, फैजाबाद ने क्या कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रश्नगत अवधि में शिकायतें प्राप्त हुई थीं । उक्त शिकायती-पत्रों की जांच क्षेत्राधिकारी, जलालपुर द्वारा की गई । जांच के परिणामस्वरूप मुकदमा अपराध संख्या 4/81 धारा 147/148/149/452/323/307/380 भा0 द0 वि0 में पंजीकृत मामले में थाना जहांगीरगंज की पुलिस द्वारा अपराध को सही धाराओं में पंजीकृत न करने की शिकायत सही पाई गई । सर्किल आफिसर के आदेश से मुकदमा धारा 395/397 में परिवर्तित किया गया जिसमें आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार थानाध्यक्ष श्री आर0 डी0 पान्डे तथा सब इन्सपेक्टर श्री बंग बहादुर सिंह को एक-एक दुश्चरित्रता लेख व हेड मोहर्रिर श्री मुख्तार सिंह को सख्त चेतावनी दी गई । इसके अतिरिक्त इन तीनों पुलिस कर्मियों को थाना जहांगीरगंज से स्थानान्तरित कर दिया है ।

महिला अध्यापिकाओं को सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पदों पर प्रोन्नत किये जाने का विचार

134--श्री किरनपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिस प्रकार जूनियर हाई स्कूल के पुरुष अध्यापकों को सब डिप्टी इन्स्पेक्टर आफ स्कूल के पद पर प्रोन्नति होने के लिए दस प्रतिशत विभागीय कोटा निर्धारित है उसी प्रकार यह सुविधा महिला अध्यापकों को जूनियर हाई स्कूल की सहायक निरीक्षका बालिका विद्यालय के पद पर प्रोन्नति होने के लिए है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पदों को प्रोन्नति से नहीं वरन् सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है और सीधी भर्ती के 10 प्रतिशत पदों पर जूनियर हाई स्कूलों के हेड मास्टरों की नियुक्ति करने हेतु आरक्षण निर्धारित है । महिला अध्यापिकाओं को सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका के पदों पर इसी प्रकार की सुविधा दिये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

जिला गाजियाबाद में स्व0 हरस्वरूप सिंह की विधवा को पारिवारिक पेन्शन का भुगतान

135--श्री किरन पाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 हरस्वरूप सिंह, रिटायर्ड हेडमास्टर, प्राइमरी पाठशाला, अयाद नगर, जिला गाजियाबाद की विधवा को पारिवारिक पेन्शन 7-12-68 से आज तक नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब से पेन्शन मिलने लगेगी ? क्या पेंशन का एरियर भी दिलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

श्री हरस्वरूप सिंह, सेवा निवृत्त प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, अयादनगर, जिला गाजियाबाद के दिनांक 7-12-68 के निधन के बाद उनकी विधवा को पारिवारिक पेन्शन, उप विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद को मेरठ जनपद से सम्बन्धित पत्राजात विलम्ब से प्राप्त होने के कारण नहीं दी जा सकी । दिनांक 30-7-81 को विधवा को पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत कर दी गई है, जिसका एरियर सहित भुगतान होगा ।

विश्वविद्यालय का निर्माण तथा शिक्षण -कार्य

136-श्री किरन पाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुरादाबाद के आस-पास दो विश्वविद्यालय बनाए जा रहे हैं ? यदि हां, तो उसके नाम क्या हैं, उनका अलग-अलग बजट कितना है तथा उसकी पूर्ति किन-किन माध्यमों से हो रही है ? इसमें कौन-कौन से विषय पढ़ाए जायेंगे ? इन विश्वविद्यालयों की आवश्यकता कब महसूस की गई तथा इसमें शिक्षा का कार्य कब से शुरू हो जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठते ।

महात्मा गांधी इण्टर कालेज मोहान, जिला उन्नाव में हरिजन एवं कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत छात्रवृति का वितरण

137-श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि महात्मा गांधी इन्टर कालेज, मोहान, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में वर्ष 1979-80 तथा वर्ष 1980-81 में विभिन्न कक्षाओं के कितने विद्यार्थियों को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति स्वीकृति हुई और प्रत्येक वर्ष में कितना धन वितरित किया गया और यदि कुछ धन विद्यार्थियों में वितरित नहीं किया गया तो उसके क्या कारण हैं ? उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

वर्ष 1979-80 में 139 छात्रों को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी । छात्रवृत्ति के रूप में रु0 64,396·75 छात्रों में वितरित किया गया । शेष धनराशि रु0 2,628·00 का वितरण नहीं हुआ है ।

वर्ष 1980-81 में 133 छात्रों को हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई थी । छात्रवृत्ति के रूप में रु0 53,621·00 छात्रों में वितरित किया गया । शेष धनराशि रु0 1,266·00 का वितरण नहीं हुआ है ।

उक्त धनराशियां इस कारण शेष रही कि कुछ छात्रों द्वारा बैंक में खाता नहीं खोला गया तथा कुछ छात्रों द्वारा पास बुक कालेज में नहीं जमा की गई । इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित छात्रों की है ।

गोरखपुर जनपद के कतिपय मार्गों को जोड़ने की योजना

138–श्रीमती गौरी देवी––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दो सड़कों के बीच के छूटे हुए भाग (अर्थात दोनों मार्गों को) जोड़ने के लिए कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है और क्या गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम से गजपुर, महावीर छपरा से कुस्मौल, रुस्तमपुर से मलौनी बांध, महावीर छपरा–ककराखोर से बरबल होते हुए कन्दराई रवीन्द्र सिंह मार्ग को भी इस योजना के अन्तर्गत जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी हां ।

मार्गों के बीच में छूटे हुए भाग को पूदा किया जाना है । गोरखपुर जनपद के उक्त मार्ग उपरोक्त योजना में स्वीकृत नहीं किए गए हैं । अतः मार्गों को जोड़ने का प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण ।

बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी द्वारा प्रधानाध्यापकों को वेतन सम्बन्धी आदेश

139––श्री कुबेर भण्डारी––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद्, बाराबंकी ने माह अक्तूबर, 1979 का वेतन प्रधानाध्यापकों को इस निर्देश के साथ दिया था कि वे वेतन वितरित कर एक सप्ताह के अन्दर वेतनावली कार्यालय में जमा कर दें ? यदि हां, तो उक्त आदेश किस अधिकारी के हस्ताक्षर एवं किस पत्रांक से निर्गत किए गए ? तथा क्या कुछ प्रधानाध्यापकों ने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

जी नहीं ।

बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी द्वारा प्रधानाध्यापकों को इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए गए थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी का बकाया वेतन का भुगतान

140–श्री कुबेर भण्डारी––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी ने माह नवम्बर 1980 में शिक्षा कार्य किया ? यदि हां, तो उनके द्वारा कार्य दिवसों का वेतन किस अधिकारी/कर्मचारी की लापरवाही के कारण आज तक आहरित नहीं हो सका ? क्या लापरवाही कर्मचारी को दंडित कर वेतन आहरित किया जाएगा ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

जी हां ।

श्रीमती कमला देवी, सहायक अध्यापिका, जूनियर बेसिक विद्यालय, सफेदाबाद, जनपद बाराबंकी ने माह नवम्बर, 1980 में 27 व 28 नवम्बर को छोड़कर कार्य किया । इस अध्यापिका का नवम्बर, 1980 का वेतन इसलिये आहरित नहीं किया गया कि माह अक्तूबर, 1980 में उसने चिकित्सा अवकाश का जो आवेदन–पत्र भेजा था उससे संलग्न चिकित्सा प्रमाण पत्र संदिग्ध था और उससे दूसरा चिकित्सा प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करा कर प्रस्तुत करने को कहा गया था जो उसने उपलब्ध नहीं कराया । वर्णित स्थिति में संबंधित सहायक अध्यापिका की ही लापरवाही से वेतन आहरण में अवरोध उत्पन्न हुआ । चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति के संबंध में नियमानुसार औपचारिकतायें पूरी होने के पश्चात् बकाये वेतन का भुगतान किया जाना संभव हो सकेगा ।

जन गणना कार्य में रत अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण आदेश का स्थगन

141–श्री कुबेर भन्डारी––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1980 में शानन में मध्य सत्र एवं जनगणना में लगे हुए अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण न करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेशों की अवहेलना कर बो० एस० ए० बाराबंकी ने जू० बे० विद्यालय, सफेदाबाद, बाराबंकी से कुछ अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण माह नवम्बर, 1980 में कर दिए ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

जी हां ।

जनगणना कार्य में सक्रिय रूप से लगे अध्यापकों/अध्यापिकाओं का स्थानान्तरण यथा संभव अप्रैल, 1981 तक स्थगित रखने के निर्देश दिए गए थे ।

जनगणना कार्य में लगे किसी भी अध्यापक/अध्यापिका का स्थानान्तरण मध्य सत्र में नहीं किया गया । प्राइमरी पाठशाला, सफेदाबाद की एक अध्यापिका का स्थानान्तरण जो कि जनगणना का कार्य नहीं कर रही थी, प्रशासनिक आधार पर किया गया ।

जनपद बस्ती, ग्राम मधवापुर निवासी श्री उदयराज की फर्जी गिरफतारी करने पर एस0 आई0 के विरुद्ध कार्यवाही

142--श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के थाना त्रिलोकपुर के अन्तर्गत ग्राम मधवापुर निवासी उदयराज को 5-6 माह पूर्व 25 आर्म्स ऐक्ट के तहत जेल भेजा गया था ? क्या यह भी सही है कि जांच के उपरान्त यह भी पाया गया कि इसे फर्जी गिरफ्तार किया गया और इसके मुकदमें में थाना अध्यक्ष, सोनहा, जनपद बस्ती ने उसकी तफसीश की और मामला गलत पाकर फाइनल रिपोर्ट लगा दिया ? यदि हां, तो उदय राज को अपमानित कर जेल भेजने के जुर्म में सम्बन्धित एस0 आई0 के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह भी सही है कि अब तक उन्हें निलम्बित करके लाईन हाजिर नहीं किया गया? यदि हां, तो उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री उदयराज को दिनांक 29 अप्रैल, 1981 को मुकदमा आ0 सं0 60/81 धारा 25 आर्म्स ऐक्ट में थाना त्रिलोकपुर में गिरफ्तार किया गया था। उक्त अपराध की विवेचना में थानाध्यक्ष, सोनहा द्वारा बगैर पूरी जांच किये पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के आधार पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की थी जिसे क्षेत्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण पाये जाने के कारण सही ढंग से विवेचना करने के आदेश दिये हैं । विवेचना अभी की जा रही है । चूंकि मामला विचाराधीन है अत: सम्बन्धित सब इन्सपेक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने का अभी प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जनपद के ग्राम शरीफाबाद में रेठ नदी पर पुल निर्माण

143--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को यह पता है कि माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार ने बाराबंकी जनपद के ब्लाक हरख के अन्तर्गत ग्राम शरीफाबाद में रेठ नदी पर पुल निर्माण का निश्चय किया था ? यदि हां, तो पिछड़े हुए क्षेत्र के इस जन उपयोगी पुल का निर्माण कब से शुरू होगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत रेठ नदी पर सतरिख के पास पुल सेतु निगम द्वारा वित्तीय संस्थाओं की सहायता से बनाये जाने हेतु निर्णय लिया गया था । चूंकि यह सहायता प्राप्त नहीं हो सकी अत: इस पुल का निर्माण सम्भव नहीं हो सका ।

राजा रघुवर दयाल इन्टर कालेज, सीतापुर से रिटायर्ड सहायक अध्यापकों का नवीन दर पर वेतन न मिलने का कारण

144--श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974 में राजा रघुवर दयाल इन्टर कालेज, सीतापुर से रिटायर्ड हुए सहायक अध्यापकों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक नवीन दर की पेंशन मिलना नहीं आरम्भ हुआ है ? न मिलने का कारण क्या है और कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के राजकीय शिक्षकों की मांगों पर विचार तथा कार्यान्वयन

145--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों एवं शिक्षा निदेशक सहित शासकीय प्रतिनिधियों की जो बैठक राजकीय शिक्षकों की माँगों पर विचार करने के लिए लखनऊ में दिनांक 2 जुलाई, 1981 तथा 5 सितम्बर, 1981 (बैठक शासन द्वारा आयोजित की गई थी) को हुई उसके विचारणीय बिन्दु क्या-क्या थे तथा क्या फैसला किया गया तथा फैसले के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उरई नगर में जिला बार एसोसिएशन का भवन निर्माण हेतु पट्टा की जमीन पर निर्णय

146--श्री शंकर सिंह--

क्या न्याय मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उरई नगर जिला बार एसोसिएशन का भवन निर्माण हेतु भूमि पट्टा करने से सम्बन्धित कोई प्रार्थना-पत्र सरकार के विचाराधीन है, जिस पर उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा नो-आब्जेक्शन प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब होगा ?

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)--

जनपद जालौन अधिवक्ता संघ उरई को उनके भवन के निर्माण हेतु दीवानी न्यायालय की भूमि पट्टे पर दिये जाने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय से प्राप्त हुआ था जो सरकार के विचाराधीन है । इस सम्बन्ध में शासन द्वारा उच्च न्यायालय से कतिपय बिन्दुओं की सूचना एवं कागजात मांगे गये हैं, प्राप्त होने पर मामले पर विचार करके निर्णय लिया जायेगा ।

श्री बी० एन० सिंह, अध्यक्ष, पादप रोग विज्ञान विभाग, नारायण कालेज, शिकोहाबाद को प्रवर वेतनमान दिये जाने की मांग

147--श्री मान पाल सिंह एडवोकेट--

क्या शिक्षा मन्त्री (उच्च शिक्षा) को यह जानकारी है कि नारायण महा-विद्यालय, शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में अध्यक्ष, पादप रोग विज्ञान विभाग (श्री बी० एन० सिंह) को प्रवर वेतनमान 400-800 शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद (उच्च शिक्षा) द्वारा नहीं दिया गया ? क्या यह सही है कि इनसे कनिष्ठ अध्यापकों को, जिनकी नियुक्ति इनके बाद महाविद्यालय में हुई, प्रवर वेतनमान रु० 400-800 का दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और कब तक श्री बी० एन० सिंह को प्रवर वेतनमान रु० 400-800 का दे दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्री बी० एन० सिंह,, अध्यक्ष पादप रोग विज्ञान विभाग, नारायण कालेज, शिकोहाबाद के रु० 400-800 के प्रवर वेतनमान के पात्र न होने के कारण उन्हें यह वेतनमान शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है ।

इसी महाविद्यालय में श्री बी० एन० सिंह से कनिष्ठ किसी अध्यापक को भी रु० 400-800 का प्रवर वेतनमान नहीं दिया गया है । अतएव, श्री बी० एन० सिंह को प्रवर वेतनमान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में बुनकरों की दशा सुधारने हेतु स्वीकृत सहायता तथा अनुदानों के सदुपयोग हेतु सुझाव व मेरठ में हथकरघा सहकारी समिति-हथकरघा विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा अनियमितताओं की जांच

148-149--श्री मानपाल सिंह एडवोकेट--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 4 अप्रैल, 1981 एवं 7 अप्रैल, 1981 को उत्तर प्रदेश के बुनकरों की दशा सुधारने हेतु तथा वर्ष 1980-81 में शासन द्वारा स्वीकृत सहायता तथा अनुदानों के सदुपयोग हेतु कुछ सुझाव दिए थे ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ की हथकरघा सहकारी समिति एवं हथकरघा विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं बोगस हथकरघा समितियों के सम्बन्ध में माननीय श्री चन्द्र सिंह विधायक, जनपद मेरठ द्वारा लिखित पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1981 को दिया गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

माननीय विधायकों को उनके पत्रों के सम्बन्ध में शासन द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है ।

श्रीमती मीना गर्ग, सहायक अध्यापिका, जू० हाई स्कूल, जिला मुजफ्फरनगर के सेवा सम्बन्धी मामले में कृत कार्यवाही

150--श्री किरनपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मीना गर्ग, सहायक अध्यापिका, कन्या जूनियर हाई स्कूल, ग्राम ऊन, जिला मुजफ्फरनगर की सेवाएं समाप्त करने सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांक 6-4-81 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, श्रीमती मीना गर्ग, सहायक अध्यापिका, जू० हाई स्कूल, ग्राम ऊन, जिला मुजफ्फरनगर के सेवा सम्बन्धी मामले में शिक्षा मंत्री जी को सम्बोधित माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 6-4-81 प्राप्त हुआ था और उसके उत्तर में

माननीय सदस्य को सूचित किया गया कि श्रीमती मीना गर्ग ने अपने सेवा सम्बन्धी मामले में उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ के समक्ष निर्देश याचिका दायर कर दी है जो अधिकरण के विचाराधीन है। माननीय सदस्य को यह भी सूचित किया गया कि शासन अधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है और उसी के अनुसार आगे कार्यवाही की जायेगी।

फैजाबाद और लखनऊ परिक्षेत्र में अपने होम रेन्ज (गृह परिक्षेत्र) में कार्यरत सब इन्सपेक्टर

151—श्री श्यामलाल बाजपेयी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय फैजाबाद और लखनऊ मन्डल में कितने ऐसे सब इन्सपेक्टर हैं जो अपने होम रेंज में ही कार्यरत हैं ? क्या शासन श्री बनारसी दास जी की सरकार द्वारा सब इन्सपेक्टरों के लिए होमरेंज का बन्धन समाप्त कर पुराने नियम होम डिस्ट्रिक्ट का बन्धन लागू करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्तमान में फैजाबाद तथा लखनऊ परिक्षेत्र में क्रमशः 63 व 52 सब-इन्सपेक्टर अपने होम रेन्ज (गृह परिक्षेत्र) में कार्यरत हैं।

जी नहीं।

थाना खालाबाजार, लखनऊ में हत्याओं के दर्ज मामले

152—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि थाना खालाबाजार, लखनऊ क्षेत्र के अन्तर्गत माह जून, 1980 में कितने हत्याओं के मामले प्रकाश में आए हैं और वह कौन-कौन व्यक्ति हैं ? क्या इस सम्बन्ध में दिनांक 27-6-80 व 30-6-80 को जिलाधिकारी को तथा दिनांक 6-8-80 को शासन को कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना बाजार खाला, लखनऊ में प्रश्नगत अवधि में हत्या का केवल एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। इस घटना में श्री करीम बख्श पुत्र मक्का, निवासी ग्राम अटंसुआ, थाना इटौजा, लखनऊ की हत्या की गई थी। इससे सम्बन्धित शिकायती पत्र दिनांक 27-6-80 जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ था। शासन द्वारा उपरोक्त मामले का चेक-अप अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराया गया। विवेचना के दौरान इस अभियोग से सम्बद्ध दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर स्थानीय पुलिस द्वारा इनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो शीघ्र ही न्यायालय को भेजा जायेगा। अपराध शाखा की जाँच के माध्यम ऐसा कोई साक्ष्य

उपलब्ध नहीं हुआ जिससे यह प्रमाणित हो सके कि उक्त हत्या षड़यंत्र रच कर की गई है ।

जनपद आजमगढ़ थाना महाराजगंज के थाना इन्चार्ज के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

153--श्री राज कुमार राय--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि माह अक्तूबर, 1981 में आजमगढ़ जनपद अन्तर्गत थाना महाराजगंज के थाना इंचार्ज के विरुद्ध गलत कार्य करने के बारे में मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री उत्तर प्रदेश के पास शिकायती-पत्र भेजे गये हैं जिसमें गलत कार्य किए जाने की सी० आई० डी० से जांच कराई जाय, की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माह अक्टूबर, 1981 में आजमगढ़ जनपद के थाना महाराजगंज के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र प्राप्त हुए थे । उक्त शिकायती पत्रों में बताये गये आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद कानपुर में विक्रमादित्य कटियार की रिपोर्ट पर जांच

154--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 29 जनवरी, 1981 को परगनाधिकारी, बिल्हौर, जनपद कानपुर व स्थानीय कुछ पुलिस जन तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं की सांठ-गांठ से नियोजित प्राणघातक हमले का असफल प्रयास विषयक जो पत्र प्रश्नकर्ता ने उन्हें दिया था और थाना बिल्हौर, जनपद कानपुर में 25 जनवरी, 1981 को श्री विक्रमादित्य कटियार की तत्सम्बन्धी जो रिपोर्ट दर्ज हुई थी, क्या उसकी जांच कराई गई ? यदि हां, तो किससे और जांच रिपोर्ट क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-1-81 प्राप्त हुआ था जिसकी जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी, कानपुर देहात द्वारा जून, 1981 में की गयी थी । जहां तक संदर्भित पत्र में दिनांक 25-1-81 को हुई कथित घटना के उल्लेख का सम्बन्ध है, उसके बारे में जांच के परिणाम स्वरूप यह स्थिति ज्ञात हुई है कि श्री विक्रमादित्य कटियार, मंत्री, लोक दल ने दिनांक 25-1-81 को थाना बिल्हौर में (1) श्री देवी प्रसाद, (2) श्री छोटे, (3) श्री रामा तथा (4) श्री टेक चन्द्र के विरुद्ध रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 504/506 पंजीकृत करायी तथा उसी तिथि को उसी घटना के बारे में प्रश्नकर्त्ता तथा श्री विक्रमादित्य कटियार के विरुद्ध श्री सोने लाल पुत्र मैकू कुरील ने थाना बिल्हौर में रिपोर्ट अन्तर्गत धारा 504/506 दर्ज करायी । सर्वश्री देवी प्रसाद, छोटे, रामा तथा टेक चन्द्र के विरुद्ध आरोप-पत्र जुडिशियल मजिस्ट्रेट, बिल्हौर के न्यायालय में दिनांक

25-8-81 को प्रस्तुत किया गया है और यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है । सर्वश्री मोती लाल देहलवी तथा विक्रमादित्य कटियार के विरुद्ध लिखवाई गयी रिपोर्ट में 28-8-81 को अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी है ।

गोरखपुर जनपद के वन विभाग द्वारा अवैध पेड़ों का कटान तथा लकड़ियों की तस्करी की जांच

155--श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही--

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा अगस्त, 1981 में गोरखपुर जनपद के वन विभाग के उत्तरी प्रखन्ड के मधवलिया रेंज में अवैध पेड़ों की कटान से रेंजर श्री एस0 पी0 यादव द्वारा 50 लाख रुपये की लकड़ियां बेचने एवं वन विभाग की लकड़ियों का नेपाल तस्करी द्वारा भेजने का शिकायती-पत्र मुख्य मन्त्री एवं वन मंत्री को भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां । इन पर जांच कराई जा रही है ।

श्री बनारसी लाल गुप्त, लेखाकार, जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महराजगंज, जिला गोरखपुर के बकाया वेतन का भुगतान

156--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बनारसी लाल गुप्त, लेखाकार, जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, महाराजगंज, जिला गोरखपुर ने 21 जून, 1979 से अब तक वेतन भुगतान न किए जाने के क्या कारण हैं तथा वेतन भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

इस मामले की जांच कराये जाने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये :—

(1) उक्त कालेज के लेखाकार पद पर श्री बनारसी गुप्त 4 नवम्बर, 1971 से 20 जून, 1976 तक कार्यरत रहे ।

(2) उन्होंने दिनांक 21 जून, 1976 को अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया।

(3) श्री बनारसी लाल गुप्त के त्याग-पत्र से रिक्त स्थान पर महाविद्यालय के प्रबन्धक के आदेशानुसार श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव की नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा पर की गयी ।

(4) महाविद्यालय के प्रबन्धक द्वारा श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव की सेवायें 2 सितम्बर, 1978 से समाप्त कर दी गई । श्री प्रवीन चन्द्र श्रीवास्तव ने अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध माननीय उच्च न्याय लय में एक याचिका दायर की है ।

(5) प्रबन्धक का यह कथन कि श्री बनारसी लाल गुप्त तीन वर्षों के अध्ययन अवकाश पर गए थे, (जो कि परिनियमों के अनुकूल भी नहीं हैं) जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों से सिद्ध नहीं होता, वरन् उन अभिलेखों से ऊपर विन्दु (1) और (2) में बताये गए तथ्य ही प्रकट होते हैं ।

वर्णित परिस्थितियों में श्री बनारसी लाल गुप्त तथाकथित लेखाकार को वेतन सदस्य खाते से राजकीय अनुदान के आधार पर जून, 1979 से वेतन नहीं दिया गया है ।

उद्योग विभाग द्वारा राज्य कताई मिल, अकबरपुर में घटी घटनाओं पर कार्यवाही

157--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल 'सांकेती'--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह सितम्बर, 1981 में प्रश्न-कर्त्ता का कोई पत्र विधान सभा 1981 के द्वितीय सत्र में उद्योग विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल अकबरपुर में घटी कुछ घटनाओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा पुछे गए प्रश्नों के उत्तर में विभाग द्वारा तथ्यों को छिपाने तथा गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां । प्रश्नकर्त्ता को उत्तर भेजा जा चुका है ।

जनपद बहराइच के विकास खंड मिहीपुरवा अन्तर्गत कठौतिया मार्ग पर पुल निर्माण की योजना

158--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बहराइच के मिहीपुरवा विकास खंड के अन्तर्गत मुंतिहा से महराज सिंह नगर वाया सेमरी बाजार मार्ग पर सेमरी बाजार के निकट स्थित नाले पर कठौतिया मार्ग के बिल्कुल सामने पुल बनाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक इसका निर्माण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बहराइच जनपद में महाविद्यालय स्थापित करने की योजना पर विचार

159--श्री जटाशंकर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एक दर्जन से भी अधिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से परिपूर्ण बहराइच जनपद स्थित नानपारा तहसील के अन्तर्गत महाविद्यालय (डिग्री) संस्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या होगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

बहराइच जनपद में एक डिग्री कालेज खोले जाने के प्रकरण पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । स्थान के औचित्य के परीक्षण के उपरान्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कालेज खोले जाने का निर्णय लिया जायगा ।

नजीबाबाद, बिजनौर में नियुक्त वर्तमान पब्लिक नोटरी श्री राम अवतार माहेश्वरी के विरुद्ध अविश्वासनीयता का आरोप

160—श्री कुबेर भंडारी—

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि नजीबाबाद बिजनौर में नियुक्त वर्तमान पब्लिक नोटरी (श्री राम अवतार माहेश्वरी) के विरुद्ध अविश्वासनीयता का आरोप सिद्ध होने पर उत्तर प्रदेश बार कौसिल, इलाहाबाद ने अपने नोटीफिकेशन नं0 1970 दिनांक 24-9-77 के अनुसार उनको एडवोकेसी से निलम्बित कर दिया था ? यदि हा, तो उक्त पब्लिक नोटरी अभी तक किन कारणों से कार्यरत हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद—

जी हां । उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल, इलाहाबाद ने अपने नोटीफिकेशन संख्या 1970, दिबांक 24-6-77 के द्वारा श्री राम अवतार माहेश्वरी को 5 वर्षों के लिए वकालत की प्रैक्टिस से निलम्बित किया था । श्री माहेश्वरी ने उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल के आदेश के विरुद्ध भारतीय बार काउन्सिल, नई दिल्ली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी थी, जिस पर इस काउन्सिल ने अपने आदेश दिनांक 3-1-78 के द्वारा उत्तर प्रदेश बार काउन्सिल के आदेश को दिनांक 30-9-78 तक के लिए स्थगित कर दिया था । स्थगन की अवधि समय-समय पर बढ़ायी जाती रहीं और अन्त में भारतीय बार काउन्सिल ने अपने आदेश दिनांक 7-7-81 के द्वारा श्री माहेश्वरी की अपील के निस्तारण तक उनके निलम्बन के आदेश को स्थगित कर दिया हैं । शासन के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय बार काउन्सिल द्वारा श्री माहेश्वरी की अपील पर अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है । इसी कारण वह नोटरी के पद पर कार्यरत हैं ।

नजीबाबाद, बिजनौर में पब्लिक नोटरी की नियुक्ति

161—श्री कुबेर भंडारी—

क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि नजीबाबाद, बिजनौर में शासनादेशानुसार दो पब्लिक नोटरी की नियुक्ति का प्राविधान है जिसके लिए 1979 में आवेदन-पत्र मांगे गए थे ? यदि हां, तो अभी तक उक्त पदों पर नियुक्ति न करने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश प्रसाद—

ऐसा नहीं है । वास्तविकता यह है कि तहसील नजीबाबाद, (बिजनौर) में कार्यरत नोटरी की वर्ष 1979 की नोटेरियल आय के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदन्ड के अनुसार वहां पर एक अतिरिक्त नोटरी की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्ष 1980 में जिला जज, बिजनौर से नियमानुसार आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त संस्तुति भेजने का अनुरोध किया गया था । जिला

जज द्वारा इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी कि इस बीच वहां पर कार्यरत नोटरी की वर्ष 1980 की नोटेरियल डायरी के आंकड़े प्राप्त होने पर यह देखा गया कि शासन द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार वहां के लिए अतिरिक्त नोटरी की नियुक्ति का औचित्य नहीं रह गया है ? इसी कारण वहां पर अतिरिक्त नोटरी की नियुक्ति का सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही को समाप्त करना पड़ा ।

ग्राम सभा भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा दी गई भूमि पर राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के भवन निर्माण की योजना

162--श्री कुबेर भंडारी--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल भोपा, मुजफ्फरनगर को वर्ष 1964 में ग्राम सभा भोपा, मुजफ्फरनगर द्वारा दी गयी भूमि भवन निर्माण के लिए पर्याप्त है ? यदि हां, तो उक्त भूमि पर राजकीय कन्या स्कूल का भवन निर्माण कार्य कब शुरू होगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

छठी पंचवर्षीय योजना में राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूलों के भवन निर्माण की योजना न होने के कारण सम्प्रति प्रश्नगत स्कूल के भवन का निर्माण कराना संभव नहीं है ।

जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा लिखित पुस्तक को अधिकारियों द्वारा बिक्री

163--श्री कुबेर भंडारी--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि (श्री अनीस अन्सारी), जिलाधिकारी, बिजनौर द्वारा लिखित शहरेशराब नामक पुस्तक तहसील के अधिकारियों से कोटा निश्चित कर बिकवाई जा रही है ? यदि हां, तो उक्त की जांच कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी नहीं ।

प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर में कतिपय सड़कों के निर्माण की योजना

164--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद में वर्ष 1980-81 में कितने कि0 मी0 नई सड़कों का निर्माण किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत किया गया ? क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत बेलीपार से बेला बांध तक, कौड़ीराम से सोहगौरा तक, सूया बाजार से चिलमापुर तक और महेवा से मिर्जापुर तक (मलौनी बांध के किनारे-किनारे) सड़क निर्माण की योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इनके निर्माण में विलम्ब का कारण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी जनहित में उपरोक्त सड़कों का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

165--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[7-10-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 18-19 द्वारा उत्तरित]

परगनाधिकारी, जोशीमठ तथा ऊखीमठ, जिला चमौली की अनुपस्थिति में किये गये अदालती कार्य

167--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधिकारी, जोशीमठ तथा परगनाधिकारी, ऊखीमठ, जिला चमोली माह मई तथा जून, 1981 में किन-किन दिनांक को वी0 आई0 पी0 ड्यूटी पर बद्रीनाथ और केदारनाथ गए और उनकी अनुपस्थिति में उनका अदालती कार्य किस अधिकारी ने किया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कृपया वांछित सूचना निम्नवत् है--

(1) परगनाधिकारी, जोशीमठ दिनांक 7,8,20,24,27 व 31 मई, 1981 को तथा 19 व 24 जून, 1981 को बद्रीनाथ गये ।

(2) परगनाधिकारी, उखीमठ दिनांक 19 से 21 व 25 से 28 मई, 1981 को तथा 2 से 9,11,22 से 24 व 26 से 30 जून, 1981 को केदारनाथ गये ।

उपरोक्त अंकित तिथियों में उक्त अधिकारियों का अदालती कार्य करने के लिये कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं की गयी और मामलों पर सुनवाई स्थगित कर दी गयी थी ।

पुलिस विभाग में विजिलेन्स इंसपेक्टरों की नियुक्ति सम्बन्धी सुविधाओं में परिवर्तन

168--श्री विजय सिंह राना--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में विजिलेन्स इंसपेक्टरों की नियुक्ति सम्बन्धी सुविधाओं में कोई परिवर्तन किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वित्तीय वर्ष 1981-82 में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान में इंसपेक्टरों की नियुक्ति सम्बन्धी सुविधाओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

हाई स्कूल व इन्टर विद्यालयों को मान्यता

169--श्री विजय सिंह राना--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1979-80 में जिन 35 विद्यालयों में से 33 विद्यालयों को अधिनियम की धारा 9(4) में हाई स्कूल, इन्टर

की मान्यता दी गयी है उन विद्यालयों के नाम क्या हैं तथा जिन दो विद्यालयों की मन्यता रोक ली गयी है उसके कारण क्या हैं ? क्या उनकी मान्यता भी निर्गत की जायगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूची संलग्न है । शेष दो विद्यालयों को आवेदन पत्र एवं आवेदन शुल्क तथा प्राभूतकोष से सम्बन्धित अपेक्षाओं/औपचारिकताओं की पूर्ति न करने के कारण मान्यता का आदेश निर्गत नहीं किया गया था, जिनमें से एक विद्यालय को अद मान्यता का आदेश जारी कर दिया गया है । अवशिष्ट एक विद्यालय को आवेश पत्र एवं आवेदन-शुल्क से सम्बन्धित अपेक्षाओं/औपचारिकताओं की पूर्ति न कर के कारण अभी अपनी भी मान्यता का आदेश जारी नहीं किया गया है । आवश्यब अपेक्षाओं की पूर्ति किये जाने पर इस विद्यालय को भी मान्यता का आदेश जान कर दिया जावेगा ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 195 पर ।)

जनपद आगरा में ग्राम कुण्डौसा से कवीस कलाल खेड़िया मार्ग पर तारकोल लेपन का कार्य

170-श्री विजय सिंह राना--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विकास खण्ड के परौली अहीर के अन्तर्गत ग्राम कुन्डौसा से कवीस और कवोस से कलाल खेड़िया तक का जो मार्ग कृषि मन्डी समिति द्वारा बनाया गया ह उसे सा0 नि0 वि0 द्वारा अधिग्रहीत करके कोलतार लेपन का कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला आगरा में कुन्डोला-कवीस मार्ग कुन्डौल से नंदौता तक ही मंडी परिषद् का मार्ग है । इस भाग को ग्रहण कर तारकोल लेपन के कार्य का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

नंदौता से कवीस तथा कवीस से कलाल खेड़िया मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत हैं तथा खंड़ंजा कार्य तक ही स्वीकृत है । तारकोल लेपन कार्य का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री उदय प्रकाश गौतम को हाई स्कूल प्रमाण-पत्र की प्राप्ति

171-श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि श्री उदय प्रकाश गौतम, पुत्र श्री हरप्रसाद गौतम क्रमांक (रोल नम्बर) 41249 वर्ष 1975 का हाई स्कूल का परिणाम उत्तीर्ण घोषित किए जाने पर भी माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहा-बाद द्वारा प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? अब यह प्रमाण-पत्र हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को कब तक प्रदान कर दिया जाएगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रमाण-पत्र परीक्षार्थी को वितरण करने हेतु सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को पहले ही भेज दिया गया था, जो सब परीक्षार्थी को प्राप्त हो चुका है ।

राजकीय इन्टर कालेज, बीबी नगर, जनपद बुलन्दशहर में प्रधानाचार्या की नियुक्ति

172-श्री किरनपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, बीबी नगर, जनपद बुलन्दशहर में पिछले कई वर्षों से कोई प्रधानाचार्या नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा कब तक उक्त विद्यालय में प्रधानाचार्या की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

समय समय पर प्रश्नगत पद पर व्यवस्था की गई किन्तु व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक कारणों से किसी ने भी कार्यभार ग्रहण नहीं किया । अब शिक्षा निदेशक ने अपने आदेश संख्या नियुक्ति 729/23-25 (1)/81-82, दिनांक 1-1-82 द्वारा कु0 वीणा राय को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के आदेश दिए हैं ।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य विधान परिषद् में सीटों के आरक्षण पर विचार

173-श्री जयदीप सिंह--

क्या सरकार के पास कोई ऐसा प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य विधान परिषद् में कुछ सीटें आरक्षित करने के लिए केन्द्र सरकार से संविधान में संशोधन करने का आग्रह किया जाय ? यदि हां, तो कब तक सरकार इस पर निर्णय लेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

राज्य सैनिक परिषद् की दसवीं बैठक, जो दिनांक 28-7-81 को हुई थी, में इस आशय का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था परन्तु शासन द्वारा इस पर अभी कोई विचार नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कदाचित इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से विचार करने के बाद ही प्रदेश सरकार कोई निर्णय ले सकेगी ।

174-श्री जयदीप सिंह--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सरकारी नौकरी में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण

175--श्री जयदीप सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा श्रेणी-3 और 4 (श्रेणी 'ग' और 'घ') की सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए कितने प्रतिशत का आरक्षण हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि केन्द्र सरकार ने उपरोक्त श्रेणियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत का आरक्षण किया है ? क्या सरकार राजकीय सेवाओं और निगमों में तुरन्त इतने ही प्रतिशत के आरक्षण की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह---

श्रेणी-3 और 4 (श्रेणी 'ग' और 'घ') की सरकारी नौकरियों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए तीन-तीन प्रतिशत का आरक्षण हैं ।

जी हां ।

इस बिन्दु पर शासन सहानुभूति पूर्वक विचार कर रही हैं ।

निदेशालय, सैनिक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या

176-श्री जयदीप सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सैनिक परिषद् के पास उपलब्ध आकड़ों के अनुसार प्रदेश में इस समय कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

निदेशालय, सैनिक कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 872181 है ।

श्री जवाहर सिंह, चेक पोस्ट अधिकारी, जनपद लखीमपुर के खरेठिया बांध में डूबने पर जांच

177--श्री मित्रसेन--

क्या गृह मंत्री को विदित है कि चेक पोस्ट तिकोनिया, जनपद लखीमपुर में दिनांक 17-11-79 को सुबह 9 बजे श्री जवाहर सिंह, चेक पोस्ट अधिकारी, जो श्री मुरलीधर पुष्कर डी0 एस0 पी0 जोनल आफिसर, आदेशानुसार ड्यूटी पर गये थे, खरेठिया बांध झील में डूब गये ? यदि हां, तो इस विषय में जो जांच की गई उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, अपराध अनुसंधान शाखा की जांच से यह प्रमाणित नहीं हुआ कि श्री जवाहर सिंह, चेक पोस्ट अधिकारी खरेठिया बांध झील पर श्री मुरलीधर पुष्कर डी0 एस0 पी0 जोनल अधिकारी के आदेश से ड्यूटी पर गये थे बल्कि वह खरेठिया बांध जलाशय पर श्री मुरलीधर पुष्कर डी0 एस0 पी0, जोनल अधिकारी

के साथ निजी रूप से चिड़ियों का शिकार खलने गये, जहां शिकार में घायल हुई चिड़ियों को पानी से निकालते समय श्री जवाहर सिंह, चेक पोस्ट अधिकारी डूब गये । इस शिकार खेलने के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी ।

श्री मुरलीधर पुष्कर डी० एस० पी० तत्कालीन जोनल अधिकारी को उनके द्वारा किये गये नियम विरुद्ध कार्यों के लिए भर्त्सना प्रविष्टि प्रदान करने की सी० आई० डी० द्वारा संस्तुति की गई है ।

सरकारी विभागों में हिन्दी टाइपराइटरों की संख्या तथा अंग्रेजी टाइपराइटरों की नीलामी

178—श्री मित्रसेन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन् 1967 में प्रदेश भर के सारे सरकारी विभागों में आवश्यकतानुसार हिन्दी टाइपराइटर दे दिये गये थे और अंग्रेजी टाइपराइटर वापस लेकर नीलाम करने की नीति सरकार की थी? यदि हां, तो अब तक कितने अंग्रेजी टाइपराइटर नीलाम किए गये और कितनें नीलाम किए जाने शेष हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सन् 1967 में प्रदेश भर के सारे सरकारी विभागों में आवश्यकतानुसार हिन्दी टाइपराइटर दिये जाने के विषय में सूचना विभागाध्यक्षों से मंगाई जा रही है और अंग्रेजी टाइपराइटर वापस लेकर नीलाम करने की नीति सरकार की नहीं है । अतः नीलाम करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लोक सभा सदस्य व युवक कांग्रेस (आई) के मंत्री द्वारा पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात से अशिष्ट व्यवहार की जांच व कृत कार्यवाही

179—श्री मित्रसेन तथा श्री मोती लाल देहलवी—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगी कि क्या यह सही है कि अगस्त, 1981 के प्रथम सप्ताह में कानपुर के लोक सभा सदस्य श्री राम नारायण त्रिपाठी व युवक कांग्रेस (आई) के मंत्री, श्री नेकचन्द्र पाण्डे ने कानपुर (देहात) के पुलिस अधीक्षक से अशिष्ट व्यवहार एवं हाथा-पाई की थी और इसकी लिखित रिपोर्ट कानपुर के पुलिस अधिकारियों व अन्य अधिकारियों ने शासन को भेजी थी ? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में शासन को क्या लिखा है तथा शासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना होना नहीं पाई गई ।

जनपद गोरखपुर में धानी–मेहदावल सड़क का निर्माण

180––श्री मित्रसेन––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती तथा गोरखपुर जिले में पड़ने वाली धानी–मेहदावल सड़क का बनना कब से शुरू किया जायगा और कब तक बन कर तैयार होगी ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेश सिंह, ग्राम मेहनिया बेहटा के विरुद्ध थाना खण्डासा में दर्ज रिपोर्ट

181––श्री मित्रसेन––

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री राजेश सिंह पुत्र श्री जगदम्बिका सिंह, ग्राम मेहनिया बेहटा, थाना खण्डासा के विरुद्ध कोई रिपोर्ट 6–1–81, 22–3–81 तथा 15–3–81 को थाना खण्डासा में हरिजन उत्पीड़न तथा प्रताड़न के सम्बन्ध में दर्ज की गई ? यदि हां, तो रिपोर्ट की जुर्म दफायें क्या हैं और उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेश सिंह पुत्र जगदम्बिका सिंह, निवासी गोहनिया बेहटा के विरुद्ध थाना खण्डासा पर दिनांक 6–1–81 को अपराध संख्या 3/81 धारा 147/323/342 भा0 दं0 वि0 तथा दिनांक 22–3–81 को अपराध संख्या 50/81 धारा 452/323/504 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत हुए हैं । अपराध संख्या 3/81 में विवेचना की जा रही है तथा अपराध संख्या 50/81 में विवेचनोपरान्त आरोप–पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है ।

दिनांक 15–5–81 को श्री राजेश सिंह के विरुद्ध थाना खण्डासा पर कोई रिपोर्ट पंजीकृत नहीं हुई है ।

फैजाबाद जनपद में सड़कों का निर्माण

182––श्री मित्रसेन––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सलाहकार समिति सार्वजनिक निर्माण विभाग, फैजाबाद में वर्ष 1980–81 में जनपद की किन–किन सड़कों को विभाग द्वारा निर्माण किये जाने हेतु प्रस्तावित एवं संस्तुति की है ? इस सम्बन्ध में शासन स्तर से क्या निर्णय लिये गये हैं और जनहित में किन–किन सड़कों का निर्माण विभाग के विचाराधीन है ?

ी अम्मार रिजवी––

वर्ष 1980–81 में कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग की सलाहकार समिति नहीं थी । अतः उस समिति के प्रस्ताव एवं संस्तुतियों तथा उन पर शासन के निर्णय का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बी० के० श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, फैजाबाद के विरुद्ध विजिलेन्स इन्क्वायरी की रिपोर्ट व कृत कार्यवाही

183—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री वी० के० श्रीवास्तव, अधीक्षण अभियन्ता, 23वां वृत्त फैजाबाद के विरुद्ध कोई विजीलेन्स इन्क्वायरी वर्ष 1981 में सेट-अप हुई है ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या है और जांच में कौन-कौन से दोष सिद्ध पाये गये हैं इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस सम्बन्ध में कोई विवरण देना जनहित में न होगा ।

ग्राम मधवापुर चिलियामऊ, जनपद लखनऊ निवासिनी फूल कली के साथ व्यभिचार की घटना की जांच

184—श्री मित्रसेन यादव—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम मधवापुर चिलियामऊ, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ निवासी राम लखन की पत्नी फूलकली के साथ दिनांक 7 मई, 1981 को व्यभिचार सम्बन्धी कोई गम्भीर घटना घटी है ? यदि हां, तो उक्त घटना के मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं ? घटना की रिपोर्ट और विवरण क्या है और अब तक इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12-5-81 को श्रीमती फूलकली पत्नी श्री राम खेलावन, निवासी ग्राम मधवापुर चिलियामऊ, थाना काकोरी, जिला लखनऊ ने थाना काकोरी पर इस आशय की सूचना अंकित कराई कि (1) श्री छोटे सिंह (2) रामेश्वर सिंह (3) गिरधारी (4) लल्लू तथा कुछ अन्य अज्ञात लोगों द्वारा दिनांक 7-5-81 की रात्रि में उसे उसके घर से जबरन उठाकर ले जाया गया और एक आम की बाग में उपरोक्त सभी अभियुक्तगण ने उसके साथ बलात्कार किया और भागते समय अभियुक्तगण ने उसे धमकी भी दी। उपरोक्त सूचना के आधार पर धारा 376/363/506 भा० दं० विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग में चार अभियुक्तगण गिरफ्तार किये गये तथा दो अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, शेष एक अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई, विवेचना के उपरान्त सभी अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

ग्राम गोविन्दपुरी, जनपद गोंडा के अन्तर्गत हरिजन परिवारों की नृशंस हत्या के सम्बन्ध में जांच

185—श्री मित्रसेन

क्या गृह मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि ग्राम गोविन्दपुरी, थाना उतरौला, जनपद गोन्डा के अन्तर्गत दिनांक 11 मई, 1981 को एक हरिजन परिवार के तीन व्यक्तियों की नृशंस हत्या की गयी और उनकी लाश को काट कर दरिया राप्ती में डाल दिया गया जो प्राप्त नहीं हो सकी ? यदि हां, तो आतताई हमलावर कौन-कौन हैं, कितनों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई गयी और उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8/9-5-81 की रात को करीब 9·30 बजे ग्राम गोबिन्दपुर के हरिजन श्री सुकई के परिवार के तीन व्यक्तियों की हत्या की गयी और उनकी लाशों को दरिया राप्ती में काट कर डाल दिया गया था। जिन्हें विवेचना के दौरान पुलिस ने दरिया राप्ती से बरामद किया।

आतातायी हमलावरों की सूची संलग्न है। 36 नामजद एवं 10-12 अन्य नाम पता अज्ञात के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। नामजद अभियुक्तों में से 21 अभियुक्तों को दिनांक 11-5-81 व एक अभियुक्त को दिनांक 18-5-81 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 16-5-81 को तीन, 20-5-81 को पांच एवं 25-5-81 को एक अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। 5 अभियुक्त फरार हैं जिनके विरुद्ध 82-83 ज0 फौजदारी की कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त छोटकऊ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 396/201/412 भा0 द0 वि0 एवं अन्य 35 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 396/201 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत दिनांक 30-6-81 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अन्य 10-12 अज्ञात व्यक्तियों का नाम पता विवेचना से ज्ञात नहीं हो सका अतः उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 198 पर।)

जनपद उन्नाव में गैर मान्यता प्राप्त स्कूल में अनियमितता एवं उत्पीड़क के विरुद्ध कार्यवाही

186--श्री मित्रसेन--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आदर्श नगर क्षेत्र, जनपद उन्नाव में स्थित मोती बाग शिशु सदन मान्टेसरी एवं जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त हैं? यदि हां, तो अध्यापक एवं अध्यापिकाओं तथा कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है? क्या यह भी सही है कि लोगों को निर्धारित वेतनमान की धनराशि न देकर कम पर जबरिया हस्ताक्षर कराए जाते हैं और भुगतान को अधिक धनराशि दिखायी जाती है? यदि हां, तो इस प्रकार की जा रही अनियमितता एवं उत्पीड़न के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी जिससे व्याप्त भारी असन्तोष को रोका जा सके? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं।

गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर शासन का कोई नियंत्रण नहीं है।

श्री कैलाश चन्द्र, स्टोरकीपर सा0 नि0 वि0 लखनऊ को रिलीविंग आदेश एवं अवशेष वेतन का भुगतान

187--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री कैलाश चन्द्र, स्टोर कीपर, सा0 नि0 वि0, लखनऊ को रिलीविंग आदेश न देने तथा वेतन भुगतान न करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का जो पत्र संलग्नक के साथ दिनांक 3 अप्रैल, 1981 को उन्हें दिया गया था और जिसकी प्राप्ति भी उनके पत्र संख्या 1619-एम0 पी0 डब्लू0-81, दिनांकित 16-4-81 द्वारा स्वीकार की गयी है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री कैलाश चन्द्र, स्टोर कीपर को विभागीय निर्माण इकाई-2 भवन लखनऊ को दिनांक 4 अगस्त, 1981 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा उनको दिनांक 31-7-81 तक के वेतन का भी भुगतान किया जा चुका है।

पुलिस चौकी, लाटूश रोड के थानेदार के विरुद्ध रिपोर्ट पर अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

188--श्री मोती लाल देहलवी--

प्रश्नकर्ता के 10 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 139 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत मामले में अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी विवेचना का क्या परिणाम निकला है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही जांच अभी प्रचलित है ।

189--श्री मोती लाल देहलवी--

[17-3-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 150 द्वारा उत्तरित]

प्रधान, श्री बाबू राम, थाना कोतवाली, जनपद जौनपुर को आरोप मुक्त कर देने के आदेश

190--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि 20/21 जनवरी, 1981 की रात श्री बाबू राम प्रधान निवासी हरलाल का रोड-जौनपुर को पुलिस द्वारा कोतवाली से जिस धारा के तहत निरुद्ध किया गया था, उस धारा को एड-वाइजरी बोर्ड ने गलत माना और उसी आधार पर सरकार द्वारा विखंडित कर उन्हें आरोप-मुक्त किया गया ? यदि हां, तो श्री बाबू राम प्रधान को गलत निरुद्ध किए जाने के विरुद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्री बाबू राम प्रधान पुत्र श्री बैजनाथ प्रधान, निवासी मोहल्ला मखदून शाह अढ़न, थाना कोतवाली, जनपद जौनपुर को जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर के निरोधादेश दिनांक 21 जनवरी, 1981 के आधार पर उसी दिन राष्ट्रीय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जिला कारागार, जौनपुर में निरुद्ध किया गया था । एडवाइजरी बोर्ड की राय के अनुसार उन्हें दिनांक 1 मार्च, 1981 के आदेश द्वारा मुक्त कर दिया गया ।

शासन के मतानुसार उपरोक्त के संबंध में संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

श्री लहरी के विरुद्ध कोतवाली में अंकित रिपोर्ट पर कार्यवाही

191--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 15 नवम्बर, 1980 को मु0 ई0 सं0 897/80, धारा 140/336/295 के अन्तर्गत श्री बाबू राम प्रधान को अन्य

चार लोगों के विरुद्ध जिस लहूरी नामक व्यक्ति ने कोतवाली जौनपुर में अंकित कराई थी उस लहुरी के विरुद्ध सन् 1972 से 1975 तक कितने मुकदमें किन-किन धाराओं के अन्तर्गत कोतवाली, जौनपुर की पुलिस ने विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार 1972 से 1975 तक की अवधि में कोतवाली जौनपुर की पुलिस द्वारा लहुरी के विरुद्ध केवल एक मुकदमा 1974 में 60 आबकारी ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया और इसमें विवेचना उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में भेज दिया गया था ।

परगनाधिकारी, बिल्हौर जनपद कानपुर के विरुद्ध जांच

192--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परगाधिकारी, बिल्हौर, जनपद कानपुर के विरुद्ध गबन एवं अनियमितताओं से सम्बन्धित जो पत्र प्रश्नकर्त्ता ने 24 मार्च, 1981 को उन्हें दिया था, उसकी जांच कब व किस अधिकारी द्वारा की गयी तथा उसकी जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

प्रश्नकर्त्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 24-3-81 की जांच अतिरिक्त जिलाधिकारी, कानपुर देहात से करवाई गई है जो उन्होंने जनवरी, 1982 में की है । अतिरिक्त जिलाधिकारी की जांच आख्या शासन में 27-1-82 को प्राप्त हुई है जो परीक्षणाधीन है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में स्टोर कीपर की प्रोन्नति

193--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि उनके विभाग में स्टोर कीपर की प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको प्रोन्नति किये जाने पर भी विचार करेंगे ?

श्री अम्भार रिजवी--

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्टोर कीपर अधिष्ठान नियमावली 1968 के अन्तर्गत स्टोर कीपर सेवा संवर्ग में प्रोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है । द्वितीय वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर उन सभी स्टोर कीपरों को जिन्होंने 10 साल की सेवा पूरी कर ली है, को प्रवरण श्रेणी के वेतन मान स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है ।

श्री कैलाश चन्द्र, स्टोर कीपर सा0 नि0 वि0, लखनऊ का स्थानान्तरण तथा दूसरे स्टोर कीपर की नियुक्ति

194--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कैलाश चन्द्र, स्टोर कीपर सा0 नि0 वि0, लखनऊ को स्थानान्तरण आदेश देने के बाद कैलाश चन्द्र से स्टोर का चार्ज किसी दूसरे स्टोर कीपर को न दिला कर

जूनियर इंजीनियर को दिलाया गया और उस स्थान पर आज तक किसी स्टोर कीपर की नियुक्ति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्या स्टोर-कीपर का पद समाप्त कर दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री कैलाश चन्द्र, स्टोर कीपर के स्थानान्तरण के उपरान्त वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उनका चार्ज अवर अभियन्ता को दिला दिया गया था । श्री गजेन्द्र कुमार आर्या, स्टोर कीपर, प्रान्तीय खन्ड, खीरी, जिनका स्थानान्तरण विभागीय निर्माण इकाई भवन-2, लखनऊ में श्री कैलाश चन्द्र के स्थान पर किया गया, ने अपना कार्यभार दिनांक 10 जुलाई, 1981 को ग्रहण कर लिया ।

विधान सभा के गेट पर नवयुवक की लाश के बारे में जांच व कार्यवाही

195—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 29-4-81 को जिस नवयुवक की लाश विधान भवन के गेट पार्क की बाउन्डरी पर पाई गई, वह किसकी है और उसकी मौत कैसे हुई तथा लाश विधान भवन के गेट पर पाए जाने का रहस्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत लाश की शिनाख्त नहीं हो सकी । अब तक की जांच से मामला दुर्घटना का होना पाया जाता है । इस संबंध में धारा 304-ए भारतीय दन्ड विधान का मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है ।

जनपद बहराइच में नानपारा-गढ़ी घाट मार्ग पर पुल का निर्माण

196—श्री जटाशंकर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद बहराइच के नानपारा-गढ़ी घाट मार्ग पर विगत वर्षों में सरजू नदी पर लगातार बनाया जाने वाला लकड़ी का पुल पिछले लगभग चार वर्षों से बनाया जाना बन्द कर दिया गया है ? जिससे क्षेत्रीय जनता को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यह स्थिति को मद्दे नजर रखते हुये क्या सरकार जनहित में उक्त पुल तत्काल बनाये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्नगत पुल का निर्माण विगत वर्षों में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नहीं कराया गया है ।

यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण वभाग का नहीं है ।

प्रश्न नहीं होता ।

ग्राम बेरिया, थाना मऊ, जिला बांदा निवासिनी श्रीमती लक्ष्मिनिया का अपहरण

197--श्री भीखा लाल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती मोड़ी पत्नी रामखेलावन, निवासी ग्राम बेरिया, थाना मऊ, जिला बांदा को इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया कि उसकी पुत्र वधू लक्ष्मिन पत्नी पड़रा को नत्थू आदि, निवासी ग्राम बकवा जबरदस्ती अपहरण कर ले गए और अपने घर में रखे हुए हैं ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए, अतः तथाकथित अभियुक्तों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। श्रीमती लक्ष्मिनिया बालिग हैं और अपनी मर्जी से पति को छोड़कर अलग रहने लगी है ।

श्री हुकुम सिंह, रनर होमगार्ड्स, जिला कार्यालय, उन्नाव को पेंशन देने के लिये निर्णय

198--श्री भीखा लाल--

क्या नागरिक सुरक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी उन्नाव का पत्र संख्या 717/हो0 गा0 पेन्शन/79-80, दिनांक 15-10-79 उप सचिव नागरिक सुरक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? जिसमें श्री हुकुम सिंह, रनर होम गार्ड्स, जिला कार्यालय, उन्नाव को मिलिटरी सेवाओं की गणना सिविल पेन्शन देने में करने की अनुमति मांगी गयी थी ? यदि हां, तो शासन ने उस पर क्या निर्णय लिया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । वर्ष 1980 में नियुक्त प्राधिकारियों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जिलाधिकारी प्रश्नगत मामले में निर्णय लेने के लिए स्वयं सक्षम हैं । तद्नुसार जिला अधिकारी, उन्नाव को कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

अकबरपुर राज्य कताई मिल, फैजाबाद में पदों की नियुक्तियों के लिये विज्ञापन तथा सेवा योजन कार्यालयों द्वारा नाम मांगा जाना

199--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जिया राम शुक्ल विकल 'साकेती'--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 अप्रैल, 1979 के बाद अकबरपुर राज्य कताई मिल, फैजाबाद में किस-किस माह में किन-किन पदों पर कितनी-कितनी नियुक्तियां की गयीं और उन नियुक्तियों के लिए कब-कब किन-किन समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया गया तथा किन-किन सेवायोजन कार्यालयों में उक्त नियुक्तियों के लिए लिखा गया और कितने नाम कब-कब किन-किन पदों के लिए सेवायोजन कार्यालयों द्वारा प्रतिष्ठान को भेजे गये ?

श्री नियाज हसन खां--

कथित सूचना की आवश्यकता है जिसे एकत्र करने में समय लगेगा । सूचना स्कीएह जा रही है ।

भूमि संरक्षण विभाग में कार्यरत प्लान्टेशन जमादारों का स्थायीकरण

200--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रानीखेत एवं राम नगर, भूमि संरक्षण वन प्रभाग में कार्यरत प्लान्टेशन जमादारों का स्थायीकरण किया गया है ? यदि नहीं किया गया, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

रानीखेत एवं रामनगर भूमि संरक्षण वन प्रभागों का सृजन केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित रामगंग नदी घाटी परियोजना के अन्तर्गत हुआ है । चूंकि इन वन प्रभागों तथा उनके लिये स्वीकृत पदों को अभी तक स्थायी घोषित नहीं किया गया है, अतः इनमें कार्यरत प्लान्टेशन जमादारों का स्थायीकरण अभी नहीं किया जा सका है ।

201--श्री रियासत हुसैन--

[5वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अध्यक्ष, जिला समाजवादी लोकतांत्रिक दल के शिकायती-पत्र की जाँच

202--श्री कुबेर भंडारी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी, अध्यक्ष, जिला समाजवादी लोकतांत्रिक दल, बहराइच द्वारा दिनांक 6-9-80 को लिखा, मुख्य सचिव को सम्बोधित शिकायती-पत्र, जो कि अतिरिक्त जिलाधिकारी (आपूर्ति), वाराणसी से सम्बन्धित है एवं जिनकी प्रतिलिपि सचिव, खाद को भी दी गयी थी, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां । जांचोपरान्त शिकायत निक्षेप कर दी गई है ।

मुजफ्फरनगर एवं हापुड़ की गुड़ खान्डसारी मंडियों के व्यापारियों द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[12 बजकर 20 मिनट]

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मुजफ्फरनगर एवं हापुड़ मंडियां प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी गुड़ खांडसारी मंडियां हैं, जिनमें प्रतिदिन करोड़ों रुपये की गुड़ एवं खांडसारी का व्यापार होता है । प्रशासन एवं व्यापारियों के कुछ आपसी विवादों के कारण इन दोनों मंडियों के व्यापारियों ने गत सप्ताह से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल की हुई है जिससे समस्त व्यापार ठप्प है एवं किसानों द्वारा उत्पादित करोड़ों रुपये का गुड़ सड़कों पर पड़ा है । जिसका कोई खरीददार न होने के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना क्रेशर भी बन्द होते जा रहे हैं । गन्ने व गुड़ का भाव गिरता जा रहा है । समस्त कृषक एवं व्यापारी वर्ग में भारी असंतोष व्याप्त है । सरकार समस्या का समाधान करने में असफल रही है ।

यह अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि हड़ताल को समाप्त कराने के लिये तुरन्त प्रभावी पाय करे ।

शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र, निगोही के अन्तर्गत ग्राम दियारिया व सुराही के पास शाहजहांपुर ब्रांच नहर के कट जाने से कतिपय ग्रामों की फसल को क्षति तथा मुआवजे की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जगदीश सिंह--

माननीय, मैं आपका एवं माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं--

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र निगोही के अन्तर्गत 21-1-82 की रात में बहने वाली नहर शाहजहांपुर ब्रान्च ग्राम दियूरिया व सुराही के बीच एक स्थान पर कट गई। कटते-कटते इसकी चौड़ाई करीब 70 फिट हो गई थी लगभग 40 घंटे में उक्त नहर की मरम्मत हो पायी इतने समय में क्षेत्र में निम्नलिखित गांव की फसलें जलमग्न होकर नष्ट हो गई--1--जलालपुर, 2--कुलवइया, 3--अकबरी अकबरपुर, 4--कपूरापुर, 5--परमानन्दपुर, 6--हतसा, 7--कंचनपुर, 8--मकरन्दापुर आदि।

अतः आपके माध्यम से शासन से अनुरोध है कि लगान, आबपासी एवं खाद आदि के मूल्य से मुक्त किया जावे, नष्ट हुई फसल का मुआवजा क्षेत्र के किसानों को दिलाया जावे ताकि वहां की पीड़ित जनता को राहत मिल सके और नहर के कटने के कारण की नहर विभाग के अधिकारियों के अलावा किसी और अधिकारी से जांच कराई जावे और दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय।

आगरा के महात्मा दूधधारी इन्टर कालेज की मैनेजिंग कमेटी में झगड़े से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बदन सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं।

आगरा जनपद का श्री महात्मा दूधधारी इन्टर कालेज, नगला विष्णु, (आगरा) आज कल मैनेजिंग कमेटी के झगड़े से बुरी तरह ग्रसित है। इस समय विद्यालय की दो मैनेजिंग कमेटी हैं एक कमेटी के मैनेजर श्री रघुनाथ सिंह जिनको विभागीय मान्यता प्राप्त है और दूसरी के मैनेजर श्री नारायण सिंह जिनको क्षेत्रीय जनता का भारी समर्थन प्राप्त है। रघुनाथ सिंह वाली मैनेजिंग कमेटी ने राम प्रकाश शर्मा को प्रिंसिपल बनवाया जिनको क्षेत्रीय जनता विद्यालय में नहीं घुसने देती और नारायण सिंह ने श्री पतिराम सिंह को प्रिंसिपल बना रखा है जिनको रघुनाथ सिंह वाली कमेटी ने मुअत्तल कर दिया है। वर्षों से मैनेजिंग कमेटी का यह विवाद चल रहा है। हाई कोर्ट तक दोनों मैनेजिंग कमेटी न्याय के लिए पहुंची हैं। विद्यालय के अध्यापक भी मैनेजिंग कमेटी के इस झगड़े में पड़ गये हैं। वे विद्यालय नहीं जाते तथा अपने कर्त्तव्य का पालन करने में असमर्थ हैं। फलस्वरूप छात्रों ने तीन माह से फीस नहीं दी है और विद्यालय भी फीस न देने के कारण तीन माह से बन्द पड़ा है। परीक्षा काल निकट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह---]

है । विद्यालय में पढ़ने वाले दो हजार छात्रों का जीवन अंधकार में पड़ गया है । क्षेत्रीय अभिभावक अपने बालकों के भविष्य के बारे में भारी चिंतित व दुखी हैं ।

अस्तु मेरी शासन से मांग है कि उक्त विद्यालय में साधिकार नियंत्रक नियुक्त करके छात्रों के हितों का ध्यान में रख कर विद्यालय को शीघ्र खुलवाने की व्यवस्था कर दी जाय ।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, मुफ्तीगंज में मोथहा पम्प कैनाल के त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण कतिपय ग्रामों में जल जमाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रभूनारायण सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र, मुफ्तीगंज के अन्तर्गत जगदीशपुर और मोथहा पम्प कैनाल, उस क्षेत्र को सींचती हैं, जो सई और गोमती नदियों के संगम के समीप स्थित इस क्षेत्र के उत्तर और पूरब गोमती नदी, दक्षिण में सई नदी और पश्चिम में गठिया नाला बहता है । इन्हीं नदियों और नाले के बीच के क्षेत्र से उपरोक्त दोनों पम्प कैनाल बहते हैं । इन नहरों के त्रुटिपूर्ण निर्माण से इस क्षेत्र के जैदपुर, कल्याणपुर, बीरभानपुर, सैंधीपुर, कबुलपुर, हुसेरपुर, चकिया, नहरपुर, शिवपुर, सैदपुर, केशवपुर, सरोई, खरचनपुर, बीबीपुर, सिंगुलपुर, बंझुरिया तथा महल आदि गांवों में जल जमाव और सीड़न से मनुष्य और पशु आक्रांत हैं । इस जल जमाव और सीड़न के कारण इन ग्रामों के कच्चे मकान धराशायी हो रहे हैं और वृक्ष सूख रहे हैं । भयानक बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है । अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को इस सदन और शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस क्षेत्र के जल स्तर को उठाने के लिए इन नहरों में नदी का पानी न उठाकर नलकूपों से पानी निकाल कर सिंचाई हेतु दिया जाय । सीड़न और जल जमाव से प्रभावित ग्रामों में मिट्टी पटवाई जाय और खड़ंजे बिछवाये जायं । ध्वस्त मकानों के निर्माण की योजना बना कर उन्हें हर सम्भव सहयोग दिया जाय ।

अस्थाई जनगणना कर्मचारी कल्याण परिषद् द्वारा अनशन, भूख हड़ताल व पुलिस दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम सागर ---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाते हुए निवेदन करता हूं कि 4200 अस्थायी जनगणना कर्मचारी कल्याण परिषद्, जो अत्यंत श्रम व लगन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य कर रहे थे, उन्हें सरकार फरवरी, 1982 में छटनी करके सेवायें समाप्त करने जा रही है । कर्मचारी अपनी रोजी रोटी को लेकर पहले क्रमिक अनशन फिर दिनांक 27-1-1982 से विधान सभा के समक्ष आमरण अनशन कर रहे थे उनकी मांग पर विचार करने से सरकार पूर्णतः मौन व उदासीन रही है । फिर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनांक 30-1-82 को जब 7 अनशनकारी जिसमें एक विकलांग व एक महिला कर्मचारी, जिसकी गोद में 10 माह का बच्चा था, शामिल हैं। अनशन करते उनका स्वास्थ चिन्ताजनक हो गया तो पुलिस बलपूर्वक बलरामपुर चिकित्सालय ले गयी। चिकित्सालय में भी इन कर्मचारियों ने दवा पानी न लेकर अपना अनशन जारी रखा तो सरकार ने उनका दमन करने के लिए कल जब पुलिस का एक दल भेजा तो बेताब कर्मचारियों से उन्हें जेल जाने के लिए चिकित्सालय परिसर में खड़ी पुलिस गाड़ी में धक्का लगवा रहे थे उसमें एक असमर्थ एवं विकलांग अनशनकारी ने धक्का लगाने से असमर्थ होने पर उसे मारा पोटा जिससे कि प्रत्यक्षदर्शियों में आह एवं शर्म-शर्म की आवाज निकल पड़ी। पुलिस ने बौखलाकर निहत्थे खड़े लोगों पर लाठियां एवं फायरिंग करती हुई बेताब अनशन-कारियों को पकड़ कर जेल भेज दिया वहां भी अनशनकारी आमरण अनशन करते हुए रोजी की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उन्हें ग्रुप सी पदों हेतु नियुक्त के आदेश नहीं देती, अपना अनशन जारी रखेंगे, राजगारी का नारा देने वाली सरकार का यह क्षोभनीय व्यवहार प्रजातंत्र के नाम पर कलंक है। मैं आपके माध्यम से सरकार से तत्काल उनकी मांगों को पूरा किये जाने तथा उनके साथ किये गये दुर्व्यवहार की जांच किये जाने की मांग करता हूं।

श्री सन्त बख्श रावत की नियम 301 की सूचना स्वीकार न किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सन्त बक्स रावत--

माध्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान) मैंने यह प्रश्न दिया था और आपने उसे स्वीकार भी कर लिया था और मुझे आश्वासन दिया था कि स्वीकार हो गया है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इसमें अब उसकी अनुमति क्यों नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं निर्णय लेने लगता हूं तो आप मेरे कमरे में आते हैं, आप विधायक हैं तो आपका स्वागत है और जब आप किसी प्रश्न के लिये कहते हैं तो मैं बिचार करने का आश्वासन दे देता हूं, लेकिन जो उससे भी महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें स्वीकार किया जाता है। आपकी सूचना केवल यही है कि आपको एक मीटिंग में नहीं बुलाया गया, इसलिए इससे जनता में असन्तोष व्याप्त है, तो इससे महत्वपूर्ण सूचनाएं मेरे पास थी, मैंने उनको स्वीकार किया।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था।

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, मेरा भी यही एक प्रश्न था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

अभी बाद में । मद संख्या पांच लेते हैं ।

विधान सभा सदस्य, श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही द्वारा बल परिवर्तन की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मुझे सदन को यह सूचना देनी है । श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही, सदस्य विधान सभा (गोरखपुर) ने जो कि अभी तक निर्दलीय सदस्य थे, विधान सभा को सूचना दी है कि उन्होंने जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है । तद्नुसार श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही का नाम जनता पार्टी के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

अब मेरा एक औचित्य का प्रश्न आप सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

अब मद संख्या 6 के बाद आपको सुन लूंगा ।

दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनुपूरक प्रश्नों का शोधन वक्तव्य

कृषि मंत्री (भानु प्रताप सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को श्री ऊदल, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के सम्बन्ध में श्री भोखा लाल, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित जैसा मन्त्री जी ने बताया कि पशुओं पर स्वामित्व पशु-मालिक का होता है । अतः ग्राम समाज, जिला परिषद् व क्षेत्र समितियां उसका प्रबन्ध नहीं करती । क्या मंत्री जी को जानकारी है, बहुत से ऐसे जिले हैं और विशेष रूप से उन्नाव जिले में जिला परिषद् की तरफ से ऐसे ठेके उठाये गये हैं । परम्परागत तरीके से उन्होंने इंकार कर दिया इस काम को करने से तो जिला परिषद् के द्वारा जो यह ठेके उठाये गये हैं, तो यह किस नियम के तहत ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जिला परिषदें ऐसा नहीं कर सकती हैं अगर ऐसा हुआ है तो जांच करा ली जायगी ।

माननीय श्री रियासत हुसैन ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि जैसा माननीय मन्त्री जी ने उत्तर दिया । श्रीमन्, पश्चिमी जिलों में हमारे मुरादाबाद में यह ठेके थानेबाइज हुये हैं, जो लोग हैं अपनी जिम्मेवारी पर मरे हुये मवेशियों की खाल उतरवाते हैं तो क्या माननीय मन्त्री जी, इस बात पर पुनर्ध्यान देने की बात करते हैं कि जिला परिषदें ठेके किस आधार पर देती हैं और किस नियम पर देती हैं ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि कानून के अनुसार जिला परिषदें ठेके नहीं दे सकती है ।

दिनांक 29 सितम्बर, 1980 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अनु- 113
पूरक प्रश्नों का शोधन वक्तव्य

माननीय श्री रियासत हुसैन ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि तो क्या इन ठेकों को कैंसिल किया जायगा, सारे सूबों के अन्दर ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया कि इस पर विचार किया जायगा ।

माननीय श्री राम आसरे वर्मा ने अनुपूरक प्रश्न पूछा कि माननीय मन्त्री जी ने जो बात सदन के सामने कह दिया वह बिल्कुल व्यवहार के विपरीत है । मैं समझता हूं कि हर जिला परिषदें हजारों मरे हुए मवेशियों के ठेके देती हैं हमारे हरदोई में भी यह दिया जाता है । मैं यह जानना चाहूंगा कि मन्त्री जी ने कह दिया कि विचार किया जायगा और फिर कह दिया कि जिला परिषदों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी । दूसरी बात रियासत हुसैन साहब ने कहा ठेके कैंसिल किये जायेंगे तो उस पर विचार किया जायेगा इसमें कौन सी बात सही है किस बात को व्यवहार में यह लायेंगे ? माननीय मन्त्री जी कार्यवाही करेंगे जिला परिषदों के खिलाफ ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि दोनों ही बातों पर विचार किया जायगा ।

उक्त उत्तर ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार हैं--माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिला परिषदों द्वारा मृतक पशुओं के शवों को उठाए जाने के ठेके दिए जाने का अधिकार न्याय संगत है । ग्रामीण क्षेत्रों में या उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उनके नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में जिला परिषदें नियम परिनियम बना सकती हैं और इसके द्वारा वह जन स्वास्थ्य व सुरक्षा तथा उनकी सुविधा से सम्बन्धित समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं । इस प्रकार इस अधिकार के अन्तर्गत जिला परिषदें ग्रामीण क्षेत्रों में मरे हुए पशुओं की खाल उतारने और उनके निस्तारण आदि के सम्बन्ध में परिनियम द्वारा यह व्यवस्था कर सकती हैं कि कोई व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेन्स) प्राप्त किए मरे हुए पशुओं की खाल, हड्डी आदि या इससे सम्बन्धित अन्य कार्य नहीं कर सकता जिला परिषदें इस सम्बन्ध में लाइसेन्स या ठेके दे सकती हैं । वे इस विषय में सम्बन्धित परिनियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप ठेके अथवा लाइसेन्स को निरस्त करने का भी अधिकार रखती हैं ।

मूल प्रश्न तथा उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिये देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 200 पर ।)

[समय 12 बजकर 35 मिनट]

नव वर्ष के उपलक्ष में जनपद बदायूं के पुलिस परेड ग्राउन्ड पर आयोजित कवि सम्मेलन में कुछ अराजक तत्वों द्वारा कवियों को मारने-पीटने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1 जनवरी, 1982 को रात्रि में नव वर्ष के उपलक्ष में मंच नामक साहित्यिक संस्था द्वारा जनपद बदायूं के पुलिस लाइन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी---]

के मैदान में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह कवि सम्मेलन रात्रि लगभग 10·00 बजे श्री गोपाल दास व्यास (पद्मश्री) की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। कवि सम्मेलन का संचालन डा० बृजेन्द्र अवस्थी, प्रवक्ता हिन्दी, नेहरू मेमोरियल शिवनारायण दास डिग्री कालेज, बदायूं ने किया।

इस कवि सम्मेलन में श्री शिवराज सिंह, क्षेत्रीय मंत्री, बरेली मंडल ने "बदायूं स्मारिका 1981" नामक पत्रिका का विमोचन किया तथा विभिन्न कवियों ने इसमें अपनी रचनायें सुनाई। लगभग 11·00 बजे श्री ओमपाल सिंह निडर द्वारा पढ़ी गई व्यंगात्मक एवं आलोचनात्मक कविता जिसमें कुछ नेताओं के लिए 'रंडी' शब्द का प्रयोग किया गया था। उस पर कवि सम्मेलन में उपस्थित कुछ सज्जन उत्तेजित हो गये, परन्तु उन्हें समझाबुझा कर शांत कर दिया गया।

लगभग 1·30 बजे माननीय श्री श्रीकृष्ण गोयल, मन्त्री, नगर विकास एवं आवास, जो इस कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे, भी पधारे और उनके द्वारा विधायक श्री सत्य नारायण सत्तन तथा श्री विकल साकेती का अभिनन्दन किया गया तथा उन्होंने अन्य पुरस्कार भी वितरित किये।

लगभग 3·00 बजे जब श्री निर्भय हाथरसी ने अपनी कविता "इंदिरा मैया रोटी दे" शुरू की, जिसमें विभिन्न पिछली कुछ समय की तथा वर्तमान घटनाओं को लेकर आलोचना की तथा व्यंग किया तो श्री गोयल तथा श्री शिवराज सिंह ने आपत्ति की और कवि सम्मेलन का बहिष्कार किया। इस पर वहां उपस्थित कुछ लोग जो नेताओं के लिए 'रंडी' शब्द का प्रयोग करने से पहले ही नाराज थे और भी उत्तेजित हो गये और उन्होंने मंच पर चढ़कर हुल्लड़-बाजी शुरू कर दी, परन्तु प्रशासन द्वारा तुरन्त स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया और जन समूह शांति पूर्वक तितर-बितर हो गया तथा किसी को कोई चोट नहीं आई।

उक्त घटना के सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई और न ही कोई अभियोग पंजीकृत किया गया।

(श्री मोहन सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

यह तो वक्तव्य दफा 56 में जो सूचनायें अस्वीकृत हो गई थी उनके विषय में दिया गया है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह तो मंत्रियों द्वारा की गई कार्यवाही है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें।

*श्री भोखा लाल--

मान्यवर, इस विषय पर प्रश्न तो नहीं किए जा सकते लेकिन स्थिति को स्पष्ट कराने के लिए मैं आपकी अनुमति चाहता हूं। ये जो 2 कवितायें पढ़ी गई, एक श्री ओमपाल सिंह, निडर द्वारा जिसमें कुछ नेताओं के लिए 'रंडी'

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शब्द का प्रयोग किया गया और दूसरी श्री निर्भय हाथरसी द्वारा जिसमें कहा गया कि 'इंदिरा मैया रोटी दे' इन दोनों कविताओं के टैप रिकार्ड्स आप सदन में सुनवा दें, जिनसे मालूम हो सके कि वास्तविकता क्या है ?

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, एक कविता लगभग 11 बजे श्री ओमपाल सिंह निडर द्वारा पढ़ी गई जिसमें 'रंडी' शब्द का प्रयोग किया गया था जो व्यंगात्मक एवं आलोचनात्मक बताई गई और दूसरी कविता लगभग 3 बजे श्री निर्भय हाथरसी ने पढ़ी जिसमें 'इंदिरा मैया रोटी दे' शब्दों से शुरू की थी जो निश्चित रूप से प्रशासन के ऊपर थी जिस पर क्षुब्ध होकर माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री सभा पर ललकारते हुए बोले कि इन गुन्डों को मारो, इनका इलाज यही है और उन गुन्डों द्वारा कवियों को पिटवाया। मान्यवर, संविधान में जो हमें स्वतन्त्रता मिली है उसका हनन किया गया। प्रशासन की ओर से तथ्यों को छुपाया गया और मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा कवियों की स्वतन्त्रता पर अंकुश लगाया गया है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जायें।

श्री मोहन सिंह--

यह वक्तव्य गलत दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष --

आप कृपया बैठिए।

एक सदस्य--

छोटी दे या मोटी दे, इंदिरा गांधी रोटी दे।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

एक मिनट आप हमें मान्यवर, सुन लें, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है।

(व्यवधान)

(अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं खड़ा हूं, तो आप कृपया सभी माननीय सदस्य बैठ जायें । यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार हुआ था । इस पर कोई प्रश्न या स्पष्टीकरण नहीं होता । नियम 56 में जब कोई चीज आती है तो उसे महत्वपूर्ण समझकर उस पर वक्तव्य देने की मैं स्वीकृति दे देता हूं ।

(व्यवधान)

आप कृपया सुनें तो । आखिर आप इस प्रक्रिया को किस तरह से चलाना चाहते हैं ? इसके लिए इस सदन की जो इच्छा होगी मैं उसके अनुसार कार्य करूंगा ।

(व्यवधान)

आप तो स्पीकर का गला दबाना चाहते हैं, उसकी पूरी बात भी आप नहीं सुनना चाहते । आप कृपया नियमों को भंग न करें । यदि आप समझते हैं कि कोई चीज महत्व की है और उसके ऊपर यहां और चर्चा या प्रश्न करने की आवश्यकता है तो उसके लिए और नियम बने हुए हैं उसके अन्तर्गत आप उसे मेरे पास भेजिए । मैं समझूंगा तो उसके लिए थोड़ा समय या ज्यादा समय दे सकता हूं । इस समय आप कृपया नियमों को भंग न करें ।

श्री मोहन सिंह--

नियम भंग करने का काम तो शासन के दो मंत्रियों ने किया है । यह जो गलत वक्तव्य यहां दिया गया है इसके विरोध में हम और हमारा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष--

आप, उनको वाक आउट करने के लिए कुछ कहेंगे, तो भी उनको बोलने नहीं देंगे ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, गोपाल दास व्यास जो (पदमश्री) की अध्यक्षता में यह कवि सम्मेलन रात्रि लगभग 11 बजे प्रारम्भ हुआ । मान्यवर, ये माननीय गोयल साहब और माननीय शिवराज सिंह जी वहां पर पहुंच गये । मान्यवर, इनके साथ बदायूं के तमाम गुन्डे भी वहां पर पहुंच गए । मान्यवर, इनके इशारे पर गुन्डों द्वारा वहां पर उपस्थित कवियों को मारा गया ।

(श्री मुख्तर अनीस अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री धर्म्मन सिंह गहलौत—

मान्यवर, यह जो वक्तव्य दिया गया है, यह असत्य है। मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं।

(श्री धर्म्मन सिंह गहलौत अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गए।)

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मुझे भी एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

श्री नरेन्द्र देव कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने के लिए सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

कृषि मंत्री (श्री बलजीत सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खन्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड में कार्य करने हेतु सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

श्री अध्यक्ष—

यह जो आपने प्रस्ताव स्वीकृत किया, इसके सम्बन्ध में जो कार्यक्रम है, इसकी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं।

[श्री अध्यक्ष---]

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के प्रबन्धक बोर्ड पर कार्य करने के लिए विधान सभा के दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :---

(1) नाम-निर्देशन-पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 16 फरवरी, 1982 को अपराह्न 4 बजे तक ।
(2) नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक 17 फरवरी, 1982 को अपराह्न 3 बजे (सचिव, विधान सभा के कक्ष में) ।
(3) नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 26 फरवरी, 1982 को अपराह्न 5 बजे तक ।
(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ, तो	दिनांक 11 मार्च, 1982 को मतदान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा ।

श्री मित्रसेन---

निर्वाचन कब होगा, मान्यवर ?

श्री अध्यक्ष---

11 मार्च, 1982 को ।

[समय 12 बजकर 48 मिनट]

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982†

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, इस पर हमको आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष---

आपत्ति कह दें, आप ।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

मान्यवर, यह परम्परा रही है कि इनके चुनाव होते रहे हैं और ये इस विधेयक के माध्यम से कुछ सदस्यों का नामांकन करने जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है । ब्लाकों और जिला परिषदों तथा राज्य सभा और विधान परिषद में ये वोटर हो जायेंगे, तो इस प्रकार से जो लोग चुनकर आते थे, इन निकायों का चुनाव कराने के लिए उनकी जगह पर, नामजद व्यक्ति हो जायेंगे । बलिया में जिन लोगों को इन्होंने नामजद किया है, उसमें से 20 प्रतिशत लोग तो मेम्बर

†दिनांक 4 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

ही कोआपरेटिव के नहीं हैं, 30 प्रतिशत डिफाल्टर हैं, 60 प्रतिशत ऐसे हैं जिनके ऊपर थाने में कहीं न कहीं क्रिमिनल केसेज चल रहे हैं। इस प्रकार से यह सारा बोगस है, अप्रजातांत्रिक है।

श्री अध्यक्ष—

आपत्ति क्या है ? इसमें बहस नहीं होती। नियमतः क्यों नहीं आ सकता यह आप कहें।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

यही आपत्ति है यह अवैधानिक काम है। पहले चुनाव होकर होता रहा है। मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे जनपद में माननीय मंत्री जो उसी जिले के हैं। ऐसे लोगों का मनोनयन किया गया। 80 प्रतिशत लोग डिफाल्टर हैं थाने में उनके खिलाफ चोरी और बदमाशी की रिपोर्ट दर्ज है, चोर, बदमाश और नपुंसक लोग हैं। ऐसे लोगों को सोसाइटी में नामजद किया जायेगा तो वे सोसाइटी को खाने और लूटने का काम करेंगे। लोकतंत्र इससे बदनाम होगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बच्चा पाठक—

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं।

प्रश्नों के उत्तरों में मंत्री जी का नाम न छापे जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, औचित्य का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय, आप बैठ जायं। वर्मा जी, औचित्य का प्रश्न मैं पहले ले रहा हूं। श्री राम आसरे वर्मा, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री तथा श्री राम आसरे वर्मा और श्री मित्रसेन, श्री खैरुल बशर एवंश्री कुंवर सिंह नेगी ने औचित्य के प्रश्न की तीन सूचनायें दी हैं। मैं पहले श्री राम आसरे वर्मा की सूचना ले रहा हूं उसके बाद दूसरी और तीसरी लूंगा। श्री राम आसरे वर्मा जी ने आज के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 का अहस्ताक्षरित उत्तर प्राप्त होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति मांगी है। मैंने इसको देखा जो उत्तर गया है उस पर राज्य मंत्री लिखा है। नाम नहीं लिखा है। हस्ताक्षरित होकर उत्तर नहीं मिलता। वह केवल साइक्लोस्टाइल होता है और उनका नाम होता है। इसमें नाम छूट गया है यह ठीक नहीं है। इसके लिए मैं शासन को निर्देशित कर रहा हूं कि उत्तर पर नाम लिखा होना चाहिये।

श्री राम आसरे वर्मा--

नियमावली में हर जगह प्रश्नों के उत्तर का जहां जिक्र आया है लिखा है सम्बद्ध मंत्री, कोई राज्य मंत्री का जिक्र नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

आपको आपत्ति क्या है ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरी आपत्ति यह है कि प्रश्नों का उत्तर मंत्री की ओर से होना चाहिये था, दूसरी आपत्ति नाम नहीं था । मान्यवर, इस प्रकार पूरे सदन को मंत्रिपरिषद् की प्रक्रिया भ्रमित कर रही है ।

श्री अध्यक्ष--

पहला और दूसरा नहीं, आपका प्रश्न मूलतः इतना था कि अहस्ताक्षरित उत्तर दिया गया । मैंने व्यवस्था दिया कि प्रश्नों के उत्तर पर हस्ताक्षर नहीं होते, नाम होना चाहिए । मैंने उसके लिये शासन को निर्देशित कर दिया ।

हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी टेलीप्रिंटरों के खरीद की योजना के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

एक दूसरा श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री ने औचित्य का प्रश्न उठाया है । उनका यह कहना है कि सदन की भाषा राष्ट्रभाषा हिन्दी है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनेक अवसरों पर हिन्दी के सरकारी कामकाज करने के संकल्प को दोहराया है, परन्तु यह खेद का विषय है कि इस विधान भवन के अन्दर जिलों में मुख्यालय से समाचार प्रेषित करने के लिये अंग्रेजी टेलीप्रिन्टर का उपयोग होता है और इसी प्रकार जिलों से अंग्रेजी में आदेश-निदेश के पालन की सूचना तथा अन्य समाचार दिये जाते हैं । देश में कई समाचार एजेन्सियों हिन्दी टेलीप्रिन्टर में ही अपना समाचार और कामकाज देश भर में करती हैं । लखनऊ में भी हिन्दी टेलीप्रिन्टर कार्यरत हैं । मुख्य मंत्री जी की उपरोक्त घोषणा के बाद भी अंग्रेजी के टेलीप्रिन्टर विधान भवन में लगाये जाने की योजना है और अनेक अंग्रेजी टेलीप्रिन्टर के खरीदारी के आर्डर दिये गये हैं और दिये जा रहे हैं । इस प्रकार सदन को प्राप्त अधिकारों की अवहेलना की गई है । आपने जो प्रश्न उठाया है, औचित्य का प्रश्न इस नियम के अन्तर्गत सदन में घटित किसी घटना के बारे में उठाया जा सकता है । सरकार टेलीप्रिन्टर मंगाती है या बाहर क्या कार्य कर रही है उसके सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए । इसके लिए औचित्य का प्रश्न उठाने की मैं अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

यह प्रश्न सदन के संज्ञान में एक बार आ चुका है और माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर अपना संकल्प दोहरा चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न जो है यह औचित्य के प्रश्न के रूप में सदन में नहीं उठाया जा सकता है । औचित्य का प्रश्न वह आयेगा जो सदन के नियमों से सम्बन्धित हो ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

मान्यवर, सदन के संज्ञान में कोई बात कही गयी हो तो वह सदन की मर्यादा के अन्दर स्वीकार हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष—

तो मर्यादा की बात उठायें ।

दैनिक 'अमृत प्रभात' में निकले समाचार "जिला अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा का अधिकार विधायकों एवं राजनैतिक दलों को नहीं है" के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक औचित्य का प्रश्न माननीय राम आसरे वर्मा और मित्रसेन यादव और खैरल बशर ने दिया है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

आपने समय-समय पर यहां पर जो निर्देश दिये हैं उनकी अवहेलना है । इसलिए इससे बड़ी बात नियम की कोई और नहीं हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं, आप बैठ जायं । आपका औचित्य का प्रश्न यह है कि हमीरपुर जनपद के जिलाधीश द्वारा 31 जनवरी को पत्रकारों के बीच यह कहा है कि "जिला अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा का अधिकार विधायकों एवं राजनीतिक दलों को नहीं है ।" (दैनिक अमृत प्रभात 1 फरवरी, 1982) इसी बात को लेकर विशेषाधिकार की सूचना सदन में आ चुकी है जिसके संबंध में मैंने मुख्य मंत्री जी से इसकी जानकारी चाही है । यह सदन की प्रक्रिया नियमों से परे एक प्रश्न है । विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठा है । उसका जवाब आने पर इस पर हम आपको सुनेंगे और अपना निर्णय देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । यह नियमों से परे नहीं है । दूसरी बात यह है कि सदन में समय-समय पर आपने स्वयं निर्देश दिया है कि विधायकगण कभी ऐसी समितियों में शिरकत नहीं करेंगे जिसका सभापतित्व जिलाधिकारी करें । दूसरी बात आप यह देखें कि विधायक. .

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

जब विशेषाधिकार का मामला आवे तब आप बोलिएगा तीनों आदमी ।

श्री मित्र सेन--

यह हमारे संवैधानिक अधिकारों को चुनौती का सवाल है। विशेषाधिकार तो विधायी कार्यों में बाधा पहुंचायी जाय, तो बनता है।

श्री अध्यक्ष--

नहीं बनता होगा, तो नहीं होगा।

श्री मित्र सेन--

जिलाधिकारी ने हमें चुनौती दी है सदन और विधायकों को चुनौती दी है कि प्रशासनिक कामों की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। जब हम नीति निर्देशन करते हैं, नीति निर्धारण करते हैं या विधान सभा में नीतियों के बारे में विचार होता है तो क्या हमें समीक्षा करने का अधिकार है? यह हमारे अधिकारों को खुली चुनौती है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं। औचित्य के प्रश्न पर हमने निर्णय दे दिया है।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 56 में आज 4 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। श्री नन्दराम की सूचना ग्राम भोजपुर, रामनाथ, दलपतपुर आदि ग्रामों में नहर के भोजपुर के उत्तर की ओर कट जाने से उक्त गांवों में पानी भरने से फसल की क्षति के संबंध में है। श्री जमुना प्रसाद और श्री राम सागर का विधान सभा के समक्ष अनशन कर रहे जनगणना के कर्मचारियों पर लाठी चार्ज करने के संबंध में है। श्री प्रदीप कुमार यादव की सूचना भी इसी से संबंधित है। एक सूचना श्री हरिगोविन्द वर्मा की सीतापुर में डकैती, कत्ल-राहजनी और फर्जी मुठभेड़ों के सम्बन्ध में है। इन सब सूचनाओं को मैंने अस्वीकार कर दिया है।

1982-83 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष--

अब वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक पर चर्चा होगी।

श्री हुकम सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, 1982-83 का बजट प्रस्तुत करते हुए माननीय वित्त मन्त्री जी ने 128 करोड़ रु0 का घाटा दिखाया है और यह दर्शाया है कि किसी भी नये टैक्स का किसी नये कर का भार प्रदेश की जनता के ऊपर नहीं लादा गया है। आगे जो उन्होंने प्रक्रिया बतायी इस घाटे को पूरा करने की, उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तीन कारण उन्होंने बताये हैं और इससे 128 करोड़ रुपये का घाटा पूरा करने को उन्होंने कहा है। प्रथम है भू-राजस्व का समीचीनीकरण, मार्ग कर का सरलीकरण और कर पद्धति का अभिनवीकरण। यद्यपि कोई विश्लेषण अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मन्त्री जी ने नहीं दिया कि इनके आधार पर कितना घाटा पूरा कर पायेंगे और कितना एडीशनल सोर्सेज

†दिनांक 1 फरवरी, 1982 की कार्यवाही से।

से करेंगे । किसी कर की पद्धति बदलने से उसकी अदायगी में सुविधा हो सकती है, उसकी वसूली में सुविधा हो सकती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि किसी कर की पद्धति में कोई तरमीम कर दी जाय और उस संशोधन से उस कर की धनराशि भी बढ़ जाती है । अगर उसकी वसूली के प्रोसीजर में संशोधन करने का प्राविधान है तो 128 करोड़ का घाटा केवल सरलीकरण से पूरा करना चाहते हैं, कैसे कर पायेंगे । अच्छा होता कि इसका जिक्र अपने बजट भाषण में करते लेकिन नहीं कर पाये । यह तीनों कारण तो कर पायेंगे या नहीं लेकिन हमारे माननीय वित्तमन्त्री जी अपने अभिनय में इतने निपुण हैं कि अभिनय करके अपने दल के सदस्यों से ताली बजवा ली यह कह कर कि कोई एडीशनल भार प्रदेश की जनता पर नहीं है । उसका खोखलापन मैं आपके माध्यम से माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं ।

आप देखें पिछले वर्ष भी इन्हीं माननीय वित्त मन्त्री जी ने इन्हीं शब्दों के साथ इसी प्रकार बजट यहां पर प्रस्तुत किया था और यह कहा था कि कोई भी अतिरिक्त कर नहीं लगाये जायेंगे लेकिन बजट पास कराने के तुरन्त बाद चाहे वह सिंचाई की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हो, चाहे मनोरंजन कर में 40 प्रतिशत की वृद्धि हो या यात्रा भाड़े में 15 प्रतिशत का वृद्धि हो, तीनों वृद्धियां की गयीं शासनादेश के माध्यम से । हमारे चतुर वित्त मन्त्री जी ने एक प्रक्रिया यहां लागू कर दी है, लेजिस्लेटिव सेक्शन की जरूरत इनको नहीं रही । बिना विधान मण्डल की स्वीकृति के करों का भार बढ़ा देते हैं । यह एक घातक परम्परा इस प्रदेश के लिये और लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिये है । इसके पहले सभी लोग प्रतीक्षा करते थे चाहे वह औद्योगिक प्रतिष्ठान हों या व्यापारिक प्रतिष्ठान हों और सोचते थे कि अपना बजट बनाने से पहले सरकार का बजट देख लें और जानकारी कर लें कि क्या कोई नया कर हमारे ऊपर लगाया जा रहा है या नहीं, जिसके आधार पर वह भी अपना साल भर का बजट बना लेते थे । बजट आ गया और बजट आने के बाद भी, पिछले वर्ष आजमा चुके हैं, तमाम हमारे औद्योगिक प्रतिष्ठान इस स्थिति में नहीं कि साल भर का कोई बजट तैयार कर सकें, न व्यापारियों को विश्वास है और न जनता को है कि कोई नया कर शासनादेश के माध्यम से इस प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया जायगा और इसका एक उद्धरण माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश करने के तुरन्त बाद पत्रकारों मे वार्ता करते हुए दिया भी । उन्होंने पत्रकारों से कहा कि 55 करोड़ के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिये सरकार बचनबद्ध है । अगर अतिरिक्त संसाधन आपने नियत कर लिये हैं तो फिर अपने बजट भाषण में कोई एक शब्द आपने इस बात के लिये क्यों नहीं कहा ? वह 55 करोड़ रुपया कहां से आयेगा, तय है कि पिछली बार की तरह जनता पर अतिरिक्त करों का बोझा डाला जायगा । जैसा कि पिछले साल इन्होंने किया वैसे ही अबका भी करेंगे कि जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, असेम्बली प्रोरोग हुई और उसके तुरन्त बाद ही जनता के ऊपर तलवार कर की लाद दी जायेगी ।

इस प्रकार से एक परम्परा चली आ रही है जो की लोकतंत्रके लिये बड़ी घातक सिद्ध हो सकती है । यह बड़ी भारी एक छूट होगी जिससे कि इस देश और प्रदेश को बड़ा भारी आर्थिक स्थिति को धक्का लगेगा ।

(इस समय 1 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बलदेव सिंह आर्य पीठासीन हुए)।

मान्यवर, अभी इतना बड़ा यह बजट करीब 22 सौ 68 करोड़ रुपया का राजस्व प्राप्ति का अनुमान किया है इन्होंने । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि विकास

[श्री हुकम सिंह--]

की ओर हम जाना चाहते हैं तो इतनी बड़ी राजस्व प्राप्ति के बाद भी क्या हम इस स्थिति में हैं कि इतनी बड़ी धनराशि का एक रुपया भी हम ले सकें। इन्हीं वित्त मंत्री जी ने पत्रकारों के सामने भाषण दिया कि प्रदेश में जितने रुपयों का वसूली होती हैं, उससे काम नहीं चल सकता बल्कि केन्द्र से जो सहायता मिलती है उससे भी हम काम चलाते हैं। तो श्रीमन्, इतनी बड़ी जगलरी हो नहीं सकती है कि अपने राजस्व खाते से एक रुपया विकास करने के लिये, प्लानिंग आउट ले में खर्च न कर सकें।

पूंजी खाते की बात को ही ले लीजिये। पूंजीखाते में मान्यवर, इस प्रदेश का ऋण और अग्रिम ऋण को धनराशि जोड़कर 819 करोड़ रुपया का अनुमान है। विकास करने के लिये या प्लानिंग आउट ले के लिये मैं तीन मिसालें देना चाहता हूं। यह तीन मिसालें दे कर अपनी बात कहना चाहता हूं कि 819 करोड़ रुपया पूंजी खाते में अनुमानित है लेकिन कृषि के कामों में 1 करोड़ 40 लाख रुपए आप लगाने वाले हैं। इसके अलावा जो लघु सिंचाई योजना हमारी हैं उसमें 1980-81 की अपेक्षा आपने उसमें 8 करोड़ रुपये की कमी की है। जितना इन्वेस्टमेन्ट आपने पिछले साल किया था, इस साल उसमें 8 करोड़ रुपये की कमी कर दी है। गत वर्ष के पहले वाले साल से आपने इस बार 10 करोड़ रुपए की कमी की है। जल विद्युत् की बहुमुखी योजनायें चल रही हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण के लिये इससे पूर्व के बजट की अपेक्षा इस बार 35 करोड़ रुपये कम लगने जा रहा है। यह है हमारा विकासोन्मुखी बजट। स्मृति पत्र दिया है, जो वित्त सचिव महोदय ने उसी के आधार पर आंकड़े दिये है। मैं चाहूंगा कि आप इनका अध्ययन करें। क्या कारण हैं कि हम अपने विकास कार्यों में आगे नहीं जा सकते, दो ही कारण हैं। जब तक हम ऐसी स्थिति में नहीं होंगे कि इस प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे को ऐसा कर दें कि कम से कम खर्च हो, हम कोई भी संसाधन जुटाने में सक्षम नहीं होंगे। प्रशासनिक दफ्तरों में, अधिकारियों के कार्यालयों के नये पदों का सृजन, डकैती हो गई, कतल हो गया, तो मांग आती है कि थाने खोल दिये जायें, एस0 पी0 लगा दिये जायें, तो वह सब उन पर खर्च हो जाता है, इनको रोकना होगा।

मितव्ययिता के बारे में, दो ही उदाहरण देना चाहता हूं। न्यूज, आइटम निकला था इस सचिवालय के लिए पिछले साल 4 लाख रुपये आवंटित किये गये थे इन्टरटेनमेन्ट, चायपान के लिए, कोल्ड-ड्रिंक्स के लिए। केवल 4 माह के अन्दर 4 लाख के बजाय 6 लाख खर्च हो गये....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री हुकम सिंह--

और इस समय मान्यवर, 10 हजार रुपये प्रतिदिन इस सचिवालय में केवल इन्टरटेनमेन्ट के ऊपर खर्च हो रहा है। दूसरी मिसाल दे दूं--हैलीकाप्टरों से जा-जा कर के ट्यूबवेल्स की मरम्मत, इससे ज्यादा मितव्ययिता और क्या हो सकती है...

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया। कृपया बैठें।

श्री हुकम सिंह--

देश, प्रदेश और इस माननीय सदन को गुमराह करने के लिए यह है कोई भी विकास का कार्य आपे होने वाला नहीं है ।

*श्री प्रभु नारायण सिंह--

आपने मुझे इस आय-व्ययक की चर्चा में भाग ले का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । प्रदेश के वित्त मंत्री जी ने जो आय-व्ययक प्रस्तुत किया है मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूं और निश्चय करता हूं कि निश्चय ही इस बजट के माध्यम से इस प्रदेश की खुशहाली, बहबूदी के लिए काम होगा, इसमें सफल होंगे और प्रदेश आगे बढ़ेगा । जहां समन्वित विकास के लिए योजनाओं के माध्यम से विकास की बात है कोई भी सरकार, चाहे यह हो या अन्य कोई रही हो, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि इतने दिनों में इस देश या प्रदेश में प्रगति ला दे उसे निश्चय ही एक प्रक्रिया से गुजरना होगा और तभी प्रगति हो सकती है । योजनाओं के माध्यम से, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो आगे बढ़ने की दिशा ही है, उसी पर चल कर हमारी प्रगति हो सकती है ।

अर्थ एवं संख्या विभाग की जो राज्य नियोजन, उत्तर प्रदेश की बुकलेट देखने का मुझे अवसर मिला, मैं उनका आभारी हूं, इसमें एक-एक मण्डल, जिला और जिलों के एक-एक क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की है । जब मैंने उसे देखा और उसकी तुलना अपने विधान सभा क्षेत्र के ब्लाकों से की तो मैंने देखा कि अपने जिलों में ही अन्य विकास क्षेत्रों से हमारा विकास काफी पीछे है । जनसंख्या और क्षेत्रफल से तुलना करने के बाद तो अन्य बातें हम लेगें । हमारे विधान सभा क्षेत्र में जलालपुर ब्लाक आता है, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है । मुफ्तीगंज ब्लाक का भी क्षेत्रफल 160 किलोमीटर है और धर्मापुर ब्लाक का क्षेत्रफल 195 किलोमीटर है । इसके पश्चात् यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से इन तीनों विकास क्षेत्रों को देख लें । मुफ्तीगंज में जनसंख्या है 78,900 और जलालपुर में है 79,447 और धर्मापुर में है 1,04,830 तो इस प्रकार इतने क्षेत्रफल में फैले हुए इतनी जनसंख्या वाले यह ब्लाक हैं लेकिन इनकी प्रगति देखें तो बड़ा कष्ट होता है । हमारे जिले में स्कूलों की संख्या, प्राइमरी स्कूलों की संख्या इस प्रकार है शाहगंज तहसील में 71 प्राइमरी स्कूल हैं । सिकरारा में 68, धर्मापुर में 64, जलालपुर में 58 और मुफ्तीगंज में 57 प्राइमरी स्कूल हैं । इसी प्रकार से सीनियर बेसिक स्कूलों की संख्या जलालपुर में 20 है । धर्मापुर में 17 है और मुफ्तीगंज में 16 सीनियर बेसिक स्कूल हैं । इसी प्रकार से हायर सेकेन्डरी स्कूल धर्मापुर में 6 हैं, जलालपुर में भी 6 और मुफ्तीगंज में केवल 4 हैं । जब कि यह मड़ियाहूं में 13 और शाहगंज तथा सिकरारा में 9-9 हैं । यही हालत डिग्री कालेजों की है । धर्मापुर और मुफ्तीगंज में एक भी डिग्री कालेज नहीं है । यही हालत एलोपैथिक चिकित्सालय की है । धर्मापुर में केवल एक एलोपैथिक चिकित्सालय है, जब कि अन्य अधिकांश क्षेत्रों में दो-दो और तीन-तीन हैं । यही हलत आयुर्वेदिक चिकित्सालयों और अस्पतालों की है । मुफ्तीगंज में एक है और धर्मापुर में एक भी नहीं है । इसी प्रकार श्रीमन्, पक्की सड़कों का किलोमीटर के हिसाब से देख लें । धर्मापुर में 67 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं वहीं जलालपुर में 27 किलोमीटर और मुफ्तीगंज में 12 किलोमीटर ही पक्की सड़कें हैं । जब कि शाहगंज में 84 किलोमीटर हैं और कलां में 76 किलोमीटर पक्की सड़कें हैं । इसी प्रकार पशु चिकित्सालयों की भी यही स्थिति है । धर्मापुर और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रभू नारायण सिंह---]

मुफ्तीगंज में केवल एक-एक चिकित्सालय है जब कि अधिकांश क्षेत्रों में 2-2 चिकित्सालय हैं । यही हाल राजकीय नलकूपों को है । धर्मापुर में 27 राजकीय नलकूप हैं, जलालपुर में 18 और मुफ्तीगंज में 15 राजकीय नलकूप हैं, जब कि बरसठी में 52 और सिकरारा में 37 राजकीय नलकूप हैं । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि अगर क्षेत्रीय समन्वय कायम करना है जैसी कि हमारे शासन की मंशा है तो जो जितने ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उसमें उतने अधिक विकास के कार्य किये जायेंगे तभी यह क्षेत्रीय समन्वय कायम हो सकता है । श्रीमन् यह तो आंकड़ों के माध्यम से मैंने पहले यह बताने का प्रयास किया था कि एक तो पूर्वांचल वैसे ही पिछड़े प्रदेशों में सबसे पहले नम्बर पर है और फिर उसमें पहले नम्बर पर जौनपुर है और उसमें पहले नम्बर पर मैं हूं । मैं का मतलब मेरा विधान सभा क्षेत्र । मैं जहां यह अपेक्षा कर रहा था कि वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर सई नदी पर जलालपुर नाम का एक पुल है वह बरसात में डूबा रहता है और उसके कारण आवागमन अवरुद्ध रहता है और उसी पुल की वजह से नाव दुर्घटना हो गई थी ।

मैंने अपेक्षा की थी कि जलालपुर के उस स्थान पर वाराणसी और जौनपुर को जोड़ने वाली जो सड़क है वहां पर पुल बनाने की योजना इस बजट में होगी लेकिन इस बजट में उसका कोई प्राविधान नहीं किया गया है । हमारी तहसील केराकत से लगी हुई गोमती नदी बहती है । केराकत मड़ियाहू को जोड़ने वाली जो सड़क हैं वहां पर भी गोमती नदी पर एक पुल की अपेक्षा थी लेकिन उसके लिए भी इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है । इलाहाबाद व वाराणसी सड़क पर भी एक पुल बनाने का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है । इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बजट का जोरदार समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जायेगी ।

श्री राम गोविन्द---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट के सामान्य चर्चा पर हमें बोलने का समय दिया । सरकार की तरफ से जो यह बजट पेश हुआ है इसमें 128,97 करोड़ रुपए का घाटा दिखलाया गया है और उस घाटे को पूरा करने के लिए किसी और व्यवस्था को नहीं दर्शाया गया है । यह एक परम्परागत बजट है जो हर बार एक परम्परा के अनुसार पेश किया जाता है । किसानों और गरीबों की हितैषी कहलाने वाली सरकार इस बार जो बजट लाई है, उसका कहना है कि इससे उनको लाभ पहुंचेगा, इससे प्रदेश के गरीब और कमजोर वर्ग को लाभ पहुंचेगा लेकिन बजट पेश होते ही ठीक उसकी उल्टी प्रतिक्रिया हुई है । इस बजट में जो प्राविधान किया गया है उससे एक तरह से किसानों की तो कमर ही तोड़ दी गई है । अगर आप सूक्ष्म तरीके से इस बजट का अध्ययन करें तो पायेंगे कि जो विकास की व्यवस्था की गई है वह हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग तरीके से की गई है । मैंने पिछले विधान सभा में भी कहा था और आज फिर कहता हूं । आप भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ तो आजादी की लड़ाई में बलिया ने एक क्रान्तिकारी भूमिका निभाई थी । मैं आपके माध्यम से इस सरकार को बतला देना चाहता हूं इस सदन में कि आजाद होने से अब तक किस भी पार्टी की सरकार क्यों न हो कोई भी मन्त्री क्यों न हो, केवल यही कह कर कि बलिया के लोग बड़े बहादुर हैं, वीर हैं, हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ उसके 24 घंटे पहले ही

बलिया ने अपने को आजाद कर लिया था, वहां चित्तू पांडेय बसते थे, वहां मंगल पांडेय बसते थे, इन्हीं सब बातों को कहकर हमें भुलवा दिया जाता है। पिछले 30 वर्षों में इसके सिवा बलिया के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में वहां की जनता का ज्यादा से ज्यादा योगदान रहा और फिर दूसरी बार लोकनायक जय प्रकाश ने जो क्रान्ति का बिगुल बजाया था, उसमें भी बलिया वालों ने अपनी परम्परा निभाई लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना सब होते हुए भी जनता पार्टी की सरकार ने भी बलिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। लोकनायक जयप्रकाश का गांव जहां बिहार और यू0 पी0 की सीमा है, दोनों क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक पुल बनाने की बात कही गई थी लेकिन इस बजट में इसका भी कोई प्राविधान नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में पहले भी बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन इस पुल के विषय में आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रदेश में हर साल बाढ़ की तबाही आती रहती है। बाढ़ की विभीषिका से किसान हर साल परेशान होते हैं। आप देखेंगे कि बाढ़ के दिनों में हर साल नदियों के किनारों के गांव कटान से तबाह हो जाते है ईटों और सीमेन्ट से उनकी तलहटी और गहराई के पानी को कन्ट्रोल कर लिया जाता है।

श्रीमन्, इतना पैसा सिंचाई बजट में हर साल दिया जाता है लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उस पैसे का दुरुपयोग कर देते हैं। इस बार के बजट में यह प्राविधान किया गया होता कि बाढ़ की विभीषिका से बचने के लिए, पूरे प्रदेश की नदियों की तलहटी को गहरा करने का काम किया जायगा, किनारों को बांधने का काम किया जाय जिससे किसानों को जो अरबों रुपयों की क्षति होती है वह न हो लेकिन इस तरह का कोई प्राविधान इस बजट में नहीं है जिससे यह किसान विरोधी बजट कहा जा सकता है।

श्रीमान्, मेरा ही जनपद बलिया तीन तरफ से नदियों से घिरा हुआ है। बीच-बीच में कितने ही नाले निकलते हैं। बाढ़ से तमाम तबाही होती है। साथ ही साथ वर्षा के कारण जल भराव एवं जल प्लावन की स्थिति भी पैदा हो जाती है। तीन महीने बलिया जनपद में वर्षा के पानी से तबाही हो जाती है। टी0 एन0 सी0 से ड्रेनेज खोदने के लिए संस्तुति मिलती है लेकिन तीस वर्ष के बाद भी आज तक टी0 एन0 सी0 की संस्तुति द्वारा ड्रेनेज खोदवाने आदि की व्यवस्था यह गवर्नमेन्ट नहीं कर पाई। इस बजट में भी इस प्रकार की संस्तुति प्राप्त करने और रुपए देने एवं ड्रेनेज खुदवाने की कोई बात नहीं की गई है ?

उद्योगों के नाम पर केवल एक सहकारी चीनी मिल बलिया में है जो कुछ ही किसानों के गन्ने की पिराई का काम करती है। एक डेढ़ महीना चलती है और फिर बन्द हो जाती है। हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बलिया जनपद के मजदूर अपनी रोजी-रोटी के लिए जाते हैं लेकिन बलिया में ही कोई उद्योग स्थापित कर उनको काम दिलाना सम्भव नहीं हो पाया है। बहुत चर्चा थी कि बलिया जिले में सूती मिल की स्थापना की जायगी। तीन मंत्री बलिया जिले से आते हैं। कभी यह चर्चा थी कि उस मंत्री के क्षेत्र में मिल खुलेगी, कभी यह कहा गया कि उस मन्त्री के क्षेत्र में खुलेगी। मैं आपसे कहूं 200 एकड़ जमीन भी सूती मिल के लिए रखी गई लेकिन इस बजट में सूती मिल का कहीं पर प्राविधान नहीं है। मुझे अफसोस है कि इस बार भी बजट में बलिया जिले के लिए किसी उद्योग का प्राविधान नहीं किया गया है। आखिर इस जन-

[श्री राम गोविन्द---]

पद के लोग अपनी रोजी-रोटी की व्यवस्था कहां से करेंगे। तीन मन्त्री हैं। क्या मन्त्री रोजी-रोटी देंगे। आखिर उद्योग धन्धे ही तो रोजी-रोटी देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीन मन्त्री बलिया जिले से हुए हैं उनके प्रयास से एक सूती मिल की स्थापना न हो सकी तो बलिया जिले के उन मन्त्रियों को तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए नहीं तो इसकी व्यवस्था करनी चाहिए कि इस वर्ष बलिया में एक उद्योग लगाने का काम करेंगे। इस बार किसी उद्योग लगाने का क्यों प्राविधान नहीं किया गया है। क्या यह बजट परम्परागत बजट है कि हर साल पेश किया जाता है, पास किया जाता है, जो मन्त्री प्रभावी होता है अपने क्षेत्र के लिए रुपया छीन कर ले जाता है। न जानें हमारे जिले के मन्त्रियों को क्या हो गया है, संकोच करते हैं या बजट को देखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, अपने जिले के विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है फिर भी आपका काम बलिया जनपद के विकास के लिए उद्योगों की स्थापना करने का होना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में मेरा यह कहना है कि बलिया में कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं। बच्चे बरसात में, गर्मियों के दिनों मे पेड़ की छाया में पढ़ते हैं। तीन मंत्रियों के होने के कारण भी इस प्रकार की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में बलिया जनपद में है। मंत्रियों से हमको कोई फायदा नहीं है, बलिया से इन लोगों को खीझ सी हो गई है। इनका काम केवल असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के अलावा कोई काम नहीं है। हर हफ्ते बलिया में मंत्री जरूर रहेंगे। सारे अधिकारी कर्मचारी उनके पीछे रहते हैं। फलां का ट्रांन्सफर कर दो, फलां को हटा दो, यही काम है। मंत्रियों का जो काम होना चहिये विकास का, जनता को राहत देने का. रोजी-रोटी देने की व्यवस्था करने का, वह सारा काम गोल हो गया है। और अपने राजनीतिक फायदे के लिये ये तीन-चार मंत्री आपस में लड़ते रहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यदि आप हमारे जिले का विकास करना चाहते हैं तो इन मंत्री लोगों को समझायें कि वे हमारे जिले का दौरा कम करें और राहत देने का काम ज्यादा करें। श्रीमन्, मैंने स्कूलों के बारे में आपसे निवेदन किया, सिंचाई के बारे में कहा, उद्योग के बारे में कहा। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां इतने अराजक तत्व हो गए हैं कि जिनकी वजह से कानून व्यवस्था बहुत ढीली हो गई है और पुलिस निर्दोष लोगों को घर से बुलाकर गोली मरवा देती है....

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठें।

श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, एक आदमी को दिन के 12 बजे कचहरी में पकड़ लिया गया और उस वक्त हमारे मंडलीय मन्त्री निर्मल कुमार खत्री वहां पर मौजूद थे। वहां लोगों ने आई० जी०, डी० आई० जी० तथा मुख्य मन्त्री को तार दिया कि हमारे भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। मन्त्री जी से भी लोगों ने कहा और मंत्री जी ने एस० पी० से कहा किन्तु कुछ नहीं हुआ और उस व्यक्ति को गोली मार दी गयी।

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बैठ जायं, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री राम गोविन्द---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं हमारे जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाय और जनपद को योजनाबद्ध तरीके से उसका विकास किया जाय ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस बजट की चर्चा पर मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो यह सामयिक बजट पेश किया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और जैसा कि महामहिम राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए अपने अभिभाषण में कहा था, उसको कार्यान्वित करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए स्वयं वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट तैयार करने में पूरा ध्यान दिया है । मान्यवर, हमारा प्रदेश ग्रामीण बाहुल्य है । यहां इस प्रदेश में दो बातों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है । एक ग्रामीण विकास और दूसरा शांति व्यवस्था । इन दोनों बातों पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है । इतना ही नहीं हमारा 1982-83 का वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है । दो वर्ष पूर्व की योजनाओं को ध्यान में रखकर उसकी सफलता के लिए योजना आयोग ने पिछले वर्ष हमको 1075 करोड़ रुपये की योजना प्रदेश के लिए अनुमोदित की थी जब कि इस 1982-83 के लिए 127 करोड़ अधिक यानी 1202 करोड़ रुपये की योजना अनुमोदित की है । यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ।

शांति व्यवस्था के बारे में हमारे विरोध पक्ष के भाइयों ने बहुत ज्यादा जोर दिया है । यह सही है कि किसी भी पार्टी की सरकार हो, शांति और व्यवस्था स्थापित करना उसका परम उत्तरदायित्व है । शांति और व्यवस्था में हमारी सरकार ने निर्बल वर्ग के प्रति अत्याचार को दूर करने के लिए और साम्प्रदायिकता को समूल नष्ट करने के लिए बहुत कठोर कदम उठाये हैं । प्रत्येक कानून विरोधी तत्वों से निपटने के लिए एवं शांति व्यवस्था रखने के लिए हमारी सरकार ने जहां पिछले वर्ष 3 पी० ए० सी० वाहिनी का गठन किया था वहीं 1982-83 में 2 विशेष वाहिनी का गठन किया गया है, जैसा कि इसमें प्राविधान है । दस्यु उन्मूलन में लगे पुलिस को अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित किया गया है और उनको प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश डकैती अध्यादेश, 1981 लागू किया गया है । मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इटावा में डाकू समस्याओं से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद में एक-एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी नियुक्त किया गया है । 48 नागरिक पुलिस चौकियों तथा 66 रेलवे पुलिस चौकियों को दूर संचार व्यवस्था से सुदृढ़ किया गया है । अपराधों की रोकथाम के लिए ट्रैफिक राडार भी स्थापित किये गये हैं । पुलिस को गतिशील बनाने के लिए प्रदेश के 1234 पुलिस थानों में से 1133 को जीपें उपलब्ध कराई गई हैं ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं और इस वर्ष 1982-83 के बजट में ग्रामों के विकास के लिये 78 करोड़

[श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---]

रुपयों की परियोजना निर्धारित की गई है और 4 करोड़ रुपया केवल हरिजन बस्तियों में पेय जल की व्यवस्था के लिए निर्धारित किया गया है ।

(व्यवधान)

में माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि गोंडा भी प्रदेश के अन्दर निहित है ।

जनता तक शासन का ध्यान पहुंचाने के लिए शासन का विकेन्द्रीकरण भी किया गया है । इसमें कोई दो राय नहीं कि कोई भी बजट आये उसका सही उपयोग तभी हो पाता है जब उसका कार्यान्वयन सही हो । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी से तथा सम्बद्ध विभागों के सभी मंत्रियों से कि बजट प्रस्तुत कर देने से केवल कार्य पूरा नहीं होता यदि शासन जागरूक न रहे तो कोई भी सरकार हो आंकड़े ही केवल उसके हाथ लगते हैं और बजट अफसरशाही के अधीन होकर अफसरों के बीच में ही रह जाता है । मैं इतना अवश्य कहूंगा कि माननीय विधायक चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों उनको भी जागरूक रहना होगा और माननीय मंत्रियों को भी जागरूक रहना पड़ेगा ।

20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत न्याय विभाग में विशेष रुचि दिखाई गई है। निःशुल्क कानूनी सहायता तथा न्याय दिलाने के लिए कानूनी सहायता परामर्शदात्री समिति का भी गठन किया गया है निर्बल और गरीब वर्ग के लोगों को सही समय पर कानूनी सहायता देने के लिए और न्याय पाने के लिए उनको निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है जो कानूनी परामर्शदात्री समिति से मिलती रहेगी और इस तरह से हमारे जो गरीब भाई हैं उनको कानूनी सहायता बराबर मिलती रहेगी ।

जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की बात है, उधर से इस बात पर जोर दिया गया है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । बेकारी जो बढ़ रही है इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहां जनसंख्या में अथाह वृद्धि हो रही है । लेकिन हमारी सरकार ने रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय रोजगार योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देश पर जो योजना बनाई गई है उससे ग्रामीण भाइयों को काफी रोजगार मिलेगा । ट्राईसम योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध भी होने लगा है ।

शांति व्यवस्था के बारे में एक चीज जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी क्राइम हो उससे राहत के दो रूप होते हैं एक तो प्रिवेंटिव यानी रोकथाम कैसे की जाय कि क्राइम घटे ही नहीं और दूसरी ओर अगर क्राइम हो गया है तो उससे निपटा कैसे जाय और उसके लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाय। इसके लिए हमें प्रिवेंटिव और उनका क्योर यानी उनको समाप्त करने के दोनों तरीकों को अपनाना होगा। इसके लिए मैं अपने विपक्ष के भाइयों के भी चाहूंगा कि वे हमारा पूरा-पूरा सहयोग दें । जिस तरह से आपके लिए विपक्ष में बैठकर आलोचना करना जरूरी है उसी तरह से रचनात्मक कार्यों में सहयोग करना भी जरूरी है । अगर आपकी आलोचना रचनात्मक होगी तो सत्ता पक्ष को उससे बल मिलेगा । लेकिन जहां हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के निर्देश पर उत्पादन वर्ष मनाया जाता है वहां आपकी तरफ से उसे उत्पात वर्ष मनाया जाता है । यदि हमारे प्रदेश का उत्पादन बढ़ेगा तो उसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, लाभान्वित होंगे । इसलिए मैं कहूंगा कि जो हमारे रचनात्मक कार्य हों उसमें आपका पूर्ण सहयोग मिलता रहे । अब मैं

अधिक समय न लेकर, पुनः मैं आपका आभारी हूं । हमारा यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया है, उसका हृदय से मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इसका विपक्ष के भाई भी स्वागत करेंगे ।

*श्री मसरूर जाफरी---

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस दिवालिया बजट पर बोलने का अवसर दिया । जो यह घाटे का बजट आया है वह इस दिवालिया सरकार का सबसे बड़ा प्रमाण है जनता पर हमला करने से पहले उन्होंने जनता को बड़ा सब्जबाग दिखाया है । इनका सहारा लेकर खराब तस्वीर पर पर्दा डालने का इन्होंने असफल प्रयास किया है । यह बजट जनता की तमाम मसायल की तरफ से आंख बन्द कर के रखा गया है और इसमें उसी नीयत से काम किया गया है । जो इतने बड़े घाटे का बजट है, इससे महंगाई अवश्य बढ़ेगी । इसमें नये टैक्स न लगाने की जो बात कही गई है, वह सब धोखा है और प्रदेश की जनता इसे अच्छी तरह समझती है । इन्होंने पिछले बजट में भी यह वायदा किया था कि हम पूरे वर्ष में कोई नया टैक्स नहीं लगायेंगे, न टैक्स बढ़ायेंगे, लेकिन देखने में बिल्कुल उसका उल्टा आया और इन्होंने पानी पर, बसों के किराये पर और बिजली पर वृद्धि की । इसलिए इनसे ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि इसके बाद कोई नया टैक्स नहीं लगाया जायेगा । इन्होंने ऐसा इस डर में किया है कि कहीं अधिक टैक्स लगने से जनता भड़क न उठे । जनता को गुमराह करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है । यह घाटे का बजट जो दिवालिया सरकार ने पेश किया है, उसको पूरा करने का एक ही रास्ता है कि जनता पर भारी टैक्स लाद दिया जाये, जैसा इन्होंने पिछली बार किया है । करों की दर में जो असमानता है और उसके सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो बात कही है, उससे बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि यह इसमें वृद्धि करेंगे। इस बजट में बेरोजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया है, उनके फायदे के लिए इसमें कोई भी बात नहीं है । अभी उपाध्याय जी ने सड़कों का बहुत जिक्र किया, उस सम्बन्ध में मैं अपने जिले के कुछ आंकड़े आपके सामने देना चाहता हूं, जिला गोंडा, जो पूर्वांचल का एक सबसे पिछड़ा जिला है, वहां सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है । कोई ऐसी सड़क नहीं है, जिससे किसान एक मंडी से दूसरी मंडी में जा सके । मेरा क्षेत्र, विधान सभा क्षेत्र उतरौला बीच में है, एक तरफ राप्ती नदी है और उस तरफ तुलसीपुर है, जहां स्थित देवी पाटन स्थान पर उसके मेले में लाखों आदमी देवी जी के दर्शन करने हर साल आते हैं और बिहार के तमाम लोग आते हैं । उसकी मात्र 5 मील लम्बी सड़क किसी सरकार ने नहीं बनवाई है, जिससे लाखों जनता और दर्शनार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है ।

उतरौला जैसे पिछड़े क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है । उसमें न तो कोई साइंस कालेज है और न महिलाओं का कालेज है और न कोई कल-कारखाने हैं । पिछली बार मनकापुर में खाद का कारखाना लगाने की जो बात कही गई थी वह भी बिल्कुल गलत है, वह कारखाना नहीं खुलेगा, इसके बारे में मंत्री जी ने कोई संकेत नहीं दिया है । शिक्षा के मामले में यह प्रदेश आजादी के पहले आगे था और आज सबसे पीछे है । उसकी वजह यह है कि पूर्वांचल के जिलों में, एक जिले में मुश्किल से 4-5 कालेज और एक डिग्री होता है । मेरे जिले में दो डिग्री कालेज हैं, एक बलरामपुर में और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मसरूर जाफरी---]

दूसरा गोंडा में, उतरौला में कोई नहीं है । इसलिए अधिकांश छात्र शिक्षा से वंचित हैं । गरीब जनता के लिए सेकेन्डरी स्तर तक की शिक्षा फ्री और आवश्यक करने के लिए कोई बात नहीं की गई है । खेतिहर मजदूर, जो इस प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, हमारी सरकार हरिजनों का राग अलापती है, वह अधिकांश खेती में काम करते हैं उनके लिए मजदूरी की कोई बात नहीं कही गई है । इसमें यह नहीं बताया गया है कि उन्हें क्या मजदूरी दी जायेगी ।

इस दिवालिया सरकार के दिवालिया परिवहन निगम के पास इतनी बसें नहीं हैं कि जो लोग बसों की छत पर चढ़ कर सफर करते हैं वे आराम से बस में जा सकें । आप किसी वर्कशाप में जाकर देख लें दर्जनों बसें खराब खड़ी हुई मिलेंगी । जितनी भी खराब बसें थीं, इस सरकार ने गोंडा जिले में भेज दी है । माननीय परिवहन मंत्री जी ने पिछले वर्ष 200 बसें एयर कन्डीशन्ड भेज दीं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी । गरीबों के लिए वह बेकार थीं । उससे जनता की कोई परेशानी हल नहीं हुई ।

मैं यह मानता हूं कि हमारे वित्त मन्त्री महोदय लफ्फाजी करने में बड़े ही माहिर हैं और वह एक कला उनमें है, लेकिन अपने विशाल बहुमत के बल पर वे कितने ही जोरदार ढंग से गधे को घोड़ा कहने का प्रयास करें, जनता उसे घोड़ा नहीं समझेगी । माननीय वित्त मन्त्री जी ने जिस तरह का बजट पेश किया है उससे प्रदेश की जनता को कोई आशा नहीं है । उससे किसी का उद्धार नहीं होगा ।

मान्यवर, गोंडा जिला प्रदेश का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और उसका नं0 57वां आता है । शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है । आप भले ही हमारी आवाज को दबा लें, जनता की आवाज को दबा डालें, पर प्रदेश की जनता आपके खिलाफ अब बगावत के लिए तैयार हो रही है ।

आप बार-बार हरिजनों की बात करते हैं । मैं तो चैलेंज करता हूं कि आप किसी भी जिले में जाकर देख लीजिये, किसी भी हरिजन को अगर पट्टा मिला है तो भूमि पर कब्जा नहीं मिला है । हमारे जिले में पिछले वर्ष तमाम जमीन निकली, अगर उसे भूमिहीनों में बांट दिया जाता तो उससे कितने ही भूमिहीन किसानों का भला हुआ होता । उससे कितने ही बेरोजगार लोगों को काम मिला होता । आपने आई0 आर0 डी0 स्कीम जो चलाई वह भी सफल नहीं हुई, कहीं भी वह कामयाब नहीं हो पा रही है । हर आपका कर्मचारी और अधिकारी पहले रिश्वत लेता है तब किसान को कुछ मिलता है । आपकी कम्पोनेंट प्लान भी फेल हो चुकी है । ग्रामीण सड़कें बनाने की प्लान भी आपकी फेल हो चुकी है । अगर कहीं सड़कें बनी है तो वह नाम मात्र की बनी हैं । आप मजदूर को जो 6 रुपये मजदूरी देते हैं, वह मजदूर को 4 रुपये ही मिल पाती है । सारा गल्ला जो स्कीम के लिए दिया जाता है वह आपके इन्जीनियरों के घर पर दिखाई देगा । काले बाजार में वह बिक जाता है । विशेष कर मेरे जिले में ऐसा ही देखने में आया है ।

बिजली की हालत यह है कि हमारे गोंडा जिले में 4-5 घंटे ही बिजली आती है । जो इन्जीनियर चोरी करते हैं उनके यहां बराबर बिजली रहती है । इन सारी चीजों के कारण इस बजट से हमारी समस्यायें हल होने के बजाय और गम्भीर होंगी और जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी और उसके लिए जनता आपको कभी क्षमा नहीं करेगी ।

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, मुझे खेद है कि इस समय सदन में माननीय नेता विरोधी दल नहीं हैं लेकिन भाई मोहन सिंह जो यहां पर विद्यमान हैं, मैं उनसे ही निवेदन करूंगा कि वे मेरी भावनाओं को नेता विरोधी दल तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

अधिष्ठाता महोदय, जिस समय कल नेता विरोधी दल अपने भाषण का समापन कर रहे थे तो उस समय उन्होंने अपने बारे में भी 2-1 शब्दों का प्रयोग किया था। उन्होंने अपने पूज्य पितामह और पूज्य पिता का पुण्य स्मरण करते हुए निवेदन किया था कि उनकी नसों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून बह रहा है। उनके पिता ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेते समय खून बहाया था। लेकिन प्रश्न यह है कि उनके पिता और पितामह उनके सम्बन्ध में क्या सोचते होंगे। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको पता होगा कि संत कबीर ने अपने लड़के के बारे में कहा था। उन लड़के का नाम कमाल था और वह उनके विपरीत आचरण कर रहा था। जब इनसे इस सम्बन्ध में पूंछा गया तो उन्होंने कहा था कि "डूबा बंश कबीर का उपजा पूत कमाल"। आज नेता विरोधी दल के पिता और पितामह अफसोस कर रहे होंगे कि जिस राष्ट्रीय धारा को उन्होंने आगे बढ़ाया था और जिस देश की आजादी के लिए कांग्रेस के जरिये आन्दोलन में हिस्सा लिया आज उनके पुत्र राष्ट्रीय धारा से पृथक होकर उसे देख रहे हैं कि वह कितनी उथली है, कितनी गहरी है। मुझे आशा है मेरी यह बात उनको बता दें कि वे राष्ट्रीय धारा में बहने का प्रयत्न करें।

श्री शंकर सिंह--

उनके पिता और पितामह क्या कह रहे होंगे, उनको छोड़िए लेकिन आप अपने पिता को खूब समझते होंगे ?

श्री भगवती सिंह विशारद--

मान्यवर, महालेखाकार की रिपोर्ट से अधिक माननीय नेता विरोधी दल का भाषण कुछ और नहीं था। वही सारी बातें जैसे ए० जी० महोदय कहते हैं, वे अपने भाषण में बता रहे थे।

आजकल जो बजट तैयार होता है वह प्रदेश के संसाधनों और योजना आयोग से जो सहायता मिलती है, उसके आधार पर ही तैयार होता है। हमारी छठी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1978-79 में लागू हो जानी चाहिए थी। लेकिन जनता पार्टी की सरकार की अकर्मण्यता के कारण उसका ये विरोधी दल प्रारूप तक तयार नहीं कर पाये थे और वर्ष 1982 में अपना कृष्ण मुख करके चले गये थे। जिस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश का नेतृत्व संभाला उन्होंने छठीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कराया और 1 अरब 27 करोड़ रुपया अब प्रदेश को 1982-83 में अधिक प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उनके सद्प्रयत्न से इतनी अधिक सहायता प्रदेशीय सरकार को प्राप्त हो रही है। लेकिन माननीय वित्त मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि जितनी ज्यादा धनराशि प्राप्त होती है उतना ही उसमें भ्रष्टाचार बढ़ता है। सदुपयोग के स्थान पर पैसे का दुरुपयोग होने लगता है और देश के पैसे की बरबादी होती है। आज जनता टैक्स के बोझ को बर्दाश्त करने को तैयार है लेकिन वह चाहती है कि उसके रुपये का एक-एक पैसे का सदुपयोग हो। पर यदि उसका सदुपयोग न हुआ तो वह विद्रोह करेगी। हमारी जो योजनायें लागू हों, हमारे जो कार्यक्रम हैं, उनके सम्पादन में रुपये का सदुपयोग ही

[श्री भगवती सिंह विशारद---]

और इस सरकार को रुपये की बरबादी को रोकने का सद्प्रयत्न करना चाहिये और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए मान्यवर, पिछले वर्षों से अगर आप इस वर्ष की तुलना करें तो आप यह देखेंगे कि प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्र में और कृषि क्षेत्र में हमारी काफी प्रगति हुई है। हम काफी आगे बढ़े हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हमारी 12·2 प्रतिशत 1981-82 में प्रगति हुई। कृषि उत्पादन में 1978-79 की तुलना में वर्ष 1980-81 और 1981-82 में क्रमशः 6 प्रतिशत और 49 प्रतिशत की उन्नति हुई है। इस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्पादन वर्ष घोषित किया है जिसके अन्तर्गत हमें पूर्ण विश्वास है कि हम वह कीर्तिमान स्थापित करेंगे जो अब तक नहीं हुआ था। बजट में इस बार हरिजन भाइयों के लिए अधिक सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष 25 करोड़ विशेष केन्द्रीय सहायता मिलने की आशा प्रकट की गई है। मुझे उम्मीद है कि यह धनराशि प्राप्त होने पर हरिजन भाइयों के लिए जो योजनाएं हैं, वे कार्यान्वित की जायेंगी। इसी भाषण में माननीय वित्त मन्त्री ने बताया कि आज जो हरिजन भाइयों के प्राइमरी कक्षाओं में बालिकाएं पढ़ती हैं, उनमें 15 रुपया मासिक की सहायता दी जायगी। हमारा निवेदन है कि प्राइमरी सेक्शन में जो हरिजन बालक पढ़ते हैं, उनको भी इसी तरह की सहायता देने की माननीय मन्त्री जी कृपा करें। इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट भाषण में वित्त मंत्री ने हर जिले में, जो पिछड़े वर्ग के और कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको न्याय दिलाने के सम्बन्ध में, जो कमेटियों का गठन किया है, उनका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, अब कुछ समस्यायें ऐसी हैं जो हमारे जनपद की हैं। उन्नाव जनपद में काफी समय से इस बात की मांग हो रही है कि वहां पर गन्ने की सघन खेती कराई जाय और उसके लिए समय-समय पर हमने और अन्य विधायक साथियों ने सरकार से मांग की है। मुझे उम्मीद है कि उन्नाव में इस वर्ष सघन खेती कराने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उन्नाव जनपद में 73 शासकीय नलकूप हैं जब कि प्रदेश के अन्य जिलों में सैकड़ों-सैकड़ों की संख्या में शासकीय नलकूप काम कर रहे हैं। यह बटवारा किस तरह होता है, मैं नहीं कह सकता हूं। जैसा कि बजट भाषण में और अन्य अवसरों पर माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है कि जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जनपद उन्नाव में सिंचाई के साधन बहुत कम हैं और इस दृष्टि से कि 1973-74 शासकीय नलकूप बहुत कम हैं। अधिक से अधिक हमारे जनपद में हों। जिन विकास खंडों में मान्यवर, सिंचाई के साधन अत्यधिक कम हैं, उन विकास खंडों में सिंचाई के साधन बढ़ाने की कृपा करें। मान्यवर, मैं बहुत अनुग्रहीत हूं जो आपने मुझे अवसर दिया।

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, पिछले साल जब बजट पेश किया गया तो कहा गया था कि समय पर बजट पेश हो रहा है और बजट पर जितना भी हिस्सा विभागों को दिया जायगा, वह सारा का सारा उपयोग हो जायगा। अब खेद है कि समय से बजट पेश होने के बावजूद भी इस वर्ष 34 करोड़ रुपया विभागों से बचा है जो उन्होंने समय पर खर्च नहीं किया है और वित्तमंत्री जी ने 129 करोड़ का जो घाटा दिखाया है, उसको इस जो सार्वजनिक लेखा की जो राशि है इसको उसमें जोड़कर बजट में घाटे को कम करने का प्रयत्न किया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस सरकार की हमेशा की यह परम्परा रही है कि घाटे का बजट पेश कर सस्ती लोकप्रियता लूटने की और इस समय भी पिछले साल की तरह कहा गया कि बजट में टैक्स नहीं लगेगा। पिछले साल भी कहा गया था परन्तु यात्रियों पर बसों का भाड़ा बढ़ा, किराया बढ़ा और हमारे गढ़वाल में तो एक नई परम्परा कायम की गई कि जो यात्री यात्रा पर जाने वाले हैं, उन यात्रियों से वहां की सामान्य लोगों से 30 प्रतिशत अधिक किराया वसूल किया गया। इस साल भी कर रहित बजट कहा गया है लेकिन कर राहत वर्ष नहीं रहेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले दिनों कहा कि मैं आंकड़ों से नहीं बजट से नहीं, योजनाओं के आकार से नहीं, नतीजों से विकास को आंकता हूं। यह सही है कि सरकार की मंशा खराब नहीं रहती है, यह लोग लोक कल्याण का प्रयास करते रहते हैं। ग्रामीण रोजगार योजना बहुत सुन्दर है, यहां पर कहा गया कि नियोजन का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा यह बहुत अच्छी बात कही गयी परन्तु वास्तविकता यह है कि व्यवहारिकता में हमारी सारी योजनायें फेल हो जाती हैं और बजट का कहीं पता नहीं चलता कि किस प्रकार उसका उपयोग किया गया। कहीं उपयोग का नाम नही दिखाई देता। इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनका सामान्य जनता का प्रतिनिधि के साथ कोई तालमेल नहीं हैं, सामन्जस्य नहीं है। जन प्रतिनिधि उनके कार्य को समीक्षा नहीं कर सकता है उनकी देखरेख नहीं कर सकता है उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये सारी की सारी योजनायें सफल नहीं हो पाती है और सारे का सारा काम बेकार हो जाता है। बजट के घाटे को पूरा करने के लिए हमेशा यह कहा जाता है कि मितव्ययिता करेंगे, प्रशासनिक खर्चों को कम करेंगे, योजनाओं को समयबद्ध करेंगे, जो बकाया है उसका वसूल करेंगे। परन्तु जहां तक मितव्ययिता का सवाल है आपके सामने 2 उदाहरण पेश करूंगा। इस समय पर्वतीय क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण अधिष्ठान में जो बजट का प्राविधान किया गया है उसमें मात्र टेलीफोन व्यय के लिए एक लाख 90 हजार उनके रख-रखाव व अनुरक्षण के लिए 20 लाख का प्राविधान किया गया है। चमोली जिले में एक हाड़ा योजना जून, 1980 में शुरू हुई और सितम्बर, 1981 में पूरा होना था। मैंने एक सवाल किया था कि गाड़ियों के खरीदने और रख-रखाव में कितना खर्च हुआ। ढाई साल के अरसे में एक कार खरीदी 68 हजार 7 सौ रुपए की और ढाई साल के अरसे में 1 लाख 10 हजार 559 रुपया अनुरक्षण और ईंधन पर व्यय हुआ। इस प्रकार फिजूल खर्ची, टेलीफोन और गाड़ियों पर की जा रही है और पल्टन की पल्टन आपने लगा रखी है कर्मचारियों की। जिनके ऊपर आपका अंकुश नहीं है। इससे फिजूल खर्ची को रोका नहीं जा सकता है।

मान्यवर, गढ़वाल में जो उपचुनाव हुआ उसमें 3 करोड़ से अधिक धनराशि सरकार ने खर्च किया है। एक केन्द्र के मंत्री हैं सी0 पी0 एन0 सिंह जी, चुनाव के दौरान सरकारी डाक बंगले गोपेश्वर में रहे। उद्यान विभाग का टेलीफोन उनके लिए लगाया गया और 32 हजार रुपए का टेलीफोन का बिल आया। वह सरकार ने दिया, या पार्टी ने दिया इसका पता नहीं है लेकिन इस तरह से पैसे का अपव्यय होता है। उस समय धीरेन्द्र ब्रह्मचारी चुनाव प्रचार पर आए थे। प्रधानमंत्री के लिए एक सभा मंच हजारों रुपयों की लागत से बनाया गया था लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के हवाई जहाज के रनवे के लिए वह हजारों की लागत का मंच तोड़ दिया गया। हजारों पुलिस उस समय वहां पर गयी। जब दोबारा चुनाव की तिथि निश्चित हुयी तो 6 हजार पुलिस और वायर लेस वगैरह वहां पर गए। पहले के चुनाव में क्या हुआ कि कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी पर जो थे उनको एकाएक रास्ते से आदेश दिया गया कि वापस आ जायं। उनके टी0ए0 डी0ए0 पर तमाम व्यय हुआ और

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

यहां आने पर पता चला कि उनका कोई काम नहीं था। तो इस तरह से अपव्यय सरकार की तरफ से किया जाता है।

हमारे यहां पी0 डब्लू0 डी0 सिंचाई विभाग, जल निगम का यह हाल है कि रुपए को ये कुछ नहीं समझते हैं। जल निगम ने अगस्तमुनि में तल्लानागपुर पेयजल योजना को शुरू किया। 2 करोड़ रुपए की योजना है। उसके लिए स्थान का चयन हो गया। 11 लाख रुपए के नल आ गए और काफी व्यय हो गया। अब अधीक्षण अभियंता कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। मंदाकिनी से हटाकर अलकनंदा की ओर ले जाया जाय। तो इस तरह से इसमें और भी खर्च होगा। जल निगम की एक और मिसाल मैं देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी आवासीय भवनों के लिए गोपेश्वर कलेक्ट्रेट के ऊपर रिज पर साइट डेवलपमेन्ट का काम किया। जब सड़क वगैरह का निर्माण हो गया और भवन बनने की बात आयी तो कहा गया कि जगह कमजोर है। इस तरह से लाखों रुपया जो खर्च हुआ था वह बेकार चला गया। पी0 डब्लू0 डी0 की गुप्त काशी--कालीमठ की सड़क बन रही थी। तो सड़क का काम तो बाद में हुआ लेकिन बस स्टैंड पहले बनकर तैयार हो गया। गुप्तकाशी से ऐसा एलाइनमेन्ट किया कि हार्ड बेड के बाद तीन बेड दे दिए। जब सड़क बन नहीं पायी तो एलाइनमेन्ट बदल दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि यह किसकी गलती थी और इतना रुपया क्यों बरबाद हुआ। इसी प्रकार से योजना को चलाने में कर्मचारियों पर अंकुश रखने की आवश्यकता है। हमारे जिले में पिछले साल भी कोई कार्य नहीं हुआ है। कोई प्रगति नहीं हुयी है। न सड़क बनी और न कोई अस्पताल बना। लोगों को उपज की कीमत ठीक नही मिल रही है। वन जन्तुओं से लोग परेशानी में हैं। वन जन्तुओं के मारने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है लेकिन जिन लोगों को वन जन्तुओं ने मार दिया है उनको मुआवजा देने का कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

[समय 2 बजकर 8 मिनट]

श्री ध्रुप राय--

माननीय अधिष्ठाता जी, 1982-83 के उत्तर प्रदेश के बजट में 3 हजार 88 करोड़ रुपए की आय है और 3,336·87 करोड़ रु0 का खर्चा है और दूसरे रु0 248·87 का गेप है और इस प्रकार यह 248·87 करोड़ रु0 का घाटे का बजट बनाया गया है और पिछले वर्ष भी यह बजट घाटे का पेश हुआ था जिसमें 97·63 करोड़ रु0 का घाटा बताया गया था। नेता विरोधी दल ने इस बजट भाषण में अपने विचार व्यक्त करते हुए यह बताया कि इस घाटे का असर मुद्रा स्फीति पर पड़ता है, जिससे मुद्रास्फीति में इन्फ्लेशन बढ़कर अब 40 प्रतिशत हो गया है। मैं इस संदर्भ में यह बताना चाहता हूं कि अगर प्वाइंट टू प्वाइंट हरेक को मिलते हुए देखेंगे तो हमको मालूम होगा कि 1979 में मुद्रास्फीति 23 प्रतिशत थी, जो 1980 में घटकर 9 प्रतिशत ही रह गयी और फिर 1981 में और घटी अर्थात् 7-8 पर ही रह गयी, 40 परसेंट नहीं है जो आंकड़े माननीय नेता विरोधी दल ने बताये वह गलत है और 1979 में प्राईस इंडेक्स 233 था और 1980 में 287

पर था और सन् 1981 में यह बढ़कर 287·7 पर है । इस प्रकार से दामों में केवल 6·9 प्रतिशत ही की बढ़ोत्तरी हुयी है । यह स्थिति है और यह बढ़ोत्तरी अनेक कारणों से हुयी है । पहला तो कारण यह रहा था कि तेल के दाम बढ़े और दूसरा मेन कारण यह था कि जब कहीं पर डेवलपमेंट का कार्य होता है, तो वहां पर दामों में बढ़ोत्तरी होना स्वाभाविक है । इसलिए भी दामों में कुछ बढ़ोत्तरी आयी और तीसरी बात में माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो माननीय नेता विरोधी दल ने अपने भाषण के दौरान जो बातें कहीं उससे मुझे ऐसा लगा कि वह किसानों के प्रति बहुत कुछ उन्होंने अपने कार्य-काल में किया है और उनके दल के लोगों ने भी किसानों के प्रति बड़ी सहानुभूति का प्रदर्शन किया लेकिन मैं जहां तक समझा हूं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा कोई प्रोग्राम या कार्य-क्रम नहीं बनाया था जिससे किसानों का कुछ डेवलपमेन्ट होता । मैं आपके सामने यह विश्वविद्यालय की ओपीनियन, जो एक किताब में अंकित है, दे रहा हूं, जो अंग्रेजी में है—

"जवाहर लाल नेहरू एमब्रेसेड अपान ए प्रोग्राम आफ रेपिड इंडस्ट्रीलाइजेशन एन्ड माडर्नाइजेशन आफ ऐग्रीकल्चर, मिसेस गाँधी परसनली एण्ड कांग्रेस पार्टी कलेक्टिवली हैव मेड ए टैंजिबुल एण्ड ट्रेमेन्डुअस कांट्रीब्यूशन टु ब्रिंगिंग एकोनामिक जस्टिस टू दि पुअर, व्हाईल कन्ट्री हैंड मेड रेपिड प्रोग्रेस इन आलमोस्ट आल एकोनामिक स्फेयरस, दि लाट आफ दि पुअर बोथ अरबन एण्ड रूरल रिमेन दि सेम, डेवलपमेन्ट हैज कम एण्ड इज गोइंग बट दि प्रोबलेम आफ पावर्टी रिमेन, नंड इज इनटीग्रेशन आफ दि बेसिक नीड्स एप्रोच इन ओवर आल डेवलपमेन्ट स्ट्रेटेजी ।"

श्री अधिष्ठाता—

इसका हिन्दी अनुवाद भी बता दें ।

श्री ध्रुप राय—

जवाहर लाल नेहरू ने तेज औद्योगीकरण और खेती के आधुनिकीकरण पर बल दिया । श्रीमती इन्दिरा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से और कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से गरीबों को आर्थिक न्याय दिलाने हेतु इस कठिन और दुष्कर कार्य में योगदान दिया । यद्यपि जबकि देश ने लगभग सभी आर्थिक क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, लेकिन गरीब, चाहे वह शहरी हो या ग्रामीण हो, उसकी स्थिति वही रही । विकास हुआ और हो रहा है लेकिन गरीबी की समस्या वही है । जरूरत है एक शक्तिशाली प्लान की जिससे कि यह विकास का कार्यक्रम गरीबों पर असरदार हो सके और गरीबी दूर हो सके ।

मैं इस सम्बन्ध में इन्दिरा जी के 14 तारीख के 20 सूत्री कार्यक्रम का उल्लेख कर देना चाहता हूं । पहले उन्होंने कहा है सिंचाई क्षमता में और अधिक वृद्धि की जाये सूखी धरती पर खेती से सम्बन्धित तकनीकी ज्ञान और खाद्यान्नों का विकास एवं प्रचार किया जाय । दूसरा, दलहन और तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिये विशेष प्रयास किये जायें । तीसरा, समग्र ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ एवं अधिक विस्तृत किया जाय । चौथा, कृषि योग्य भूमि की हदबन्दी लागू हो तथा प्रशासनिक और कानूनी अड़चनों को दूर कर इससे सम्बन्धित रिकार्डों को एकत्र कर पूरे तौर से दुरुस्त

[श्री ध्रुप राय--]

किया जाये और हदबन्दी की सीमा से अधिक जमीन का बंटवारा भूमिहीनों के बीच किया जाय। पाँचवां, कृषि कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने से सम्बन्धित कानूनों की समीक्षा की जाय और इसे असरदार तरीके से लागू किया जाये। छठा, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास व्यवस्था की जाय, इस प्रकार 20 सूत्री कार्यक्रम में शुरू की 9 बातें केवल किसानों के बारे में हैं और किसानों की खेती के बारे में हैं और खेती के विकास से ही सम्बन्धित हैं।

इस विकास में सबसे बड़ा हाथ भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पं0 जवाहर लाल नेहरू का था, जिन्होंने बड़े-बड़े डैम और प्रोजेक्ट्स, जैसे भाखरा नांगल डैम इत्यादि बनवाये और फर्टीलाइजर के बड़े-बड़े कारखाने लगवाये। आप जो यह सोचते हैं कि किसानों की स्थिति में जो सुधार आया है, वह आप लोगों की हिमायत से आया है, वह बात नहीं है। पं0 जवाहर लाल नेहरू के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और इन्दिरा जी के माध्यम से यह किसानों की तरक्की हुई है।

खाद्यान्नों की स्थिति देख लें, जो कि वर्ष 1980-81 में 129·8 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 1981-82 में 136·8 मिलियन टन होगयी। धान वर्ष 1980 में 54 मिलियन टन था, गेहूं 34 मिलियन टन था, यह वर्ष 1981-82 में बढ़कर क्रमशः 57 और 36 मिलियन टन हो गया।

मुझे यह कहना है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। जहां तक तेल का और उसके उत्पादन का सवाल है, 85 में हम एक विशेष प्रगति की तरफ चले जायेंगे। आज कुवैत की पर कैपिटा इन्कम 17 हजार डालर है जब कि भारत की केवल 190 डालर है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री ध्रुप राय--

पापुलेशन कन्ट्रोल पर ध्यान देना आवश्यक है। इन शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, सभी पार्टियों के नेताओं की तरफ से लिखकर गया है, मेरा भी उसमें होगा।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। मान्यवर, मंत्री जी ने जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया इससे मेरा ख्याल है कि हमारे प्रदेश में जनता के ऊपर करों का बोझ पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह लगभग 34 वर्ष से, जब से कांग्रेस का शासन कायम हुआ, तो मान्यवर, ये तब से बराबर घाटे का ही बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। जिसके कारण मुल्क के गरीबों के ऊपर करों का बोझ बढ़ा है। ढाई वर्ष जनता पार्टी का शासन रहा। जनता सरकार ने लाभ का बजट प्रस्तुत किया था। जिसके कारण बाजार के भावों में गिरावट आयी थी, खाद्यान्न की कीमतें घटी थीं और स्थिर हुई थीं और जनता ने भी राहत महसूस किया था।

प्रस्तुत बजट को देख कर यह लगता है कि जो एकीकृत गांव के विकास की योजना का मंत्री जी ने जिक्र किया और जिसका कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बराबर ढोल पीट रहे हैं तो उसके लिये जो गांव में गरीब लोग हैं जो कि गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनको बराबर लूटा जा रहा है। कुछ तो उन्हें लूट रहे हैं बैंक के मैनेजरान, कुछ लूट रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी। दूसरी बात उनको जो सरकार की ओर से अनुदान मिलता है, भैंस, गाय तथा बैल क्रय करने के लिये तो कहा जाता है कि उन्हें दूसरे जगह से खरीदो और उनके कान छेदे जाते हैं। कान छेदने के लिये और यह भैंस दूसरे जगह से खरीदी गयी है इसकी प्रामाणिकता देने के लिये 500 रु0 लिये जाते हैं कि यह भैंस दूसरे जिले से ली गयी है और वह अच्छी है और इसके कान छेदे जाते हैं। इसके अलावा हरिजनों की बड़ी चर्चा आये दिन यहां होती रहती है। कोई दिन भी ऐसा नहीं जाता कि हमारे माननीय सदस्य उनके नाम पर यहां आंसू न बहाते हों। हमारे सदस्य कहते हैं कि इस सरकार ने हरिजनों के लिये ये कर दिया और वो कर दिया।

लेकिन मान्यवर, हमारा 34 वर्ष का अनुभव है कि अभी भी तमाम लोग सड़कों की पटरियों पर किनारे पड़े मिलेंगे जो सड़कों के किनारे पर ही अपना जीवन बसर कर रहे हैं और जाड़ों में शीत लहर से उनके बच्चे ठिठुर रहे हैं और गर्मियों में लू की लपट से जल रहे हैं। मैं यह नहीं समझता हूं कि हरिजनों के लिए जो बजट पेश हुआ है उसमें जो उनको अनुदान की धनराशि मिलेगी वह हरिजनों के जेब में जायेगी या फिर उन महान हस्तियों की जेबों में जायेगी जो हरिजनों के लिए यहां पर बैठ कर आंसू बहाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले जो गरीबी की रेखा से ऊपर के लोग हैं उनकी जेबों में हरिजनों के नाम का पैसा जाता है। चाहे वो हरिजन के नाम की छात्रवृत्ति हो, चाहे बोर्डिंग हाउस का खर्चा हो, चाहे उन्हें मकान बनाने के लिए अनुदान दिया गया हो या फिर जानवर खरीदने के लिए पैसे दिये गये हों। हरिजनों के नाम की सारी सुविधाओं का शोषण गरीबी की रेखा से ऊपर वाले लोग ही करते हैं।

इस संबंध में मेरा शासन को सुझाव है कि यदि वास्तव में आप निर्बल वर्ग की, गरीबों की, हरिजनों की सहायता करना चाहते हैं तो जो लोग अपने को उनका नेता कहते हैं उनके द्वारा उस पैसे को न देकर जो वास्तव में गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं, उनके ऊपर वह पैसा व्यय किया जाना चाहिये।

एक बात और जो मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसके पहले भी मैं इस बात को इस सदन में कह चुका हूं कि कोई भी सरकार इस प्रदेश में बन जाय, वह इस प्रदेश की समस्याओं को हल नहीं कर सकती है क्योंकि यहां की जनसंख्या बहुत बढ़ गयी है। मेरा अपना सुझाव है कि जब तक इस प्रदेश का बंटवारा नहीं होगा चाहे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी मुख्य मन्त्री हों और चाहे कोई हरिजन भाई इसका मुख्य मन्त्री बना दिया जाय, उससे कोई अन्तर आने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रदेश के टुकड़े होने चाहिये और इसको चार भागों में बांटा जाना चाहिये। आप देखें मान्यवर, कि एक-एक मंत्री के यहां दो-दो तीन-तीन

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--]

बोरे रोज डाक आती है और मंत्री जी के पास पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि वह रात दिन दिल्ली के ही चक्कर लगाया करते हैं, इन पत्रों की ओर निगाह डालने का समय कहां है उनके पास । हम लोग माननीय मंत्री जी से मिलने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाया करते हैं परन्तु वह मिल नहीं पाते और मिलते हैं तो उनके पास कुम्भ जैसा मेला लगा रहता है, इसलिए इस प्रदेश के भाग होने ही चाहिये ।

शांति व्यवस्था की बात मंत्री जी ने की है । कोई शांति व्यवस्था प्रदेश में नहीं है । मैं पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हूं, वहां से कई बसें दिल्ली के लिए चलती हैं, रामनगर से दिल्ली । 3 बसे कुमरियां में जिला नैनीताल में लूटी गयीं और 3 बसें जहांगीरपुर, मुरादाबाद में । 100 आदमी हमारे यहां के थे, 9 लोग घायल किये गये, एक पैसा नहीं रह गया उनके पास एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया । उसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय अड्डा बना रखा है भारत सरकार ने दिल्ली में और जब वहां हमारे क्षेत्र का आदमी जाता है तो पहले एक नकली कन्डक्टर आता है और कहता है कि टिकट लो--टिकट लो और उसके बाद वह चला जाता है फिर असली कन्डक्टर आता है और कहता है ये टिकट असली नहीं हैं, उन्होंने कई बार परिवहन मंत्री को लिखा लेकिन कोई भी बात न तो उनकी सुनी गयी और न पढ़ी गयी, एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया गया । शांति व्यवस्था का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं सत्तारुढ़ दल के लोग और बसें दिन--दहाड़े लूटी जाती हैं, पिथौरागढ़ में दो लोगों को कत्ल कर दिया और 4 को घायल । उसी तरह से अल्मोड़ा में किया गया और एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ ।

विश्व बैंक का भी बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं, उससे कर्जा लेने की जो पद्धति चल रही है, यह भारत के लिए हानिकारक है । मैं अर्थशास्त्री तो हूं नहीं लेकिन इतना जानता हूं कि जहां रुपया बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और ये विश्व बैंक के पैसे को लेकर इसको गुलाम बना देंगे । तमाम निगमों को छूट दे रखी है कि खूब लूटो....

(व्यवधान)

हमारे क्षेत्र के 5 मन्त्री हैं और एक है उपाध्यक्ष एक कि0 मी0 सड़क के लिए 4 लाख रुपया स्वीकृत हुआ और डेढ़ लाख रुपया भी काम में नहीं लाते, ढाई लाख इनकी जेब में चला जाता है ....

श्री अधिष्ठाता---

आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट---

शिक्षा प्रणाली के बारे में एक निवेदन कर दूं । 34 वर्षों से हमारे देश में कहा जा रहा है कि इसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए....

श्री अधिष्ठाता---

आपका समय समाप्त हो गया, आप बैठिये ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट--

अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी....

श्री अधिष्ठाता—

मैं कह रहा हूं आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

हमारी सरकार ने एक बात कही, मैं थोड़ा सा उसके बारे मे कह देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

बड़ी दुर्दशा हो गई है इनकी । जैसे घोड़े की लीद न खाद के काम आती है....

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फजीता न करायें । धन्यवाद ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं । मान्यवर, बजट पर चर्चा में काफी कुछ कल सुनने का मौका मिला और माननीय हमारे विरोधी दल के नेता ने बड़े गौर से हर पहलुओं पर विचार किया और हर पहलू पर विचार करने के बाद उनकी समझ में यह आया कि यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें कुछ है ही नहीं । उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ है ही नहीं । मैं यह मानकर कि उसको विरोध करना है, चाहे बजट कितना ही सुन्दर हो, कितना ही खूबसूरत हो लेकिन विरोध करना उनका अधिकार है । कुछ कहने से पहले एक पंक्ति कहना चाहूंगा :

कांटा समझकर मुझसे न दामन बचाइये, गुजरी हुई बहार की एक यादगार हूं ।

मान्यवर, मैं चाहता यह था कि उसका दिल से ये स्वागत करते । एक साथी ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण के हर पहलुओं पर विचार किया गया और उसी को मद्देनजर रखते हुये वह बजट प्रस्तुत किया गया है । मैं नहीं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई कमी है जिसके ऊपर विचार करने का प्रश्न बनता था । अगर उनको कुछ कहना ही था तो अपोजीशन का लीडर होने के नाते उनको सजेशन देना चाहिये । मान्यवर, मैं इस बजट का स्वागत करते हुए और वित्त मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया मैं यह बताता हूं कि इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि 1982-83 का यह बजट स्वर्णाक्षरों में निश्चित रूप से अंकित किया जायेगा । मान्यवर, प्रश्न इस बात का है कि बजट की कमियों पर तो आप का ध्यान जा रहा है, अगर आपको यह लगा कि पैसा कम है तो केवल एक यह बात आप कहे होते कि यह जो पैसा बजट में दिया गया है उस पैसे से हमारे उत्तर प्रदेश की प्रगति, कार्य-संचालन अच्छी तरह से नहीं हो सकता है लेकिन बजट में

[श्री डा0 बृज किशोर मिश्र---]

कुछ नहीं है, बजट में सब खराबी है, यह बात समझ में नहीं आई। आबादी के हिसाब से बजट में कितना ब्यौरा दिया गया है जब तक आबादी पर हमारी नजर नहीं जायेगी, जब तक बढ़ती हुयी पापुलेशन को रोकने के लिए हमारा ध्यान नहीं जायेगा तब तक हम सबको गरीबी की रेखा के ऊपर उठाने में कभी सक्षम नहीं हो पायेंगे। मान्यवर, जहां पर देश की आबादी 68 करोड़ है जबकि मनुष्य का इतिहास 20 हजार वर्ष पहले से चला आ रहा है। 10 हजार वर्ष पहले पूरे विश्व की आबादी एक करोड़ थी और 8 हजार वर्ष बाद विश्व की आबादी 20 करोड़ हो गई और इतना होने के बाद 1950 में 25 करोड़ हो गई। और आपके 1974 में 400 करोड़। अब मान्यवर, आप विचार करें कि बजट कितना भी दिया जाय, क्या आप विश्वास करते हैं कि इस पापुलेशन के आधार पर जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देंगे ? आपको और हमको इस पर बड़ी गहराई से विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अगर आप निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी अदा करना चाहते हैं, सही माने में आपोजीशन का रोल अदा करना चाहते हैं तो हमको और आपको दोनों को मिल कर इस आबादी के प्रश्न पर विचार करना होगा, तभी देश का उत्थान हो सकेगा।

जब बजट भाषण दिया गया है, उसमें सब से पहले आप दस्यु उन्मूलन की समस्या को ही ले लें। इसलिये कि जब भी कोई चर्चा होती है तो हर मौके पर दस्यु समस्या की बात कही जाती है। जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ तो उस समय भी दस्यु समस्या की बात कही गयी। मैं आपको बतला दूं कि इस दस्यु उन्मूलन के लिये जो प्राविधान किया गया है, निश्चित तौर से वह तौर तरीका हमारी सरकार की, हमारे मुख्य मंत्री जी की देन हैं। उन्होंने इस बजट में यह व्यवस्था कर दी है कि दस्यु उन्मूलन के सिलसिले में अगर कोई पुलिस कर्मचारी, सिपाही या अधिकारी पीड़ित होता है तो उसकी सहायता किस तरह से की जायेगी। अगर कोई सिपाही या इंसपेक्टर इस अभियान में मर जाता है तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु के दिन से लेकर जब तक कि वह सर्विस में रहता, तब तक तो हम उसके परिवार वालों को पूरी तनख्वाह देंगे और उसके मरने के बाद जब उसकी नौकरी का समय समाप्त हो जायेगा तो नियम व कानून के तहत जो तौर तरीके होते हैं, पेन्शन देने के बारे में, उसे पेन्शन देंगे उसी दिन से। इस प्रकार का जो क्रांतिकारी कदम श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री ने उठाया है इसके पहले किसी ने नहीं उठाया था। इसके अलावा उनके लिये आवास की व्यवस्था भी की गयी हैं। मान्यवर, जमीन की चर्चा रोज होती है। हमारे मित्र हरिजनों की बात रोज करते हैं और घड़ियाली आंसू बहा कर यह दिखलाना चाहते हैं कि हरिजनों के लिये इस सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया गया है। मान्यवर, हरिजनों के लिये हमने नियम बनाये हैं। कानून जो बने हुए हैं, चाहे आपने बनाये हों या हमने बनाये हों, निश्चित रूप से वे सन्तोषजनक नहीं थे। अब हमने नियम बनाये हैं उसमें ऐसा है कि जो जमीन हरिजनों को दी गयी है अगर उस पर किसी भी प्रकार से कहीं भी नाजायज तौर तरीके से किसी ने दखलन्दाजी की है तो उसके लिये एक कमेटी बना दी है, जो उसको जमीन से हटा सकेगी। इतना ही नहीं, अगर वह नहीं हटेगा तो उसे तीन साल की सजा और कुछ रुपये जुर्माने के रूप में उसे देना होगा। इस प्रकार से यह बजट सर्वतोन्मुखी विकास के लिये है, उत्तर प्रदेश के गरीब, निर्बल, अल्पसंख्यक, विद्यार्थी, अधिकारी और कर्मचारी वर्ग, इन सभी के विकास का प्राविधान इस बजट में किया गया है और इसलिये मैं इस बजट का स्वागत करता हूं।

श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत 1982-83 के आय-व्ययक को चर्चा पर बोलने के लिये आपने जो मुझे अवसर दिया इसके लिये आपको धन्यवाद है । माननीय अधिष्ठाता जी, अभी पिछली विधान सभा में मैंने देखा था जो माननीय सदस्य उधर ट्रेजरी बेन्चेज में बैठते हैं वे इधर बठते थे । उनमें स्वरूप कुमारी बख्शी, नारायण दत्त तिवारी, राम रतन सिंह, और हमारे मंजूर साहब, सेठी जी, इधर बैठते थे और इधर के उनके कार्यकलापों को मैंने देखा था । अब उधर गये तो उनके कार्यकलापों को देख रहा हूं, ऐसा लगता है कि उस कुर्सी में कुछ ऐसा असर है कि उधर जाने के बाद लोग देश की भावना, प्रदेश की भावना, आम जनता को भूल जाते हैं सिर्फ समर्थन करना, चाटुकारिता करना ही उनके विभाग में रहता है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मित्र सेन जी से एक बात पूछना चाहता हूं । उन्होंने सबको देखा मगर किधर से बैठकर देखा. . .

श्री मित्र सेन--

यहीं से बैठ कर देखता हूं । तो श्रीमन्, एक चीज मैंने देखी । इधर माननीय सदस्य मोहन सिंह और आजकल दूसरे माननीय सदस्य राजेन्द्र जी वह उधर बैठते थे मंत्री थे । राजेन्द्र कुमार गुप्त जी उधर बैठते थे मंत्री नहीं थे सिर्फ सदस्य थे । उस समय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, रियासत हुसैन साहब और हमारे दल के नेता लोग जन भावना को उठाते थे वे सत्ता पक्ष के हों या न हों लेकिन मैंने कांग्रेस वालों को देखा । यह ठीक है कि समर्थन करें । हम नहीं कहते कि अपने सरकार का समर्थन न करें लेकिन प्रदेश की जनता ने चुन कर उनको यहां भेजा है कम से कम उसके विचार तो यहां पर रखने का कष्ट करें । एक कहानी याद आती है, श्रीमन् जब लोग बैल खरीदते हैं तो उसे बन्धी बनाकर जोता जाता है । इंदिरा गांधी ने ऐसा लगता है सारे कांग्रेस के लोगों को बन्धी बना दिया और इसके बाद उधर बैठा दिया जिससे उनके नाक कान छिद जाते हैं, आवाज नहीं उठा पाते हैं । असलियत नहीं जान पाते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

आप बचे रहें, यादव जी, एक बार आप भी धोखे में आ चुके हैं. . . .

श्री मित्र सेन--

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसमें 128 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है । अगर आप 33 करोड़ कुछ रुपये जो आप पिछले साल खर्च नहीं कर पाये इसमें न जोड़े तो घाटा और बढ़ा होता । दूसरी बात यह है कि इनमें लोक लेखा की भी आमदनी जोड़ दी है । लोक लेखा पर इनका अधिकार नहीं है । यह तो जनता का पैसा है । इसको वापस करना पड़ेगा । इसका मतलब यह है कि लोक लेखा का, पिछले साल जो खर्च नहीं कर पाये वह पैसा नहीं मिलाया होता तो घाटा और बढ़ जाता । इस तरीके से यह जो पिछले साल का घाटा है 31 करोड़ का उसको इन्होंने कैसे पूरा किया । हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि सरकार कर लगायेगी । हम जानते हैं सरकार कर नहीं लगायेगी । सरकार कहती है कर नहीं लगायेगी । आखिर इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे यह तो बतायें । कोई रास्ता बतायें आप

[श्री मित्र सेन--]

कहां से पूरा करेंगे । मैं एक चीज जानता हूं । किसी चीज से प्रदेश की जनता कुछ आशा रखती है, उसके प्रति कुछ भावना होती है, जनता की जिज्ञासा होती है । यह जो बजट है इसमें समाज के हर एक वर्ग का कितना योगदान है, किसान का कितना योगदान है, मजदूर का कितना है, पूंजीपतियों का कितना है । अगर इसमें देखें तो 70 प्रतिशत जो प्रदेश के किसान की आमदनी है, दस प्रतिशत मजदूरों की आमदनी है, 20 प्रतिशत या इससे भी कम हमारे पूंजीपतियों की आमदनी है । यह सब इसमें जुड़ी है ।

इससे आशा किसको बनी है ? या तो सरकारी कर्मचारियों को, या उद्योगपतियों को या रोजगारियों को । सरकारी कर्मचारियों को किस बात की आशा है ? उन्हें इस बात की आशा है कि अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग का बजट किसी जनपद में जायेगा तो उनको 15 प्रतिशत कमीशन मिलेगा । जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग वाले यह आशा लगाये बैठे हैं कि मान लीजिये लखनऊ के लिये 5/10 लाख रुपया मिला तो उसमें से 1 लाख रुपया मिल जायेगा । इसी तरीके से प्लानिंग विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, राजस्व विभाग है । वे समझते हैं कि कहीं आग लगे, बाढ़ आये, उसका पैसा आये तो उसमें से उनको कुछ खाने को मिलेगा । इनके बजट पर सरकारी कर्मचारियों, रोजगारियों और उद्योगपतियों की गिद्ध जैसी दृष्टि लगी हुई है । गिद्ध दृष्टि ऐसी होती है कि वह आसमान पर उड़ते हुये भी जमीन के शिकार को देख लेता है । उसी तरह से हमारे ये सरकारी कर्मचारी, रोजगारी और उद्योगपति हैं । रोजगारी चाहते हैं कि मार्च में बजट आयेगा, लोहा, सीमेन्ट और चीजों के दाम बढ़ा देंगे । इस तरह से यदि उनके पास एक टन लोहा होगा तो वे उससे रातों रात करोड़पति हो जायेंगे । इसी तरह से खादों के दाम भी बढ़ जायेंगे । माननीय, यह देखा गया है कि इनके जमाने में ये लोग रातों-रात करोड़पति हुये हैं और किसान और मजदूर कौड़ीमल हुये हैं । उनके लिये बजट में कोई आशा नहीं कोई जिज्ञासा नहीं, कोई विश्वास नहीं । जिनकी आमदनी बहुत कम है जो कि कुल आबादी का 90 प्रतिशत हिस्सा है उसको कुछ नहीं मिलता है । धनवानों को ही मिलता है जिसके ये भी भागीदार हैं । माननीय, निगम की आमदनी आप देख लें । जो सेतु निगम है, उसको भी देख लें । बजट तो इनका पास हो ही जायेगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य लोग मुख्य मंत्री जी के कमरे में बैठकर अपनी भावनायें न प्रकट करें, कुछ बातें सदन में भी कह दिया करें, जहां के लिये वे चुनकर आये हैं जिससे प्रदेश की जनता का भला हो सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वित्त मंत्री श्री ब्रह्म दत्त जी के 1982-83 के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर दिया है । माननीय, मैं अपने साथियों की बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और मैं यह सोचता हूं कि आखिर हम लोग इस प्रदेश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं । अभी हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने हमारे प्रदेश की समस्याओं को सामने रख कर इस बात का वायदा किया है कि इस प्रदेश के निवासियों को जो तरह-तरह की परेशानियां हैं, जो उनको रोजाना काम आने वाली चीजें हैं, उनका समाधान करेंगे, उनकी हर तरह से देख-रेख रखेंगे । उनकी बातों को सामने रखते हुये माननीय वित्त मंत्री जी ने 1982-83 का बजट रखा है और उन्होंने इस प्रदेश के लोगों को जो कुछ भी वे कर सकते हैं, कर रहे हैं और किया है ।

उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं उनसे निश्चित तौर पर जनता लाभान्वित होगी । अपने विपक्ष के साथियों को सुनकर मुझे ताज्जुब होता है कि वे जिस तरह से चाहते हैं अपने अधिकारों को कहते हैं । उनको यह भी देखना चाहिये कि हमारा क्या कर्तव्य है । अगर वे इसको भूल जायेंगे तो मैं समझता हूं कि वे इस प्रदेश और देश की उन्नति में बाधा डालेंगे । हमारे वित्त मंत्री जी ने हर चीज पर आंकड़े रखे हैं कि उनका क्या इरादा है ? जैसे उन्होंने 20 सूत्री कार्यक्रम को सामने रखते हुए इस बात का वायदा किया है कि दो सौ करोड़ पौधे लगायेंगे और तिलहन की पैदावार को बढ़ायेंगे ताकि हमारी समस्या का समाधान हो ।

इसी तरह से सीलिंग की अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों को देने की बात कही है ताकि वे समाज में ठीक से रह सकें और उनकी परेशानियां दूर हो सकें ।

इसी तरह से ग्रामीण विकास के लिए दो सौ करोड़ रुपया की धनराशि से युवक कल्याण निधि की स्थापना का गई है । मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रोग्रामों से निर्बल वर्ग के लोगों की परेशानी और चिन्ता दूर हो जायेगी ।

दूसरा कानूनी सहायता का मामला है । जो लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं उनको ध्यान में रखते हुए न्याय मंत्री जी ने तय किया है कि जो गरीब लोग हैं , या निर्बल हैं उनको विभाग द्वारा सहायता दी जायेगी ताकि उनको न्याय मिल सके और वे परेशानी से बच सकें और जो उनका रुपया खर्च होता, वह बच जायेगा ।

पुलों और सड़कों के निर्माण की बात इसमें रखी गई है । गत वर्ष 16 सौ कि0 मी0 सड़कें बनाई गई और 12 सौ कि0 मी0 सड़कों का देखरेख की गई, 76 पुल बनाये गये । सन् 1982-83 के भी 480 नई सड़कें बनाने की बात है और 940 सड़कों के देख-रेख की बात की गई है । इसी प्रकार 36 नये पुल बनाने की बात चल रही है । मैं समझता हूं कि 36 पुलों में से एक पुल मुरादाबाद और बरेली के लिए भी रखा गया है । उसके लिए मैं उनका आभारी हूं । इसी तरह से 6 सौ स्कूल 6 साल से 11 साल तक के बच्चों के लिए और 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 1600 शिक्षा केन्द्र खोले जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों से प्रदेश आगे बढ़ेगा । मैं अपने तमाम भाइयों से अपील करूंगा कि हमारे इस प्रोग्राम में वे सहयोग दें ताकि हमारे प्रदेश का निर्माण हो सके और प्रदेश की उन्नति हो ।

हमारा प्रदेश सिंचाई में भी पीछे नहीं है आप देखते हैं कि पिछले सालों से ज्यादा इस साल इसमें काम हो रहा है । आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश को आगे ले जाने की बात हो रही है ।

हमारे यहां जो परिवहन की तमाम परेशानियां हैं उनको तेजी के साथ दूर किया जा रहा है, ताकि हमारी जो आने-जाने की परेशानियां हैं वह न रहें । इसी तरह से मैं देख रहा हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में तहसील स्तर पर चिकित्सा सुविधा की बात कही है और तहसील स्तर पर 10 केन्द्रों में सर्जिकल सुविधायें देने की बात है और 65 आयुर्वेदिक और यूनानी तथा 105 होम्योपैथिक सेंटर खोलने की बात कही गई है । आप देखेंगे कि इस प्रदेश की जिसकी सबसे ज्यादा आबादी है उसकी तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखा गया है ताकि प्रदेश की उन्नति हो ।

[श्री हाफीज मोहम्मद सिद्दीक---]

उद्योग-धन्धों की उन्नति के लिए हमारे उद्योग मंत्री जी ने एक कमेटी गठित की है ताकि जो उद्योग लगाने वाले जो उद्यमी हैं उनका वहीं हाथों-हाथ मामला तय हो जाय और कोई परेशानी न उठानी पड़े। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का अभारी हूं कि उन्होंने मुरादाबाद नगरी को ब्रास नगरी बनाने की बात कही है। मैं समझता हूं कि इसमें तेजी से काम आगे बढ़ेगा।

जहां तक बिजली की बात है उसमें हमें थोड़ी परेशानी है लेकिन उसके बावजूद हमारे यहां बिजली का उत्पादन बढ़ा है। जो हमारी इसमें परेशानियां हैं उनको आप सब जानते हैं। इन सब चीजों को जो हमारी सरकार कर रही है उसको आपको देखना होगा। मैं इन अलफाज के साथ जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे विपक्ष के लोग हमारी सहायता करेंगे और सहयोग देंगे।

(श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गौरी शंकर भैया----

मान्यवर, दलों की सूची आपके पास गई होगी। एक सूची मेरे दल की ओर से भी आपकी सेवा में प्रस्तुत की गई है। गवर्नर एड्रेस में भी केवल एक ही सदस्य मेरे दल की ओर से बोला है।

श्री अधिष्ठाता----

माननीय सदस्य को भी अवसर मिलेगा, इस वक्त मैंने अग्निहोत्री जी को बुलाया है।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि श्रीमान् वित्त मंत्री ने जो 1982--83 का बजट प्रस्तुत किया है वह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी है, क्योंकि जिस समय 1981-82 का बजट पेश हुआ था, उसमें करीब 94 करोड़ रुपये का घाटा था। उस समय विरोध पक्ष के सदस्यों ने एक स्वर से कहा था कि इस बजट से प्रदेश में केवल कालाबाजारी भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ेगी और मुद्रास्फीति और तेजी के साथ बढ़ेगी, जिसे शासन नियंत्रित नहीं कर सकता है और इस सम्बन्ध में विरोध पक्ष के भाइयों ने मुख्य मंत्री जी से एक आश्वासन मांगा था। लेकिन यह सरकार जो आज अपने को सबसे ज्यादा जनहित करने वाली और लोक कल्याणकारी सरकार घोषित करती है, वह कार्य सदा उसके विपरीत करती है। वास्तविकता यह है कि आज तक उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारों ने इस सदन में बैठकर काम किया है, उनमें यह सबसे निकम्मी, बेइमानी और धोखेवाली सरकार है। उसी का नमूना इस डेढ़ साल से चली आने वाली सरकार ने इस प्रदेश में पेश किया है।

(व्यवधान)

मैं सब आपके सामने रखूंगा और इस वर्ष जो 1982-83 का बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें करीब 129 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। यह जो घाटे का बजट है. इसको पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जो बजट रखा है उसको देखा जाए तो उसमें घाटे की कोई चीज लाई नहीं जा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

सकती । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने जितने भी निगम बनाये हैं । चाहे विद्युत् निगम, चाहे परिवहन निगम, चाहे एग्रो निगम या कोई भी निगम हो इनमें प्रति दिन 60 लाख रुपयों का घाटा है । वह आज पैदा नहीं हो गया है, यह कम भी नहीं हो रहा है । यदि सरकार इन निगमों के सम्बन्ध में अपने पिछले डेढ़ साल के कार्यों को देख ले तो पायेगी कि कोई भी निगम लाभ में नहीं चल रहा है । इस पर कभी गहराई से विचार नहीं हुआ । सदन में यह बात उठाई गई थी कि एक समिति बना दी जाये जो इसके कार्य-संचालन, उपयोगिता और उन्हें लाभ की तरफ ले जाने के लिए अपने उपयोगी सुझाव दे । लेकिन यह शासन किसी भी प्रकार उसे मानने के लिए तैयार नहीं है । इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे कांग्रेस के सदस्य श्री बाजपेई जैसे सदस्यों की ओर से रखा गया था और यह शासन ऐसी किसी भी समिति का गठन करने के लिए तैयार नहीं है । उसका कारण यह है, जिसे सदन के दोनों तरफ के भाई समय-समय पर उठाते रहे हैं, कि आज प्रदेश की राजनीति विकास की राजनीति नहीं रह गई है, केवल एक प्रकार की राजनीति रह गई है कि जिन कार्यों को लेकर हम चुनाव में जीतकर आये हैं और जिनको लेकर हम आगे भी सत्ता में बने रहें। इन्हीं सारे तथ्यों और उपायों के लिए शासन कार्य करता है । और इसलिए आज जितने भी हमारे निगम हैं, उनके चेयरमैन कौन बनेंगे, वे बनेंगे जो हमारे रिश्तेदार हों और जितने हमारे निगम हैं उनमें से 2-3 के बारे में, मैं जानता हूं कि उनके चेयरमैन मंत्री जी के समधी हैं, या साले हैं या बहनोई हैं ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र—

जनता शासन में क्या था ?

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

आप उस समय और आज की जांच कर लीजिए ? आज जिस प्रकार से वर्ष 1981-82 के घाटे के बजट को करों में वृद्धि करके पूरा किया गया है । वह वृद्धि भी ऐसे लोगों पर की गयी है जो प्रदेश के कमजोर व्यक्ति हैं, जो न्यूनतम आमदनी के नीचे स्तर पर जिन्दा रहना चाहते हैं, जिनको मजदूरी नहीं मिलती है और जो दो पहर अपने पेट में रोटी भी नहीं खा सकते हैं, आज आपने बसों का किराया बढ़ा दिया, सिंचाई और विद्युत् की दरों में वृद्धि कर दी । स्टाम्प ड्यूटी की दरें बढ़ा दी गयी । जनता शासन ने लगान समाप्त किया था और आपने उसको विकास कर के रूप में फिर से कमजोर वर्ग के लोगों, किसानों पर लागू करके वृद्धि कर दी, विकास कर के रूप में ।

अब जो घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है उससे साफ-साफ जाहिर होता है कि यह गरीब जनता के पसीने को चूसना चाहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ये महंगाई को रोकने के लिए सोचते हैं ? आज जो भी सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे कालाबाजारी छायी हुई है । जो कन्ट्रोल के दाम हैं उन पर उपभोक्ताओं को सरकारी दुकानों से न मिलकर कालेबाजार में ऊंचे दामों पर कालाबाजारी में मिल जाती है । यह सब बड़े-बड़े सेठ-साहूकारों और अधिकारी वर्ग के, लालफीताशाह के कारण बेची जाती है । आज जिस वर्ग के कारण कालाबाजारी बढ़ रही है, उनकी आय की सीमा बांधनी चाहिए । उनकी खरीदारी की सीमा आज रात-दिन चौगनी होती जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि आज बाजार में खरीदारी करने में वे लोग हावी हैं जो कालेबाजारी में हिस्सेदार हैं । उनके पास ही बाजार की हर

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—]

चीज उपलब्ध रहती है, चाहे वह विलासता की वस्तु हो, चाहे वह उपभोक्ता की वस्तु हो। आज की सरकार पूंजीपतियों और कालेबाजारियों की है। इसमें कोई अन्तर नहीं हो सकता है। आज शासन में बैठे कैसे कहते हैं कि जो अतिरिक्त कर बढ़ाया है वह समर्थ लोगों पर ही बढ़ाया है और ऐसी आय वाले लोगों पर एक पैसा भी टैक्स का नहीं बढ़ाया है चाहे वह प्रत्यक्ष कर के रूप में हो या अप्रत्यक्ष कर के रूप में। सरकार को यह खुले शब्दों में घोषणा करनी चाहिए लेकिन मैं जानता हूं कि इनमें हिम्मत नहीं है। अगर ये ऐसी घोषणा कर दें तो लोग कालेबाजारी में नहीं जा सकते हैं।

यहां पर यह भी कहा जाता है कि कृषि का उत्पादन हमने बढ़ाया है लेकिन इनकी सब घोषणायें किसान विरोधी हैं, किसान के उपयोग में आने वाली सारी सामग्री जनता प्रशासन ही नहीं अपितु उसके पहले शासनकाल में भी आज उसे बहुत मंहगी प्राप्त होती है। उसे खाद महंगा मिलता है, बिजली और पानी मिलता ही नहीं है और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य भी यह सरकार नहीं दिलाती। किसानों को उचित मूल्य नहीं दिया जायेगा, मगर अमेरिका से महंगा गेहूं खरीदा जायेगा। किसानों से सस्ता गेहूं खरीदकर यह सरकार शहरों में उपभोक्ताओं को महंगा गेहूं और चावल देती है।

जहां तक प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बात है, वह दिन पर दिन खराब होती जा रही है। समाचार-पत्रों में रोज पढ़ने को मिलता है कि कहीं बलात्कार, कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं हत्यायें हो रही हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी सेवा में यह पत्र प्रस्तुत करना चाहता हूं इससे मालूम होगा कि हम लोगों का जो आरोप है इस सरकार पर कानून-व्यवस्था को खराब करने का, वह सही सिद्ध होगा। आज अराजक तत्व कार्यकर्ताओं के रूप में इनमें शामिल हो गए हैं। इन्होंने ऐसे लोगों को गले लगाकर पुलिस प्रशासन को जाम कर दिया है और देखा जाए तो आज सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन ही ऐसे लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है। मान्यवर, बुन्देलखंड के एक राज्य मंत्री महोदय का वहां स्वागत समारोह किन लोगों ने किया है यह इस पत्र से पता चलेगा जो मैं आपको दे रहा हूं। पुलिस ने 3-3 डकैतियों में जिसका चालान किया, आर्म्स ऐक्ट में जिसका चालान हुआ, वही आदमी राज्य मंत्री जी का स्वागत करता है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

दो मिनट मान्यवर, और दे दें। बुन्देलखंड क्षत्र सबसे पिछड़ा हुआ है और इस बात को इस सरकार ने भी माना है।

[इस समय 3 बजकर 6 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए।]

उस क्षेत्र के विकास के लिए इस बजट में कोई घोषणा नहीं की गई है। कोई ऐसी योजना वहां के लिए नहीं रखी गयी है जिससे की वहां का विकास हो सके। न कोई सिंचाई की योजना रखी गयी है और न ही कोई उद्योग की योजना बनायी गयी है। वहां के विकास के लिए जब तक अलग से वहां के लिए बजट नहीं बनाया जायेगा तब तक वहां का विकास होना सम्भव नहीं है।

श्री जयदीप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने के लिए समय दिया । श्रीमन्, मैंने बड़े ध्यान से इस बजट पर होने वाली चर्चा को सुना । जिस तरह से जिस आदमी को जिस चीज की जरूरत होती है उसे वह चीज कहां मिलेगी इसका ज्ञान रहता है । जैसे एक शराबी को यह पता रहता है कि शराब कहां-कहां मिलेगी और बाजार में शराब की दुकान ही उसे नजर आती है । उसी तरह से विरोध पक्ष ने केवल आलोचना के लिए आलोचनात्मक बातें ही कही हैं, एक भी रचनात्मक सुझाव विरोध पक्ष की ओर से नहीं आया । मैं विरोध पक्ष से निवेदन करूंगा कि वह आलोचना के साथ-साथ कृपया कुछ रचनात्मक सुझाव भी दिया करें ।

श्रीमन्, मैं बजट का समर्थन करने के लिए इसलिए खड़ा हुआ हूं कि इस प्रदेश के इतिहास में पहली दफा जिलों के स्तर पर हम लोगों को यह पता चला कि हमारे लिए बजट यहां पर भी भेजा गया । नियोजन में हमारा भी जो हिस्सा था, वह कायम हुआ और हमें वहां पर बैठने के बाद, उन प्लानिंग की मीटिंगों में बैठने के बाद एहसास हुआ कि प्रदेश के संसाधन कितने हैं । मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य सभी इससे सहमत होंगे जिन्होंने उन मीटिंगों में भाग लिया होगा । इसके अलावा वहां पर एक चीज और तय की गयी कि उसका व्यय कैसे होगा । काश कुछ लोगों ने इसी का स्वागत किया होता कि क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने के लिए उसके व्यय के बारे में तय किया गया है । अब किसी क्षेत्र में सड़कें कम हैं, वहां पर सड़कें पहले बनवाई जायेंगी और वहां से अगर माननीय विपक्ष के सदस्य हैं, उनको प्राथमिकता दी जायगी । काश कि इस बात का स्वागत किया होता । अगर सड़कों के बजट पर वास्तविक तौर पर आप देखें पूरा 46 प्रतिशत हमने ग्रामीण क्षेत्र में दिया है ।

जहां तक घाटे के बजट की बात आती है, बहुत दफा यह कहा गया कि घाटे के बजट से मुद्रास्फीति होगी, आलोचना इस बात की की गयी कि घाटे का बजट जोड़ दिया गया, टैक्स नहीं लगाए गए । टैक्स लगाए गए तो यह कहा जाता है कि क्यों लगाए गए और नहीं लगाने पर यह कहा जाता है कि क्यों नहीं लगाया गया है । तो वह तो स्पष्ट निर्देश इसमें दे दिया गया है । बजट भाषण अगर गौर से पढ़ें तो पता चल जायगा कि बकायेदारों के लिए इसमें चेतावनी है । जो अपने टैक्स या बकाया अदा नहीं करते हैं, वह बकाया सख्ती से वसूल किया जायगा ताकि इस प्रदेश के लिए संसाधन आसानी से जुटाए जा सकें । मान्यवर, प्रस्तुत बजट का निष्कर्ष क्या था या इससे क्या-क्या प्रगति सम्भव हुई, यह तो आने वाले वर्ष से ही पता चल पायेगा । पिछले वर्ष चाहे चीनी या वनस्पति तेल, चाहे सीमेन्ट की, औद्योगिक क्षेत्र की बात है, सूती धागा का है, चाहे कृषि क्षेत्र में खाद्यान्न के उत्पादन की बात है, 1978-79 जो एक कीर्तिमान का वर्ष था उससे भी अधिक उत्पादन हुआ है । अगर हमारा प्रदेश पिछले बजट के बाद उत्पादन की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसमें भी खरा उतरेगा । श्रीमन्, इसके साथ-साथ कुछ समस्यायें हैं उनके बारे में इस माननीय सदन के माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, हमेशा इस बात की चर्चा आती है कि परिव्यय का जो प्राविधान बजट में किया जाता है उसका खर्च नहीं हो पाता है, पैसा लैप्स हो जाता है विभिन्न विभागों का और जो पैसा खर्च भी होता है वह साल के आखिर एक-दो महीने में होता है, जिससे कार्य सुचारु रूप से नहीं हो पाता है, जिससे कुछ न कुछ गड़बड़ी होने की सम्भावना रहती है । यह जो बजट का जिस विभाग के लिए प्राविधान करते हैं,

[श्री जयदीप सिंह---]

उनसे हर तीन महीने के बाद यह रिपोर्ट मगाई जाय कि कितना खर्च कर दिया है, मात्र 31 मार्च की जो डेड लाइन कर देते हैं, यह न रहे। पहले तीन महीने फिर 6 महीने के बाद कितना-कितना खर्च हुआ है, यह सूचना हर विभाग से आती रहेगी, तो इससे प्रगति की जो बात है, उसका पता चलता रहेगा। दूसरे एक विशेष सुधार की आवश्यकता है, वह यह है कि विभागानुसार हमें इस बजट में आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिये कि आगामी वर्ष के लिए अधिष्ठान पर कितना व्यय होगा और विकास उपयोगी व्यय कितना होगा। यह स्वाभाविक है कि जो लोग अधिष्ठान में रहते हैं राजकीय कर्मचारी वह अपने सुविधा की तरफ, आराम की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं और विकास का भी पैसा उसमें चला जाता है। प्रत्येक विभाग के अधिष्ठान के खर्चे को तय किया जाय, कितना खर्चा उस पर होगा और कितना उपयोगी व्यय होगा। मैं तो यह भी कहूंगा कि प्रत्येक वर्ष अधिष्ठान पर व्यय कम करके उसको उपयोगी व्यय पर खर्च किया जाय। माननीय मन्त्री जी ने ऊर्जा के बारे में नये विभाग के सृजन की बात कही है। वाकई उर्जा की बहुत कमी है और आगे और भीषण रूप धारण करेगी। मैं इसका स्वागत करता हूं लेकिन इसमें एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मात्र कुछ लोगों को पद मिल जाय, इसलिए विभाग न खोला जाय। यह वास्तविक रूप में सामने जब आयेगा कि ऊर्जा विभाग से प्रदेश की जनता को कितना वास्तविक लाभ हुआ। इसमें ऊर्जा अन्वेषण और खोजबीन की बात कही गई है। जहां तक मेरी जानकारी है केन्द्रीय सरकार के पास काफी वैज्ञानिक हैं, काफी रुपया है वह खोज और अन्वेषण करते हैं। तो मेरा आग्रह है कि खोज और अन्वेषण में पैसा न लगाया जाय बल्कि चाहे वह वायो गैस हो, चाहे सूर्य से इनरजी हो, चाहे पवन चक्की हो, इनको प्रैक्टिकल रूप में हर जिले में कार्यान्वित करने के लिए खर्च किया जाय न कि खोज और अन्वेषण के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रीय, ग्रामीण योजना चलाई गई है इसके लिए 78 करोड़ रुपयों का प्राविधान किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसमें जो मानक रखा गया है, ऐसा रखा जाय जो व्यावहारिक हो। ऐसा न हो कि योजना मात्र योजना रह जाय और खर्च न कर सके। क्योंकि उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान और दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देना है। आखिरी सुझाव मेरा यह है कि उद्योगीकरण की नीति जो है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि कृषि ही देश की प्रगति का असली मानक द्योतक होता है चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि कृषि पर आधारित औद्योगिक योजनाओं को लागू करने की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से और शासन से अनुरोध करूंगा कि बजाय सब्सिडी देने के, चाहे फलों की खेती हो चाहे सब्जी की खेती हो या खेती से जो पैदा होने वाला अनाज है, उस पर आधारित उद्योग लगायें तो इससे दो बातें होंगी। एक तो देश का उद्योगीकरण होगा और दूसरी चीज कृषि से उत्पादित जो वस्तुयें हैं उनके मूल्य स्थिर रहेंगे। किसानों को 5-4 रुपये कुन्तल अधिक मूल्य मिला तो करोड़ों अरबों की धनराशि किसानों पर पहुंच जायेगी। उद्योगीकरण में कृषि पर आधारित उद्योग लगाये जायं। अन्त में एक-दो सुझाव अपने जिले व क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। गन्ने का उत्पादन बहुत अधिक है और वहां पर कृषकार जो है, उसकी जो परेशानी है गन्ने की वजह से उसको दूर करने के लिए शासन कदम उठा रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि जो नदियों का खादर है, वहां गन्ने के अलावा दूसरी चीज नहीं पैदा हो सकती है जैसे मीरगंज का इलाका

हैं वहां पर गन्ने की फैक्ट्री लगाई जाय तो प्रगति होगी । वहां पर उस क्षेत्र में 7-8 नदियां हैं । 70-80 कि0 मी0 की चौड़ाई में वह नदियां उस क्षेत्र को काटती हैं जिससे वहां के लोगों को आने-जाने में बड़ी कठिनाई होती है और पांच किलोमीटर दूर के गांव में जाने के लिए 30-40 किलोमीटर घूमकर आना-जाना पड़ता है । मेरा आग्रह है कि इन नदियों पर पुल बनाने की व्यवस्था की जाय और यातायात के साधनों को पूरा किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जयदीप सिंह—

मैं श्रीमन्, पुनः आग्रह करूंगा कि जो सुझाव हों वह रचनात्मक होने चाहिये । एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि जितनी नदियां हैं उनको गहरा किया जाय । तो केवल 800 किलोमीटर लम्बी और 5 किलोमीटर चौड़ी गंगा को गहरा करने लगें तो उत्तर प्रदेश क्या सारे भारत वर्ष का बजट समाप्त हो जायेगा फिर भी कार्य पूरा नहीं होगा । उनको सुझाव देना चाहिये था, उनका ध्यान इस पर जाना चाहिये था कि जहां से कटाव होता है और मिट्टी बह कर नदियों में आती है, वहां पर भूमि संरक्षण किया जाय, वन लगाये जायं तो ज्यादा रचनात्मक होता है । इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे जो बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । इस बजट को मैंने देखा है और पढ़ा है, इस बजट में कुछ नहीं है । मैंने अपने जिले देवरिया के लिए देखा वहां के लिए एक भी पुल नहीं है, सड़क नहीं है । लगातार 2-3 सालों से चर्चा हो रही थी कि चीनी मिल होतिमपुर में बनेगी लेकिन उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है । मान्यवर, बिहार का बार्डर देवरिया जिले के साढ़े तीन सौ किलोमीटर इलाके पर है जहां पर आप देखें अभी जंगल पार्टी बनी है । जंगल पार्टी वाले तमाम बच्चों को उठा ले गये । तो बार्डर पर सड़क बनायी जाय ताकि पुलिस के लोग देखभाल कर सकें । मान्यवर, इनकाउन्टर देवरिया में 87 हुये हैं । इनमें एक भी मामले की जांच नहीं हुयी है । हरिजन मारे जा रहे हैं । 5-6 बेकसूर हरिजनों को मारा गया है और आप हरिजनों के नाम पर आंसू बहा रहे हैं । शिक्षा के क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं किया जा रहा है । माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है । एक आयोग बना दिया गया है । आयोग और प्रबंधकों के बीच में शिक्षा की दुर्दशा हो रही है । हमें आशा थी कि इस बजट में कुछ पैसा शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के लिए आयेगा और राष्ट्रीयकरण हो जायेगा । मान्यवर, पिछली बार मैंने पूर्वांचल के लिए पूर्वांचल विकास आयोग की बात की थी । बजट में देख रहा हूं कि कोई चीज नहीं है, केवल एक चीनी मिल आजमगढ़ में घोसी में बनाने जा रहे हैं । पूर्वी जिलों में बड़ी गरीबी और बेरोजगारी है उसको देखते हुये वहां पर उद्योगों को लगाना चाहिये । पडरौना से लेकर भाटपाररानी तक 200 किलोमीटर की पट्टी में हल्दी और अन्य मसाले बड़े पैमाने पर पैदा होते हैं, उनके लिए वहां पर किसी कल-कारखाने की योजना नहीं है । मैं देवरिया जिले के बारे में कहना चाहता हूं कि अभी 15-20 दिन पहले एक डी0 डी0 सी0 विदेशी राम जो जाति के

[श्री नन्द किशोर सिंह---]

हरिजन थे, उनको कोर्ट में कुछ सवर्णों, बड़े आदमियों ने गाली दिया और जो उसने फैसला दिया था, उस फाइल को छीन लिया। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और सी0 जे0 एम0, देवरिया जो कोई यादव हैं उन्होंने जमानत नामंजूर कर दी। लेकिन मुलजिम को खींच कर लोग ले गये। 2 बजे जज ने जमानत कर दिया, यह हालत देवरिया की है।

आज चारों तरफ से हरिजनों को मारा-पीटा और धमकाया जा रहा है। मान्यवर, अभी नवम्बर के महीने में एक कुंईवार गांव है, जहां पर वहीं के कुछ बड़े लोग हथियारों से लैस होकर लार के पास उस 26 घरों की हरिजनों की बस्ती है, उसमें सामूहिक बलात्कार के प्रयास से यह लोग गये और जब वे अपनी योजना में सफल नहीं हो सके तो वहां के एक गरीब हरिजन श्याम लाल को मार दिया गया और उसकी औरत को भी बुरी तरह घायल किया जो अस्पताल में पड़ी रही। इसी तरह से एक गांव पथर देवा ब्लाक में है, उसमें 27 घर हरिजनों के हैं, जिनके घरों को फूंक दिया गया सामूहिक रूप में। इस पर जो डी0 एम0 की रिपोर्ट आयी है कि पूर्वांचल में जितने भी कान्ड हो रहे हैं, वह सब सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा और इसी दल के पूर्ण सहयोग से हो रहे हैं। इसके अलावा मैं मान्यवर, चाहता हूं जमीन बंटवारे के लिए मंगल देव विशारद की रिपोर्ट आयी है, उसके अनुसार से बंटवारा किया जाए इसके लिए बहुत चर्चा हुयी है, परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। इसी प्रकार से देवरिया जिले के हाटा और पडरौना तहसीलों में बड़े लोगों के द्वारा 40 हजार एकड़ बंजर भूमि का नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया गया है। जिसके लिए वहां के निवासियों द्वारा सैकड़ों दरख्वास्तें दी गयी हैं, परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। और मान्यवर, भाटपाररानी के एक जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक श्री राम शंकर यादव, उनको भी जान से मार दिया गया और आज भी उनके परिवार के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ में इस प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

*श्री हरदेव--

माननीय उपाध्यक्ष, आपने जो मुझे माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री महोदय ने जो अपने बजट भाषण के द्वारा स्थिति सदन में पेश की है, वह बहुत ही सराहनीय है कि कोई भी कार्यक्रम जो जनहित की दृष्टि से होना चाहिए था, नहीं छोड़ा है, कोई चीज इसमें ऐसी बाकी नहीं रही जो देश और प्रदेश के उत्थान में किसी प्रकार की कमी आ सके। दूसरे मान्यवर, हमारा मुल्क दो परिस्थितियों का आज शिकार बड़े स्तर पर हुआ है। एक तो असली पाकिस्तानी और दूसरा है नकली पाकिस्तानी। असली पाकिस्तानी में यह है कि हमारे देश में जो देश की प्रगति के कार्यक्रम बनाये गये जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम। लेकिन इनकी भावना और नियमों को समझ कर लागू न करके उसे दिशाविहीन कर दिया गया और दूसरा नकली पाकिस्तानी का तात्पर्य में दो चीजें हैं--एक नेशनल पैरासाईट और दूसरा है सोशल पैरासाईट अर्थात् राष्ट्र का शोषण और समाज का शोषण (शोर)। यह दो शोषण ऐसे हैं, जो विरोध पक्ष के लोगों से प्राप्त हुए। क्योंकि यह लोग राष्ट्रहित के और समाज के उत्थान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में बाधक हैं, हम बराबर देख रहे हैं कि जब भी इन लोगों ने कोई विचारधारा अपनी यहां पर रखी है तो उसमें सिवाय समस्याओं के प्रति सुझाव देने के, कोई अच्छी योजना देने के उल्टी ही बातों के प्राविधान का सुझाव दिया है । केवल कमेन्ट आलोचना के सिवाय इनका कोई धन्धा नहीं रह गया है । इनके 3 वर्ष के शासन में मैंने देखा, एक कहावत मुझे याद आती है, इन लोगों ने प्रदेश के विकास के लिये कोई काम नहीं किया । मैं बड़ी गहराई से आपके सामने इसे कहना चाहता हूं, कहा गया है कि—

आन का आटा आन का घी,
चाबा चाबा बाबा जी ।

(हंसी)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

ऐतिहासिक भाषण हो रहा है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष—

बाजपेयी जी बहुत प्रसन्न हुए ।

श्री हरदेव—

विदेशी जैसी नियत रखकर इन लोगों ने मेरे देश की अर्जित धन-सम्पत्ति सभी को लूटकर मुल्क को 20 वर्ष पीछे कर दिया है ।

(सत्ता पक्ष की ओर से मेजों की थपथपाहट)

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि "उत्पादन वर्ष" हमारे भारत की प्रधान मंत्री ने घोषित किया है और विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने इस बजट की किताब का गहराई से अध्ययन नहीं किया है । उनको इसकी जानकारी ही नहीं है कि बजट क्या चीज है । बजट के मायने इनको मालूम हुए हैं "इनकी पाकेट में दौलत"

(हंसी)

यह बजट जनता के हित में दलितों, हरिजनों और कमजोर वर्गों के हित में उनके उत्थान के लिये ही भारत की प्रधान मंत्री ने एवं हमारे मुख्य मंत्री जी ने और माननीय वित्त मन्त्री जी ने विस्तृत दिया है, आपकी निजी दौलत के लिये नहीं दिया है । जनहित में मैंने देखा कि मेरी सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिये "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" बनाया है. इसको अगर आप पढ़ें तो आपको समझ में आयेगा । इसके अलावा गरीबों के सहायता के लिय और छुआछूत निवारण के लिये कानून दिया है, हरिजनों के हित में एक उदाहरण पेश किया है । जब इनकी सरकार आयी तो 28 करोड़ रु0 हरिजनों के बजट के लिये दिये, और मेरी सरकार ने भारत की प्रधान मन्त्री ने "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" हरिजन उत्थान (सुधार) की स्कीम में 119 करोड़ रु0 भेजा । बताइए कौन हरिजन का पोषक है । उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर पर लोकदल से षड्यन्त्र रचकर गरीब और कमजोर वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है वैसे ही पूर्व में जनता पार्टी के सामन्ती लोग हरिजनों व गरीब लोगों पर जुल्म कर रहे हैं । मैं कहना चाहता हूं कि देश के विकास में आपने कोई योगदान नहीं दिया,

[श्री हरदेव---]

जनहित में कोई भी निश्चित प्रोग्राम नहीं दिया। मैंने अखबार में पढ़ा है इनके नेता चरण सिंह, जगजीवन राम और दूसरे नेता पुनः आपस में मिल-जुल रहे हैं केवल कुर्सी के लिये, जब कि मेरी सरकार देश की सुरक्षा, देश की जनता के उत्थान और समाज के हर तरह के उत्थान में लगी हुई है। आप लोग विभिन्न विचारधारा वाले आदमी हैं। आपने देश के लिये कोई देश अब तक नहीं दी। एक बार जनता को आपने भड़काकर के कि मैं तुमको दौलत दूंगा, धन दूंगा, आराम दूंग, कुर्सी ले ली, लेकिन निजी मजा लेने में लग गये। आपने अपने फायदे के लिये मुल्क को बरबाद कर दिया।

(व्यवधान)

अब इसके अलावा फिर आपको इस सदन में पावर में रहने की कोई आवश्यकता नहीं रह गयी। यह एक जरूरी बात सामने आयी कि आपने अपने सुख, आराम में गलत इरादे से कार्यान्वयन किया, उसी का परिणाम आपके सामने आया। मैंने इस आयोग की किताब को पढ़ा है, इसको पढ़ने से साफ पता लगा है कि कानून का हनन करने वाला है तथा कानून का हनन करने वाले लोग आपकी सरकार में मिले हैं जिन्होंने नाजायज कार्य हेतु अधिकारियों पर, न्यायपालिका पर नाजायज दबाव डाला और डलवाया। इसके अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है? कानून का गला घोटने वाले अगर जनता भी दोषी है, या हमारी सरकार का यदि कोई मंत्री भी दोषी है तो उसका इस सरकार में कोई स्थान नहीं रहेगा।

यदि आप सच्चे ईमानदार हैं तो आपको देश की प्रगति में, देश के विकास के कार्यों में सहयोग करना चाहिये। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि :--

"मुखिया हो कर का करबा,
जब गोल का गोल भपोल बा।"

इसका मतलब कि जो निश्चित जनहित का कार्यक्रम रखा गया है, उसको मानना और उसमें सहयोग करना आपका उत्तरदायित्व है, लेकिन आप लोग अपने मूल्यवान समय को, देश की प्रगति में लगने वाले समय को केवल चिल्ला कर समाप्त कर रहे हैं। प्रदेश की जनता ऊपर बैठती है, हर कहानी और कथन को सुनती है। हमको देश के लिये, प्रदेश के लिये नई दिशा देनी है, नये प्रोग्राम देने हैं। हमारी सरकार कमजोर और निर्बल वर्ग के लिये उद्योग-धन्धे की व्यवस्था कर रही है, सिंचाई के लिये साधन जुटा रही है, केवल बातों में समय नहीं नष्ट कर रही है।

एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में जब माननीय मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हुए तो उन्होंने पूर्वान्चल में पिछड़े हुए जिले कौन हैं, उसे घोषित किया, सबके विकास के लिये घोषणा की। उद्योग-धन्धे तथा कल-कारखाने सारी चीजों के विकास के लिये यहां लगने की घोषणा की। लेकिन सच्चाई की ओर से आंख को मूंद लेने वाले हमारे विरोधी दल के लोग सच्चाई की ओर देखिए और ईमानदारों से सहयोग करिये, मुल्क और देश के उत्थान के लिए आप ऐसा न करें जिसे आप द्वारा गरीबों को पीड़ित कीजिए। गरीब वैसे ही पीड़ित हैं, उन पर जुल्म न करिये। ऐसा

करने से कुछ होने वाला नहीं है । आपके गलत इरादे सामने आ गए हैं, इस इरादे से आपको जनता माफ करने वाली नहीं है । गरीबों को आप भड़का सकते हैं परन्तु जनता अब आपकी बातों में आने वाली नहीं है ।

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, एक मिनट और । अभी तो मैंने अपने क्षेत्र की कोई बात कही ही नहीं है । बलिया जिले में एक सूती मिल खुलने की बात थी परन्तु उसमें कुछ राजनतिक दबाव देकर उसके ऊपर गलत जोर डाल रहे हैं । तो मान्यवर, उसकी स्थापना की कार्यवाही जल्द से जल्द होनी चाहिए । दूसरी बात बलिया जिले में रसड़ा सबसे पिछड़ा इलाका है । वहां पहले लोक दल जनता पार्टी का गांव था । उसने उस क्षेत्र का विनाश कर दिया । उसकी तरक्की के लिए शारदा कैनाल खोदी गई है । उसमें देर हो रही है । उस ओर भी मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मेरी सरकार ने जो बजट पेश किया माननीय वित्त मन्त्री जी के द्वारा, वह उल्लेखनीय है, सराहनीय है और इसके पहले गरीबों के हित में कोई भी ऐसा इनके समय में बजट प्रस्तुत नहीं किया गया । इसलिए आप लोगों को सरकार का सहयोग देना चाहिए ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

आप संसदीय इतहास में अमर हो गए, हरदेव जी ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष ---

मैं उनको अमर कर रहा हूं, बलिया के बाद बलिया को ही बुलवा रहा हूं ।

(हंसी)

श्री गौरी शंकर भैया---

हरदेव जी के बाद इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है, मैं इसके लिए आपका आभारी हूं । मान्यवर, बजट घाटे का प्रस्तुत हुआ है । प्रदेश की जनता सोचती थी कि हमारे लिए कोई नई चीज आने वाली है । हमेशा की तरह इस वर्ष भी प्रदेश की 11 करोड़ जनता यह ध्यान लगाये थी कि वित्त मन्त्री जी कोई नयी चीज ले आने वाले हैं । लोग सोच रहे थे कि हमारे दुःख-दर्द कम होंगे । हरदेव जी अभी बोल रहे थे पढ़ने-लिखने से इनका जितना वास्ता है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं यह हमारे जिले का दुर्भाग्य है कि ये वहां अध्यापक भी हैं । मैं निवेदन कर दूं कि प्रदेश में जो 2 करोड़ बेकार हैं वे सोच रहे थे कि मन्त्री महोदय बजट ले आने वाले हैं उसमें बेकारी भत्ता देने के लिए भी कुछ न कुछ बात कही जायेगी, लेकिन इस सम्बन्ध में बजट देखने से उसमें कुछ नहीं लिखा गया ।

दूसरी बात प्रदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थी सोचते थे कि कम से कम इस बार, प्रगतिशील बनने वाली जो हुकूमत है, वह 12वीं कक्षा तक फ्री एजूकेशन देने की बात करेगी लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पुस्तिका वितरित की गई है, आपके पास भी है मान्यवर, कोई जिक्र नहीं है । जो हमारे प्रदेश में रोगी हैं, कष्ट में हैं, उनको दूर करने के लिए प्रति व्यक्ति एक नया

[श्री गौरी शंकर भैया—]

पैसा सालाना खर्च करते रहे हैं। जिससे लोगों के रोगों की चिकित्सा उचित रूप में नहीं हो सकती है। उसकी उचित व्यवस्था करने के लिए इस बजट में कोई बात नहीं की है। मुख्य मन्त्री का भाषण था कि हर जिले में एक बड़ा उद्योग लगाने की बात करेंगे, अभी सूती मिल लगाने की बात आई, हमारे जनपद में कौन विरोधी दल का आदमी है जो सूती मिल का स्थापना नहीं चाहता है? जो बड़ा-बड़ा पुलिंदा भेजा गया है, जब उसको हम लोगों ने देखा। बलिया में सूती मिल की स्थापना के बारे में, मुख्य मन्त्री जी ने कहा था कि सूती मिल की स्थापना करने वाले हैं। लेकिन हमारे यहां के साढ़े तीन मन्त्री हैं, जो चाहते हैं कि यह हमारे सुरेन्द्र सिंह जी चाहते हैं उनके घर के आस-पास स्थापित हो और यहां हो जाए। बच्चा पाठक चाहते हैं घाघरा के किनारे, काशी नाथ मिश्र चाहते हैं उनकी ससुराल के बगल में और निर्भय नारायण सिंह चाहते हैं सिकन्दर पुर में हो जाए, वहां इसकी स्थापना हो। तो इसके न लगने का एकमात्र श्रेय इन मन्त्रियों का है। प्रदेश के हर जिले में एक बड़ा उद्योग लगाने की बात यह एक कोरा आश्वासन था।

न्याय के बारे में भी हम सोचते थे कि गरीबों को न्याय दिलाने के लिए कुछ न कुछ किया जायेगा। उसमें भी भ्रष्टाचार है। सोचते थे उसमें भी कोई तीर मारने वाले हैं। मैं अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क पर एक आदमी मार दिया जाए, दरोगा को पांच हजार रुपया दे दीजिये, मुंसिफ को 4 हजार रुपय दे दीजिए, एक हजार उसमें भी आपका बच जायेगा। हम सोचते थे इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए कोई बड़ी चीज लायेंगे जिससे भ्रष्टाचार दूर होगा, समाप्त होगा।

लेकिन खेद है कि इसके बारे में भी इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। सरकार को इस वर्ष 3 हजार 88 करोड़ की आय हो रही है और 128.97 करोड़ का इनका घाटा हो रहा है। इस घाटे के बारे में माननीय वित्त मन्त्री मौन थे, उन्होंने कहा कि हम कोई नया कर नहीं लगाने जा रहे हैं, ठीक है आपकी इस बात को मैं मानता हूं लेकिन क्या जो कर इस देश में चल रहे हैं उसको आप और एक्सटेंशन नहीं करने जा रहे हैं? हम जानते हैं कि यह हरदेव आपकी पार्टी से आने वाला नहीं कभी न कभी नया टैक्स लगाकर आप इस घाटे को पूरा करने वाले हैं। पिछला साल हरिजनों की हत्याओं का साल और डकैती का साल होकर गुजर गया है। हम लोगों ने सोचा था कि शायद इस बजट में उनको आप हथियार देने के लिए कोई न कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं लेकिन इस ओर एक भी बात नहीं कही गई है।

आप जानते हैं कि जब घाटे का बजट आता है तो मुद्रास्फीति बढ़ती है। यह आप 32 वर्षों से इस देश और प्रदेश के अन्दर करते जा रहे हैं। दूसरा तरीका जो प्रदेश की सरकारें अपनाती हैं वह ओवरड्राफ्ट करती रही हैं। बजट पेश करने के पहले इसका भी ध्यान किया गया होता कि इसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डालने की बात मन्त्री जी सोच रहे हैं। इस तरह से यह पूर्ण रूप से जनविरोधी बजट है। इन्होंने कहा है कि हम राजस्व के पुनरीक्षण का काम करेंगे। इसको आप किस तरह से करेंगे। आम जनता के ऊपर टैक्स लगाने का काम आप करेंगे। एक राष्ट्रीय ग्रामीण योजना की बात बड़े जोर शोर से माननीय सदस्यों ने की है। मैं माननीय मोहन सिंह के जिले की बात तो नहीं जानता कि उनके जिले में यह कहां तक हुआ है लेकिन हम अपने जिले में यहां तक जानते हैं हमारे जिले में मात्र तीन सड़कें बनाई जा रही हैं और यह

केवल तीन मन्त्री जो भ्रष्ट बैठे हुए हैं उनके क्षेत्र में बनाई जा रही हैं। अब मन्त्री जी कहेंगे कि उनकी तरफ जो सड़क जाती है उस पर खड़ंजा लगने जा रहा है, लेकिन मैं यह कह देता हूं कि वहां भी नं0 2 का ईटा लग रहा है।

जहां तक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात है, हम तो ज्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं आप ज्यादा पढ़े-लिखे हैं जरा आप स्पेशल कम्पोनेंट की स्पेलिंग बतला दें। मैं नहीं समझता कि मेरे जिले का कलेक्टर कैसे इस स्कीम को लागू कर रहा है। उसको इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। वह बनिए की दूकान बना कर बैठा हुआ है, जो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलता। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत गरीब लोगों की सहायता देने की बात की जाती है लेकिन जो सहायता दी जाती है, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। एक निश्चित रकम पार्टी से वसूल की जाती है।

एकीकृत योजना बहुत वर्षों से लागू है। करीब 6 वर्ष से प्रदेश में एकीकृत योजना चल रही है। एकीकृत योजना गाजीपुर में लागू है, जिस योजना के अन्तर्गत करोड़ों रुपये की स्कीमें बना थी लेकिन जो अधिकारी उसका संचालन करने वाले हैं, वह यह सारा रुपया लूट कर घर बैठ गया है। न मालूम उसका कितना रुपया किस मिस मिनिस्टर के पास घूस के रूप में पहुंच गया, वह भ्रष्ट अधिकारी वहां से सारा रुपया लूट कर घर भेज रहा है। गाजीपुर के लोग ही उस बारे में अच्छी तरह से जानते हैं और वे ही बतला सकेंगे कि उनके यहां एकीकृत के सिलसिले में क्या-क्या काम हुआ। हजारों परिवारों को सबसिडी देने की बात थी। जानवर खरीदने के लिए साल दो साल के लिए बैंक से उनको रुपया मिलता था लेकिन अन्त्योदय योजना व अन्य दूसरी योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान के रूप में बैंक का पैसा नहीं दिया गया और गरीब किसानों पर टोटल उधार का सूद बढ़ता चला गया। माननीय मन्त्री जी का ध्यान बार-बार इस ओर दिलाया गया लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सिंचाई के बजट में भी आपने कटौती कर दी है। प्रदेश की जनता यह सोचती थी कि नहरों से सिंचाई होगी, ट्यूबवेल्स से सिंचाई होगी लेकिन इस बजट में उनकी संख्या बढ़ाने का भी कोई प्रयास नहीं किया गया है। न मालूम माननीय मन्त्री जी की श्री बीर बहादुर सिंह से दोस्ती में क्या अन्तर आ गया वरना वे इस सिंचाई के बजट को बढ़वाने का प्रयास अवश्य करते। ट्यूबवेल्स में 80 प्रतिशत की नालियां टूट चुकी हैं, 40 प्रतिशत ट्यूबवेल्स का ट्रांसफार्मर्स खराब हो चुका है, 20 परसेन्ट की बोरिंग टेढ़ी हो गयी हैं या और कुछ खराबी आ गयी है। आशा यह की जाती थी कि प्रदेश में नालियां ठीक करा दी जायेंगी, ट्यूबवेल्स को अधिक बिजली मिलेगी तो हमारे प्रदेश में अन्न का उत्पादन बढ़ जायेगा।

अब मैं सड़कों और पुलों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिये घाघरा नदी के माझी ग्राम पर एक पुल बनाने की योजना जनता सरकार ने ही बनायी थी लेकिन उसके बारे में इस बजट में कोई प्राविधान नहीं है। इसी तरह से दूसरा पुल भागलपुर में बनाने की बात थी लेकिन उसके लिये भी कुछ नहीं किया गया है। पता नहीं इस बजट के अन्दर इनके जनपद में कौन-कौन विकास के कार्य हुए हैं। अगर अनुदान पाना, भीख मांगना ही श्री हरदेव जी विकास कार्य मानते हैं तो ठीक है। उनके जनपद में विकास कार्य हुआ होगा लेकिन यहां तो कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है।

[श्री गौरी शंकर भैया--]

कृषि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। खेती की तरक्की के लिये इस बजट में कुछ नहीं किया गया है। खाद पर सबसिडी खतम, पानी व बिजली के दाम बढ़ा दिये और सारी चीजों के भाव बढ़ा दिये लेकिन कृषि उपज के भाव खाद आदि की तुलना में नहीं बढ़ाये फिर किस तरह से आप कह सकते हैं कि कृषि की तरक्की के लिये बहुत कुछ किया जा रहा है।

आज परिवहन की हालत यह है कि कानपुर को देवरिया-बलिया से बस आती है, गोरखपुर से कानपुर को बस जाती है लेकिन बसों की हालत बड़ी खस्ता है। किसी की सीटें टूटी-फटी पड़ी हैं तो किसी बस का चक्का ही खराब पड़ा है जिसको धक्का मार-मार कर चलाना पड़ता है। जो भी अच्छा सामान होता है उसे अधिकारी प्राइवेट ट्रांसपोर्टर के हाथ बेच देते हैं। इस तरह से कहीं गेयर खराब है तो कहीं कोई चीज खराब है। इस तरह से बस सर्विस की हालत बहुत ही खराब है। इसी तरह से ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीम के अन्तर्गत भारत सरकार से प्रदेश सरकार को काफी रुपये मिलता है। मेटिरियल में जितना भी पैसा लगे सब भारत सरकार ही देती है। अब पांच वर्षों से ये रुपया पर रुपया लेते जा रहे हैं, बीच में दो-तीन वर्ष काम हुआ, आर0 ई0 सी0 के अन्तर्गत रुपया ले कर तनखवाह बांट देते हैं बिजली विभाग के अन्दर। जो काम होना चाहिए था वह काम बन्द कर दिया। हम सोचते थे कि इस स्कीम के तहत अच्छी तरह से काम चलाने के लिए मंत्री जी बलिया के लिए कोई न कोई बात करेंगे लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई।

बाढ़ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि..

श्री उपाध्यक्ष--

बस, आप का समय समाप्त हो गया।

श्री गौरी शंकर 'भैया'--

बाढ़ के सम्बन्ध में हमारे यहां गंगा, घाघरा, टौंस...माननवर..

श्री उपाध्यक्ष--

विराजें...

श्री गौरी शंकर "भैया"--

अंतिम निवेदन है....

श्री उपाध्यक्ष--

अंतिम निवेदन, अभी इस के बाद भी निवेदन करेंगे। अंतिम आपके दुश्मन का हो...

श्री बंशीधर राज--

उपाध्यक्ष महोदय, आप ने बजट पर विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया इस के लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय वित्त मंत्री जो ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी मैं सराहना और समर्थन करता हूं।

मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अग्निहोत्री जी ने सार्वजनिक निगमों के सम्बन्ध में कुछ अनियमितताओं के सम्बन्ध में कहा था। इस

सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि 78 और 79 में सार्वजनिक निगमों के सम्बन्ध में भारत के आडिटर जनरल ने आडिट किया था और इन निगमों के सम्बन्ध में वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में शासन का ध्यान आकृष्ट किया था । परन्तु उस समय इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज यह कहा जाता है कि निगम घाटे में हैं और इनमें अनियमिततायें हो रही हैं । यदि उस समय ध्यान दिया गया होता तो संभवतः आज यह स्थिति नहीं होती । यही नहीं 1979 में 37 ऐसी कम्पनियां थी जिनका तीन वर्ष से आडिट नहीं हुआ था । इसके अलावा लगभग 23 कम्पनियां ऐसी थी जो 5 और 9 वर्ष से अपना लेखा-जोखा तैयार नहीं किये थीं । उस समय यदि इस ओर कोई ध्यान दिया गया होता और इन पर कोई अंकुश लगाया गया होता तो आज यह स्थिति उत्पन्न नहीं हुई होती । इसी तरह से माननीय हुक्म सिंह ने कहा था कि 228·97 करोड़ रुपये का घाटा है इसके सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं की गई । इस बजट में स्पष्ट कहा गया है कि 33.69 प्रत्याशित व्यय अगले वर्ष का शेष जोड़ कर यह घाटा 95·28 करोड़ ही रह जायगा । इसी तरह से जो मितव्ययतायें हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया गया है, उनके सम्बन्ध में भी कुछ बचत की जायगी । जो पुराने बकायों की वसूली है, उनके सम्बन्ध में भी कहा गया है कि इनको वसूल करके घाटे को पूरा किया जायगा । इसके अलावा माननीय वित्त मंत्री जी ने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया है कि करों की चोरी और पिछले बकायों को वसूल कर के घाटे को पूरा करने का प्रयास किया गया है ।

इस बजट में कुछ विशेषतायें अवश्य हैं और वह हैं योजना का विकेन्द्रीकरण । इस ओर मैं समझता हूं सर्व प्रथम प्रशंसनीय प्रयास किया गया है कि जिला स्तर पर जिला सेक्टर बना करके योजनायें बनाई जायं । इन योजनाओं से उन जिलों को लाभ मिलेगा जहां पर यह योजनाएं बनाई जायगी । इसके लिए 334 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है इस जिला सेक्टर के तहत । यह करीब 30 प्रतिशत होता है । 70 प्रतिशत राज्य सेक्टर के लिए आवंटित किया है । जिला सेक्टर में सभी माननीय जन प्रतिनिधियों को सम्बद्ध किया गया है । उन्हें केवल योजना की संरचना के लिए ही सम्बद्ध नहीं किया गया है बल्कि उसके मूल्यांकन और कार्यान्वयन देखने के सम्बन्ध में भी उनको सम्बद्ध किया गया है । मैं समझता हूं जिस समय तीस प्रतिशत हमारा बजट जिलों में जायगा यदि सत्यता से कार्य करेंगे तो उससे निश्चित ही प्रदेश का और जिलों का विकास होगा और जिले का कल्याण होगा । इसी तरह से हमारे प्रधान मंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में कहा है । अभी हमारे एक भाई ने 20 सूत्री कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा की थी और एक-एक करके प्वाइन्टस बताये थे, मैं उनके बारे में नहीं कहना चाहता हूं । केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 78 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । इसी तरह से एकीकृत ग्रामीण योजना के अन्तर्गत 35·40 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है, जिससे प्रत्येक विकास खंड में 600 परिवारों के लिये 8 लाख रुपये प्रति विकास खंड के लिये दिया गया है ।

मान्यवर, यही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने के लिये लगभग 15 हजार बायो गैस संयंत्रों का प्राविधान किया गया है । कृषि उत्पादन को दृष्टि में रखते हुये सिंचाई के लिये 7·67 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिये इसमें प्राविधान किया गया है और इसके अन्तर्गत वृहद एवं माध्यम सिंचाई योजना के द्वारा 1·95 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का प्रस्ताव किया गया है । इसके अतिरिक्त निजी नलकूपों के लिये जिला

[श्री वंशोधर राय--]

सेक्टर की योजनाओं से 1600 नलकूपों को बनाने का निर्णय लिया गया है। इ के अलावा जो फसलें कृषि से उत्पादित होती हैं जैसे आलू आदि, उसको रखन के लिये भी 4 हजार मी0 टन क्षमता वाले 69 शीतगृहों की स्थापना का प्राविधान किया गया है। इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो मैं समझता हूं कि यह बजट निश्चित रूप से कल्याणकारी होगा। इसके अलावा इसके अन्दर 700 गांवों में पेयजल योजना को व्यवस्था का प्राविधान किया गया है। 480 किलोमीटर नई सड़कें बनाने का प्रस्ताव है। 155 किलोमीटर की सड़कों के पुनर्निर्माण की व्यवस्था है। विद्युतीकरण के लिये भी 710 गांवों के लिये व्यवस्था की गई है। मान्यवर, सन् 78-79 में प्रदेश की कुल आय 5,372 करोड़ रुपये थी जो प्रति व्यक्ति आय 530 रुपया होती थी, 82-83 में प्रदेश की कुल आय बढ़कर 5,523 करोड़ रुपये होने का अनुमान है जो कि सन् 78 की तुलना में 2 8 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह से कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी 78-79 में जहां 231·8 टन उत्पादित हुआ था वहां 81-82 में 244·46 टन होने का अनुमान है, जो कि सन् 78 की तुलना में 6 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, भावों का किसी प्रदेश की अर्थ व्यवस्था पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। पिछले वर्ष मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई थी जिससे खाद्य पदार्थों में, तेलों में और अन्य वस्तुओं के दामों में बहुत वृद्धि हुई थी। उस पर काबू पाने के लिये भी इस बजट में व्यवस्था की गई है।

मान्यवर, अब मैं अपने विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी के बारे में कहना चाहता हूं। यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 70 किलो-मीटर वर्ग क्षेत्र में वहां पर कोई उद्योग नहीं है। वहां पर कृषि उपज का सदुपयोग नहीं हो पाता है। वहां गन्ने की बहुतायत है लेकिन कोई मिल आदि नहीं है जिसके कारण कृषकों को अत्यधिक कठिनाई होती है। माननीय मुख्य मन्त्री जी से मांग की गई थी कि वहां पर कोई सहकारिता के क्षेत्र में कोई शुगर मिल लगा दी जाय मुझे आशा है वहां शुगर फैक्ट्री लगवा दी जायेगी जिससे वहां का कल्याण हो सकेगा और किसानों को शोषण से मुक्ति मिलेगी तथा उचित मूल्य मिल सकेगा।

इसी तरह लखीमपुर खीरी से एक मार्ग मंगलगंज होते हुए हरदोई को जाता है जिसके बीच में कठना नदी पड़ती है उस पर पुल बनाया जाय। पुल न होने से वहां 6 महीने यातायात बंद रहता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस पुल को बनाने की व्यवस्था की जाय। माननीय मंत्री जी ने घोषणा भी की थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि इसे शीघ्र बना दिया जाये ताकि जनता को यातायात की सुविधा मिल सके और उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सके। मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन एवं स्वागत करता हूं।

(श्री शंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मान्यवर, मेरा नाम सबसे ऊपर था मुझे मौका नहीं मिला।

[समय 4 बजकर 6 मिनट]

*श्री शंकर सिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि दिन भर की उठक-बैठक के बाद आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ ही गई। मान्यवर, पिछले वर्ष जब जन विरोधी बजट वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया था, उसके खोखलेपन के कारण नजर आते हैं। जैसा कि सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं कि पिछले वर्ष वित्त मन्त्री जी के पास बिजली विभाग भी था, तो उसमें ओवरलोडिंग हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन इस साल जब कि यह आशा थी कि क्रांतिकारी बजट लायेंगे। लेकिन जो उनका बजट भाषण आया उससे साफ जाहिर होता है कि जो कुछ करेंट थी, वह सारी की सारी गोल हो गई। इस बजट भाषण के पहले पन्ने को ही देखें तो उससे इनका खोखलापन नजर आता है। भाषण के दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि अब तक एक विभाग के राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिमों के लिए प्राविधानों को अलग-अलग अनुदानों में प्रस्तुत किया जाता रहा है और आगामी वर्ष के बजट अनुमानों को एक विभाग में समेकित अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसके कारण मान्यवर, अनुदानों की संख्या 130 से घट कर 80 रह जायेगी। तो यह सबसे बड़ा धोखा है मान्यवर, क्योंकि अभी तक पूंजीगत व्यय और राजस्व अलग-अलग हुआ करते थे और उनकी तफसील देनी पड़ती थी, अब इनको अपने ढंग से खर्च करने का एक रास्ता मिल गया है। तो निश्चित रूप से जो बजट में प्राविधान किए गए हैं उनका दुरुपयोग होगा।

मैं अब हरिजनों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। यहां पर हरिजनों के सम्बन्ध में माननीय मिश्रा जी ने, माननीय भगवती सिंह जी ने तथा हरदेव जी ने इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया कि यह सरकार हरिजनों का बड़ा हमदर्द है और विरोधी लोग केवल घड़ियाली आंसू बहाते हैं। मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा कि जो शांति व्यवस्था है वह कहां जा रही है और इनका जो दस्यु उन्मूलन अभियान है वह कहां जा रहा है, उस पर ज्यादा नहीं कहूंगा। हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी लखनऊ मेल है, उसमें एक माननीय संसद सदस्य तक को लूट लिया, झांसी पैसेंजर में एक एयरफोर्स के अधिकारी को मार डाला गया और उसके बाद अभी चार दिन पहले उसी ट्रेन को फिर लूट लिया गया। मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश के प्रशासन को जो इन मदों में रुपया दिया जा रहा है, उसका कैसे सदुपयोग होगा। हरिजनों के प्रति इनको विशेष सहानुभूति है। उस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि बड़े जोर से इस बजट में कहा गया है कि एक स्पेशल कंम्पोनेंट प्लान लागू किया गया है और प्रदेश के जो 46 लाख हरिजन परिवार हैं, उनमें से 30 लाख गरीबों को रेखा से नीचे हैं तो उनमें से 15 लाख परिवारों को छठी योजना में गरीबों को रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के लिए आगे लिखते हैं कि इन्होंने 134·48 करोड़ रुपया अनुदान के लिए केन्द्र से और आग्रह किया है। इनकी बड़ी भारी योजना है, लेकिन वह उसको गरीब हरिजनों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उसका उसको फायदा मिल पा रहा है या नहीं इसको देखने वाला उनके यहां कोई नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदन के सामने अपने जिले के अपने अनुभव बताना चाहता हूं। मान्यवर, हम लोग बराबर जिले में इस बात की शिकायत करते रहे कि हरिजनों और निर्धनों को जो सहायता या अनुदान मिल रहा है, उसका बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा है। पिछले वर्ष से हम लोग देख रहे हैं कि किसानों आदि को जो पम्पिंग सेट्स दिये गये हैं वह केवल कागज पर दिए गए हैं और डोलर्स,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शंकर सिंह—]

बैंक मैनेजर्स और ब्लाक अधिकारी ने किसान को मुश्किल से 1/2 हजार रुपया देकर 10 हजार के पम्पिंग सेट्स पर उनसे दस्तखत करवा लिए हैं और उनको भगा दिया है ।

इस साल जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान योजना चालू हुई, उसके सम्बन्ध में मैं सदन का और विशेष रूप से हरदेव जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसके बारे में हमारे पास शिकायत आई कि जितना पैसा हरिजनों को मिलता है—तीन या पांच हजार रुपया, उसका आधा पैसा भी उनके पास नहीं पहुच पाता है । उसका 10 परसेंट बैंक मैनेजर, 10 परसेंट बी0 डी0 ओ0, 10 परसेंट दलाल, जो उनके फर्जी कागज तैयार करवाता है, 10 परसेंट व्यापारी, जो फर्जी वाउचर्स बना कर देता है—यह लोग ले लेते हैं और इससे बचा खुचा किसान को पहुंचता है । हम लोगों ने इसकी शिकायत की, तहसीलदार की फर्जी तथा जाली सील, बैंक की सील और नो ड्यूज सार्टिफिकेट फर्जी तैयार करवा लिए गये हैं । सारे का सारा काम जाली है । बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें हरिजनों का पैसा सवर्ण लेकर बैठ गया है । उसके बाउचर्स गुड़ और तेल के लगे हैं । हरिजन कहता है कि सूत चाहिए और बाउचर्स लगे हैं चमड़े के । यह सारा जाल बट्टा इसमें व्याप्त है । हमारी शिकायत पर जिलाधिकारी ने कौंच नगर में छापा मारा, जिसके बारे में 22 जनवरी के 'आज' समाचार-पत्र में स्पष्ट रूप से प्रकाशित हुआ है कि—"राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी विभागीय जांच के उपरान्त एक बैंक के शाखा प्रबन्धक को निलम्बित कर दिया तथा एक शाखा प्रबन्धक को पदावनत करके स्थानान्तरित कर दिया गया । एक शाखा प्रबन्धक के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच बैठा दी गई तथा मामला सी0 बी0 आई0 को सौंपा गया है । मामले में एक शाखा प्रबन्धक फरार हो गये ।" यह केवल एक छपे का असर है । आगे इसी में लिखा हुआ है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, उन्हीं के लोग दलाली करते हैं । इसमें लिखा हुआ है कि—"कार्यालय की दो सौ से अधिक फाइलों में व्यापक गड़बड़ी पाकर उन्हें सील कर लिया गया है तथा ऐसी चेक बुक सील कर ली गई है जिनकी चेकों पर हस्ताक्षर थे, राशि भरी हुई थी, केवल पानेवाले का नाम भरा जाना था ।" इसी में और आगे लिखा है कि—"बैंक की नगर शाखा पर छापा मारकर बैंकों के समीप घूमते हुए कथित नौ दलालों को बन्दी बनवा लिया था, किन्तु राजनीतिक दबाव के कारण कुछ ही घंटों में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया ।" इसी प्रकार के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक और खबर 'आज' ही अखबार में 4 दिसम्बर को निकली है, इसमें है—'फर्जी प्रमाण-पत्रों द्वारा बैंक से ठगी का भन्डाफोड़ । आज हमारे मन्त्री जी यहां नहीं हैं, उनका 'आज' अखबार पर भरोसा नहीं है, लेकिन 'दैनिक जागरण' तो इनसे सहानुभूति रखता है, उसके 18 नवम्बर के अंक में निकला है—"जालौन में हरिजन कल्याण योजना में करोड़ों का घोटाला" । और इसी बारे में वहां के एक साप्ताहिक पत्र में भी निकला है—"हरिजन हितों के लुटेरों को इतनी कम सजा क्यों ?" । मान्यवर, इन सब पर अगर यह विश्वास नहीं करते तो जो दूसरे अखबार हैं उनपर तो इनको जरूर विश्वास करना पड़ेगा । यह कौंच से निकलता है और इस पर फोटो किसी विरोधी दल के नेता का नहीं, जिसे हरिजनों के लिए घड़ियाली आंसू बहानेवाला कहा जाता है, सत्ता पक्ष के एक विधायक श्री राम प्रसाद अहेरवार का फोटो है । मैं जिलाधीश से शीघ्र ही मुलाकात करने वाला हूं । उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखूंगा कि हरिजन कम्पोनेन्ट की धांधली के विषय में आगे शक्ति शाली कदम उठायें जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति तथा नीतियों का किसी भी प्रकार से हनन न हो सके । पार्टी की छवि ऐसे ही घुसपैठ करने वाले आंतरिक विद्रोह पैदा करके कांग्रेस (आई) की छवि धूमिल करने में लगे

हुए हैं । 6 महीने से ये लूट खसोट हो रही है जिसमें हजारों व्यक्तियों ने ऋण लिया । यह बात सभी को भली भांति मालूम थी मगर अफसोस है किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया सही ऋण हरिजनों को न मिला तो विधान सभा में इनकी आवाज बुलन्द की जायेगी । ये तो नहीं कर सके लेकिन में अपना कर्तव्य समझ कर इनको अवश्य यहां पर रख रहा हूं । यह इस कोंच एक्सप्रेस दिनांक 8 दिसम्बर, 1981 के शीर्षक "अराजक तत्वों को कांग्रेस (इ) में कोई स्थान नहीं--श्री आर० पी० अहेरवार की घोषणा" में छपा है । आगे के पृष्ठ (4) लिखा हुआ है कि "आजकल कोंच नगर में प्रशासनिक व्यवस्था चौपट होती चली जा रही है । अराजक तत्व खुले आम छींटा कशी करते तथा संभ्रान्त व्यक्तियों तक पर भी हमला करने की चेतावनी देते हैं। कई बार पुलिस अधीक्षक को भी बताया गया मगर वह भी अनसूनी करते रहते हैं ।" तो यह स्थिति आपकी हरिजन कम्पोनेन्ट प्लान की है । इसमें यह जो धनराशि व्यय कर रहे हैं इससे हरिजनों का तनिक भी फायदा नहीं होगा । इससे ये केवल बैंक के कर्मचारियों अधिकारियों और बिचौलियों का जरियामाश कर दिया है । सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है कि इसमें इतना बड़ा स्कैन्डल होता है लेकिन एक भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है । यह है इनकी हरिजनों से सहानुभूति एवं हरिजन कम्पोनेन्ट प्लान की स्थिति ।

अब मैं चूंकि समय कम है अतः मैं सिंचाई के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे यहां पर एक करोड़ रुपये की लागत से कालपी नगर में राजकीय मार्ग पर एक यमुना नदी पर पुल 3 महीने पहले बन कर तैयार हो गया था लेकिन जनता के लिए वह पुल 3 महीने से इसलिए नहीं खोला जा रहा है क्योंकि उसके लिए किसी महत्वपूर्ण मंत्री को या मुख्य मंत्री को उसका उद्घाटन करने के लिए जाने की फुरसत नहीं है । उस क्षेत्र की जनता ने घोषणा कर दी है कि यदि उस पुल का उद्घाटन 7 तारीख तक नहीं होता है, तो वहां की जनता उस पुल का उद्घाटन कर देगी और अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी । जिस पुल का निर्माण करोड़ों रुपये व्यय करके हुआ हो उस पर केवल एक टेप काटने के लिए उसे अधिक दिन तक बन्द नहीं रखा जा सकता है ।

श्री राम भजन लाल--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने मुझे पहला मौका बोलने का दिया । मैं इसके पहले कभी नहीं बोला और उसकी भी एक वजह है । मैं इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही को सुनता रहा और देखता रहा । हमारा जो विरोधी दल है वह बहुत ही गैर जिम्मेदार है । अगर ये सही बात को सही और गलत को गलत कहें तो देश में सुधार हो सकता है, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विरोधी दल हमेशा यही चाहता है कि मौजूदा सरकार को किसी तरह से बदनाम करें । कुछ जीव संसार में इस प्रकार के होते हैं जिनको प्रकाश नहीं भाता है । मान्यवर, फारसी में एक शेर है--

"नूर गेती फरोज चश्मये होर, जिश्त बाशद बचश्म गूशमकोर"

इसका अर्थ है कि सूरज दुनिया को प्रकाश देता है लेकिन उल्लू, चिमगादड़ आदि कुछ जानवरों के लिए वह प्रकाश बुरा लगता है ।

(व्यवधान)

[श्री राम भजन लाल---]

भाइयो, यह बात आपके लिए नहीं कही, एक बात अ.म कही है। में यह कहना चाहता हूं भाइयो, कि जब कांग्रेस ने हुकूमत सम्भाली आजादी के बाद, जनतंत्र प्रणाली का निर्माण किया और शुरू से ही हम यह आशा लगाये रहे कि कोई ऐसे भी दल का निर्माण हो जो हुकूमत की बागडोर सम्भाले। केवल आलोचना हो आलोचना करने से राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है। कोई रचनात्मक काम आपके पास नहीं है जिससे जनता आप में विश्वास कर सके। कांग्रेस शासन में एक नसबन्दी का मामला ऐसे था जिसके कारण जनता को भ्रम में डालकर आप शासन में आ गये, पर आप अपनी गलत नीतियों के कारण ढाई साल से अधिक नहीं टिक सके। आपको जनता ने अच्छी तरह से समझ लिया। यह इस देश का दुर्भाग्य था कि ढाई साल तक आपके हाथों में देश का शासन रहा और आपने उसे चौपट करके रख दिया। यह तो कहो कि हमारे देश में एक ऐसी नेता मौजूद थीं, जिस पर इस देश को पूर्ण विश्वास था, जो उस बिगड़े हुए हालात में भी, देश को सम्भाल सकती थी, जनता ने उसे अपना विश्वास दिया और उसने देश की इतनी अच्छा हालत बना दी, वरना पता नहीं इस देश का क्या होता। आपने गांव सभाओं को तोड़ा, क्षेत्र समितियों को तोड़ा, जिला परिषदों को तोड़ा और उनको बरबाद करके रख दिया। अगर इन जगहों पर जन प्रतिनिधि होते तो जनता का बहुत बड़ा काम हुआ होता। आपने उनका चुनाव नहीं कराया। आपने अपने काल मे हर चीज को बरबाद करके रख दिया। आपने वह काम किया जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। अगर आपने उनको तोड़ा था तो आपको उनका चुनाव कराना चाहिये था। अब हमारी सरकार उसके लिए प्रयत्नशील है। आपके हर बिगड़े हुए काम को हमारी सरकार ने आते ही सम्भाला। चूंकि जन-प्रतिनिधि वहां नहीं थे इसलिए पैसा इधर-उधर चला जाता रहा।

आजादी से पहले लोगों की हालत जो थी, जिस प्रकार की गरीबी थी, उसको देख कर आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस सरकार ने अपने काल में जो काम किये उसके आधार पर आज वह गरीबी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चारों तरफ निर्माण के कार्य चल रहे हैं और प्रदेश तथा देश तरक्की कर रहा है। में यह नहीं कहता कि कहीं भ्रष्टाचार है ही नहीं। में एक फारसी का शेर पढ़ना चाहता हूं.....

जुज आंकस नदानम निकोखवाह मन,

कि रोशन कुनद वरमन आहयेमन।

में उस सख्श को अपना हितैषी मानता हूं जो मेरे ऐबों को मेरे सामने रोशन करता है। मेरा आपसे कहना है कि आप सही को सही और गलत को गलत कहें। जब स्वतंत्रता मिली देश की 34 करोड़ की आबादी थी और आज 70 करोड़ के लगभग है और यही नहीं बल्कि हम बाहर के लिए गल्ला भेज रहे हैं और इसमें हमारा प्रदेश आगे भी है, हालांकि हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबिले में नीचे है, हमारे देश ने खाद्यान्न के मामले में उन्नति की है। उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यहां तक कि विश्व बैंक के जो अभी-अभी अध्यक्ष आये थे, उन्होंने भी हमारे इस काम की प्रशंसा की है और हमारी सराहना की है। लेकिन हमारे देश के जो निवासी हैं, इसके बावजूद भी अपनी आखें बन्द किये हैं। हमारे प्रदेश में नहरों का जाल बिछाया गया। जहां पर अब तक सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था के लिए बजट में पैसा रखा गया है।

इस तरह से हम देश को आगे बढ़ाते जायेंगे और देश को मालामाल करते जायेंगे । हम जनतांत्रिक प्रणाली के द्वारा अपने देश का और प्रदेश का शासन चला रहे हैं । हमारे अन्दर अगर डिक्टेटरशिप की बात होती, तो हम जनता की भावना का परवाह न करते और तब दूसरी स्थिति हो सकती थी । लेकिन हमारी नर्म पालिसी है । जितना लाड हमारी बिजली का पैदा नहीं होता है, उससे ज्यादा मांगें बढ़ जाती हैं । लेकिन हम उसकी पूर्ति करते हैं । बिजली की जो हमारी स्कीम हैं, उन्हें आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं ।

इसी तरह से शिक्षा के बारे में हमारी इसी तरह की चीजें हैं, दो-दो, तीन-तीन किलोमीटर पर स्कूल हैं । देहात की शिक्षा जो है, वह नगण्य है, उसे सुधारने के लिए हम आशा करते हैं कि हमारी सरकार उसको सुधारेगी । प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की जो शिक्षा है, उसके विषय में विचार करना चाहिए । जिस प्रकार से बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधायें शहरों में हैं, उसी प्रकार से देहातों में भी वही सुविधायें होनी चाहिये । देहात में ही हमारा देश आबाद है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे देश के लोग शहरों की तरफ देखते हैं । उसे सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि देहात की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें । बिजली का प्रसार करें, स्कूलों को खोलें । जहां पर जूनियर हाई स्कूल है, वहां पर हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलें । हम यह गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश भाला-भाला है । कहने का मतलब यह है कि हमने हर योजनाओं के ऊपर ध्यान दिया है और प्रगति किया है । हर तरह से हम यह चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े । हम आप से भी यह आशा करते हैं कि आप हमारा साथ दें । इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जिला खीरी बहुत पिछड़ा हुआ जिला है । इसमें सड़कों की बहुत कमी है । जिस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर गये थे, उन्होंने वहां की सड़कों की दुर्दशा देखी थी । हमारा जिला जो है, वह गन्ने के जिहाज से बहुत उपजाऊ है । मोहम्मदी और मितौली में शुगर मिल खोल दी जाय तो बहुत ही उपयोगी होगा । हमें यह मालूम हुआ है कि हमारे यहां के लिए 30 लाख रुपया कठिना के पुल के लिए स्वीकृत हुआ है । लेकिन वहां पर कोई काम नहीं हुआ है । हमारी तहसील मोहम्मदी के दो परगने ऐसे हैं, औरंगाबाद और कस्ता, यहां की जनता को तहसील हेडक्वार्टर पहुंचने में बड़ी परेशानी होती है । मितौली में तहसील खोल दी जाय । मैं अपनी सरकार से उम्मीद करता हूं कि इन तमाम चीजों पर ध्यान दें और जहां पर जिस चीज की योजना और कुछ हो उसको पूरा करें । जरूरी काम हो उसको पूरा करें । मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि लाल बत्ती जल चुकी है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया इसके लिए धन्यवाद देता हूं और अन्त में एक चीज कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं :—

लोहा नहीं तलवार का, मेरी है कुछ खराब,
हां बे मोहारती कि सबब से चढ़ा है जंग ।

*श्री खैरुल बशर—

—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस बजट की सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं सब से पहले तो सरकारी बेन्चेज से मांग करूंगा कि जहां तक इस बजट को समाजवादी कहा गया है । आप इस लफ्ज का इस्तेमाल न करें । यह बजट समाजवादी नहीं है । आप अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री खैरुल बशर--]

करनामों पर जिस पर आप नाज करते हैं न तो यह आपका बजट समाजवादी है और न आपही समाजवादी हैं । अगर कोई गधा अपने को शेर कहेगा तो गधा शेर नहीं हो सकता है । गधा गधा ही रहेगा । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बजट पूंजीवादी बजट है और इससे खराब बजट उत्तर प्रदेश के इतिहास में आज तक नहीं आया था और यह बजट में जो घाटा दिखलाया गया है । कहां से छलांग लगाकर इसको पूरा करेंगे । कौन सी व्यवस्था है कहां से इस खाई को पाटेंगे । सिवाय इसके कि गरीब जनता को करों से लाद दें और इस भूखी और गरीब जनता की कमर तोड़ दें और पूंजीपतियों का खजाना भर दें ।

मैं कहना चाहता हूं कि आपने जो बजट 3 हजार 88 करोड़ रु0 का पेश किया है, आपने आंकड़े दिए हैं । जो 1980 में बजट पेश किया गया था उसको मैंने पढ़ा । आज महंगाई 50 प्रतिशत बढ़ गई है, श्रीमती इंदिरा गांधी के आने की कृपा है कि महंगाई से हम पिस रहे हैं, इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से आपका बजट 1980 में जहां आप थे वहीं पर प्रदेश है । उससे आगे नहीं बढ़ा है । इसलिए महंगाई 50 प्रतिशत बढ़ी है उस हिसाब से निकाला जाय तो आपका बजट वही बजट है । मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूं । किसी साहित्य को सजाया जाता है, अलंकृत किया जाता है, उसी प्रकार से इस जन विरोधी बजट को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के द्वारा अलंकृत किया गया है । उसका आवरण बढ़ाया गया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण योजना का एक नक्शा पेश किया गया । हमारे प्रदेश और देश की जनता ने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम देखा है और जिस प्रकार से 20 सूत्रीय कार्यक्रम ने हमारे देश और प्रदेश की जनता को तबाह किया है और सन् 1976 में किस मंजिल पर पहुंचा दिया था । श्रीमती इंदिरागांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में कहा था कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर 16 प्रतिशत महंगाई कम की जायेगी । 1976 में 16 परसेन्ट मूल्य बढ़ गए थे । ग्रामीण योजना आपने बनायी और हरिजनों को आपने सुविधा देने की बात कही, भूमि आवंटन की बात कही लेकिन वह आपका एक खोखला नारा था आज भी हरिजनों को जमीन का कब्जा नहीं मिला है । अब एक और ग्रामीण योजना पेश कर दी है । मेरे यहां मधुबन क्षेत्र में एक नौजवान ने 90 हजार रु0 कर्ज लिया था इस योजना के अन्तर्गत । उसके ऊपर 33 परसेन्ट का मतालबा आ गया है । उसको बिजली नहीं मिली, रा-मैटीरियल नहीं मिला । गांवों में बिजली आज नहीं जाती है इसलिए उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ और वह नौजवान अपने 10-15 हजार लगाकर धो बैठा । आप इस तरह के खोखले नारे देते हैं और खोखली तस्वीर बनाते हैं । इससे कुछ होने वाला नहीं है । मैं एक बात और बता देना चाहता हूं कि आपने बंधुवा मजदूरों की बात कही है कि 2288 बंधुवा मजदूर के मामले आपने हल किए । तो 7 साल में 2 हजार बंधुवा मजदूरों को खत्म किया गया तो आप बता दीजिए कि 82 हजार बंधुवा मजदूरों को 28 य 30 साल में मुक्त करा पायेंगे । लेकिन आज बजट के अन्दर उसका खुशनुमा सपना देखने की कोशिश कर रहे हैं । मैं चाहता हूं कि हमारे देश की जनता इस रूलिंग पार्टी की असली तस्वीर को देखे ।

आपने कहा कि 1980 का वर्ष महिलाओं का वर्ष है । तो माया त्यागी की इज्जत लेने के साथ नयी शुरूआत हुयी । मास्टरों को पीटा गया, वकीलों को पीटा गया, मुरादाबाद में अकलियतों को पीटा गया । 1981 को आपने विकलांग वर्ष के रूप में मनाया । तो रेल दुर्घटनायें, बस दुर्घटनायें हुयीं । पूरी-पूरी बस सवारियों सहित नदियों में गिर गयीं । डाकुओं ने लोगों को लूटा और गांवों में

लोगों को पीटा। हमारे कांग्रेसी नेताओं की छत्रछाया में मैनपुरी में और साढ़ूपुर के अन्दर डाकुओं ने हरिजनों को मारा और इन्होंने उनको प्रोटेक्शन दिया। आज कांग्रेसियों के साथ बैठकर वह डाकू प्रेस कान्फ्रेंस कर रहे हैं। इसलिए साथियों में आपसे कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय खैरुल बशर आप साथियों से मुखातिब हैं या मुझसे ?

श्री खैरुल बशर—

मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। मान्यवर, एक सज्जन बोल रहे थे कि उल्लू और छछूंदर को प्रकाश नहीं पसन्द है। आज आप आलाप लगाते हैं, जिस तरह से चैत के महीने में गदहा खूब मोटा हो जाता है, वह पीछे देखता है तो घास नजर नहीं आती तो वह समझता है कि सारी घास वह खा गया है।

(हंसी) यह लोग उसी के समान हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आपस में बात न करें, माननीय खैरुल बशर बे-लगाम बोल रहे हैं।

श्री खैरुल बशर—

यह बजट ख्याली पुलाव है और इसके अलावा कुछ नहीं है। माननीय ब्रह्म दत्त जी का एक सपना है जो वह सदन में सुना गए हैं। वास्तविकता से इसका कोई मेल नहीं है। उन्होंने बताया कि आबादी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश की आबादी 25 परसेन्ट के रेट से बढ़ रही है। तो यह आबादी क्यों बढ़ रही है। गरीबी ही आबादी बढ़ने का मुख्य कारण है। हमारे प्रदेश की जनता की अगर काम होता उसके लिए विकास की योजनायें होतीं। एक बात मैं और बता दूं आपने जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, आपने अपने कार्यक्रम में मजदूरों की दुहाई दी है, खेतिहर मजदूरों की बात की है, लेकिन खेतिहर मजदूरों के लिए आपके बजट में क्या है, आज 10 साल में यह सरकार खेतिहर मजदूरों की मजदूरी तय नहीं कर पायी है। एक और मैं मिसाल देना चाहता हूं कृषि के विकास के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं, इसके अन्दर अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि वर्ष 1979-80 में सूखे का प्रभाव रहा है और दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि 1980-81 में 220·20 लाख मी0 टन धान तथा 24·75 लाख मी0 टन दलहन का उत्पादन हुआ। वर्ष 1980-81 में उत्पादित दलहनों में वर्ष 1979-80 की तुलना में 59 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा तिलहन के उत्पादन में वर्ष 1980-81 में 1979-80 की तुलना में 60·8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आप सूखे के हिसाब तुलना दे रहे हैं। इस तरह से मैं समझता हूं कि सारी मिसालें आपकी यही हैं। मैं इन शब्दों के साथ दो एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, एक मिनट और लूंगा ।

जो योजना का बात कही गया है ता यह योजनायें तो 1981 में दिल्ली से बनाकर हमने भेजी है, दिल्ली में जो सदस्य रहें होंगे, आज यह काई नयी बात नहीं है । मै यह कहना चाहता हूं कि एक सड़क मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मऊ-इटौरा मार्ग, कच्चा रास्ता है इसका पक्का करने के लिए 3 साल से चिल्ला रहा हूं और आज एक ऐसे मंत्री हमारे पी0 डब्लू0 डी0 के हुए हैं, जिनको मै समझता हूं कि अगोजाशन का कोई कदर अगर आपके विभाग में हं तो उसे पक्का कर दीजिए। एक कोपागंज-इन्दारा मार्ग है और भी मार्ग हैं, उनको इस बजट के अन्दर रखा जाय । मऊ के बगल में कोपागंज है, उसका म्युनिसिपैलिटी का दर्जा दिया जाय । मऊनाथ भंजन के अन्दर ओवर ब्रिज बना रहे हैं, इसको उन्होंने नदी पर पुल समझ लिया है । मऊ नाथ भंजन तक बीच-बीच में रेलमार्ग है उसके ऊपर उसे बनाने की बात है । फायर ब्रिगेड की मांग करता हूं । आग लगती है तो जल जाता है सारा नगर । इसके अलावा अस्पताल नहीं के बराबर हैं अस्पताल बनाये जायं । इन शब्दों के साथ में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहता था । समय के अभाव के नाते कोई दबाव डालना नहीं चाहता, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने अपने बनाये हुए नियम पर दबाव नहीं डाला, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रगुजार हू ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुयी हू और मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद देना चाहती हूं । यह बजट वाकई पोपुलस बजट है, गरीब लोगों का बजट है, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा तजवीजें गांवों की तरक्की के लिए हैं और वहां के हर आदमियों के लिए है । मैं विरोधी दल के मेम्बरान की तकरीरें सुनती रही हू, मेरी समझ में नहीं आता है कि यह लोग आखिर क्यों इस बजट की इतनी मजम्मत कर रहे हैं । क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए और नेशनल लाइफ में जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, इस बजट में न हों इसमें हर चीज का इंतजाम किया गया है, क्योंकि ज्यादातर गांव के लोग ही गरीब होते हैं और उन्हीं की ज्यादा से ज्यादा बेहतरी की जरूरत है, यह इसमें सब कुछ मेरे ख्याल से किया गया है । जहां तक मैं समझती हूं कि सही मायनों में सरकार आयना होती है अपनी जनता की आशाईस व अरमान व बेहतरीन नीतियों की । इसलिए यह बजट सही मायनों में गरीबों के लिए ही रखा गया है क्योंकि इन्हीं गरीबों की आज जरूरियात ज्यादा हैं इसलिए इन्हीं लोगों के लिए रुपया ज्यादा फरहम भी किया गया है, जो बहुत ही अच्छा हुआ है ।

दूसरे हमारे प्रधान मन्त्री के जरिए जो 20 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया गया है, वह कोई नया प्रोग्राम नहीं है इसके अन्तर्गत खासतौर से 115 करोड़ रु0 रखा गया है जिसमें से नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 78 करोड़ रु0 और इन्टेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट स्कीम के तहत 35-40 करोड़ रु0 रखा गया है यह पैसा उन योजनाओं के अलावा रखा गया है जो पानी की सिंचाई, खाद, बीज व

स्कूलों आदि के लिए रखा गया है, उन स्कीमों से अलाहिदा है और साथ ही जनाबेवाला, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जो रु0 129 करोड़ का घाटा आया है उसकी वजह यह है कि कई चीजों पर टैक्स इस बार नहीं लगाया गया है और बहुत सा पैसा हमारा वसूल नहीं हो सका है। अगर आवाम सरकार का यह पैसा वसूलने में मदद करेगा तो यह घाटा भी जल्दी ही पूरा हो सकता है। दूसरी बात मैं एक और आपके जरिये से कहना चाहूंगी जनाबेवाला, वह यह कि हमारे गांवों के लोग ज्यादातर पढ़े-लिखे तो होते नहीं हैं, गरीबों के पास जब नोटिस जाता है तो वह समझ नहीं पाते और ड्यू डेट्स निकल जाती हैं और जिसकी वजह से उनके पास कुर्की का नोटिस जाता है तो वह परेशान हो जाता है और दूसरी बात इसके साथ यह भी है कि गलत मुतालबे के नोटिस भी उनके पास कभी-कभी चले जाते हैं जबकि उनके पास कोई जमीन नहीं होती और नोटिस जाता है कि आप 500 रु0 और फलां 200 रु0 और फलां 400 रुपया जमा करें, वरना उसके यहां कुर्की हो जायेगी ऐसे बहुत से मामले हमारे पास आये, जिससे वह बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, जब जमीन उनके पास नहीं तो वह रुपया कहां से फराहम करें इसलिए इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि उन्हें आईन्दा ऐसे नोटिस दिए जएं तो बहुत सोच-समझकर और असलियत को मालूम करने के बाद दिये जयं। सरकार के कर्मचारियों को चाहिये कि पहले उनको जाकर दो-चार महीने पहले बता दें कि तुम्हारे ऊपर यह रकम निकलती है, इसका इन्तजाम कर लो ताकि कोई चार्ज तुम पर न हो, तो इस तरह से वह उसके लिए तैयार रहे और अगर गलत हो तो बता भी सकें।

जनाबेवाला, पहली बार हमारी सरकार ने स्टेटवाइज और डिस्ट्रिक्टवाइज बजट रखा है जिसमें 8 लाख रुपया डेवलपमेन्ट ब्लाक के हिस्से में आयेगा। जनाबेवाला यह रकम कम नहीं है पर वह सही तरीके से खर्च की जाय। इसके लिए हमारे कर्मचारी जो हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से समझना होगा कि जो रकम सरकार गरीबों के लिए दे रही है वह उनको ही पहुंचनी चाहिये। लेकिन मुश्किल यह है कि हमारा तजुर्बा है और वह यह है कि असल में यह रुपया जनता के लिए जो मखसूस हैं उन तक वह पहुंचता नहीं है और ऊपर-ऊपर ही वह खर्च हो जाता है। यह तो सरकार ने बहुत अच्छी बात की है कि विधायकों की एक कमेटी बना दी है कि वह इसको देखें कि सही लोगों में यह रुपया तकसीम हो।

[इस समय 4 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए]

जनाबेवाला, दो-तीन बातें मैं और अर्ज करना चाहती हूं और वह यह है कि बजट की तकरीर में है कि चार खाद फैक्ट्रीज हमारे सूबे में लगने जा रही हैं। मैं यह जरूर अर्ज करूंगी कि जैसा कि आपको भी मालूम है कि हमारा हरदोई जिला बहुत ही पिछड़े हुए जिलों में से एक है। हमारे मुख्य मन्त्री जी ने जो पिछड़े हुए जिलों के लिस्ट घोषित की थी उसमें हमारा हरदोई भी शामिल था। उसके बाद वहां एक स्पिनिंग मिल लगी। एक डालडा मिल कोआपरेटिव सेक्टर में लगी है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि वहां के लोगों को इससे लाभ नहीं हुआ, उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। जिस क्षेत्र में यह मिल लगी हैं वहां के लोगों को इसमें रोजगार मिलना चाहिये था, गरीब तबके को उसमें रोजगार देने की जरूरत है कि वहां के लोगों को ही उसमें काम पर रखा जाय। पर मुझे तकलीफ है इस बात की कि वहां के लोगों को वहां रोजगार नहीं मिल पा रहा है और बाहर के लोग आ कर काम कर रहे हैं।

[श्रीमती कुदसिया बेगम—]

जनाबेवाला, में अर्ज करना चाहती हूं कि जो ये चार फैक्ट्रीज खाद की लगने जा रही हैं उसमें हमारे सन्डीला क्षेत्र में भी एक फैक्ट्री लगायी जाये वहां पर सैकड़ों एकड़ भूमि ऊसर पड़ी हुई है तो यदि ये मिल वहां लग जाय तो हमारे क्षेत्र के लोगों को इससे लाभ होगा और उन्हें रोजगार भी मिल सकेगा और किसी के खेत भी नहीं लिये जायेंगे ।

एक बात जनाबेवाला मैं अर्ज करना चाहती हूं कि लकड़ी की कमी है, वनों को बचाने के लिए, फारेस्ट के लिए दरख्त काटना मना किये गये हैं । कोयला इतना महंगा है, गरीब आदमी कैसे अपना खाना पकाये । वित्त मन्त्री जी ने अपनी तकरीर में कहा कि 15 हजार गैस प्लान्ट हमारे सूबे में लगाये जायेंगे । तो जनाबेवाला, इसका एलोकेशन हो तो दो-तीन सौ से ज्यादा प्लान्ट की जिला नहीं मिल सकेंगे । बहरहाल अगर लोगों को गैस मिलने में आसानी होगी तो खाना पकाने की समस्या कुछ हद तक दूर हो जायेगी ।

वित्त मंत्री जी ने अपनी तकरीर में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जिक्र किया है । जो सिस्टम चलाया जा रहा है वह हरगिज भी जनता के फायदे के लिए नहीं है । संडीला और आस-पास के लोगों को शक्कर और मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है क्योंकि कोआपरेटिव सोसाइटीज के पास पैसा नहीं है । वह शक्कर की बोरियां और मिट्टी का तेल उठाने लायक हैं ही नहीं तो इससे वहां की पब्लिक को तकलीफ होती है, उनको न शक्कर मिलती है और न मिट्टी का तेल मिलता है । इस लिए में फिर अर्ज करना चाहती हूं कि इस तरफ जरूर गौर करें । कोआपरेटिव सोसाइटी के मार्फत जो उठाने का इंतजाम किया गया है, यह पब्लिक के लिए किसी तरह से भी आरामदेह नहीं है और इसमें भ्रष्टाचार भी काफी है । जनाबेआला, फेमिलीप्लानिंग के बारे में मैं अर्ज करना चाहती हूं, अभी वित्त मंत्री जी ने अपनी तकरीर में फर्माया कि हमारे प्रदेश में 25 फीसदी आबादी बढ़ गयी है, इसका हमें ज्यादा ख्याल करना चाहिए । असल में हमारे यहां डाक्टर्स की कमी है । औरतों के बारे में मैं कह सकती हूं, हरदोई में 128 औरतें आयीं, चूंकि इंतजाम नहीं था इसलिए उनको वापस जाना पड़ा । वहां कैम्प लगा था । दवाइयां ठीक नहीं थीं, मैं अस्तपाल में गयी, तो उन्होंने कहा कि दवाइयां खराब थीं इसलिए हम आपरेशन नहीं कर सकते । इस तरफ सरकार को जरूर गौर करना चाहिए और ज्यादा डाक्टरों को ट्रेन्ड करना चाहिये ।

जनाबआला, मैं एक और बात कहना चाहती हूं, बिजली, हमारे संडीला क्षेत्र और आस-पास में बिल्कुल नहीं आ रही है । उसके बाबत हम लिखते रहते हैं, में अर्ज करना चाहती हूं, बिजली का जरूर इंतजाम किया जाये । हमारे यहां केवल एक सरकारी ट्यूबवेल है कम से कम 3-4 और होने चाहिए । इन अल्फाजों के साथ में बजट का समर्थन करती हूं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

हम आप का बड़ा आभारी हई कि आप हमें बोलने का अवसर दिहलीं । कई दिनन से मेहनत करत-करत मौका मिलल बा । माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की 6वीं पचवर्षीय योजना खातिर 62 सौ करोड़ रुपया स्वीकार भइलबा । ओ हमें प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार आपन खर्च करले । माननीय अध्यक्ष जी, ई देखल गइल है कि हर समय, हर बर्ष पूर्वी जिलन में....

अध्यक्ष--

ऐसा है, आप हिन्दी में खड़ी बोली में, जैसी कि यहां की भाषा है, बोलें । आपकी यह इच्छा होगी कि आप की बात सब लोग अच्छी तरह से समझें । इसलिए खड़ी बोली में बोलें । सदन की भाषा हिन्दी है भोजपुरी नहीं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

आपको, अध्यक्ष जी, आज्ञा शिरोधार्य करके मैं खड़ी बोली में कह रहा हूं । हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में प्रतिवर्ष जैसा कि एकादशी को या दीपावली के दिन औरतें रात में सूपा या और चीज ले करके पीटते हुए घर के बाहर जाती हैं, पहले घर के चक्कर लगाती हैं, अध्यक्ष जी, पश्चिमी इलाके में नहीं जानता । औरतें कहते हुए निकलती हैं कि ईश्वर आयें और दलिद्दर भागे । हमारे घर में ईश्वर का निवास हो । ठीक उसी तरह से मान्यवर, उत्तर प्रदेश की यह सरकार कई वर्षों से इसी तरह का बजट पेश करती आ रही है कि हम प्रदेश की 11 करोड़ जनता को ईश्वर का दर्शन करायेंगे अर्थात् खुशहाल बनायेंगे । लेकिन यह देखा जाता है कि वह काल्पनिक रूप में ही उतर पाता है । मान्यवर, हम यह देखते हैं कि जो बजट रखा गया है, उसमें कोई टैक्स नहीं लगायेंगे । मान्यवर, यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई डकैत किसी के यहां डकैती डालना चाहता है तो सबसे पहले वह अपनी भूमिका आस-पास के क्षेत्रों में बनाता है कि हमारे विषय में अच्छा ख्याल लोग रखें और उसके बाद जब अवसर मिलता है तो किसी के घर में डकैती डाल देता है । उसी प्रकार से यह सरकार करती है । प्रारम्भ में कहती है कि हम कोई टैक्स नहीं लगायेंगे लेकिन अन्त में जाकर इस सरकार को टैक्स लगाना ही पड़ता है क्योंकि घाटे का बजट अन्य किसी स्रोत से पूरा नहीं कर पाती है । केवल शुरू में चमक-दमक होती है । उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में बाढ़ की विभीषिका बड़ी खतरनाक स्थिति पैदा करती है, उसके लिए इस सरकार ने कुछ नहीं सोचा । कृषि का उत्पादन बढ़ाने का इस सरकार का लक्ष्य है लेकिन मैंने इस बजट में देखा कि जितने भी क्षेत्र हैं वह आज भी जल-जमाव से डूबे हुए हैं । खेती के लिए उत्तम जमीन नहीं है । पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है । विकास का क्रम भी बहुत धीमा है । हरिजनों के ऊपर यह सरकार बहुत भाषण देती है कि विरोधी दल वाले उनको उकसाते हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ आंकड़े यहां पढ़ना चाहता हूं जो इसी सरकार के द्वारा तैयार कराया गया है । उत्तर प्रदेश में वर्ष 1981 में 1429 घटनायें हुई उसी के मुकाबले में राजस्थान में 518 और बिहार में 477, गुजरात में 353, महाराष्ट्र में 330, मध्य प्रदेश में 229, कर्नाटक में 260, केरल में 94, तमिलनाडु में 23, उड़ीसा में 17 और पश्चिमी बंगाल में 8 तथा पंजाब में केवल 7 जहां पर कि अकाली व निरंकारी दल के झगड़े की बात कही जाती है । इस सरकार को समझना चाहिए कि हम जो आंकड़े देते हैं कि हरिजनों के उत्पीड़न के लिए उनमें हम अन्य प्रदेशों के मुकाबले में कहां हैं । इसको यह सरकार नहीं देखती है ।

इस सरकार में आगाशाही और तानाशाही के रूप में इन्दिरा गांधी हैं, वह कहती हैं कि हिन्दुस्तान गरीब नहीं है, हिन्दुस्तान की ही तरह से अन्य देश भी गरीब हैं लेकिन हिन्दुस्तान की गरीबी और अन्य देशों की गरीबी में कितना फर्क है इसको यह जनता को नहीं समझाती हैं । हिन्दुस्तान के आदमी के लिए न खाने की व्यवस्था है, न मकान की व्यवस्था है और न तो कपड़े की व्यवस्था

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--]

है । इस तरह से इस देश और प्रदेश को भ्रम में डाला जाता है । वह दूसरे किस्म की गरीबी है, उनकी गरीबी का आंकलन हमारे यहां की गरीबी से भिन्न है क्योंकि वहां पर देखा जाता है कि कैसे इसको दूर किया जाय । जापान भी विश्व-युद्ध में ध्वस्त हो गया था लेकिन वह अपने नियोजन की प्रक्रिया को ठीक किया और वहां के नेताओं और अधिकारियों ने उसको सही दिशा दी लेकिन हमारे देश और प्रदेश में जो भी बजट आता है उसका बहुत सा हिस्सा दुरुपयोग हो जाता है । यहां पर अनेक किस्म के गबन की चीजें आती हैं । माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो विदेशों में जाने का अवसर नहीं मिला लेकिन आप तो गए होंगे और आपने देखा होगा कि इस तरह की स्थिति अन्य देशों में नहीं आती है । इस देश में तो आम चर्चा और फैशन हो गया है गबन करना, घूस लेना और योजनाओं को तोड़-मरोड़ कर रखना ।

माननीय अध्यक्ष ज, हम देख रहे हैं कि शिक्षा का जो बजट है उससे शिक्षा में कौन सा लाभ होने जा रहा है । शिक्षा को हम लाभकारी समझते हैं लेकिन आज हालत यह है कि गांवों में जो स्कूल चल रहे हैं उनमें शिक्षा की कोई भी ठीक व्यवस्था नहीं । गांवों में जिन स्कूलों की छतें नहीं हैं वहां लड़के पेड़ के नीचे बैठ कर इस बूंदा बूंदी में पढ़ने को बाध्य हो जाते हैं । इसकी वजह से बहुत से स्कूल खुल ही नहीं रहे हैं । क्योंकि ठंडक के मारे लोग ऐसे ही मर रहे हैं । जिस देश में ठंडक से लोग इतने परेशान हों, जो घरों में न रहकर सड़ई में रहते हों या खुले आसमान में रहते हों, उस देश का दुर्भाग्य है । जहां लड़कों के बैठने के लिये साधारण भवन भी न हो तो वहां शिक्षा कैसे दी जा सकती है । लेकिन जिस देश में अच्छी शिक्षा के लिये कोई व्यवस्था भी नहीं की जा सके उस देश का स्तर कैसे सुधर सकता है । मुझे तो बड़ी तकलीफ होती है । इसके साथ ही साथ में एक बात कहना भूल गया । एक दिन की स्थिति है कि मेरे ही घर से मेरे ही गांव का एक हरिजन विन्ध्याचल प्रसाद नाम का जा रहा था कि एका-एक बन्दूक से फायर हुआ । यह 24 जनवरी की बात है । 25 जनवरी को 307/506 आई० पी० सी० के अन्तर्गत गोरखपुर के झंगहा थाने में रिपोर्ट लिखायी गयी । वह बाल-बाल ही बच गया था । आज तक उस हरिजन पर फायर करने वाला व्यक्ति पकड़ा नहीं गया । जहां इस तरह की व्यवस्था हो, वहां पर मैं क्या कह सकता हूं ।

एक बात मैं सिंचाई के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । मेरे क्षेत्र की बात है । 3 जनवरी को यह बात है । बड़हरा राजा के पास नदाव नाला पर एक पुल बन रहा है । वहीं पर एक ठेकेदार की डायरी मुझे एकाएक मिल गयी । उस ठेकेदार की डायरी में 82 बोरी सीमेंट थी जिसमें कुछ 70 रुपये बोरी के रेट पर बेंचने का हवाला था । मुझे मालूम हुआ कि इस सौदे के लिये तीन हजार रुपया वहाँ के ए० ई० को दिया गया था । लोकल बालू सीमेंट के साथ लगाया जा रहा था । नीचे गिट्टी में भी सीमेंट के बजाय बालू ही लग रहा था, ऐसा बताया गया था । चुनाई भी सीमेंट से नहीं हो रही थी । इस केस को जब मैंने वहां के अधिशाषी अभियन्ता को दिया, इस पर हमारे क्षेत्र में बनने वाले पुल-पुलिया व नहरों के काम को रोक दिया गया । ए० ई० तथा जे० ई० कहने लगे कि काम अब नहीं होगा । आखिर ऐसे भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाय । इन शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । जिनमें से श्री गौरी शंकर भैय्या, श्री अकबर हुसैन, श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री रियासत हुसैन की सूचना जो दिनांक 1-2-82 को मानिकपुर-सतना रेल लाइन पर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे से 12 पेटी कारतूस की चोरी के सम्बन्ध में है, स्वीकार कर ली गई है ।

माननीय मंत्री जो, इसको किस तारीख को वक्तव्य के लिए रख दें ।

(संसदीय कार्य मंत्री श्री अम्मार रिजवी)---

दो दिन के बाद रख दें ।

श्री अध्यक्ष---

5 तारीख तक वक्तव्य लगे हुए हैं ।

श्री अम्मार रिजवी---

तो 8 या 9 तारीख रख दीजिए ।

श्री अध्यक्ष---

8 तारीख कर देता हूं । शेष सूचनायें अस्वीकृत हैं ।

झांसी न्यायालय द्वारा अवैध कब्जा हटवाने के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर के साथ नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता व अन्य कर्मचारियों द्वारा मारपीट व गाली-गलौज कर जबरन झूठा दस्तावेज लिखवाने और कोर्ट कमिश्नर को रिपोर्ट पुलिस द्वारा न लिखे जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

नगर विकास मंत्री (श्री श्यामकृष्ण गोयल)---

प्राप्त सूचना के अनुसार नगरपालिका झांसी ने श्री गेंदन लाल को वर्ष 1966 में डिलाइट चौराहे पर कुछ भूमि की तहबाजारी दी थी । परन्तु इस भूमि पर अतिक्रमण कर लिया गया था । वर्ष 1975-76 में अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी अभियान में श्री गेंदन लाल का कब्जा समाप्त हो गया था तदुपरान्त श्री गेंदन लाल ने वर्ष 1977 में न्यायालय मुन्सिफ तृतीय में दावा दायर किया कि वह विवादित भूमि का किरायेदार है । उक्त विवाद का फैसला नवम्बर, 1981 में हुआ और श्री गेंदन लाल को न्यायालय ने उक्त भूमि का किरायेदार माना ।

अतिक्रमण हटाने के पश्चात् नगरपालिका द्वारा इस स्थान पर (डिलाइट चौराहे पर) 3 दुकानें बनाई जा रही थी । मुन्सिफ तृतीय ने फैसले के बाद 19-1-82 को आदेश दिया कि नगरपालिका विवादित दुकानों को गिराकर जमीन का कब्जा वादी (श्री गेंदन लाल) को दे दें । परन्तु इस आदेश की सूचना नगरपालिका को नहीं मिली । 21 जनवरी, 1982 को न्यायालय ने एक अभिवक्ता

[श्री श्रीकृष्ण गोयल]

को न्यायालय की ओर से कमिश्नर नियुक्त किया ताकि इन दुकानों का कब्जा वे वादी को दिला दें। दिनांक 22-1-82 को न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर मौके पर गये और बिना पालिका के अधिकारियों को सूचना दिये हुये प्रश्नगत दुकानों को गिराना शुरू कर दिया। इसी बीच कर अधोक्षक को दुकानों को गिराये जाने की सूचना प्राप्त हुई तो वे मौके पर पहुंच गये थे और उन्होंने न्यायालय द्वारा नियुक्त आयुक्त से अनुरोध किया कि पालिका के अधिकारियों को आ जाने दें तभी दुकानों के गिराने की कार्यवाही करें परन्तु कमिश्नर ने दुकान गिराना जारी रखा जिसकी सूचना अधिशासी अधिकारी को मिली तो वे भी मौके पर 2.30 बजे पहुंच गये और कमिश्नर से अनुरोध किया कि वे गिराने से पहले स्थान को शिनाख्त कर लें और उन्हें यह भी बताया कि मुन्सिफ को आदेश की अपील की जा चुकी है। अपील नगरपालिका द्वारा की गई है। अस्तु वे दुकानों को गिराना रोक दें। बाद में 3.00 बजे अपीलीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त हो गया जो कमिश्नर पर 3.30 बजे के लगभग तामील हुआ और कमिश्नर ने दुकानों का गिराना उसके बाद रोक दिया, तब तक दुकानों का 1/2 के लगभग भाग गिराया जा चुका था।

मौके पर मुन्सिफ न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर से न तो कोई गाली-गलौज की गई और न कोई मारपीट की घटना हुई और न ही कमिश्नर पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखाने गये। यहां तक कमिश्नर ने कोई परिवाद बार एसोशियेशन तक में नहीं किया था। न कोई दस्तावेज ही कमिश्नर से जबरन लिखाया गया।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को इस तथ्य की जानकारी देते हुए यह कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि बिना किसी नगरपालिका की अनुमति के एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति अपनी दुकान का निर्माण करवा रहा है और मैंने 20 जनवरी को झांसी के जिलाधीश...

श्री अध्यक्ष--

क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं, वह पूछिये।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

जानकारी दे दूं।

श्री अध्यक्ष--

स्पष्टीकरण पूछिये, जानकारी तो दे चुके हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

मैंने जिलाधीश से अनुरोध करके इस दुकान को रुकवाया। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि 19-1-81 को जो न्यायपालिका के मुन्सिफ के द्वारा स्थगन आदेश मिला हुआ था उसको क्या नगरपालिका के अधिकारियों ने लेने से इन्कार किया जिसके कारण कोर्ट को कमीशन नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ी ?

श्री श्रीकृष्ण गोयल--

मेरे पास जो सूचना है, मान्यवर, उसमें ऐसी बात नहीं है।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, स्पष्टीकरण की यह जरूरत पड़ी कि माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा कि अदालत की डिक्री हो जाने के बाद अदालत से मुकर्रर किया हुआ कमिश्नर मौके पर गया और दुकानों को गिराना शुरू कर दिया और उन्होंने कोई इत्तिला नगरपालिका को नहीं दी। मैं समझता हूं कि सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोई प्रावेजन नहीं है कि डिक्री होने के बाद जब कमिश्नर एक्सक्यूट करने जाय तो इत्तिला करे। तो मैं माननीय मंत्री जी से इस बात का स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस बात की जरूरत थी कि कमिश्नर जब मौके पर डिक्री एक्सक्यूट कराने जा रहा है तो कोई सूचना दे या कोई इजाजत ले नगरपालिका से। इस बात का भी स्पष्टीकरण, मान्यवर, लीजिए कि माननीय मंत्री जी ने कहा...

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया बैठ जायं। उन्होंने यह कहा कि नगरपालिका को पहले सूचना नहीं थी और बाद में जब कमिश्नर साहब गये तो सूचना देने की आवश्यकता जो सिविल प्रक्रिया है उसमें है कि नहीं है।

श्री फखरे आलम--

आप भी जानते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं जानकारी रखता हूं तो उत्तर दे रहा हूं। दोनों पक्षों को सूचित किया जाना चाहिए कि क्या कोर्ट का आदेश है क्योंकि हो सकता है कि हटाने की जरूरत ही न पड़े खुद ही हटा लें।

दोनों पक्षों को सूचना देना कानूनन आवश्यक है। इसलिये अब इसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
2 फरवरी, 1982

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 27 पर)

(1) अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान 450-950 में आरक्षित कोटा पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अध्यापकों का पदोन्नति की पात्रता में विस्तार करते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों की पदोन्नति कर अथवा तदर्थ रूप से पदोन्नति कर इस शिक्षा सत्र में उक्त वेतनमान म आरक्षित कोटा हर दशा में पूरा कराया जाय क्योंकि श्रेणी दो तथा श्रेणी एक का आधार यही वेतनमान है ।

(2) अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जिन अध्यापकों के उक्त वेतनमान में पदोन्नति हेतु प्रत्यावेदन उ0 प्र0 शासन के शिक्षा--2 अनुभाग में विचाराधीन हैं उनकी पदोन्नति विषयक शासनादेश तुरन्त निर्गत किया जाय ताकि उनकी पदोन्नति शीघ्र हो सके ।

(3) जब तक आरक्षित कोटा पूरा नहीं होता, तब तक सामान्य वर्ग (ऊंची जाति) के अध्यापकों की पदोन्नतियां रोकी जाये क्योंकि 1977 से आरक्षित कोटे की एक भी पदोन्नति नहीं हुई है ।

(4) प्रस्तुत प्रत्यावेदन पत्र में अंकित सभी बिन्दुओं की जांच आयोग, आयुक्त अनु0 जाति, संसदीय समितियों द्वारा कराई जाय और जांच के समय हमको तथा इस वर्ग के अध्यापकों को भी बुलाया जाय तथा इस वर्ग के साथ भेदभाव करने वाले अधिकारियों तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को शासन स्तर तथा निदेशालय स्तर से तुरन्त हटाया जाय ।

(5) प्रत्येक वेतनमान में होने वाली पदोन्नति अध्यापकों की पदोन्नति आदेशों की सूचियों को शासन स्तर पर राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में तथा आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जनजाति, उत्तर प्रदेश एक-एक प्रतियां भेजने की व्यवस्था की जाय ताकि हर पदोन्नति आदेशों में आरक्षण पूर्ति की जांच तथा परीक्षण होता रहे ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर ।)

भवनहीन एवं क्षतिग्रस्त प्राथमिक विद्यालयों की सूची

क्रम सं0	तहसील का नाम	विकास खंड का नाम	भवनहीन विद्यालय का नाम		क्षतिग्रस्त विद्यालय का नाम
1	2	3	4		5
1	करछना	करछना	1 प्रा0 पा0	लटकहा	1 क0 प्रा0 पा0, बसही
			2 ,,	हथ्सरा	2 प्रा0 पा0, करछना
			3 ,,	पनासा उपरहार	3 ,, बबुरा
			4 ,,	गविगांव	4 ,, खजुरौल
			5 ,,	जगदीशपुर	5 ,, मनेवा
			6 ,,	देवरीखुर्द	6 ,, डोहा
			7 ,,	पतुलकी	7 ,, कबरा
			8 ,,	अन्तहिया	8 ,, अरई
			9 ,,	मड़वा	
			10 ,,	गडैया	
			11 ,,	लोहारी	
			12 ,,	खाईं (क्रमो0)	
			13 ,,	क, परवारा	
			14 ,,	मुण्डा	
	बाकी		1 ,,	बड़ैनिनो	1 प्रा0 पा0, रामपुर
			2 ,,	चक बबुरा	2 ,, अरेल नं0-1
			3 ,,	मवइया कला	3 ,, हथिमन नं0-1
			4 ,,	रेहीकला	4 ,, सारंगापुर
			5 ,,	हथिगन	5 ,, क्रमो धूरपुर
			6 ,,	गोत्री	6 ,, सड़वाकलां
			7 ,,	नरसिंहपुर	7 ,, लवायनकलां
					8 ,, नेवादासमोगरा
					9 ,, नबरामार
					10 ,, पठान की नोबी

1	2	3	4	5
2	बारा जसरा	1	प्रा0 पा0 बिरबल	1 प्र0 पा0 अकोढ़ा
		2	,, दोना	2 ,, क0, करेही
		3	,, बरोलो	3 ,, तातारगंज
		4	,, टिकरी	4 ,, कुआं
		5	,, रयपुरा	5 ,, गड़ैयाकलां
		6	,, लोटाढ़	6 ,, लइवरा
		7	,, मैदा	7 ,, ढेढ़री
		8	,, देवरा	8 ,, कचरा
		9	,, कन्या, अकोढ़ा	9 ,, कन्जासा
				10 ,, जोकनई
				11 ,, करमा
				12 ,, मिलखुरी
				13 ,, खेरहट
				14 ,, औरिया
				15 ,, पौड़ी
				16 ,, पान्डर
				17 ,, जसरा
				18 ,, मवैया ताल का बलपुर
शंकरगढ़	1	प्रा0 पा0	अकोरिया	1 प्र0 पा0 बारा
	2	,,	बड़गड़ो	2 ,, लालापुर
	3	,,	कपारी	3 ,, शिवराजपुर
	4	,,	महेरा	4 ,, बसहरातरहार
	5	,,	दुबहा	5 ,, मानपुर
	6	,,	प्रतापपुर	6 ,, बसहरा उपरहार
	7	,,	डेरावारो	7 ,, नारीबवारी
	8	,,	गोबरा तरहार	8 ,, महुआ
	9	,,	सोनवे	9 ,, छतहरा

1	2	3	4	5
		10	प्रा० पा०	गोअइचा
		11	,,	बसहरा उपरहार
		12	,,	असवा
		13	,,	पचवर
		14	,,	भोड़ी
		15	,,	सेहुड़ा
		16	,,	धुरी
		17	,,	देवरा
		18	,,	सतपुरा
		19	,,	सलेयापतियारी
		20	,,	पूरेबघेल
		21	,,	कवैयाकलां
		22	,,	तेलघना
		23	,,	जूही
		24	,,	गोजपहाड़ी
		25	,,	कपडौरा
		10	प्रा० पा०	बेलामुःडी

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 37 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर ।)

उन विद्यालयों की सूची जिसमें प्रवक्ता वेतनक्रम में दिनांक 30-1-82 को 40 प्रतिशत पदोन्नतियों की सूची पूर्ण नहीं थी :

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम
1	श्याम लाल इन्टर कालेज, नवाबगंज ।
2	आर0 के0 डी0 इन्टर कालेज, भुमुवार ।
3	जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज, काघी ।
4	राजा शंकर सहाय इन्टर कालेज, उन्नाव ।
5	अटल बिहारी इन्टर कालेज, उन्नाव ।
6	एम0 आर0 आर0 एस0 इन्टर कालेज, पुरवा ।
7	जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज, फतेहपुर, चौरासी ।
8	मन्ना लाल इन्द्रागी कुंवर इन्टर कालेज, जैतीपुर ।
9	रानी लक्ष्मी बाई इन्टर कालेज, उन्नाव ।
10	आर0 एन0 इन्टर कालेज, रूझई ।

उन विद्यालयों की सूची जिनमें एल0 टी0 वेतनक्रम में दिनांक 30-1-82 को 40 प्रतिशत पदोन्नतियों की सीमा पूर्ण नहीं है :

क्रम-संख्या	विद्यालय का नाम
1	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अतौरा ।
2	श्याम लाल इन्टर कालेज, नवाबगंज, उन्नाव ।
3	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेडटाभवानी, उन्नाव ।
4	आर0 के0 डा0 इन्टर कालेज, भुमवार, उन्नाव ।
5	जवाहर लाल स्मारक इन्टर कालेज, उन्नाव ।
6	रानी शंकर सहाय गर्ल्स इन्टर कालेज, उन्नाव ।
7	राजा शंकर सहाय इन्टर कालेज, उन्नाव ।
8	श्याम कुमारी सेठ गर्ल्स उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उन्नाव ।
9	त्रिलोक चन्द्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कोटवा, उन्नाव ।
10	सो0 पो0 टो0 एन0 इन्टर कालेज, उगू, उन्नाव ।
11	श्री हूबलाल इन्टर कालेज, टेढ़ा, उन्नाव ।
12	सुभाष इन्टर कालेज, बांगरमऊ, उन्नाव ।
13	स्वामी ईश्वरानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाबूखेड़ा, उन्नाव ।
14	श्री कमलापति इन्टर कालेज, बाघापुर, उन्नाव ।
15	स्वामी विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, निहाड़ीखेड़ा ।
16	एम0 आर0 आर0 एम0 इन्टर कालेज, पुरवा, उन्नाव ।
17	श्री महर्षि दयानन्द इन्टर कालेज, दुबेपुर, उन्नाव ।
18	आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पाठकपुर असोहा, उन्नाव ।
19	के0 एन0 पो0 एन0 इन्टर कालेज, मौरावां, उन्नाव ।
20	जवाहर लाल नेहरू इन्टर कालेज, फतेहपुर 84, उन्नाव ।
21	आर0 आर0 बो0 एन0 इन्टर कालेज, भगवन्तनगर, उन्नाव ।
22	जटाशंकर कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बाबूगंज, उन्नाव ।
23	इन्टर कालेज, बिहार, उन्नाव ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का उत्तर पीछे पृष्ठ 52 पर ।)

श्री प्रताप कुमार टन्डन का पत्र दिनांक 19-9-1981 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर दिनांक 17-9-1981 को दिल्ली से आने वाली अपर इंडिया एक्सप्रेस से कोई छात्र तथा युवक गिरफ्तार नहीं किया गया अपितु उपर्युक्त कथित अपर इंडिया एक्सप्रेस को उसी दिन उत्तर रेलवे, इलाहाबाद मन्डल के अधिकारियों द्वारा एक रेड बमरौली रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा कर रहे यात्रियों के चेकिंग के सम्बन्ध में की गई, जिस रेड के इंचार्ज श्री एस0 एन0 मालवीय, ए0 सी0 एस0, डी0 आर0 एम0 आफिस, इलाहाबाद थे । उस रेड में 4 चाफ टिकट इन्सपेक्टर, 33 टी0 टी0 आई0, 29 आर0 पी0 एफ0 स्टाफ एवं 23 पी0 ए0 सी0 के जवान सम्मिलित थे । फलस्वरूप 365 यात्रियों को बगैर टिकट पकड़ा गया जिसमें 313 यात्रियों से चार्ज 1,230 रुपया वसूल किये गये और 52 यात्री जुर्माना न देने के फलस्वरूप गिरफ्तार करके रेलवे मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद के समक्ष पेश किये गये जिन पर मजिस्ट्रेट ने 15,800 रुपया जुर्माना किया, जुर्माना भुगतान न कर सकने के कारण 52 यात्रियों को राजकीय रेलवे पुलिस, इलाहाबाद के सुपुर्द किया गया तथा उसी दिन नैनी जेल भेजा गया। बगैर टिकट यात्रियों की गिरफ्तारी के रेड के इन्चार्ज श्री एस0 एन0 मालवीय, ए0 सी0 एस0, इलाहाबाद एवं राजकीय रेलवे पुलिस के अधिकारियों से प्राप्त जानकारी से यह संज्ञान में आया है कि बमरौली रेलवे स्टेशन या अन्य रेलवे स्टेशनों पर किसी प्रकार का लाठी चार्ज नहीं हुआ, न किसी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, न ही किसी की सम्पत्ति लूटी गई ।

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 78 पर)

जनपद हरदोई के विकास खन्ड माधोगंज तथा मल्लावां में ऋण प्राप्त औद्योगिक इकाइयों का विवरण

क्रम-संख्या	लघु/टाइनी सेक्टर/ग्रामोद्योग की इकाई/ग्रामीण दस्तकार	विकास खंड का नाम	इकाई का नाम तथा पता	प्रदत्त धनराशि	वितरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	लघु/टाइनी सेक्टर	मल्लावां	मेसर्स कैलाश आयल एवं फ्लोर मिल, मल्लावां, हरदोई	25,000	1980-81
2	तदेव	तदेव	मेसर्स गुप्ता खाद्य तेल उद्योग, मल्लावां, हरदोई	25,000	1980-81
3	तदेव	तदेव	मेसर्स आदर्श शीत गृह, मल्लावां, हरदोई	1,41,203	1979-80
4	तदेव	तदेव	मेसर्स शिवराम, भगवन्तनगर, मल्लावां, हरदोई	20,400	22-1-81
5	तदेव	तदेव	मेसर्स जनता राइस मिल, माधोगंज, हरदोई	2,82,850	1979-80

6	ग्रामोद्योग की इकाई	मल्लावां	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री नचेलाल, ग्राम बन्दीपुरवर, मल्लावां (तेल उद्योग)	10,000	1978-79
7	तदेव	तदेव	श्री रामजीवन पुत्र श्री राम लखन, ग्राम गंगारामपुर, मल्लावां (लोह कला)	800	21-7-78
8	तदेव	तदेव	श्री फकीरे पुत्र पच्चा लाल, ग्राम बन्दीपुर मल्लावां (कुम्हारी)	1,800	उपलब्ध नहीं हो सकी।
9	तदेव	तदेव	श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री बच्चूलाल, भगवन्तनगर, मल्लावां (चर्मकला)	2,500	21-7-78
10	तदेव	तदेव	श्री विष्णु स्वरूप पुत्र श्री मूलचन्द्र, कटरा, गंगारामपुर, मल्लावां (चर्मकला)	2,500	21-7-78
11	तदेव	तदेव	श्री हरिश्चन्द पुत्र श्री कलेश्वर प्रसाद, ग्राम मुइद्दीनपुर, मल्लावां (कुम्हारी)	2,800	13-3-81
12	तदेव	तदेव	श्री विद्यासागर पुत्र श्री सियाराम, छोटा चौराहा, मल्लावां (चर्मकला)	2,500	26-6-80
13	तदेव	तदेव	श्री छेदी लाल पुत्र श्री दुर्गा सिंह, मुइउद्दीनपुर, मल्लावां (कुम्हारी)	3,800	6-6-80
14	तदेव	तदेव	श्री शिव कुमार पुत्र श्री तुलसीराम, भगवन्तनगर, मल्लावां (कुम्हारी)	3,800	15-5-80

1	2	3	4	5	6
15	ग्रामोद्योग की इकाई	मल्लावां	श्री दिलसुख पुत्र श्री जानकी प्रसाद, भगवन्तनगर, मल्लावां (कुम्हारी)	3,800	15-5-80
16	तदेव	तदेव	श्री भगवानदीन पुत्र श्री झाऊलाल, भगवन्तनगर, मल्लावां (कुम्हारी)	3,800	15-5-80
17	तदेव	तदेव	श्री राम बाबू पुत्र श्री मेथुन, भगवन्तनगर, मल्लावां (कुम्हारी)	3,800	15-5-80
18	तदेव	तदेव	श्री शकील अहमद पुत्र श्री शला-मत उल्ला, निर्जापुर, मल्लावां (चर्मकला)	2,500	24-5-80
19	तदेव	तदेव	श्री टेकचन्द्र पुत्र श्री जानकी लाल, भगवन्तनगर, मल्लावां (दाल प्रशोधन)	2,000	12-5-80
20	तदेव	तदेव	श्री उमाशंकर पुत्र श्री दुलारेलाल, कटरा बाजार, मल्लावां (चर्मकला)	2,500	24-10-80
21	तदेव	तदेव	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद, गंगारामपुर, मल्लावां (बेकरी)	2,000	उपलब्ध नहीं हो सकी ।
22	तदेव	तदेव	श्री गया प्रसाद पुत्र श्री राम प्रसाद, तेजपुर, मल्लावां (रेशा)	1,400	4-6-80

उत्तर प्रदेश राजपत्र असाधारण

23	तदेव	तदेव	श्री बाबू लाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, कल्यानपुर, मल्लावां (गुड़ खान्डसारी)	3,380	15-4-80
24	तदेव	तदेव	श्री शिव कान्त द्विवेदी, गंगारामपुर, मल्लावां (तेल उद्योग)	2,150	1980-81
25	तदेव	तदेव	श्री मुमताज अली, गंगारामपुर, मल्लावां (रेशा उद्योग)	1,500	1980-81
26	तदेव	तदेव	श्री मुख्तार खां, गंगारामपुर, मल्लावां (रेशा उद्योग)	1,500	1980-81
27	तदेव	तदेव	श्री सत्तार खां, गंगारामपुर, मल्लावां (रेशा उद्योग)	1,500	1980-81
28	तदेव	तदेव	श्री नूर मुहम्मद, गंगारामपुर, मल्लावां (रेशा उद्योग)	1,500	1980-81
29	तदेव	तदेव	मल्लावां सेवा संस्थान, मल्लावां (दाल प्रशोधन)	20,070	1980-81
30	तदेव	तदेव	श्री चोखेलाल, गोबर्धनपुर, मल्लावां (चर्म उद्योग)	2,500	1980-81
31	तदेव	तदेव	श्री बाबर खां, मल्लावां (चर्म उद्योग)	2,500	1980-81

1	2	3	4	5	6
32	ग्रामोद्योग की इकाई	मल वालां	श्री नन्हे लाल, गंगारामपुर, मल्लावां (चर्म उद्योग)	2,500	1980-81
33	तदेव	माधोगंज	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री शिव-रतन लाल बग्गा, माधोगंज (दाल प्रशोधन)	4,000 2,500	12-5-80
34	तदेव	तदेव	श्री प्रताप नारायण शुक्ला, माधोगंज (तेल उद्योग)	38,500	1980-81
35	तदेव	तदेव	श्री इकबाल मोहम्मद, मो0 मिश्राना, माधोगंज (बेकरी)	4,000	1980-81
36	तदेव	तदेव	श्री मो0 सुलेमान, निजहाई, माधोगंज (चर्म कला)	2,500	1980-81
37	तदेव	तदेव	श्री बाबूलाल पुत्र श्री छेदालाल, माधोगंज (कुम्हारी)	4,550	26-6-80
1	ग्रामीण वस्तकार	तदेव	श्री अब्दुल सालिक, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
2	तदेव	तदेव	श्री मो0 यामिल, फरहतनगर, काजी-पुर	1,500	26-9-80

उत्तर प्रदेश सभा

3	तदेव	तदेव	श्री निशार अहमद, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
4	तदेव	तदेव	श्री शमद अंसारी, फरहतनगर, काजीपुर	1,500	26-9-80
5	तदेव	तदेव	श्री अब्दुल कयूम, फरहतनगर, काजी-पुर	1,000	26-9-80
6	तदेव	तदेव	श्री मो0 सलीम, फरहतनगर, काजी-पुर	1,000	26-9-80
7	तदेव	तदेव	श्री मो0 मुर्तजा, फरहतनगर, काजी-पुर	1,000	26-9-80
8	तदेव	तदेव	श्री अब्दुल सत्तार, फरहतनगर, काजी-पुर	1,000	26-9-80
9	तदेव	तदेव	श्री अब्दुल सलमा, फरहतनगर, काजीपुर	2,000	26-9-80
10	तदेव	तदेव	श्री मो0 रजा, फरहतनगर, काजी-पुर	1,500	26-9-80
11	तदेव	तदेव	श्री बाबू अली, फरहतनगर, काजी-पुर	1,500	26-9-80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
12	ग्रामीण दस्तकार	माधोगंज	श्री अब्दुल गफूर, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
13	तदेव	तदेव	श्री महमूद अली, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
14	तदेव	तदेव	श्री सुलतान अहमद, फरहतनगर, काजीपुर	1,500	26-9-80
15	तदेव	तदेव	श्री मो0 यामीन, फरहतनगर, काजीपुर	2,000	26-9-80
16	तदेव	तदेव	श्री शकील अहमद, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
17	तदेव	तदेव	श्री मो0 सुलेमान, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
18	तदेव	तदेव	श्री अब्दुल सकूर, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
19	तदेव	तदेव	श्री मो0 मकबूल, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80
20	तदेव	तदेव	श्री सादीक अली, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26-9-80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

21	तदेव	तदेव	श्री जाकिर हुसैन, फरहतनगर, काजीपुर	2,000	26–9–80
22	तदेव	तदेव	श्री मो० नईम, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26–9–80
23	तदेव	तदेव	श्री मो० समीम, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26–9–80
24	तदेव	तदेव	श्री मो० अजीम, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26–9–80
25	तदेव	तदेव	श्री साकिर हुसन, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26–9–80
26	तदव	तदेव	श्री नूर मोहम्मद, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26–9–80
27	तदव	तदेव	श्री अब्दुल हफीज, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26–9–80
28	तदेव	तदेव	श्री रसीद अहमद, फरहतनगर, काजीपुर	1,000	26–9–80
29	तदेव	तदेव	श्री मुन्ना लाल द्विवेदी, माधोगंज	500	18–9–80
30	तदेव	तदेव	श्री प्रमोद कुमार दीक्षित	5,000	11–10–80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
31	ग्रामीण दस्तकार	मल्लावां	श्री अब्दुल हमीद, नुसरतनगर, मल्लावां	1,000	16-1-80
32	तदेव	तदेव	श्री गुलाम सुन, काजीपुर, मल्लावां	3,000	14-1-80
33	तदेव	तदेव	श्री मो0 फारूख, मुद्दीनपुर, मल्लावां	1,000	20-1-80
34	तदेव	तदेव	श्री रामजनी, मंजलाबाद, मल्लावां	2,000	21-1-80
35	तदेव	तदेव	श्री दया शंकर, भगवन्तनगर, मल्लावां	500	25-1-80
36	तदेव	तदेव	श्री परशुराम अकबर	1,500	25-1-80
37	तदेव	तदेव	श्री मुहम्मद उमर, मुद्दीनपुर	1,000	10-1-80
38	तदेव	तदेव	श्री मोहनलाल, भगवन्तनगर, मल्लावां	2,500	1-2-80
39	तदेव	तदेव	श्री राम, बड़ा चौराहा, मल्लावां	4,000	1-2-80
40	तदेव	तदेव	श्री चन्ने, भगवन्तनगर, मल्लावां	2,000	2-2-80
41	तदेव	तदेव	श्री हदीश, गंगारामपुर, मल्लावां	500	2-2-80
42	तदव	तदेव	श्री मुन्ना लाल, मल्लावां चौराहा	3,000	2-2-80

43	तदेव	तदेव	श्री श्यामाकान्त दुबे, मल्लावां	2,000	4-2-80
44	तदेव	तदेव	श्री अमर सिंह, तेजोपुर	1,000	16-2-80
45	तदेव	तदेव	श्री यामीन, मिर्जापुर, मल्लावां	1,000	16-2-80
46	तदेव	तदेव	श्री कमलेश नारायन सिंह, तेजोपुर मल्लावां	1 500	21-3-80
47	तदेव	तदेव	श्री ओम प्रकाश सक्सेना, बाजीगंज	700	21-3-80
48	तदेव	तदेव	श्री रामजीवन, गंगारामपुर, मल्लावां	3,000	18-4-80
49	तदेव	तदेव	श्री सोने लाल, कटरा, गंगारामपुर, मल्लावां	1,000	2-5-80
50	तदेव	तदेव	श्री मो0 यासीन, भगवन्तनगर, मल्लावां	4,000	10-6-80
51	तदेव	तदेव	श्री राधे कृष्ण शाहपुर, मल्लावां	2,000	25-7-80
52	तदेव	तदेव	श्री उमा शंकर, बाजीगंज, मल्लावां	2,000	27-7-80
53	तदेव	तदेव	श्री राज बहादुर, तदुआ	3,000	27-7-80
54	तदेव	तदेव	श्री रामस्वरूप, मेवीपुरवा, मंजलाबाद	3,000	1-8-80
55	तदेव	तदेव	श्री राज नारायन, तेजीपुर, मल्लावां	1,500	18-8-80

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
56	ग्रामीण दस्तकार	मल्लावां	श्री विमल कुमार पाठक, गंगारामपुर	4,000	28-8-80
57	तदेव	तदेव	श्री नसरुद्दीन, मोहीदीपुर	2,000	27-8-80
58	तदेव	तदेव	श्री अर्जुन सिंह, भदावल, सलाइमपुर	3,000	28-8-80
59	तदेव	तदेव	श्री अजहर हुसैन बन्दीपुर, मल्लावां	2,000	3-9-80
60	तदेव	तदेव	श्री सुरेश कुमार, बाजारगंज, मल्लावां	4,000	11-9-80
61	तदेव	तदेव	श्री कल्लू बाजीगुल, मल्लावां	2,500	7-10-80
62	तदेव	तदेव	श्री ओंकार नाथ, बाजीगंज, मल्लावां	1,500	10-10-80
63	तदेव	तदेव	श्री मैकेलाल, ठेइराबजार, मल्लावां	4,000	1-11-80
64	तदेव	तदेव	श्री मोहन लाल, गंजजलालाबाद, मल्लावां	4,000	28-11-80

नत्थियां

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 169 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर ।)

शिक्षा सत्र 1979-80 में जिन 33 विद्यालयों को इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 9(4) के अन्तगत हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट की मान्यता दी गई थी, उनकी सूची--

क्रमांक	विद्यालय का नाम	वर्ग/विषय
1	वैदिक विद्यालय हा0 से0 स्कूल, नगला, विरहा, अलीगढ़	साहि0 वर्ग नवीन हाई0 ।
2	लगसभा बालिका हा0 से0 स्कूल, गोंडा, अलीगढ़	साहि0 वर्ग नवीन हाई0 ।
3	भारतीय इ0 का0, कुरावली, मैनपुरी	साहि0 इन्टर (नाग0, कला) अति0 विषय ।
4	श्री लाल बहादुर शास्त्री, उ0 मा0 वि0, जथरा, एटा	साहि0 वर्ग नवीन इन्टर ।
5	जनता जू0 हा0 स्कूल, नगला, विरखू, अलीगढ़	साहि0 वर्ग नवीन हाई0 ।
6	एल0 डी0 ए0 वी0 इ0 का0, अनू- पशहर, बुलन्दशहर	वाणि0 अति0 हाई0 वर्ग ।
7	श्याम सिंह, उ0 मा0 वि0, बिलसुरी, बुलन्दशहर	साहि0 वर्ग नवीन इन्टर ।
8	उ0 मा0 विद्यालय, कुटियाखाल, गवाढ़ी, पौड़ी गढ़वाल	साहि0 इन्टर नवीन हिन्दी, अंग्रेजी अर्थ0, नाग0, इति0 तथा समाज0 ।
9	उ0 मा0 वि0 अदलीखाल, पौड़ी गढ़वाल	साहि0 इन्टर नवीन हिन्दी, अंग्रेजी अर्थ0 नाग0, इति0 तथा समाजशास्त्र ।
10	रामगंगा परियोजना उ0 मा0 वि0, कालागढ़, पौड़ी गढ़वाल	साहि0 इन्टर एवं वज्ञा0 इन्टर नवीन हिन्दी, अंग्रेजी, इति0 नाग0, अर्थ0, शिक्षा0 एवं भौ0 वि0, रसा0 वि0, गणित तथा साहि0 वर्ग के ग्राह्य विषय ।
11	सेठ रामनारायण दास पूर्व मा0 वि0 0 तिलकनगर,तिलवाड़ा, टिहरी-गढ़वाल	साहि0 हाई0 नवीन हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, अर्थ0, नाग0 तथा भूगोल ।

1	2	3
12	राजकीय आश्रम पद्धति अम्बाडी स्टेट, देहरादून	उ0 मा0 वि0, साहि0 हाई0 (नवीन) हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, भूगोल, अर्थ0, इति0, नाग0 ।
13	जनता पूर्व मा0 वि0, चमू, पिथौरागढ़	साहि0 हाई0 (नवीन) हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, इति0, नाग0 तथा अर्थ0 ।
14	समर सिंह इ0 का0, रामपुरा, जालौन	इन्टर कृषि अति0 वर्ग ।
15	हा0 से0 स्कूल, इटारी, सीतापुर	साहि0 वर्ग हिन्दी, अंग्रेजी, इति0, नाग0, समाज तथा अर्थ0 (इन्टर नवीन) ।
16	ज्ञान भारतीय उ0 मा0 वि0, गजरौला मुरादाबाद	इन्टर वाणिज्य वर्ग नवीन ।
17	जवाहरलाल मेमोरियल नोटीफाइड एरिया हा0 से0 स्कूल, सिरसी, मुरादाबाद	साहि0 इन्टर नवीन ।
18	महर्षि निशंक जूनियर हाई स्कूल नवादा, तेरजाकट, फर्रुखाबाद	साहि0 वर्ग हाई स्कूल नवीन ।
19	श्री जवाहरलाल उ0 मा0 वि0 चकरनगर, इटावा	साहि0 वर्ग इन्टर नवीन ।
20	उ0 मा0 वि0, रामनगर तिलोई, इटावा	साहि0 वर्ग इन्टर नवीन
21	पं0 दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म उ0 मा0 वि0, नवाबगंज, कानपुर	वैज्ञा0 वर्ग इन्टर ।
22	विद्यावती यादव महर्षि कृष्ण इ0 कालेज, हंडिया, इलाहाबाद	साहि0 वर्ग इति0 भूगोल, इन्टर अति0 ।
23	नगरपालिका कन्या उ0 मा0 वि0, नवाबगंज, गोंडा	साहि0 वर्ग नवीन इन्टर ।
24	शान्ति आश्रम उ0 मा0 विद्यालय सया, फैजाबाद	साहि0 वर्ग नवीन इन्टर ।
25	दी यू0 पी0 एस0 सी0 इ0 का0, डाला, मिर्जापुर	इन्टर साहि0 एवं वैज्ञा0 वर्ग (जीव विज्ञान सहित) ।
26	भारतीय उ0 मा0 वि0, परसीपुर, वाराणसी	इन्टर साहि0 वर्ग नवीन ।
27	दी उत्तर प्रदेश स्टेट सीमेंट कारपोरेशन जू0 हाई स्कूल, गुरमा, मिर्जापुर	हाई स्कूल साहि0 एवं वैज्ञानिक वर्ग ।

1	2	3
28	श्री कालिका उ0 मा0 वि0, कालिकाधाम, कोइराना, वाराणसी	साहि0 वर्ग इन्टर नवीन ।
29	श्री रामेश्वर महादेव उ0 मा0 वि0, कृष्णनगर, क्राइस्टनगर, वाराणसी	साहि0 वर्ग इन्टर नवीन ।
30	वीर लोरिक उ0 मा0 वि0, धरेश्वरीधाम, गोसाईपुर, मोहाव, वाराणसी	साहि0 वर्ग इन्टर नवीन ।
31	स्योबाई कमला देवी टिबड़े बाल कन्या इ0 का0, पडरौना, देवरिया	हाई स्कूल साहि0 (अर्थ0) अति0 विषय तथा इन्टर साहि0 (संस्कृत, अर्थ0) अतिरिक्त विषय।
32	महाराजा अग्रसेन बालिका इं0 का0, देवरिया	इन्टर साहि0 (अंग्रेजी, इति0) अतिरिक्त विषय ।
33	शिवपति इन्टर कालेज, शोहरतगढ़, बस्ती	इन्टर साहि0 (उर्दू)अति0 विषय।

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 185 का उत्तर पीछे पृष्ठ 103 पर।)

3 6 अभियुक्त निम्न थे :--

सर्वश्री--

1--मिलन पुत्र सिद्धू पासी, सा0 गोबिन्दपुर, थाना उतरौला, जनपद गोंडा ।

2--सत्य राम पुत्र सिद्धू पासी, ,, ,, ,,

3--होली पुत्र मिलन पासी, ,, ,, ,,

4--सन्तराम पुत्र मगरे, ,, ,, ,,

5--हृदय राम पुत्र उदयराज, ,, ,, ,,

6--हिरमन पुत्र उदयराज, ,, ,, ,,

7--राम लोढ़ी पुत्र बंशी, ,, ,, ,,

8--संतोषी पुत्र रतन कुर्मी, सा0 चौरा तिरकोपिया ,, ,,

9--रामसूरत पुत्र जांधी नट, सा0 गोबिन्दपुर ,, ,,

10--छोटकऊ पुत्र किद्धू पासी, ,, ,, ,,

11--भगत राम पुत्र बड़कऊ, ,, ,, ,,

12--हरी राम पुत्र बंशी, ,, ,, ,,

13--कृपाराम पुत्र बंशी, ,, ,, ,,

14--ईश्वर बली पुत्र पाटन, ,, ,, ,,

15--साधू पुत्र त्रिभुवन, ,, ,, ,,

16--चैतू पुत्र देवा कुर्मी, ,, ,, ,,

17--राम हरस पुत्र उदयराज, ,, ,, ,,

18--कल्लू पुत्र राम जियावन, ,, ,, ,,

19--सूर्यबली पुत्र पाटन, ,, ,, ,,

20--बलेसर पुत्र उदित, ,, ,, ,,

21--किद्दू पासी पुत्र गनेश, ,, ,, ,,

22--बसन्तराम पुत्र मंगरे, ,, ,, ,,

23--सुकई पुत्र लोटन, ,, ,, ,,

24--गंगाराम पुत्र धोबे, ,, ,, ,,

25--चिनकट पुत्र राम लोढ़ी, ,, ,, ,,

26--अवध राम पुत्र रामदीन, ,, ,, ,,

27--रामधारी पुत्र भिखन, सा0 गोबिन्दपुर, थाना उतरौला, जनपद गोंडा ।

28--ललन पुत्र धोबे, ,, ,, ,,

29--कुंवारे पुत्र छतरपाल, ,, ,, ,,

30--राम समुझ पुत्र उदयराज, ,, ,, ,,

31--राम सजीवन पुत्र सुकई, ,, ,, ,,

32--शौकत अली पुत्र बुचनू, ,, ,, ,,

33--सुकई पुत्र मोहन, ,, ,, ,,

34--बनारसी पुत्र धोबे, ,, ,, ,,

35--सीताराम पुत्र कन्धई, सा0 गौरा, ,, ,,

36--छोटकन पुत्र धनीराम, सा0 मुडिला, ,, ,,

नत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ 113 पर ।)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के पांचवें सोमवार के लिए निर्धारित श्री ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
7--क्या पशुधन मन्त्री को जानकारी है कि मरे हुए पशुओं को उठाने तथा उनकी खाल का उतारने का कार्य देहातों में करीब-करीब बन्द हो चुका है जिससे करोड़ों रुपय का चमड़ा जमीन के अन्दर मरे पशुओं का गाड़ देने से सड़ जाता है । क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?	7--जी नहीं । उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उ0 प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के निस्तारण के विनियमन का अधिकार यद्यपि ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदों को है परन्तु पशुओं पर स्वामित्व अभी भी पशु स्वामी का ही होता है । पंचायती राज विभाग के मतानुसार जब तक पशुओं पर स्थानीय निकायों का स्वामित्व नहीं हो जाता है तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती है। अतः पशुओं के शवों को ग्रामीण स्थानीय निकायों की सम्पत्ति बनाने का प्रश्न पंचायती राज विभाग के विचाराधीन है । बलराम सिंह यादव, मन्त्री, पशुधन ।

पी0 एस0 यू0 पी0--8 वि0 सभा--13-5-83--पी0 ी0 ।